दशम माला, खंड 3, अंक 21

बुधवार, 7 अगस्त, 1991
16 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

[illegible]

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 7 अगस्त, 1991 / 16 श्रावण, 1913 (शक)

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
	17	"श्री सुधीर सावेत" के स्थान पर "श्री सुधीर सावन्त" पढ़िये।
78	"नीचे से पंक्ति 5	"श्री यशवंत राव पालिट" के स्थान पर "श्री यशवंत राव पाटिल" पढ़िये।
		प्रश्न संख्या 2021 के भाग(ख) से (ड॰) निम्न प्रकार से पढ़िये :- "(ख) जी नहीं (ग) चूंकि धान की खरीदारी पर सांविधिक कर/लेवियां अन्य असांविधिक प्रभार तथा धान की मिलिंग से प्राप्त चावल की रिकवरी प्रतिशतता राज्य-प्रति-राज्य भिन्न भिन्न होती है इसलिए लेवी चावल का मूल्य राज्य प्रति राज्य भिन्न भिन्न होता है। (घ) जी नहीं (ड॰) प्रश्न ही नहीं उठता।"
[illegible]	3	प्रश्न संख्या "2046" के स्थान पर "2047" पढ़िये।
122	3	"श्री दत्तात्रेय बंडास" के स्थान पर "श्री दत्तात्रेय बंडारू" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध
135	2	"प्रो॰ रम कापसे" के स्थान पर "प्रो॰ राम कापसे" पढ़िये ।
135	नीचे से पंक्ति 10	प्रश्न संख्या "2084" के स्थान पर "2074" पढ़िये ।
164	2	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
164	7	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
211	नीचे से पंक्ति 5	"स्पष्टीकनण" के स्थान पर "स्पष्टीकरण" पढ़िये ।
266	20	"श्री आर॰एम॰घुनगेर" के स्थान पर "श्री आर॰एम॰ घोंगारे" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खंड 3 — पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 21 — बुधवार, 7 अगस्त, 1991/16 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 326 से 328, 330 और 331	1–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 329 और 332 से 345	23–51
अतारांकित प्रश्न संख्या 1956 से 1968, 1970 से 2009, 2012 से 2028, 2030 से 2044, 2046 से 2055, 2057 से 2076, 2078 से 2105, 2107 से 2130 और 2132 से 2139	51–211
नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री, श्री माधव राव सिंधिया द्वारा 4-8-1991 को लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण	211–219
सभा पटल पर रखे गए पत्र . . .	219–221
नियम 377 के अधीन मामले . .	221–224
(एक) माटुंगा टेलीफोन एक्सचेंज, मुम्बई को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री शरद दिघे .	221–222
(दो) त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 का उचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन० डेनिस	222
(तीन) मध्यप्रदेश में बरगी सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहन लाल झिकराम	223

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

(चार) पूर्वोत्तर बिहार में महानन्दा उप-बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबन्धन योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 223–224

(पांच) केरल में पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री टी० जे० अंजलोज . . 224

(छः) बिहार में, हजारीबाग में रेलवे आउट एजेंसी को पुन: खोले जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 224

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित . 224

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे . . 225–226

श्री रंगराजन कुमारमंगलम . 226–227

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 227–228

श्री सैयद शाहाबुद्दीन . . 228–234

श्री चित्त बसु . . 234–237

श्री शरद दिघे 237–240

श्री रमेश चेन्नितला . . . 240–241

श्री तेज नारायण सिंह . . . 241–243

श्री बसुदेव आचार्य 244–247

श्री मोहन सिंह . 247–248

श्री मनोरंजन भक्त 248–250

श्री पी० सी० थामस . . . 250–252

श्री ई० अहमद . 252–254

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 254–256

	पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चा	256
देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति	256
श्री चन्द्रजीत यादव	256–263
श्री अर्जुन चरण सेठी	263–265
श्री अनन्त वेंकट रेड्डी	265–266
श्री आर०एम० भुनगेंरे	266–268
श्री बी० विजय कुमार राजू	274–279
श्री बालिन कुली	279–280
श्री गोपीनाथ गजपति	280–281
श्री श्रीपाल सिंह यादव	281–283
श्री पीयूष तीरकी	283
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड की मुम्बई शाखा के कार्यकलाप	
श्री मनमोहन सिंह	269–270

लोक सभा

बुधवार, 7 अगस्त, 1991/16 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

महाराष्ट्र और गुजरात में औद्योगिक विकास केन्द्र

*326 श्री विलासराव (गुंडवार) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[अनुवाद]

विवरण

(क) और (ख) नई विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र और गुजरात को क्रमशः पांच और तीन विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित विकास केन्द्र चुने गए हैं :–

महाराष्ट्र

विकास केन्द्र का नाम	जिला
1. धुले	धूले

विकास केन्द्र का नाम	जिला
2. रत्नागिरि	रत्नागिरि
3. नांदेड	नांदेड़
4. अकोला	अकोला
5. चन्द्रपुर	चन्द्रपुर

गुजरात

1. पालमपुर	बनासकांठा
2. वागरा	भड़ूच
3. गांधीधाम	कच्छ

महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों की उपर्युक्त विकास केन्द्रों के संबंध में परियोजना रिपोर्टें अभी भेजनी है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था कि महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों द्वारा जो औद्योगिक विकास केन्द्र मांगे गये है उसका ब्योरा क्या है और कितनी जगह मांगे गये हैं ? मंत्री महोदय ने 5 जगह का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कितनी जगह मांगे गये हैं और कितनी जगह मान लिये गये है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने ग्यारह प्रस्ताव दिये है। हम राज्य सरकार से उन विकास केन्द्रों की संख्या बताने के लिए कह रहे है जो कि राज्य को आवंटित किये जाने वाले हैं। महाराष्ट्र को पांच विकास केन्द्र आवंटित किये गये थे तथा इसलिए हम उनसे दस प्रस्ताव मांग रहे हैं। उन्होंने हमें ग्यारह प्रस्ताव भेजे हैं। यदि सदस्य चाहें तो मैं उन्हें पढ़कर बता सकता हूं अन्यथा मैं उन्हें इस तत्सम्बन्धी ब्योरा भेज दूंगा।

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : जी हां, मैं चाहता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : राज्य सरकार ने ग्यारह नाम भेजे थे। वे है 1. चन्द्रपुर, 2. नान्देड़, 3. नासिक, 4. रत्नागिरि, 5. गजरौली, 6. अकोला, 7. आर० बी०, 8. इचलकरानजी 9. यावतमल, 10. दलवै, 11. धुले।

इनमें से रत्नागिरि, धुले, नान्देड़, अकोला तथा चन्द्रपुर का राज्य सरकार द्वारा दी गई वरीयता, के आधार पर चयन किया गया था तथा जल तथा विद्युत सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में की गई स्थान राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त बताये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, नान्देड़ जिले में जो केन्द्र खोला जा रहा है वहां एम०आई०डी०सी० का केन्द्र पहले से कार्यरत है इसलिए इसको दूसरी जगह में खोला जाये जैसे किनवट में खोला जा सकता है। वहां खोलने से उस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार उसके लिए कितना अनुदान देने वाली है या किसी बड़े उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए बुलाने वाली है या स्वयं बड़ा उद्योग लगाने वाली है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा वांछित स्थान नान्देड़ एक जनजातीय क्षेत्र है। इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना है। मुझे सदस्य को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसे पहले ही विकास केन्द्र के रूप में मान लिया गया है।

अतः भारत सरकार की उस विकास क्षेत्र में लगभग तीस करोड़ रु० खर्च करने की योजना है। दस करोड़ रु० सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित किये जायेंगे, पांच करोड़ रु० राज्य सरकार देगी, पांच करोड़ रु० वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवंटित किये जायेंगे तथा दस करोड़ रु० बाजार से ऋण लिया जायेगा। इस योजना अवधि में हम इस विकास केन्द्र का विकास करने के लिये नान्देड़ में तीस करोड़ रु० व्यय करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : वहां नक्सलवादी रहते हैं उनका उस क्षेत्र में काफी प्रभाव है इसलिए किनवट में कोई केन्द्र खोला जाये तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि नान्देड़ के स्थान पर आप किनवट में विकास केन्द्र खोलें जो उनके जिले में ही एक स्थान है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि वह एक सुझाव है, तो माननीय सदस्य महोदय हमें लिखकर भेजे तथा हम इसे देखेंगे।

श्री अन्ना जोशी : केन्द्रीय सरकार द्वारा इन पांच स्थानों पर जिला औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने का निर्णय कब लिया गया था तथा राज्य सरकार को इसकी जानकारी कब दी गई थी ? प्रत्येक केन्द्र पर कितना धन व्यय होगा जो कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह महाराष्ट्र तथा गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : विकास केन्द्र शुरू करने का निर्णय बहुत पहले वर्ष 1988 में ही ले लिया गया था। निर्णय लेने के पश्चात् राज्य सरकार को इस बारे में बता दिया गया था। जहां तक गुजरात तथा महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, उन्होंने वर्ष 1989-90 में अपने प्रस्ताव भेज दिये थे।

श्री अन्ना जोशी : राज्य सरकार को इस निर्णय के बारे में कब बताया गया था ? केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना व्यय वहन किया जायेगा ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : इन केन्द्रों का चयन करने के पश्चात् राज्य सरकार को इस निर्णय के बारे में बता दिया गया था। राज्य सरकारों से अपनी परियोजना रिपोर्टों को भेजने के लिये कहा जा रहा है। हम उनकी परियोजना रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी परियोजना रिपोर्टों के प्राप्त होने पर मूल्यांकन समिति उन पर विचार करेगी। यदि मूल्यांकन समिति उन पर स्वीकृति दे देती है तो हम धनराशि देना आरम्भ कर देंगे। परन्तु जहां तक महाराष्ट्र तथा गुजरात का सम्बन्ध है हमें उनकी परियोजना रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी हैं।

[हिन्दी]

श्री गाभाजी मगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के कपड़वंज क्षेत्र से आता हूं और मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, वह बिलकुल पिछड़ा हुआ है और इसे फ्यूचर में नर्मदा योजना से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और न ही कोई डेवलेपमेंट की कोई संभावना ही है। मेरी कांस्टीट्यून्सी तीन जिलों से मिलकर बनती है। दो जिले बिलकुल पिछड़े हुए हैं। साबरकांठा और बनासकांठा।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री गाभाजी मगाजी ठाकुर : मेरा प्रश्न यह है कि साबरकांठा और कपड़वंज की जो तहसील हैं, पिछड़ी हुई हैं, उनको ग्रोथ सेंटर में शामिल करना चाहते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : सरकार को और स्थानों को विकास केन्द्रों में शामिल करने में प्रसन्नता होगी। परन्तु माननीय सदस्य सरकार के समक्ष विद्यमान वित्तीय बाधाओं से अवगत हैं। इस समय इस योजना में हमारा कार्यक्रम 70 विकास केन्द्र शुरू करने का है तथा उनकी संख्या और बढ़ाई जाये अथवा नहीं, इस बारे में वित्तीय राशि को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा तथा योजना आयोग को भी इस बारे में विचार करना है।

श्री मोरेश्वर सावे : नई औद्योगिक नीति को देखते हुए इन विकास केन्द्रों की स्थापना उसी के अनुरूप ही की जायेगी क्योंकि अभी-अभी उन्होंने महाराष्ट्र के लिये ग्यारह स्थानों के नाम पढ़े हैं तथा उनमें से कम से कम चार स्थान पहले से ही विकास केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं जहां पर सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन विकास केन्द्रों को विकसित करने का उद्देश्य ऐसे स्थानों पर और अधिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जहां पर इस प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नई औद्योगिक नीति को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि और अधिक विकास केन्द्र स्थापित करने की इस नीति को जारी रखा जायेगा अथवा नहीं।

प्रो०पी०जे० कुरियन : विकास केन्द्रों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक उद्योगों को आकर्षित करना है। नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को अपना स्थान स्वयं चयन करने का हक होगा।

परन्तु सरकार पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक उद्योग स्थापित करना तथा पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना चाहेगी। अतएव विकास केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे तथा वहां पर हम सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अत: उन स्थानों में उद्योगों को आकर्षित किया जायेगा तथा इस योजना को जारी रखा जायेगा ताकि पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

श्री राम कापसे : अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करना है। परन्तु वास्तव में मैं महाराष्ट्र के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वह यह है कि ये सारे पांच केन्द्र जिनका सुझाव दिया गया है, वे सारे जिला स्थल हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगर विकास केन्द्र इत्यादि हैं।

अत: केन्द्र की तरफ से एक सुझाव था कि आपको ये विकास केन्द्र ऐसे स्थानों पर स्थापित करने चाहिएं जहां औद्योगिक गतिविधियों और सुविधाओं की कमी है?

अध्यक्ष महोदय : केन्द्र को चलाने के लिए भी उनको कुछ सुविधायें चाहिए। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है।

श्री राम कापसे : अगर केन्द्र यह सोचता है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाये जायें तब इन सभी केन्द्रों को एक अलग प्रकार की औद्योगिक सुविधाएँ होंगी। अत: क्या केन्द्र की तरफ से एक सुझाव आया था कि आप इन केन्द्रों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करें जो पूर्ण रूप से पिछड़े हों तथा जहां औद्योगिक गतिविधियां बहुत कम हैं?

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब तक आपके पास कुछ आधारभूत सुविधाएं नहीं होंगी, आप उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जहां कोई सड़क नहीं है वहां आप उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते।

श्री राम कापसे : मैं आधारभूत सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके अपने औद्योगिक इस्टेट हैं। फिर भी ये ऐसे विकास केन्द्रों की मांग कर रहे हैं। फिर आपका क्या सुझाव है?

प्रो० पी० जे० कुरियन : ये स्थान निर्धारित करने के लिए कुछ विशेष मापदण्ड रखे गये हैं। सन् 1988 में योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति ने ये मापदंड निर्धारित किए थे माननीय सदस्य के फायदे के लिए मैं ये मापदण्ड आपके सामने पढ़ता हूँ। ये हैं : (1) जनसंख्या (2) क्षेत्र और (3) औद्योगिक पिछड़ापन। इसमें आने वाली लगभग सभी बातें ध्यान में रखी गई हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। केवल तभी विकास केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। हम विकास केन्द्र में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं। एक बार एक विकास केन्द्र स्थापित हो जाता है तो विकास केन्द्र में हम आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं। परन्तु विकास केन्द्र को किसी विशेष स्थान पर ले जाने के लिए कुछ विशेष आधारभूत संरचना आवश्यक है। अत: केवल पिछड़ेपन के आधार पर आप विकास केन्द्र नहीं खोल सकते और अगर आप कोई केन्द्र स्थापित भी करेंगे तो वह विकास केन्द्र काम नहीं कर सकेगा।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो प्रश्न का जवाब दिया है, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों के द्वारा ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें मिक्स मत कीजिये।

श्री हरिसिंह चावड़ा : उन्होंने जवाब दिया है, तो गुजरात सरकार ने कितने-कितने सेन्टर लगाने थे। आपने उसके लिए तीन आधारों का नाम दिया है। गुजरात सरकार ने क्या-क्या सुझाव दिया है, उसका प्रपोजल क्या है और वह हमारे पालमपुर में भी रहेगा या डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : जहां तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, राज्य को तीन विकास केन्द्र आवंटित किए गए थे जिनके चयन के लिए राज्य सरकार ने चार स्थानों, पालमपुर, गमगरा, गांधी-ग्राम और सुरेन्द्रनगर के नाम सुझाये हैं।

श्री सुधीर सावंत : संभवत: कुछ सदस्यों द्वारा की यह धारणा पैदा की जा रही है कि जो विकास केन्द्र निर्धारित किए गए हैं वे वास्तव में विकसित हैं। यह सच्चाई से बहुत परे है रत्नागिरी क्षेत्र पूर्ण रूप से अविकसित है तथा वहां पर आधारभूत सुविधाएँ नहीं हैं। यही कारण है कि विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है।

श्री सुधीर सावंत : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। रत्नागिरी क्षेत्र में कुछ उद्योग स्थापित किए जा रहे थे जो अब रोक दिये गये हैं। वहां पर ऋण दिये जाने की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : प्रश्न यह है कि विकास केन्द्र बिल की शीघ्र अदायगी करेंगे तथा दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे कोई राज-सहायता, कम से कम निर्धारित विकास केन्द्रों को परि-वहन के लिये देंगे?

प्रो० पी० जे० कुरियन : वित्तीय ऋण सुविधायों के संबंध में वे विकास केन्द्रों में ही बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। वहां बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी तथा यह उद्यमी और बैंकों पर निर्भर है कि वे परस्पर सम्पर्क बनाये रखें।

जहां तक राज-सहायता का संबंध है, यह प्रश्न राज-सहायता के संबंध में नहीं है और विकास केन्द्र किसी प्रकार की राज-सहायता के सम्बन्ध में विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय जैसा कि मंत्री जी द्वारा बताया गया है यह योजना 1988 में आरंभ की गई थी। तीन वर्ष बीत चुके हैं और अब हम 1991 में गुजर रहे हैं। यह योजना कछुए की गति से कार्य कर रही है तथा तीन वर्षों में कुछ विशेष नहीं हो पाया है। अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने अपनी परियोजना प्रतिवेदन नहीं भेजे हैं। हम चाहते हैं कि यह कार्य जेट की गति से हो ताकि जल्दी ही उसमें सुधार हो सके।

इस विलम्ब को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री को, चर्चा के लिए तथा यह देखने के लिए कि महाराष्ट्र के सुझाव जल्द ही पारित हो गए हैं, यहां बुलायेंगे ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, सभी प्रस्ताव जितनी जल्दी हो सके स्वीकृत हो जायें, ऐसी भारत सरकार की इच्छा है। जहां तक महाराष्ट्र के प्रस्तावों का सम्बन्ध है महाराष्ट्र में वर्ष 1989 में विकास केन्द्रों का चुनाव कर लिया गया था तथा हम योजना रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं।

मुझे महाराष्ट्र के मंत्री महोदय को दुबारा यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सुझाव जल्द से जल्द भेजे जायें तथा मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूँ कि शर्तों को पूरा करते हुए जितनी जल्द प्रस्ताव प्राप्त होंगे, हम उन्हें अवश्य ही स्वीकृति प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

*327 **श्री कोड्डीकुनील सुरेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को पिछले बकाया रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 1989 तथा 1990 में चलाये गये, विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिये निर्देश दे दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1989 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 11,000 रिक्तियां निर्धारित की गई थी जिनमें से 8,125 रिक्तियां भरी जा सकी हैं। वर्ष 1990 में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत 10,461 रिक्तियां निर्धारित की गई थी जिनमें से 6,316 रिक्तियां भर ली गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कोड्डीकुनील सुरेश : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989 में 11,000 रिक्तियां थीं और उनमें से 8,125 रिक्तियां भरी गई हैं। अतः वर्ष 1989 में रिक्तियों की शेष संख्या 2,875 थी। वर्ष

1990 में 10,461 रिक्तियां थी, जिनमें से 6,316 भरी गई। वर्ष 1990 में लंबित रिक्तियों की संख्या 4,145 थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्ष 1990 में जो रिक्तियां थीं उनमें वे पद शामिल थे ...... (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, इस जवाब के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियों के बारे है। मंत्री महोदय ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिये खाली पदों के बारे में उत्तर दिया है। यह पूर्ण रूप से एक अलग जवाब है। अतः मंत्री महोदय को यह उत्तर वापिस लेना चाहिए तथा नये सिरे से उत्तर देना चाहिए ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय यह प्रश्न अलग है। यह बकाया रिक्तियों के बारे में है न कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की रिक्तियों के बारे में हैं। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न अलग से है, महोदय .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वही बात मैं आपको अनुपूरक प्रश्न में पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1990 में पता लगाई गई रिक्तियों में 2,875 ऐसे पद भी शामिल थे जो 1989 के भर्ती अभियान के दौरान भरे नहीं जा सके थे। अगर ऐसा है तो 2,875 पदों में से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : जहाँ तक बकाया रिक्तियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने कहा है कि बकाया रिक्तियां केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं है अपितु यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री पी० के० थुंगन : बकाया रिक्तियों से मेरा अर्थ है कि यह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है आपके पास रिक्त स्थान हों और उन रिक्त स्थानों को आपने भरा न हो। ठीक है, आप अपने तरीके से कार्य करें।

श्री पी०के० थुंगन : मैं यही कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारे पास केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियां हैं और जो अन्य प्रश्न है कि क्या पिछली बकाया रिक्तियों को अगले वर्ष में गिना जाता है, इसका उत्तर है 'हां'। मेरे पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग रिक्त स्थानों सम्बन्धी कुछ वास्तविक आंकड़े हैं।

अर्थात् 'क' वर्ग में, 3,231 रिक्त स्थान थे जिन में से 1,005 रिक्तियां अनुसूचित जाति के लोगों और 340 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के लोगों से भरी गई। इसी प्रकार, 'ख' वर्ग में रिक्तियां 1,431 मानी गई जिन में से 458 रिक्तियाँ अनुसूचित जाति और 174 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के लोगों से भरी गई। 'ग' वर्ग में 4,148 रिक्तियों का पता लगाया गया था और अनुसूचित-जाति के लोगों द्वारा 1,844 और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा 1,231 रिक्तियां भरी गई। 'घ' वर्ग में, 1,651 रिक्तियां थीं और अनुसचित जातियों द्वारा 678 और अनुसूचित जनजातियों द्वारा 586 रिक्तियां भरी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं है। यह एक सामान्य प्रश्न है। यह प्रश्न केवल रिक्तियों से सम्बन्धित है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य ने स्वयं यह स्पष्ट किया है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े दे रहा हूँ।

श्री कोडीकुनील सुरेश : उन लोगों में से जो 1989 और 1990 के विशेष भर्ती अभियान के दौरान रह गए थे, वे किस प्रकार के पद थे जिन के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाए थे ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, जहां तक 'ग' और 'घ' वर्ग का सम्बन्ध है, हमें अधिक समस्या नहीं है। किन्तु 'क' और 'ख' वर्ग में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, विशेषतया, इंजीनियरों, चिकित्सकीय कर्मचारी, अर्ध - चिकित्सकीय कर्मचारी, विमान चालक, हवाई जहाज इंजीनियर, एरोड्रोम अफसर के सम्बन्ध में और कुछ हद तक वित्त और अकाउन्ट इत्यादि में हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं 1989 और 1990 में सामान्य श्रेणी की रिक्तियों की संख्या जानना चाहता हूँ। हमने मन्त्री महोदय को यह कहते हुए सुना है कि रिक्त स्थान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में हैं। इससे, क्या उनका यह अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1989 और 1990 में कोई सेवा-निवृत्त नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : वे सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के बारे में सभी तथ्य और आंकड़े जानना चाहते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : मैं कुल पता लगाई गई रिक्तियों की संख्या बताना चाहता हूँ। मेरे पास उन रिक्तियों की सूची है जो 1971 से—लगभग दो दशकों से हैं। मैं वर्ष 1990 के नवीनतम आंकड़ों का उल्लेख करना चाहता हूँ। 1990–91 में हमारे पास 22,20,385 स्थान थे। इस समय मेरे पास कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया माननीय सदस्य को वह सूचना दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 1989 का बैकलॉग 11,000 बताया है और 1990 का बैकलॉग 10,461 है। उसमें यह भी कहा गया है कि कैरी फोरवर्ड 3000

होता है । यह दो साल में आइडैन्टीफाई किया गया । मै जानना चाहता हूं कि 1989 में जो आईडैन्टीफाई हुआ, एक साल बाद, स्पैशल ड्राइव हुआ, इसका मतलब है कि 1989 में आईडैन्टीफाई ईमानदारी से नहीं किया गया । स्पैशल ड्राइव 1989 में क्यों नहीं हुआ ?

[अनुवाद]

श्री पी०के० थुंगन : वर्ष 1989 में एक विशेष अभियान चलाया गया था । वर्ष 1990 में फिर दुबारा यह विशेष अभियान चलाया गया। अतः यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ।

[हिन्दी]

श्री अरविंद नेताम : एक साल में 8—9000 का डिफरेंस हो गया, इसका मतलब है कि 1989 में ईमानदारी से आइडैन्टीफाई नहीं हुआ ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : 'ग' और 'घ' वर्ग में हमें किसी भर्ती समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, किन्तु 'क' और 'ख' वर्ग में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें वर्ष 1989 में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा मैं उनका उल्लेख माननीय सदस्य से करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते थे कि आप वर्ष 1989 में रिक्तियों को भर पाने में सफल क्यों नहीं हो पाए ।

[हिन्दी]

श्री अरविंद नेताम : मेरा कहना है कि 1989 में 7000 क्यों छूट गया ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : जिन समस्याओं के कारण हम रिक्तियों को नहीं भर पाये थे, वे हैं. . .

अध्यक्ष महोदय : वह चुनाव वर्ष भी था ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : योग्यताओं, आयु सीमा, शुल्क आदि में छूट देने के बावजूद भी हम उद्देश्य के अनुसार उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाए ।

श्री अरविंद नेताम : मैं आपकी सहायता चाहता हूं । मुझे माननीय मन्त्री महोदय से जवाब नहीं मिल रहा है ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण देव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने दो बार इस बात को दोहराया है कि इंजीनियर, डाक्टर, पायलट ऐवेलेबल नहीं हो सके जिसके कारण पद को भर नहीं सके। मैं मन्त्री

जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1989-90 और 1990-91 में ऐसा कोई विज्ञापन आपने दिया जिससे कोई आवेदन नहीं आया और आप पद को भर नहीं सके ?

श्री पी० के० थुंगन : हम समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं :

अध्यक्ष महोदय : क्या पूरा जवाब यह है कि आपने विज्ञापन दिया था ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरी पहली प्रार्थना यह है कि रोज बुलेटिन में कहा जाता है कि जो नये संसद सदस्य चुन कर आये हैं, उनके लिये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि जो नये मंत्री बन कर आये हैं, उनके लिये भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाये ताकि सदन का वक्त इस तरह बरबाद न हो और जो नौकरशाह मंत्रियों को गुमराह करके या मंत्री गुमराह होने के लिये तैयार होते हैं, उनकी ऐसी हालत न बने । अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न इस मूल प्रश्न से सम्बन्धित है और जो जवाब मंत्री जी ने अभी दिया है उससे जुड़ा हुआ है । क्या यह बात सही नहीं है कि एक अरसे से सार्वजनिक उद्यमियों में नई भर्ती करने पर रोक लगायी गई है । जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला है और जिस के जवाब में कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा है कि उसे समाधानकारक जवाब नहीं मिला है, क्या यह सही नहीं है कि 1989 में जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा ने जो अभियान चलाया, देश के पैमाने पर कि शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जगहें खाली पड़ी हुई हैं, उनको नहीं भरा गया तो हम अभियान चलायेंगे, क्या उसी का नतीजा है कि अब ये सब हो रहा है ? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : 1989 में किस की सरकार थी ? **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नांडीज : यही चीज असली है ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : वर्ष 1989 में जब कांग्रेस का शासन था और श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तब सबसे तेज अभियान चलाया गया था । और मुझे इसका खण्डन नहीं करना चाहिए कि 1990 में भी इस अभियान को जारी रखा गया था और इस सम्बन्ध में यह अभियान अभी तक जारी है । और माननीय सदस्य ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है, मेरे विचार से, वे मेरा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । तब, मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूं ?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मदयुनुस सलीम : जनाब स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में यह बात कही है कि दिक्कत हो रही है, उन जगहों में तकुर्रात करने की जो ज्यादातर टेक्निकल हैं जैसे डाक्टर, इंजीनियर और पायलट वगैरह । अभी एक ऑनरेबल मैम्बर ने सवाल किया कि क्या उन जगहों के लिये कोई इश्तहार दिया गया था उसका जवाब इत्तमिनान-बक्श मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया है । स्पीकर साहब, मैं बहुत मुत्तमइन हूं कि आली जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ फर्मा हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वह इस सवाल पर तवज्जो फरमायें कि मुलक में हजारों की तादाद

में डाक्टर, इंजीनियर, पायलट और ग्राउन्ड इंजीनियर बेरोजगार हैं। हम लोगों के पास बीसियों आदमी रोजगार की तलाश में आते रहते हैं और हम उनको रोजगार देने में नाकाम हैं। मैंने इस दफा बिहार से इलेक्शन लड़ा है। बिहार में एक मेडिकल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज की मंजूरी इस वजह से नहीं दी जा रही है कि रियासत में, उस प्रदेश में बीसियों डाक्टर और इंजीनियर बेकार हैं। मैं जनाब मिनिस्टर साहब से यह मालूम करना चाहता हूं कि इन्होंने यह जगहें खाली होने के बाद भी इश्तहार दिया, तो इश्तहार के जवाब में कितनी दरख्वास्तें आई और जो क्वालिफिकेशन उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी उस क्वालिफिकेशन के मुत्तालिक जो दरख्वास्तें आई तो उन पर तकुर्रात क्यों नहीं किये गये? अगर किये जायेंगे तो कब तक इन सीटों को फिल अप कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ से सम्बन्धित है। अगर आपके पास सूचना है तो दे दें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रधान मंत्री जी पूर्ण जवाब दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास सूचना है?

श्री पी० के० थुंगन : मुझे इसके लिए अतिरिक्त नोटिस चाहिए।

श्री मोहम्मदयुनुस सलीम : नोटिस किसके लिए चाहिए? आप पूरा जवाब नहीं देते हैं और नोटिस चाहते हैं **(व्यवधान)**।

क्या आपने ऐसा नहीं कहा है कि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं? आपने अभी ऐसा कहा है। मैंने कहा था वे उपलब्ध हैं। सदन को भ्रमित मत कीजिए।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसी समस्या है जिससे हम सब चिन्तित हैं क्योंकि हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में अवश्य माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं ताकि कोई बकाया रिक्तियां न रहें। यदि माननीय सदस्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कुछ उम्मीदवार मिलते हैं तो मैं अवश्य उनके पास इस सहयोग का स्वागत करूंगा।

श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1974, में, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त मन्त्रिमण्डलीय समिति ने विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं को ये निर्देश जारी किए थे कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में बकाया रिक्तियों के लिये जो अफसर उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से योग्य उम्मीदवार न मिल पाने के कारण ही रिक्तियां बकाया हैं। मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण उन अफसरों का पूर्वाग्रह है जो रिक्तियों को भरने के लिये उत्तरदायी हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1974 में उच्चाधिकार प्राप्त मन्त्रिमण्डलीय समिति के निर्देशों के अनुसार जिसने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप 1974 के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक : महोदय, मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या इन 17 वर्षों में किसी एक अफसर को भी इन बकाया रिक्तियों के लिए उत्तरदायी होने के कारण दण्डित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : 1974 से आज तक, क्या नियुक्ति के लिये किसी को दण्डित किया गया है ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, जहां तक नीति का सम्बन्ध है, यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय से सम्बन्धित है, किन्तु जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित इस प्रश्न विशेष का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं जो सरकार के निर्देशों का भली भान्ति पालन नहीं करते । जहां तक यह प्रश्न विशेष है कि क्या किसी को दण्डित किया गया है, तो मैं इस समय इस बारे में कुछ नहीं कह सकता । शायद कार्मिक विभाग कुछ बता सकेगा ।

[हिन्दी]

दालों की कीमतें

*328 **श्री रवि राय**
　　　श्री राम बदन } : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान दालों की कीमतों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(घ) चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में दालें उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

[अनुवाद]

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) दालों का थोक मूल्य सूचकांक उप-समूह के रूप में दिसम्बर, 1990 के 231.5 से बढ़कर जून, 1991 में 239.6 पर आ गया जिससे इसमें केवल 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में सभी जिन्सों के थोक मूल्य सूचकांक में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भाग (ग) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से गोगोई साहब से प्रश्न पूछने के पहले कहना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न है, यह दाल-रोटी या दाल-भात का प्रश्न है। पलसेज या दाल गरीब लोगों का, करोड़ों लोगों का प्रोटीन जैसा माना जाता है तो क्या मंत्री महोदय को पता है कि पिछले दशक से पलसेज की जो खपत होती है, फी-व्यक्ति, यह जोरों से घटी है ? जब इसका कारण पता है कि इस तरह से मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो क्या सरकार दालों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने के लिये विचार कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : मैं इस बात से अवगत हूं कि वर्ष 1961 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 69 ग्राम से घटकर 36.5 ग्राम हो गई है। प्रति व्यक्ति खपत भी घटी है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इसमें लगभग कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। केवल इस वर्ष उत्पादन में 14 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। इससे पूर्व काफी लम्बे अर्से से लगभग 11 करोड़ टन उत्पादन होता था तथा केवल पिछले वर्ष ही 12 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। आप जानते हैं कि किसी अन्य वस्तु में दालों की प्रोटीन क्षमता को देखा जा सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जहां तक इसके वितरण का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमने केवल चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल तथा सोफ्ट कोक जैसी इन छः वस्तुओं के बारे में ही निर्णय लिया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इतनी छूट दी है कि वे किसी भी वस्तु को इसमें शामिल कर सकती हैं तथा कई राज्य सरकारों ने उचित दर दुकानों के माध्यम से दालों के वितरण को शामिल कर भी लिया है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कबूल कर चुके हैं कि यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि वे उनको रख सकते हैं। जब उनको यह चीज दी है, तो क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार की तरफ से हिदायत दी जाती कि इसको पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में जरूर रखा जाए, सातवें आइटम के नाते रखा जाए और प्रोटीन ग़रीबों को मिल सके ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको विकल्प दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं करती है ? जबाव में कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से किया जाए। मैं यह पूछना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार इसको क्यों नहीं करती है ?

[अनुवाद]

श्री रवि राय : क्या आप इसे अनिवार्य करना चाहेंगे ?

श्री तरुण गोगोई : अभी तक हमने किसी भी वस्तु का इसमें शामिल करने का निर्णय नहीं लिया है । **(व्यवधान)**

श्री रवि राय : आप निर्णय कब लेंगे ?

श्री तरुण गोगोई : संबंधित खाद्य पूर्ति मंत्री, से परामर्श करके मुझे निर्णय लेना है ।

श्री रवि राय : क्या आप इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खाद्य पूर्ति मंत्री का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री तरुण गोगोई : जो भी सभव होगा, हम वह करेंगे । मैं इसे ध्यान में रखूंगा तथा संबंधित मंत्री के साथ चर्चा करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि दालों की कीमतों में वृद्धि हुई है । जो दाल आज से 10–15 दिन पहले 20–25 रु० प्रति किलो खरीदी, आज उस दाल की कीमत, अरहर इत्यादि दालें 48-·49 रुपए प्रति किलो हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार दालों को सही मूल्य पर दिलाने के लिए कोई योजना बना रही है और राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश दे रही है ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए ।

श्री तरुण गोगोई : हमारे पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कीमतों में वृद्धि हुई है परन्तु उनमें बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या आप दालों के सम्बन्ध में कीमतें घटाने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं ।

श्री तरुण गोगोई : यह कार्य खाद्य पूर्ति विभाग का है जो दालों की कीमतों से संबंधित है । हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : दालों की कीमतों में वृद्धि उस समय बताई गई है जबकि जनवरी माह में कृषि सम्बन्धी पैदावार बाजार में आती है । तत्पश्चात् कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आती है । दाल सहित सभी वस्तुओं की कीमतों में जुलाई से दिसम्बर के बीच में वृद्धि होनी आरम्भ होती है । दाल की कीमतों में कुछ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । मेरा प्रश्न यह है कि खुले बाजार में दाल की कीमतें स्थिर करने के लिए क्या सरकार दूसरे देशों से दाल आयात करने का विचार करेगी ?

श्री तरुण गोगोई : हमने आयात के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया हैं । कोई भी इसका आयात ओ०जी०एल० के अन्तर्गत कर सकता है । परन्तु सरकार ने इसका आयात करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो मिनिस्टर साहब ने दालों के प्राइस बताए हैं वे थोक के हैं और आम जनता का जो संबंध होता है वह प्रचून से होता है। यहां आप जो घोषणा करते हैं कि दालों की कीमतें ये हैं, लेकिन जिस समय ग्राहक या कन्ज्यूमर खरीदने के लिए जाता है तो उस समय उनमें बहुत अन्तर होता है। मेरा निवेदन है कि सरकार जब अपनी नीति बनाए, तो वह प्रचून की दुकान को देखकर, रिटेल्स के आधार पर बनाए, क्योंकि कंज्यूमर को जब सामान खरीदना होता है तो वह रिटेल्स के आधार पर खरीदता है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1979 के अन्दर सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने एक योजना बनाई थी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्दर आपने जो 6 आइटम्स कहे हैं, उसमें 11 आइटम्स थीं। उसमें साबुन, तेल, माचिस और वनस्पति घी भी था, क्योंकि मैं उस समय एग्ज़ीक्यूटिव काउंसलर था, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उस स्कीम को, 1979 की जनता शासन की जो स्कीम थी। (व्यवधान) 1979 की जो एक्सटेंशन स्कीम है, क्या उसको लागू करने का इस सरकार का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : महोदय, ऐसी सारी वस्तुओं को शामिल करना राज्य सरकारों पर निर्भर है। हमने उन्हें विकल्प दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों को विकल्प दिया गया है। यदि वे चाहें तो उन्हें शामिल कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैंने इससे पहले सदन को बताया था कि एक-दो महीने के अन्दर हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए हम एक योजना बना रहे हैं। हो सके तो उस योजना को मैं जल्दी ही आपके सामने रख पाउंगा और जब वे बनाएंगे तो अल्प आयु वाली योजना, जो आप कह रहे थे उसको भी देखेंगे और अगर उसमें कोई अच्छी बात है तो उसको भी ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : वह शासन भी अल्प आयु का था।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, दालों को गरीब आदमी के भोजन के रूप में जाना जाता है। परन्तु आज विशेष रूप से अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में हम देखते हैं कि दालों की कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि यह अब निर्धन व्यक्ति की पहुंच से परे हो गई हैं।

अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि उन्होंने राज्य सरकारों को लिखा है कि यदि वे चाहें तो वे दालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर सकती हैं। मैं विशेष रूप से उनसे जानना चाहूंगा कि चूंकि केन्द्र शासित प्रदेशों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होता है तो क्या

वह केन्द्र शासित प्रदेश विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करके कार्रवाई शुरु करेंगे ताकि निर्धन व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकें।

श्री तरुण गोगोई : हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं इस मुद्दे को खाद्य पूर्ति मंत्री द्वारा विचार करने के लिए भेजना चाहूंगा।

जहां तक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूल्य वृद्धि का सवाल है, मैं 'नेफेड' से सिफारिश कर सकता हूं तथा 'नेफेड' आपको यह वस्तु सप्लाई कर सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस तथ्य के बावजूद कि दालों को गरीब लोगों का प्रोटीन समझा जाता है इस बात पर पर्याप्त रूप से जोर नहीं दिया जा रहा है कि दालों का उत्पादन बढ़ाया जाये जैसा कि अन्य वस्तु जैसे खाद्यान्नों तथा यहां तक कि अंगूर के मामले में भी ऐसा किया गया है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि भारतीय खाद्य निगम के समान ओ० जी० एल० के अन्तर्गत भारत सरकार के लिए यह सम्भव क्यों नहीं है कि वह दालों की खरीद करके उन्हें राज्यों को उपलब्ध करायें ताकि जब कभी भी राज्य सरकार चाहें वे इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इनका वितरण कर सकती हैं? इससे जो नुकसान होगा उसे राज्यों द्वारा वहन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि केन्द्र द्वारा इस नुक्सान का वहन किया जायेगा। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा?

श्री तरुण गोगोई : महोदय, दालों का प्रोटीन महत्व तथा इसकी कमी को ध्यान में रखते हुए ही विशेष जोर दिया गया है। इसीलिये इसे एक टैक्नीकल मिशन के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष भी हम बीस करोड़ रु० का प्रावधान करेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित दो केन्द्रीय योजनायें हैं : पहली तो राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम है तथा दूसरी योजना विशेष खाद्यान उत्पादन कार्यक्रम है। हमने इसे ध्यान मे रख लिया है तथा इस पर काफी जोर भी दिया गया है। जहां तक इसकी खरीद का सम्बन्ध है, अभी तक हमने खरीद प्राप्त नहीं की है परन्तु 'नेफेड' ने इसकी खरीद की है।

[हिन्दी]

श्री एम० बागा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, चीजों की कीमतें सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती हैं। यदि पल्सेस की सप्लाई बढ़ाई जाए तो इनकी कीमतें कम हो जाएंगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने की सरकार की क्या योजनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री महोदय ने एक्सप्लेन कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : महोदय, मैंने अभी-अभी उस बारे में स्पष्ट किया है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाएं

*330 **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी आंध्र प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना कब से लंबित पड़ी है ;

(ख) क्या विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में हो रहे असाधारण विलम्ब के कारण राज्य के विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और राज्य की प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक एकक लगाने के लिए आशय पत्र स्वीकृत करने हेतु 30 जून, 1991 को 293 आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे ।

(ख) देश में आंध्र प्रदेश तथा किन्हीं अन्य संस्थानों में उद्योग लगाने के लिए भिन्न-भिन्न योजनाओं के अधीन आशय पत्र तथा पंजीकरण विद्यमान नीति के अनुसार नियमित आधार पर स्वीकृत किये जाते है ।

(ग) नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सुरक्षा तथा सामरिक महत्व इत्यादि से सम्बद्ध उद्योगों की एक लघु सूची को छोड़ कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लिबरल इंडस्ट्रियल पालिसी की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस प्राप्ति की जो ब्यूरोक्रेट्स अप्रोच है, ब्यूरोक्रेटिस हर्डल, रेडटेपिज्म काफी बढ़ चुका है । इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या नई सरकार वन-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम अपनाने के लिए तैयार है ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि नई औद्योगिक नीति लागू किए जाने के बाद भी लालफीताशाही जारी है । नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नया उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है । उद्यमी को केवल एक ज्ञापन जमा कराना होता है तथा ज्ञापन जमा करने के बाद वह आगे शुरु कर सकता है । परंतु इसमें दो अड़चनें हैं; एक इसके लिए स्थान के चयन की तथा दूसरी पर्यावरण संबंधी मंजूरी की है । यह उद्यमियों की जिम्मेदारी है कि वह स्वीकृति प्राप्त करें । जहां तक उद्योग विभाग का सम्बन्ध है किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है । अत: माननीय सदस्य की लालफीताशाही का अनुमान ठीक नहीं है

और मै उनसे सहमत नहीं हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि लंबित आवेदनों के सम्बन्ध में हम प्रार्थियों को सूचित कर रहे हैं कि लाइसेंस जरूरी नहीं है तथा वे आगे कार्यवाही आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, उद्योगों की स्थापना में एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस की भी काफी रुकावटें आती हैं। पोल्यूशन क्लीयरेंस में जो अड़चने आती हैं इनको दूर करनें के लिए लिबरलाइज़ेशन की सरकार की क्या कोई योजना है ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इसमें हमारे देश का ही लाभ है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जाये तथा जहां भी कोई उद्योग पर्यावरण दूषित करता हो, सरकार को उसका ध्यान रखना है। हम पर्यावरण स्वीकृति को छोड़ नहीं सकते।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : भाग 'क' का उत्तर पूरा नहीं है। माननीय सदस्य ने कुछ आंध्र प्रदेश की योजनाओं का मामला उठाया है जो स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह एक तथ्य नहीं है कि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ऐसा पहला संस्थान था जिसे आंध्र प्रदेश राज्य में रंगीन ट्यूबें बनाने की अनुमति लेने हेतु रखा गया और उसके बाद इसने अपना आवेदन जमा कराया, क्या यह सत्य नहीं है। तीन अन्य मामलों में भी मंजूरी दी गई और ये अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं और अगर ऐसा है तो क्या सरकार इसके लिये पर्याप्त कदम उठायेगी ताकि आंध्र-प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम फिलीपीन्स तथा हालैंड के सहयोग से आंध्र प्रदेश राज्य में रंगीन ट्यूबों का निर्माण शुरु कर सके।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस प्रस्ताव की अवश्य जांच करूंगा। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रस्ताव लंबित है। सरकार इसकी जांच करेगी तथा कार्यवाही करेगी।

श्री के० पी० रेड्डय्या : पहले भी केन्द्रीय सरकार आंध्र-प्रदेश में कुछ उद्योग लगाना चाहती थी। परन्तु जैसा कि आयुध कारखाना और भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के मामले में हुआ इसे भी रद्द कर दिया गया। आधे उद्योग तमिलनाडू को या कुछ अन्य राज्यों को दे दिये गये। छह वर्ष बाद अब मछलीपटनम में भारत सरकार का 300 करोड़ रुपये की लागत पर लवण-आधारित कास्टिक सोडा संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सरकार कास्टिक सोडा प्लांट लगाये क्योंकि मछलीपटनम में कोई भी उद्योग नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उसके लिए एक विशेष नोटिस की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

*331. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) केन्द्रीय सरकार की क, ख, ग और घ श्रेणियों की सेवाओं में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कितने हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अपेक्षित प्रतिशतता में जो कमी है, उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (क)—दिनांक 1-1-90 को समूह, क, ख, ग तथा घ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पद संख्या निम्नानुसार है:—

	समूह क					
	कुल		निम्नतम श्रेणी		निम्नतम श्रेणी से भिन्न	
	सं०	प्रति०	सं०	प्रति०	सं०	प्रति०
कुल कर्मचारी	61,686		17,297		44,389	
अनु० जाति	5,331	8.64	1,788	10.3	3,543	7.98
अनु० जनजाति	1,593	2.58	5,13	2.97	1,080	2.43

	समूह ख		समूह ग	
	सं०	प्रति०	सं०	प्रति०
कुल कर्मचारी	92,968		22,17,234	
अनु० जाति	10,497	11.29	3,36,880	15.19
अनु० जनजाति	2,222	2.39	1,07,103	4.83

	समूह घ		कुल कर्मचारी	
	सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर		सफाई कर्मचारी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कुल कर्मचारी	11,05,165		1,01,281	
अनु० जाति	2,37,400	21.48	84,395	83.33
अनु० जन जाति	74,327	6.73	3,026	2.99

	कुल कर्मचारी			
	सफाई कर्मचारियों को छोड़कर		सफाई कर्मचारियों सहित	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कुल कर्मचारी	34,77,053		35,72,788	
अनु० जाति	5,90,108	16.97	6,73,303	18.85
अनु० जनजाति	1,85,245	5.33	1,87,497	5.25

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता को प्राप्त करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :–

(1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के अनारक्षण पर प्रतिबन्ध।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन मेधावी उम्मीदवारों का, जो मानदंडों में छूट दिए बिना अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, आरक्षण कोटे के विरुद्ध समायोजन न किया जाना।

(3) केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया (बैंकलांग) रिक्तियों को भरने के लिए दो विशेष भर्ती अभियान (1989 तथा 1990 में) आयोजित किए गए।

(4) जहां सीधी भर्ती 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां पदोन्नति के मामले में दिनांक 1-4-89 से ऐसे पदों का क्षेत्र बढ़ा कर आरक्षण आदेशों की परिधि में अपेक्षाकृत अधिक ग्रेडों को लाया गया।

(5) सीधी भर्ती कोटे वाले ग्रेडों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कमी को पूरा करने के लिए रिक्तियों को अस्थायी रूप से सीधी भर्ती कोटे में प्रत्यावर्तित कर दिया गया तथा बाद में जब कभी फीडर संवर्ग से अनु० जाति/अनु० जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हुए उन्हें पुनः पदोन्नति कोटे में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

(6) अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक संख्या में लेने के लिए विभिन्न रियायतें तथा सुविधाएं जैसे ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, परीक्षा/आवेदन शुल्क के भुगतान में पूरी छूट तथा किसी परीक्षा में बैठने के अवसरों पर कोई प्रतिबंध न होना आदि दी गई हैं। ऐसे उम्मीदवारों की पात्रता मानदंडों में छूट दिए जाने के संबंध में भी अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि इन समुदायों के उम्मीदवारों का इनके लिए आरक्षित सभी उपलब्ध रिक्तियों के लिए चयन किया जा सके बशर्ते कि वे अनुपयुक्त न हों।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : वर्ष 1989 तथा 1990 में विशेष भर्ती अभियान शुरु किये जाने के बावजूद भी, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनु० जनजातियों का सम्बन्ध है वर्ग 'क' और 'ख' की पिछली सूची अभी भी बहुत लम्बी है।

कार्मिक मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सम्बन्धित विभागों के सभी सचिवों, कल्याण मन्त्रालय, कार्मिक मन्त्रालय के प्रभारी मन्त्री की स्वीकृति से ही सेवाओं में गैर-आरक्षण को स्वीकार किया जा सकता है तथा यह केवल चुनिंदा मामलों में ही सम्भव है।

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने अपवादिक मामलों को स्वीकृति दी गई है तथा कौन से विशेष कारण थे जिनमें स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आज तक विशेष-परिस्थितियों में गैर-आरक्षण की श्रेणी के अन्तर्गत किसी एक भी मामले को अनुमति नहीं दी गई है।

श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक : मेरा दूसरा अनुपूरक यह है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में नौ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार के अधीन अतिरिक्त सचिवों के रूप में नियुक्त करने वाले एक पैनल को स्वीकृति प्रदान की थी।

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि नौ सदस्यों के उस पैनल में से कितने अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है और, अगर सभी नौ अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया गया तो उसके क्या कारण थे और इन अधिकारियों को नियुक्ति न दिए जाने के लिये कौन जिम्मेदार थे तथा उन्हें अवसर न प्रदान करने वाले उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं यह स्वीकार करती हूं कि मेरे पास पैनल नहीं है। लेकिन मैं इसे अवश्य देखूंगी और माननीय सदस्य को लिखित रूप में जवाब देने के लिए कहूंगी।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : मैं जनाब मिनिस्टर साहिबा से यह मालूम करना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में माइनोरटीज के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान की माइनोरटीज उसी तरह से सरकारी नौकरियों में आने की हकदार है जिस तरह से दूसरे लोग हैं। जो फिगर्स अखबारों में आये हैं उससे पता चलता है कि माइनोरटीज, खास तौर से मुस्लिम माइनोरटीज का तनासुब 3 पर्सेंट से भी कम है। जबकि उनकी आबादी 12 से 13 पर्सेंट है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी इतनी निकम्मी है तो उसके निकम्मेपन को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अगर नहीं है तो जो हजारों की तादाद में नौजवान बेकार फिर रहे हैं उनके लिये नौकरियों में रिजर्वेशन देना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उनका तनासुब पूरा हो उसके लिए सरकार क्या ऐक्शन ले रही है?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, यह प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि अल्पसंख्यकों के लिये 15-सूत्री कार्यक्रम, जो इन्दिरा जी द्वारा चलाया गया था, उस पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी रोजगार के लिये, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

*329. **प्रो० के० पी० थामस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई ;

(ख) क्या सरकार का अखबारी कागज के मूल्य में पुनः वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उद्योग मन्त्रालय ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान अखबारी कागज मिलों द्वारा देसी अखबारी कागज की कीमतें चार बार बढ़ाई गईं।

इसी अवधि में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित स्टेंडर्ड अखबारी कागज के मूल्यों में छः बार और ग्लेज्ड अखबारी कागज के मूल्यों में सात बार वृद्धि की गई।

(ख) और (ग) इस समय देसी अखबारी कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है और आयातित अखबारी कागज की कीमतें राज्य व्यापार निगम द्वारा अनुबन्धित खरीद मूल्यों पर निर्भर करती हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रति व्यक्ति योजनागत पूंजी निवेश

*332. **डा० जयंत रंगपी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश तथा असम के कार्बी अंगलोग और उत्तर कछार के पर्वतीय क्षेत्रों के स्वायत्तशासी जिलों में पर्वतीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत (प्रति व्यक्ति योजनागत पूंजी निवेश कितना-कितना किया गया ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :

1988–89 से 1990–91 तक सिक्किम, नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय निम्न प्रकार था :–

(रु० में)

	1988–89	1989–90	1990–91
सिक्किम	1994	2247	2405
नागालैंड	1419	1703	1871
अरुणाचल प्रदेश	1997	2377	2900

इसी अवधि में असम के कार्बी अंगलांग और उत्तर कछार के पर्वतीय क्षेत्रों के स्वायत्तशासी जिलों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता सहित अनुमोदित परिव्यय निम्न प्रकार था :—

(रु० में)

1988-89	1989-90	1990-91
1089	1281	1377

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी वर्तमान नीति की पुनरीक्षा

*333. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्बन्धी वर्तमान नीति की पुर्नरीक्षा करने का है, ताकि इसे निर्यातोन्मुख बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान नीति में संशोधन करने से पहले राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में आगामी तीन वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) यह नीति नई औद्योगिक नीति के अनुरूप होगी। राज्य सरकार के उपक्रमों को उनके द्वारा स्वयं अथवा संयुक्त/सहायित सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में मदद देने की भारत सरकार की पहले से ही नीति है।

(घ) भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना नहीं करती अतः इनकी कोई अनुमानित संख्या बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में उद्योगों की स्थापना

*334. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया, श्री रमेश चन्द तोमर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में पिछले दो वर्षों के दौरान कितने उद्योग स्थापित किए गए ;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से फिरोजाबाद में, कुछ और उद्योगों की स्थापना करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिये 1989 और 1990 में किए गए औद्योगिक अनुमोदनों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

	1989	1990
	संख्या	संख्या
आशय पत्र	105	74
औद्योगिक लाइसेंस	25	30
एस०आई०ए० में पंजीकृत, "लाइसेंस मुक्त उद्योगों" से सम्बन्धित आवेदन पत्र	148	117
एस०आई०ए० में पंजीकृत "लाइसेंसीकरण से छूट प्राप्त उद्योगों" से सम्बन्धित आवेदन पत्र	93	107
तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत आवेदन पत्र	25	21

(ख) और (ग) नयी औद्योगिक नीति के अनुसार, सुरक्षा तथा सामरिक विषयों आदि से सम्बन्धित उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर शेष सभी परियोजनाओं के लिये औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है। उद्योग के छितराव खासतौर पर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में छितराव को बढ़ावा देने तथा शहरों में उद्योगों की अधिकता को कम करने के लिये उपयुक्त प्रोत्साहनों तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास में निवेश की रूप-रेखा का इस्तेमाल किया जायेगा।

[अनुवाद]

रामेश्वरम में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर

*335. **डा० वी० राजेश्वरन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : रामेश्वरम में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर को कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : तमिलनाडु में रामेश्वरम में उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के वर्ष 1994-95 के दौरान चालू कर दिए जाने की योजना बनाई गई है।

आन्ध्र प्रदेश को रियायती दरों पर चावल की सप्लाई

*336. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रियायती दरों पर प्रति परिवार कितना चावल दिया जाता है ;

(w) y n mgrr ^ t ; ^rfr ^ ^ y n uNt %
?iWf ^ ^nrR ^ ip ff qr *m fm (* qwr t ;

(n) ?t, eft 2RIT ^ ftpSTR fiRT ^-fff^T % amiTR TT ^
5ft ^ ^ ^ ?rt ^ft^RT iRT^ ^ ^

(^) 2|f5 eft S^flrr WT ^ ?

*rri?fw jfif 3ftr FTT^irfNv finiT^ innffro if TTHI *wft (<ft inrnjifhi •
(>F) ^*WK,* 1990 & 3T1TRT, 1991 ^ ^ *7T^* % M f^PR^ Sn»TT^
^ %»jfhr 5[^ ^ ^ 5 ^ 19. 03 ?rrar o SfT ^TRIT 3TT3rferT ^Ft ^ ^ I ^TRcT HTVTT
Txm ^ *wm* ^ ^ ^nrrft 11 *rm wim\v* ynr Prt ^itrtt
11 3fTfw JT^ TTJir ^ »rfW g fr ^ ^
V?!% ^ tr^ STPRT I I

(%r) ^ (^) ^ ^ ^€TTR *FT ap^Ty ^ ^ ^ aftr
TPIft/ITV TT52T ^?ft ^ ^rt'T JTT "FT% % ^TRIT ^ I

eneiff Ainn fn ^fewftvr-<ni

***337. <ft 3FWRTg IfTT : Vn ifhm 5#k VTVW ViytWR 1#A 2^5 3R7% ^
fpqr f% : (^) ^ CT if ftrfT ^ 3fTf^ ^ ctrrs^ftvtiRT%
^ ^T«iR TTT faRR | ;

(^) «rfir |t, ^fr TO *itsRT* if f%^r-f^ t?: ir^ fttr | aftr
!•!% ftnjRT ^ ftr^TR ^; aftr

(«T) ffy arf^ ^ ft^ iT T ^ ^ ^ in^ l ?

Ainn ipr vrfiiiT vnrf^iwimrTO % TFFPT i?wt (^ ijv© anro frrffw):
(f») (^) ?WT ^ W R ^ W?t
|t;^ *w(wft* wnfhr JTt^RT vr irrt, 1992 «i?r *m rf*^ ^ ^ 3rf%JT ^fwr 5^TtnrT 1
ehrfhr $mifrvwT3it ^ ^wf?«R Prwf ^ aro^f ^r iRrT?pff/
^ 5^: fM%?r STPTT^f % 3TOR ftF^TT ^HT^, fsTO^ fi#
ftWTT ^ 7?T I I ▪

htvtA iPRwrfWt vt frininft 9t snwmv ^^3^ ^ fwnt

***338. fo 815^ : WT TOR ^ I^TT : (v) WT**
^<^*T^* ф\it^trT ^ ^ ^RTTR ^ ^ STRVTV ^ ftlTHRft «Pff
qr ^r;pTf ^ ^ SPRTR ?R ^ % | ; artr
(^) ^ fr, ^ 51(171 ^ I ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद):
(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से निवेश घटाया जाना

***339. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के कुछ चुनिन्दा उपक्रमों में 20 प्रतिशत शेयर वापस लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उपक्रमों से अपने 20 प्रतिशत सामान्य शेयर वापस लेने का निर्णय किया है ।

(ख) इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है और यथा समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

नारियल जटा बोर्ड का गठन

***340. श्री टी० जे० अंजलोज श्रीमती सुशीला गोपालन** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल जटा बोर्ड में श्रमिक संघों के और सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि रखने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार नारियल जटा बोर्ड का पुनर्गठन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) कॉयर बोर्ड का गठन कयर उद्योग अधिनियम 1953 और कयर उद्योग

नियमावली 1954 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। अधिनियम और नियमावली में विनिर्दिष्ट वर्गों के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वर्तमान बोर्ड की अवधि 15 सितम्बर, 1991 को समाप्त होगी। बोर्ड की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इसका पुनर्गठन करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी गयी है। ट्रेड यूनियनों/सहकारी समितियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिनियम/नियमावली में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, पहले, अधिनियम के वर्ग 4(3)(ख) के अधीन ट्रेड यूनियनों/सहकारी समितियों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया था जिसमें भूसी, कयर और कयर धागों के उत्पादन तथा कयर उत्पादों के निर्माण में लगे व्यक्तियों को नियुक्त करने की व्यवस्था थी। इसके अलावा, कयर उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 4 की उपधारा 3(छ) के कारण सरकार को ऐसे अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार है जिसे वह उचित समझे।

परमाणु कचरे का निपटान

*341. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले निम्न स्तरीय परमाणु कचरे के निपटान के कोई तरीके नहीं हैं ;

(ख) भारत में निम्न स्तरीय परमाणु कचरे के निपटान हेतु अब तक क्या तरीके अपनाये जाते रहे हैं ;

(ग) क्या इस कचरे से मानवता के लिये खतरे पैदा होते हैं और यदि हां, तो इससे लगभग कितने समय तक खतरा बना रहता है;

(घ) क्या इस कचरे के कारण इसके आसपास रहने वाले निवासियों को कैंसर हो जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) निम्न स्तर के परमाणु अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए अनेक विकसित पद्धतियां प्रचलन में हैं। भारत में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबन्धन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी को उसके उस आधुनिकतम रूप के अनुसार ही विकसित किया गया और काम में लाया जा रहा है जो विकसित देशों में अपनाई जा रही है।

(ख) निपटान के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं विकिरण सक्रियता के स्तर तथा अपशिष्ट पदार्थों की प्रमात्रा के आधार पर भिन्न-भिन्न होती हैं। निम्न स्तर के द्रव अपशिष्ट पदार्थों को प्रारम्भ में विसंदूषित किया जाता है और उनकी प्रमात्रा घटाई जाती है। तत्पश्चात् इन पदार्थों को ठोस मैट्रिक्सों में अनुकूलित किया जाता है और उपयुक्त पात्रों में बन्द किया जाता है। इन पात्रों को भूमि के अन्दर कम गहराई पर निपटान कार्य के लिए ही तैयार की गई ऐसी संरोधक संरचनाओं में डाल दिया जाता है जो नियंत्रित क्षेत्रों में स्थापित होती हैं और जहां पर उन्हें मानीटर करने की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

(ग) यदि इन अपशिष्ट पदार्थों को उपयुक्त रूप से रखा जाए तो इनसे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता है। अपशिष्ट पदार्थों के स्वरूप और उनके संघटन के आधार पर इनकी विकिरण-सक्रियता समय के साथ-साथ नगण्य स्तर तक अपक्षय हो जाती है। विकिरण सक्रियता का अंश और अपक्षय होने की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि अपशिष्ट पदार्थ का मूलस्रोत क्या है।

(घ) और (ङ) जी नहीं,। चूंकि ऐसे परमाणु अपशिष्ट पदार्थों को नियन्त्रित क्षेत्रों में बनाई गई ऐसी संरचनाओं में रखा जाता है जो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए तैयार की जाती हैं, और इन्हें पर्यावरण से वास्तविक रूप में अलग रखा जाता है, अतः इनसे पड़ने वाली विकिरण के प्रभाव की मात्रा सीमित होती है, और इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता कि इनके कारण आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को कैंसर होता हो।

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए आवंटन

***342. श्री बलराज पासी, श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना औरकार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1989-90, 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वर्ष 1991-92 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार तथा सूत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ख) नवीनतम समीक्षा के अनुसार 20–सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वर्ष 1990-91 के दौरान सूत्र-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या हैं?

28 चुनी हुई मदों के कार्यान्वयन पर राज्यों के कार्य निष्पादन का, जिसके लिये प्राप्ति का परिणामन सम्भव है, मासिक आधार पर प्रबोधन किया जाता है। 1990-91 के दौरान सूत्र वार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के ब्यौरे विवरण–4 में दिए गए हैं और सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1989-90, 1990-91 के दौरान तथा 1991-92 में प्रस्तावित 20–सूत्री कार्यक्रम के अधीन किए गए वर्षवार एवं सूत्र-वार आवंटन दर्शाने वाले विवरण 1, 2, 3 सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

91-M/J(D)429LSS—3

विवरण–1

बीस सूत्री कार्यक्रम—राज्य योजना क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1989—90 के लिए मदवार अनुमोदित परिव्यय गरीबी के खिलाफ संघर्ष

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	आई आर डी पी	जे आर वाई	पंचायत एवं सी डी	बी एंड एस आई	वर्षा सिंचित कृषि	सिंचाई का उन्नत प्रयोग	उन्नत कृषि	भूमि सुधार	सुरक्षित पेय जल	सभी के लिए स्वास्थ्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	3968	3864	70	2183	602	3000	4008	120	3000	1515
2	अरुणाचल प्रदेश	281	61	98	191	–	562	939	20	310	165
3	असम	878	1056	765	1440	–	7482	6332	235	2744	1100
4	बिहार	5779	7742	1255	2325	414	42912	10940	1875	3150	2450
5	गोआ	53	76	46	160	–	2565	518	36	164	50
6	गुजरात	1623	1591	150	4000	373	36500	3869	345	2450	1275
7	हरियाणा	306	384	377	950	67	9395	3328	45	2585	831
8	हिमाचल प्रदेश	231	231	184	345	–	2209	2148	516	1850	430
9	जम्मू व कश्मीर	158	337	222	1178	107	3531	3618	130	2110	800
10	कर्नाटक	1963	2419	3149	3444	722	21559	4176	117	2089	1430
11	केरल	900	1314	246	2100	–	7400	4420	24	2900	400
12	मध्य प्रदेश	3953	5124	736	3468	405	40028	7755	480	3050	1900
13	महाराष्ट्र	3088	4139	70	1945	749	53011	9174	79	10000	4200

14	मणिपुर	80	88	140	400	–	2355	1004	20	620	195
15	मेघालय	125	92	165	210	–	355	1059	42	710	233
16	मिजोरम	115	37	265	540	–	203	1059	30	446	154
17	नागालैंड	115	101	833	115	–	310	1016	65	510	186
18	उड़ीसा	2026	2531	207	1483	293	18454	6073	1265	1805	875
39	पंजाब	229	322	820	743	–	7644	6264	–	1700	700
20	राजस्थान	1913	2519	451	950	257	16179	3556	75	3018	1250
21	सिक्किम	23	40	14	95	–	225	714	24	370	75
22	तमिलनाडू	2612	3469	417	6527	329	7285	8380	12	4309	1400
23	त्रिपुरा	140	108	222	440	–	1285	2154	171	515	200
24	उत्तर प्रदेश	7805	10341	2947	3289	693	42165	15936	3000	7524	330
25	पश्चिम बंगाल	2700	4322	248	1875	255	11460	5101	495	1835	1250
26	अंडमान एवं निकोबार	–	–	57	85	–	120	295	9	150	155
27	चंडीगढ़	–	–	30	54	–	–	78	–	–	20
28	दादर एवं नगर हवेली	–	–	18	26	–	60	139	2	18	18
29	दिल्ली	–	–	23	735	–	1133	481	11	160	–
30	दमन एवं दीव	–	–	10	3	–	36	94	4	7	12
31	लक्षदीप	–	–	–	36	–	45	275	–	54	28
32	पांडिचेरी	–	–	130	422	–	200	458	10	48	40
	जोड़	41064	52308	14365	41857	5266	366668	115361	9255	61201	26637

गरीबी के खिलाफ संघर्ष

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	संघशासित/राज्य क्षेत्र	दो बच्चे के लिए पोषाहार	शिक्षा	अ जा/अनुजन जाति को न्याय	युवाओं के लिए अवसर	लोक आवास	गंदी बस्तियों का सुधार	वानिकी	पर्यावरण की सुरक्षा	उपभोक्ता कल्याण संबंधी	गांवों के लिए ऊर्जा	जोड़
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	आन्ध्र प्रदेश	447	9562	8847	248	6297	600	1611	140	10	20	77112
2	अरुणाचल प्रदेश	85	1907	–	69	36	–	610	3	42	218	5593
3	असम	587	6677	600	138	250	35	1880	47	12	1304	33562
4	बिहार	1370	12512	2133	225	200	60	1850	30	443	2280	99925
5	गोवा	68	1363	16	140	25	1	150	14	4	18	5467
6	गुजरात	7300	4440	3500	60	1500	100	3500	50	15	40	73681
7	हरियाणा	700	6090	800	175	66	110	1820	100	–	60	27189
8	हिमाचल प्रदेश	200	2740	158	144	4	30	2675	20	62	105	14282
9	जम्मू-कश्मीर	297	4973	190	261	78	55	1100	50	–	25	19212
10	कर्नाटक	4409	3398	1737	134	1778	365	1589	25	–	72	54575
11	केरल	1820	1420	525	150	200	50	1740	109	2	30	25750
12	मध्य प्रदेश	685	14088	4500	150	650	370	3773	947	–	1665	94227
13	महाराष्ट्र	456	13144	2700	500	442	1215	3946	92	–	40	108990
14	मणिपुर	125	1300	150	160	–	10	450	23	30	385	7535

15	मेघालय	116	1248	2	105	5	22	905	7	22	225	5657
16	मिज़ोरम	105	799	—	90	5	5	600	5	37	350	4845
17	नागालैंड	215	685	—	289	—	—	575	5	41	85	5166
18	उड़ीसा	500	7958	940	468	100	30	2255	71	8	860	48202
19	पंजाब	275	2844	700	704	55	100	685	47	1	30	23863
20	राजस्थान	450	10306	270	100	230	150	1300	40	30	730	43774
21	सिक्किम	45	1080	37	45	20	6	235	22	15	31	3116
22	तमिलनाडु	9452	7335	3729	140	502	160	2439	86	34	25	58642
23	त्रिपुरा	460	1591	393	150	60	30	475	20	15	100	8529
24	उत्तर प्रदेश	2820	16577	3791	1113	3000	580	4600	230	52	3635	132598
25	पश्चिम बंगाल	705	7682	1515	545	79	850	1455	65	7	1035	43479
26	अंडमान व निकोबार	34	955	7	23	—	30	350	2	15	4	2291
27	चंडीगढ़	54	612	10	223	—	—	38	—	4	—	1123
28	दादर एवं नगर हवेली	21	162	—	3	—	—	152	Neg	1	4	624
29	दिल्ली	600	6384	275	148	3	400	135	70	10	65	10633
30	दमन एवं दीव	19	182	10	18	3	3	20	—	—	—	421
31	लक्षद्वीप	9	163	—	20	—	—	—	—	—	3	633
32	पांडिचेरी	90	1012	137	263	33	30	47	3	9	16	2948
	जोड़	33719	150685	37672	7001	15613	5397	42892	2323	922	13440	1043644

विवरण II

20-सूत्री कार्यक्रम राज्य योजना क्षेत्रक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1990-91 के लिए मदवार अनुमोदित परिव्यय।

गरीबी के खिलाफ संघर्ष (लाख रु० में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई आर डीपी	जे आर वाई	सी डी एवं पंचायत	बी एंड एस आई	वर्षा सिंचित कृषि
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	4177	4250	2305	2753	662
2	अरुणाचल प्रदेश	308	68	398	222	–
2	असम	1029	1160	845	1700	–
4	बिहार	6309	8589	1030	2396	–
5	गो I	89	40	58	220	455
6	गुजरात	1831	1750	330	5087	410
7	हरियाणा	337	460	425	1206	74
8	हिमाचल प्रदेश	136	254	166	420	–
9	जम्मू और कश्मीर	250	400	240	2052	196
10	कर्नाटक	2255	2661	3307	4840	687
11	केरल	1234	14[illegible]5	644	3485	–
12	मध्य प्रदेश	3653	5123	773	4525	450
13	महाराष्ट्र	3440	4325	90	2830	750
14	मणिपुर	100	109	145	410	–
15	मेघालय	132	102	275	227	–
16	मिजोरम	148	42	285	700	–
17	नागालैंड	141	122	1246	300	5
18	उड़ीसा	2120	2584	340	1677	340
19	पंजाब	581	354	4010	1039	–
20	राजस्थान	2078	2771	483	2155	283
21	सिक्किम	30	41	100	150	–
22	तमिलनाडू	2788	3833	362	4240	363
22	त्रिपुरा	340	122	366	520	–
24	उत्तर प्रदेश	8118	11275	1178	4059	693
25	पश्चिम बंगाल	3485	4624	369	2961	284
26	अंडमान एवं निकोबार	–	–	62	93	–
27	चंडीगढ़	–	–	54	65	–
28	दादर एवं नगर हवेली	–	–	25	41	–
29	दिल्ली	–	–	34	770	–
30	दमन एवं दीव	–	–	5	2	–
31	लक्षद्वीप	–	–	–	33	–
32	पांडिचेरी	–	–	143	500	–
	जोड़	45109	56504	20093	51678	5652

गरीबी के खिलाफ संघर्ष—जारी

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिंचाई के उन्नत प्रयोग	उन्नत कृषि	भूमि सुधार	सुरक्षित पेय जल	सभी के लिए स्वास्थ्य
1	2	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	30000	3082	531	3000	690
2	अरूणाचल प्रदेश	1020	1348	20	415	205
3	असम	7695	7483	266	2744	1100
4	बिहार	39444	10815	2510	3290	2750
5	गोवा	2871	626	35	335	110
6	गुजरात	38340	3825	165	4700	1036
7	हरियाणा	30870	3665	27	3050	900
8	हिमाचल प्रदेश	2625	2870	500	2580	541
9	जम्मू और कश्मीर	4100	4782	212	2570	1575
10	कर्नाटक	21190	5308	153	2191	2200
11	केरल	9395	5717	55	3540	510
12	मध्य प्रदेश	45360	8952	505	4050	3050
13	महाराष्ट्र	46232	8470	70	8100	4615
14	मणिपुर	3360	1093	15	675	249
15	मेघालय	738	1370	65	830	405
16	मिजोरम	277	937	1235	553	188
17	नागालैंड	323	1107	71	570	160
18	उड़ीसा	24438	11323	1590	2276	1200
19	पंजाब	8506	6389	–	2100	668
20	राजस्थान	18273	5275	100	4200	1600
21	सिक्किम	210	780	9	370	130
22	तमिलनाडू	7400	10915	12	4472	1825
23	त्रिपुरा	1620	3058	205	620	280
24	उत्तर प्रदेश	47847	18993	3610	8800	5400
25	पश्चिम बंगाल	13976	5791	721	2070	1730
26	अंडमान एवं निकोबार	120	327	9	170	240
27	चंडीगढ़	20	69	–	–	23
28	दादरा एवं नगर हवेली	85	166	20	20	16
29	दिल्ली	2000	640	9	330	–
30	दमन एवं दीव	20	117	10	64	24
31	लक्षद्वीप	50	438	2	56	75
32	पांडिचेरी	224	505	11	50	57
	जोड़	388629	135236	12743	68791	33552

गरीबी के खिलाफ संघर्ष—जारी (लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दो बच्चों का मान दंड	शिक्षा	अनु०जा०/ अनु० जनजाति को न्याय	युवाओं को उचित अवसर	लोक आवास
1	2	13	14	15	16	17
1	आन्ध्र प्रदेश	165	5178	5500	122	400
2	अरुणाचल प्रदेश	128	2335	–	80	50
3	असम	600	7148	780	147	325
4	बिहार	1187	12895	2361	220	200
5	गोवा	9	1600	48	160	10
6	गुजरात	6386	3706	3500	100	1050
7	हरियाणा	212	3845	1000	190	100
8	हिमाचल प्रदेश	225	3780	220	105	5
9	जम्मू तथा कश्मीर	70	5043	256	275	–
10	कर्नाटक	400	6090	2175	175	1500
11	केरल	62	2204	770	165	220
12	मध्य प्रदेश	785	16387	6050	150	800
13	महाराष्ट्र	500	5460	2700	600	65
14	मणिपुर	21	1225	175	225	–
15	मेघालय	25	1576	2	272	33
16	मिजोरम	100	927	–	90	16
17	नागालैंड	154	1057	–	240	–
18	उड़ीसा	600	10022	1324	470	235
19	पंजाब	–	2986	1360	930	33
20	राजस्थान	127	8348	331	129	225
21	सिक्किम	40	1005	50	45	15
22	तमिलनाडू	6155	3624	4063	97	450
23	त्रिपुरा	880	1793	569	180	121
24	उत्तर प्रदेश	736	17568	2885	1115	3355
25	पश्चिम बंगाल	2607	7834	1820	637	84
26	अंडमान एवं निकोबार	14	1015	8	30	20
27	चंडीगढ़	2	747	20	150	–
28	दादर एवं नगर हवेली	6	187	–	2	–
29	दिल्ली	270	6961	415	300	15
30	दमन एवं दीव	6	171	10	2	3
31	लक्षद्वीप	2	153	–	14	–
32	पांडिचेरी	17	1195	160	255	35
	जोड़	22291	144065	38552	7672	12965

गरीबी के खिलाफ संघर्ष—समाप्त　　　　　　　　　　　　　　(लाख रु० में)

क्रम सं०	संघ शासित राज्य/क्षेत्र	गंदी बस्तियों का सुधार	वानिकी	पर्यावरण की सुरक्षा	उपभोक्ता कल्याण	गांवों के लिए ऊर्जा	जोड़
1	2	18	19	20	21	22	23
1	आंध्र प्रदेश	908	1400	52	–	25	68800
2	अरुणाचल प्रदेश	–	710	5	52	230	7594
3	असम	35	2224	85	40	615	36021
4	बिहार	260	2500	30	300	2055	99596
5	गोवा	1	162	26	8	24	6432
6	गुजरात	100	3805	52	19	50	76242
7	हरियाणा	110	2550	86	–	65	29172
8	हिमाचल प्रदेश	50	2670	20	557	70	17794
9	जम्मू और कश्मीर	60	1490	69	–	35	23675
10	कर्नाटक	726	1878	33	–	72	57841
11	केरल	50	1848	135	10	2047	33528
12	मध्य प्रदेश	264	4101	525	–	60	105563
13	महाराष्ट्र	1000	3708	78	3	50	93086
14	मणिपुर	17	520	20	20	715	9094
15	मेघालय	40	730	8	8	230	7068
16	मिजोरम	5	600	5	32	420	6560
17	नागालैंड	–	580	5	30	15	6126
18	उड़ीसा	100	4112	280	3022	870	68923
19	पंजाब	165	530	58	2	30	29741
20	राजस्थान	400	2258	131	45	673	49865
21	सिक्किम	6	280	25	11	20	3317
22	तमिलनाडु	270	2761	131	5	25	53791
23	त्रिपुरा	35	575	22	35	195	11336
24	उत्तर प्रदेश	790	5600	197	74	2970	144263
25	पश्चिम बंगाल	885	1810	70	11	961	52730
26	अंडमान एवं निकोबार	20	418	2	75	–	2615
27	चंडीगढ़	–	232	5	5	–	1392
28	दादर व नगर हवेली	–	153	–	–	2	723
29	दिल्ली	200	235	351	5	110	12445
30	दमन एवं दीव	2	24	–	–	1	461
31	लक्षद्वीप	–	–	–	–	5	828
32	पांडिचेरी	30	47	2	9	16	3256
	जोड़	6529	50495	2308	4378	12656	1119898

विवरण III

राज्य योजना क्षेत्रक में मदवार बीस सूत्री कार्यक्रम 1991–92 के लिये सहमती परिव्यय

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	गरीबी के खिलाफ संघर्ष: आई आर डी पी	जे आर वाई	सोडी एंड पंचायत	ग्राम एवं लघु उद्योग	वर्षा सिंचित कृषि	सिंचाई के उन्नत प्रयोग	अन्नत कृषि	भूमि सुधार	सुरक्षित पेय जल	सभी के लिए स्वास्थ्य	दो बच्चों के लिए पोषाहार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	असम	3908	3124	1168	2011	470	28486	2861	415	2765	893	390
2	अरुणाचल प्रदेश	290	70	605	265	0	1360	2195	23	840	263	375
3	असम	1180	1300	1155	2040	0	10525	8012	310	3115	1550	620
4	बिहार	6692	8600	2440	3000	500	61371	9910	2550	5104	4564	1460
5	गोवा	100	40	189	400	0	3315	1014	30	534	257	50
6	गुजरात	1997	1780	725	8021	373	45052	4806	315	5100	1240	5100
7	हरियाणा	370	510	455	1191	74	12823	3857	40	2650	1150	300
8	हिमाचल प्रदेश	260	500	220	709	0	3503	3242	571			
9	जम्मू-कश्मीर	275	440	196	2073	196	2414	4323	233	2430	1440	3787
10	कर्नाटक	2398	3100	3837	5671	696	24843	7336	175	3740	1812	950
11	केरल	1150	1450	2108	3315	0	10390	9725	70	3209	650	175
12	मध्य प्रदेश	4018	5635	1300	5322	450	57572	13047	556	3512	3574	1293
13	महाराष्ट्र	3440	4085	165	3350	749	38030	13976	55	11333	3968	518

14	मणिपर	108	109	223	512	0	4401	1608	42	809	200	180
15	मेघालय	150	116	358	236	0	738	1873	78	1140	380	161
16	मिज़ोरम	151	46	289	740	0	270	1152	2109	727	250	115
17	नागालैंड	169	135	1315	1058	6	651	1860	81	597	150	173
18	उड़ीसा	2500	3000	385	1853	357	32053	7126	2150	2900	1005	344
19	पंजाब	685	400	1009	3424	0	8456	7003	0	2715	1344	300
20	राजस्थान	2623	3500	954	2460	548	23357	6371	129	4500	2079	348
21	सिक्किम	25	41	195	175	0	220	876	11	429	195	110
22	तमिलनाडु	3146	3527	1029	4714	362	9216	12699	17	4100	2772	7010
23	त्रिपुरा	343	132	399	700	0	1800	3400	206	700	364	638
24	उत्तर प्रदेश	8465	10603	3037	4436	700	42571	21975	3677	8734	4270	754
25	पश्चिम बंगाल	3834	4536	569	3255	287	15514	6235	792	2151	2056	2440
26	अंडमान एवं निकोबार	0	0	82	138	5	122	581	2	370	161	43
27	चंडीगढ़	0	0	100	67	0	20	165	0	0	68	3
28	दादर एवं नगर हवेली	0	0	28	41	0	345	557	24	45	26	19
29	दमन व द्वीप	0	0	22	9	0	43	161	4	77	34	13
30	दिल्ली	0	0	400	809	0	1547	1064	7	310	0	800
31	लक्ष द्वीप	0	0	36	48	0	50	483	3	67	40	8
32	पांडिचेरी	0	0	210	458	0	277	889	17	70	200	115
	जोड़	48277	56779	25211	63082	5773	443225	161053	14692	78624	37530	25408

विवरण III—जारी

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	शिक्षा	अ०जा० को न्याय	युवाओं के लिए अवसर	लोक आवास	गंदी बस्तियों का सुधार	वानिकी के लिए नयी कार्यनीति	पर्यावरण की सुरक्षा	उपभोक्ता संबंधी	गांवों के लिए ऊर्जा	जोड़
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	असम	3930	4015	109	3625	276	806	77	0	15	59144
2	अरुणाचल प्रदेश	3100	0	90	100	0	950	5	62	255	10848
3	असम	8429	683	168	515	35	2308	95	43	770	42853
4	बिहार	13700	3895	350	203	430	3150	187	291	960	129447
5	गोआ	1798	62	200	12	0	116	14	12	25	8168
6	गुजरात	5183	4500	120	1305	100	5200	88	115	70	91190
7	हरियाणा	5310	1050	210	155	120	2315	88	0	75	32743
8	हिमाचल प्रदेश	4258	219	116	20	45	3260	25	364	80	22167
9	जम्मू-कश्मीर	5412	270	287	20	60	1489	70	0	45	24351
10	कर्नाटक	7454	2801	387	2060	625	4403	50	175	85	72598
11	केरल	3223	917	195	270	30	2850	155	10	60	39962
12	मध्य प्रदेश	19523	6655	165	670	344	4939	598	0	2100	131273
13	महाराष्ट्र	8600	2700	720	451	1250	4378	73	0	60	98401
14	मणिपुर	1274	175	249	0	20	520	23	35	822	11301

15	मेघालय	2125	2	275	25	40	1400	20	13	540	9670
16	मिजोरम	957	0	90	58	20	621	5	34	575	8209
17	नागालैंड	1127	0	190	0	0	600	6	20	20	8158
18	उड़ीसा	5205	1759	496	235	77	2717	90	20	840	65112
19	पंजाब	6314	24446	1081	53	200	584	86	20	30	36320
20	राजस्थान	10748	390	153	306	320	2600	190	134	1060	65858
21	सिक्किम	115	65	60	20	10	321	35	20	20	3974
22	तमिलनाडु	7019	5792	114	450	235	3289	140	53	31	65715
23	त्रिपुरा	2275	950	132	77	40	655	22	13	132	13068
24	उत्तर प्रदेश	18855	5600	1441	2328	850	7500	225	0	3945	149946
25	पश्चिम बंगाल	9468	1970	721	100	450	1965	110	12	1064	57529
26	अंडमान एवं निकोबार	978	12	35	10	20	408	5	75	0	3047
27	चंडीगढ़	804	31	165	0	0	200	6	8	0	1638
28	दादर एवं नगर हवेली	204	0	6	0	0	120	1	1	3	1420
29	दमन एवं द्वीप	218	9	3	3	2	20	1	2	4	625
30	दिल्ली	8800	500	300	15	800	193	72	18	85	15809
31	लक्षद्वीप	160	0	20	0	0	8	7	0	5	935
32	पांडिचेरी	1262	195	217	70	35	50	3	13	10	4091
	जोड़	168858	47663	8856	13246	6437	59935	2572	1563	13786	1282570

विवरण IV

बीस सूत्री कार्यक्रम का राज्य-वार निष्पादन (लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि) 90–91

क्रम सं०	सूत्र/कार्यक्रम मद	अखिल भारत	आन्ध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू-कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01ए० आई०आर०डी०पी० (परिवार)	121	168	57	114	119	103	101	194	276	150	114	102	133
2	01बी जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	91	86	68	103	100	76	77	93	107	86	83	74	65
3	01सी एस एस आई यूनिट (रजि०)	114	129	121	110	122	65	144	104	121	44	116	109	150
4	05ए फालतू भूमि का वितरण	113	151	–	238	138	–	21	42	–	–	116	40	51
5	06बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास	74	–	–	–	100	–	–	–	–	62	–	68	–
6	07ए पेय जल समस्या का हल (ग्रा०)	79	103	53	68	364	100	68	56	100	48	70	108	81
7	08ए सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र	27	0	–	–	100	0	100	0	100	0	0	–	30
8	08बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (पी एच सी)	122	0	100	0	258	–	–	–	100	2	100	100	61
9	08सी उप-केन्द्र	10	–	0	0	0	100	100	0	100	–	–	0	0
10	08डी बच्चों का प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०, (पोलियोव बीसीजी)	96	121	64	81	81	104	104	106	85	63	96	101	96
11	09ए एफपी बंध्याकरण	71	71	58	29	47	96	93	87	96	33	78	90	18
12	09बी ईक्यू बंध्याकरण-आई०यूओ०, सी सी व ओ पी	88	65	59	34	32	149	106	81	76	44	80	83	106

13	09सी आई सीडी एस ब्लाक प्रचालन (कम)	97	98	93	100	95	100	87	105	88	91	97	100	108
14	09डी आंगनवाड़ी (कम)	93	96	98	89	76	22	91	99	97	100	92	97	99
15	11ए अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	3	114	–	71	95	109	93	79	120	59	105	109	81
16	11बी अनु०जन०जाति के परिवारों को सहायता	100	143	–	92	98	–	126	–	135	0	98	05	90
17	14ए आबंटित गृह स्थल (परिवार)	134	58	–	106	95	62	119	0	–	12	94	66	95
18	14बी निर्माण सहायता (परिवार)	129	173	28	106	–	50	150	434	104	20	90	84	114
19	14सी इंदिरा आवास योजना (गृह)	121	74	21	162	129	520	100	91	132	284	108	567	75
20	14डी ई डब्ल्यू एस मकान उपलब्ध कराना	106	83	–	65	88	80	78	307	100	24	90	106	74
21	14ई एलआईजी मकान	118	0	–	35	54	81	118	473	120	88	174	149	177
22	15 गंदी बस्तियों का सुधार (जन०)	125	241	–	81	100	32	102	100	102	58	133	70	117
23	16ए वृक्षा रोपण	105	101	55	586	54	52	154	85	131	9	82	98	114
24	18 उचत दर की दुकानें	129	199	167	85	279	160	–	–	–	62	143	–	113
25	19ए विद्युतीकरण गांव	100	104	79	33	35	–	–	–	–	72	–	–	153
26	19बी ऊर्जित पम्पसैट	164	127	–	34	55	–	125	102	224	131	554	123	134
27	19सी उन्नत चल्हे	106	106	99	80	63	101	105	131	114	88	109	137	100
28	18डी बायो गैस संयंत्र (राज्य)	106	110	260	49	64	190	126	98	104	73	90	89	72

विवरण IV-जारी

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	01ए आईआरडीपी (परिवार)	114	308	73	54	26	127	247	121	114	116	258	108
2	01बी जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	99	121	41	424	89	103	69	129	79	110	106	94
3	01सी एसएसआई यूनिट (रिजि०)	101	109	152	66	0	107	101	115	107	116	114	109
4	05ए फालतू भूमि का वितरण	–	–	–	–	–	165	–	113	–	155	–	249
5	06 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास	40	–	–	–	–	65	–	104	–	100	–	214
6	07ए पेय जल समस्या का हल (ग्रा०)	77	65	54	55	17	8	96	120	121	56	51	72
7	08ए सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र	0	0	0	–	0	0	0	150	0	0	0	133
8	08बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	1	0	20	–	0	100	0	100	200	40	0	317
9	08सी उप-केन्द्र	32	0	30	100	0	0	0	0	100	0	31	0
10	08डी बच्चों का प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियों व बीसीजी)	122	77	91	77	29	94	119	91	69	105	58	97
11	09ए ए एफ पी बंध्याकरण	96	35	60	129	66	65	77	66	90	90	70	56
12	09बी ई क्यू बंध्याकरण आईयूओ सीसी व ओ पी	102	82	63	81	23	89	114	127	114	78	117	103
13	09सी सीआईसीडीएस ब्लाक प्रचालन (कम)	114	95	91	105	91	92	106	96	100	92	88	91
14	09 डी आंगनबाड़ी (कम)	122	87	83	86	129	82	109	102	105	77	72	79

15	11ए अनुसू० जा० के परिवारों को सहायता	100	90	–	–	–	101	113	103	112	113	85	99
16	11बी अनु जन जा० परिवारों को सहायता	112	138	–	–	–	108	–	95	259	92	61	126
17	14ए आबंटित गृह स्थल (परिवार)	100	–	–	100	–	100	–	123	—	186	25	193
18	14बी निर्माण सहायता (परिवार)	100	–	81	100	–	96	–	95	0	136	52	158
19	14सी इंदिरा आवास योजना (गृह)	80	120	0	559	0	94	100	107	185	375	93	134
20	14 डी ई डब्ल्यू मकान उपलब्ध कराना	96	0	0	—	—	103	0	90	0	176	121	117
21	14ई एलआईजीएस मकान	96	0	0	100	–	79	39	104	–	116	171	110
22	15 गंदी बस्तियों का सुधार (जन०)	101	0	100	100	–	151	100	101	100	109	110	118
23	16ए वृक्षारोपण	111	168	14	114	0	97	109	94	228	107	181	100
24	18 उचित दर की दुकानें	–	–	–	112	0	412	–	110	–	–	130	–
25	19ए विद्युतीकरण गांव	–	112	67	100	–	191	115	145	124	–	50	94
26	19बी ऊर्जित पम्पसेट	166	–	–	–	–	191	312	234	–	182	53	111
27	19सी उन्नत चूल्हे	104	100	0	100	0	154	150	121	111	110	54	97
28	19डी बायो-गैस संयंत्र (राज्यों)	117	100	52	120	0	128	106	117	117	104	113	105

91-M/J(D)429LSS—4

विवरण IV–समाप्त

1	2	28	29	30	31	32	33	34	35
1	01ए आई आर डी पी (परिवार)	116	98	–	100	97	101	9	167
2	01बी जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	75	54	13	82	63	20	85	83
3	01 सी एम०एम०एस० आई यूनिट (रजि०)	79	103	203	54	98	83	100	102
4	05ए फालतू भूमि कर वितरण	122	–	–	9	–	–	–	1
5	06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	–	–	–	–	–	–	–	–
6	07ए पेयजल समस्या का हल (ग्रा०)	54	100	–	–	–	–	0	107
7	08ए सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र	13	–	–	0	–	–	0	0
8	08बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	36	100	–	–	0	–	–	0
9	08सी उप केन्द्र	0	0	–	0	–	–	0	0
10	08बी बच्चों का प्रतिरक्षण (डोपीटी, पोलियो व बीसी जी)	85	94	81	114	157	88	111	143
11	09ए एफ पी बंध्याकरण	62	95	72	75	160	83	31	140
12	09बी ई क्यू बंध्याकरण आईयूओसीसीव ओ पी	62	115	41	75	55	60	40	96
13	09 सीसीआई सीडीएस प्रचालन ब्लाक (कम)	95	100	100	100	100	104	100	100
14	09 डी आंगनवाड़ी (कम)	88	101	100	100	73	107	102	97

15	11ए अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	51	–	100	–	–	65	–	116
16	11ए अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	52	103	–	–	160	–	–	–
17	14ए आवंटित गृह स्थल (परिवार)	500	43	0	–	–	8	–	105
18	14बी निर्माणा सहायता (परिवार)	11	0	–	124	0	0	–	100
19	14सी इंदिरा आवास योजना (गृह)	38	369	0	87	13	0	0	129
20	14 डीई डब्ल्यू एस मकान उपलब्ध कराना	44	20	0	–	–	109	–	–
21	14ई एनआईजी मकान	0	141	0	–	–	10598	–	–
22	15 गंदी बस्तियों का सुधार (जन०)	166	96	0	–	–	172	–	100
23	16ए वृक्षारोपण	185	129	136	149	122	90	220	137
24	18 उचित दर की दुकानें	–	325	120	100	50	47	–	183
25	19ए विद्युतीकरण गांव	101	–	–	–	–	–	–	–
26	19बी ऊर्जित पम्पसैट	110	–	–	–	–	123	–	84
27	19सी उन्नत चूल्हे	125	60	0	100	6	71	5	76
28	18डी बायो गैस संयंत्र (राज्य)	80	0	20	100	60	95	–	50

–दर्शाता है कि इस समय में कार्यक्रम चालू नहीं है।

टिप्पणी : ऐसे मामलों में जहां पर एक सूत्र के तहत एक से अधिक मद का प्रबोधन किया जाता है उन्हें क, ख, ग से निर्दिष्ट किया जाता है।

[हिन्दी]

उपग्रहों और "इन्सेट" उपग्रहों का छोड़ा जाना

*343. **श्री बाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उपग्रहों और "इन्सेट" उपग्रहों के छोड़े जाने के सम्बन्ध में भारत द्वारा अब तक कितने परीक्षण किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने परीक्षण सफल रहे ;

(ग) कितने परीक्षण असफल रहे;

(घ) ऐसे उपग्रहों की संख्या कितनी है जो अभी तक अपनी कक्षा में स्थित हैं ; और

(ङ) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में इन उपग्रहों के निर्माण, रख-रखाव, छोड़े जाने और कक्षा में स्थित किये जाने पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) भारत ने अभी तक कुल ग्यारह उपग्रह छोड़े हैं जिनमें से छः प्रयोगात्मक और पांच प्रचलनात्मक उपग्रह हैं। बारहवां उपग्रह भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1 बी० (आई० आर० एस०-1 बी०) जो कि एक प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह है, इस वर्ष अगस्त माह में प्रमोचन के लिए प्रमोचन मंच पर पहुंचाया जा चुका है। सभी छः प्रयोगात्मक उपग्रह अर्थात् आर्यभट्ट, भास्कर (2 उपग्रह), रोहिणी (2 उपग्रह) और एप्पल जो कि स्वदेशी डिजाइन से निर्मित थे, सम्पूर्ण रूप से सफल रहे। स्वदेशी उपग्रह प्रौद्योगिकी द्वारा संचार, टी० वी०, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध के क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इन उपग्रहों से अनेक सफल परीक्षण किए गए। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए विदेश से प्राप्त चार प्रचालनात्मक संचार उपग्रह यानी इन्सैट-1 ए, इन्सैट-1 बी, इन्सैट-1 सी० और इन्सैट-1 डी० तथा देश में निर्मित एक प्रचालनात्मक स्टेट-आफ-दी आर्ट सुदूर संवेदन उपग्रह, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०-1ए०) भी छोड़े जा चुके हैं। आई० आर० एस०-1ए० अपनी तीन वर्षों की निर्धारित कालावधि के बाद भी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन्सेट-1बी० ने भी अपनी सात वर्षों की निर्धारित कालावधि के बाद तक सेवाएं प्रदान की तथा इन्सेट-1डी० अब पिछले एक वर्ष से सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन्सैट-1ए० और 1-सी० ने क्रमश० चार माह और सोलह माह तक सेवाएं प्रदान की और इसके उपरान्त ये दोनों अपनी-अपनी कक्षा में असफल हो गए।

(घ) आठ उपग्रह (आर्यभट्, भास्कर-II, एप्पल, इन्सैट-1 ए, 1 बी, 1 सी, और 1 डी० तथा आई० आर० एस०-1ए) अभी तक अपनी कक्षाओं में स्थित हैं।

(ङ) इन्लैट और आई० आर० एस० पर वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान खर्च की गयी धनराशि :

	(करोड़ रुपये)
1989-90	: 53.47
1990-91	: 20.11

राष्ट्रीय सूचना परिषद्

[अनुवाद]

*344. **श्री भगवान शंकर रावत**
श्रीमती सुमित्रा महाजन } क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् ने एक व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सूचना परिषद् की स्थापना करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद् के सुझाव नोट कर लिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्र

*345. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे जिला उद्योग केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार शेष जिलों में कुछ और जिला उद्योग केन्द्र खोलने का है ,

(ग) क्या कोई "कार्य योजना" तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य कर रहे 56 जिला उद्योग केन्द्र हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) भारत सरकार के पास नये जिला उद्योग केन्द्र बनाने की कोई "कार्य योजना" नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	स्थान/राज्य	जिला उद्योग केन्द्रों की सं०	जिला	स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	56	1. इलाहाबाद	
			2. अलमोड़ा	
			3. बलिया	
			4. देवरिया	
			5. फतेहपुर	
			6. गाजीपुर	
			7. झांसी	
			8. लखनऊ	
			9. मथुरा	
			10. मुरादाबाद	15-4-78
			11. राय-बरेली	
			12. सहारनपुर	
			13. उन्नाव	
			14. देहरादून	
			15. बस्ती	
			16. फौजाबाद	
			17. ललित पुर	
			18. जौनपुर	
			19. आजमगढ़	
			20. बहराइच	
			21. सुलतानपुर	
			22. बुलन्दशहर	
			23. एटा	
			24. पौड़ी गढ़वाल	
			25. चमोली	
			26. गोंडा	
			27. नैनीताल	
			28. टिहरी गढ़वाल	
			29. उत्तर काशी	
			30. पिथौरागढ़	
			31. जालौन	
			32. बांदा	
			33. हमीरपुर	
			34. गोरखपुर	29-3-79
			35. प्रतापगढ़	
			36. मिर्जापुर	
			37. वाराणसी	
			38. अलीगढ़	
			39. आगरा	
			40. इटावा	
			41. पीलीभीत	
			42. फरूखाबाद	
			43. बरेली	
			44. बिजनौर	

विवरण---जारी

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश (जारी)		45. मुजफ्फर नगर 46. मेरठ 47. मैनपुरी 48. रामपुर 49. गाजियाबाद 50. कानपुर 51. बाराबंकी 52. सीतापुर 53. लखीमपुर खेरी 54. हरदोई	29-3-79

[हिन्दी] **मध्य प्रदेश में उर्वरकों की सप्लाई**

1956. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि वर्ष 1990-91 के शुरू में नाइट्रोजन और फास्फेट रसायन उर्वरक के भंडार की मात्रा क्या थी और कृषि वर्ष 1991-92 के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुपर फास्फेट और अमोनियम फास्फेट नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) मध्य प्रदेश ने खरीफ मौसम के लिए कितनी मात्रा में सुपर फास्फेट और डी ए पी की मांग की थी और उसको अब तक कितनी मात्रा में रसायन उर्वरक (सुपर फास्फेट और डी ए पी) दिया गया; और

(घ) मध्य प्रदेश ने इस वर्ष रबी मौसम के लिए कितनी मात्रा में विभिन्न रसायन उर्वरकों की मांग की है और केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) देश में न्यूट्रीएन्ट्स के रूप में नाइट्रोजन युक्त तथा फोस्फेटिक उर्वरकों की भण्डारण स्थिति निम्न प्रकार है :---

(लाख टनों में)

निम्नलिखित तारीख को भण्डार स्थिति	नाईट्रोजन	फोस्फेट
1-4-90	19.71	5.20
1-4-91	11.59	2.90

कुल मिलाकर किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य में खरीफ 1991 मौसम के दौरान डी ए पी और एस एस पी की अनुमानित मांग और उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

(हजार टनों में)

उत्पाद	खरीफ मौसम के लिए मूल्यांकित मांग	लगभग उपलब्धि
डी ए पी	180.00	173.00 22 जुलाई तक
एस एस पी	450.00	290.00 16 जुलाई तक

आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरकों की मांग को शीघ्र ही होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

1957. **श्री राम नारायण बैरवा**
श्री राजवीर सिंह
श्री गुमानमल लोढा
श्री रामविलास पासवान
प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख

: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल व्यवस्था अभी भी संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या सरकार का इस गंभीर समस्या को हल करने हेतु राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों को, राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1-4-1985 की स्थिति के अनुसार, पता लगाए गए 161722 समस्याग्रस्त गांवों में से, 156504 गांवों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वच्छ पेय जल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई है। 1-8-1991 को केवल 5218 "जल स्रोत रहित" समस्याग्रस्त गांव रहे हैं जिन्हें स्वच्छ पेय जल की सुविधा मुहैया करायी जानी है। इसके अतिरिक्त, आंशिक रूप से जल सुविधा मुहैया कराये गए गांवों को पूरी तरह से जल उपलब्ध कराने के कार्यों को जारी रखा जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों के अनन्तिम आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के लिए आवंटन

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामान्य आवंटन	मरुभूमि विकास कार्यक्रम आवंटन	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	25.47		25.47
अरुणाचल प्रदेश	4.62		4.62
असम	13.70		13.70
बिहार	29.99		29.99
गोवा	0.55		0.55
गुजरात	14.93	1.40	16.33
हरियाणा	5.59	4.40	9.99
हिमाचल प्रदेश	6.30	0.12	6.42
जम्मू व कश्मीर	19.00	0.16	19.16
कर्नाटक	23.42		23.42
केरल	11.91		11.91
मध्य प्रदेश	28.19		28.19
महाराष्ट्र	33.90		33.90
मणीपुर	3.08		3.08
मेघालय	4.20		4.20
मिज़ोरम	1.29		1.29
नागालैंड	4.22		4.22
उड़ीसा	13.35		13.35
पंजाब	4.24		4.24
राजस्थान	27.91	13.92	41.83
सिक्किम	3.72		3.72
तमिलनाडु	20.19		20.19
त्रिपुरा	3.50		3.50
उत्तर प्रदेश	47.24		47.24
पश्चिम बंगाल	18.24		18.24
दादर व नगर हवेली	0.13		0.13
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.40		0.40
लक्षद्वीप	0.10		0.10
पांडिचेरी	0.26		0.26
दिल्ली	0.14		0.14
दमन व दीव	0.22		0.22
कुल	370.00	20.00	390.00

बुंदेलखण्ड उत्तर प्रदेश में पेट्रो-रसायन परिसर

1958. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस क्षेत्र से गुजरने वाली एचबीजे गैस पाइप लाइन से गैस का उपयोग करके एक बड़ा गैस आधारित पेट्रो -रसायन परिसर स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) गैस अथारटी आफ इंडिया लि० द्वारा औरेया, जिला इटावा (उ० प्र०) में एचबीजे पाइप लाइन से गैस पर आधारित पेट्रोकैमिकल काम्पलैक्स स्थापित किया जा रहा है।

राशन की दुकानों और मिट्टी तेल के डिपुओं के लिए लाइसेंस जारी करना

1959. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन की दुकानों और मिट्टी तेल डिपुओं के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग दिल्ली में जोन-वार कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन आवेदन कर्ताओं के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार लम्बित पड़े आवेदन पत्रों पर निश्चित समय सीमा के अन्दर लाइसेंस प्रदान करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) दिल्ली प्रशासन के पास राशन की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपुओं के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विचारार्थ लम्बित पड़े आवेदनों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है :–

	उचित दर की दुकानें	मिट्टी के तेल के डिपो
पूर्व केन्द्रीय क्षेत्र	60	77
दक्षिण पश्चिम क्षेत्र	68	33
उत्तर ग्रामीण क्षेत्र	शून्य	22

(ख) नाम तथा पते रखने का कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि यद्यपि किसी भी रिक्ति को उसके अधिसूचित होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर भरने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं, तथापि आवेदकों की प्रामाणिकता के बारे में शिकायतों और प्रति शिकायतों की वजह से, जिनके कारण विस्तार से जांच पड़ताल करनी आवश्यक हो जाती है, कभी-कभी देरी हो जाती है।

दिल्ली में औद्योगिक एकक

1960. **श्री कालका दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में कितने औद्योगिक एकक हैं ;

(ख) उक्त एककों में कार्यरत श्रमिकों की वर्तमान कुल संख्या क्या है; और

(ग) कितने औद्योगिक एकक श्रम कानूनों का अनुसरण करते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 31-3-90 को दिल्ली में औद्योगिक एककों की अनुमानित संख्या 81,000 थी।

(ख) 31-3-90 को इन औद्योगिक एककों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 7.29 लाख (लगभग) थी।

(ग) 31-12-90 को कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन पंजीकृत औद्योगिक एककों की संख्या 5647 थी। कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत सभी औद्योगिक एकक श्रमिक कानूनों का अनुसरण कर रहे हैं।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर में तूफान की पूर्व सूचना देने वाला केन्द्र

1961. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में तूफान की पूर्व सूचना देने वाले केन्द्र की आधारभूत मेत्रा सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार पूर्वी क्षेत्र के लिए उड़ीसा में, विशेष रूप से देश के सर्वाधिक तूफान से प्रभावित होने वाले इस राज्य के लिए एक तूफान की पूर्व सूचना देने वाला निदेशालय स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) चक्रवात चेतावनी केन्द्र, भुवनेश्वर में चक्रवात चेतावनियां देने वाली सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें रडार और उपग्रह अभिग्रहण सुविधाएं और पर्याप्त दूरसंचार सम्पर्क सम्मिलित हैं। उड़ीसा में चक्रवात चेतावनी सेवा सुविधाओं को लगातार नवीनतम और आधुनिकतम बनाने के एक प्रयास के रूप में पाराद्वीप में चक्रवात संसूचक रडार के स्थान पर एक नया उच्च शक्ति चक्रवात संसूचक रडार को स्थापित किया गया है।

(ख) भुवनेश्वर, उड़ीसा में एक चक्रवात चेतावनी केन्द्र 1973 से ही निदेशक की देखरेख में कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नमक आयुक्त की नियुक्ति

1962. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में एक अतिरिक्त नमक आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या गुजरात सरकार की ओर से एक अतिरिक्त नमक आयुक्त की नियुक्ति करने की निरन्तर मांग की जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है और अतिरिक्त नमक आयुक्त की नियुक्ति कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) उप नमक आयुक्त, गुजरात के पद को अपर नमक आयुक्त के दर्जे का पद करने के लिए राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव को नहीं माना जा सका क्योंकि गुजरात क्षेत्र में नमक उद्योग की आवश्यकताओं की देख-रेख के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

पामोलीन का आयात

1963. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की बचत के उद्देश्य से पामोलीन तेल का आयात न करने के लिये कोई नीतिगत निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पामोलीन का आयात करने के लिये किसी राज्य सरकार ने अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) आयात नीति में हाल में हुए परिवर्तनों के बाद भी खाद्य तेल को मार्गीकृत वस्तुओं की सूची में रखा गया है, अतः सरकार आयातित खाद्य तेलों का आयात उचित समय पर करेगी।

प्राइवेट व्यापारियों को पामोलीन आयात करने की अनुमति

1964. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि प्राइवेट व्यापारियों को पामोलीन तेल का आयात करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया और महाराष्ट्र
कर दिया गया है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) 1990–91 के दौरान आयातित तैयार उर्वरकों का कुल मूल्य 1335.82 करोड़ रुपए है। एम एम टी सी, जो उरर्वकों के आयात के लिए सरणीबद्ध अभिकरण है, ने चालू वर्ष में 1110.00 करोड़ रु० के मूल्य के तैयार उर्वरकों के आयात के लिए पहले ही करारों को अंतिम रूप दे दिया है। 1990–91 के दौरान स्वदेशी और आयातित उर्वरकों पर दी गयी राजसहायता की राशि 4389.06 करोड़ रु० थी।

(घ) और (ङ) 25–7–1991 से सरकार ने केलशियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड तथा सल्फेट आफ पोटाश जैसे कुछ उर्वरकों पर राज–सहायता समाप्त कर दी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट के संबंध में उत्पादकों को प्रति टन देय राजसहायता की अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी।

सिविल सेवा परीक्षा योजना की समीक्षा

1968. **श्री राम नरेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती की वर्तमान योजना की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा करने वाली संख्या के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा इस मामले में और क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की समीक्षा करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। सिविल सेवा परीक्षा की योजना की समीक्षा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ख) रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। सिफारिश सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, आगे कोई समीक्षा अपेक्षित नहीं है।

विवरण

प्रोफेसर सतीश चन्द्र समिति की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

क्रम सं० सिफारिशों/निष्कर्षों का सारांश

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार जो आयु छूट का लाभ तथा परीक्षा अवसरों से संबंधित छूट का लाभ उठाये बिना ही सामान्य योग्यता सूची में आ जाते हैं उन्हें

सामान्य उम्मीदवारों के रूप में समझा जाना चाहिए और आरक्षण कोटे में नहीं रखना चाहिए ।

2. समूह "क" और समूह "ख" की कुछ सेवाओं को सिवल सेवा परीक्षा से अलग कर दिया जाना चाहिए ।

3. डाक्टर और इंजीनियरों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बने रहने देना चाहिए ।

4. मुख्य परीक्षा में 200 अंकों का एक निबन्ध प्रश्न पत्र शुरू किया जाना चाहिए । उम्मीदवारों को यह अनुमति दी जा सकती है कि वे इस प्रश्न पत्र का अंग्रेजी अथवा संविधान की 38वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में उत्तर दें ।

5. मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में से निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए

फ्रेंच

जर्मन

रूसी

चीनी ।

[हिन्दी]

उत्तरी भारत में भुकम्प के झटके

1970 **श्री मृत्युंजयनायक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर, चंडीगढ़, जालंधर और आसपास के शहरों में जुलाई, 1991 के दूसरे सप्ताह में भूकंप के झटके रिकार्ड किए गए,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) भूकंप के इन झटकों के कारण कितनी जानें गई तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) जी, हां।

(ख) यह भूकंप 14 जुलाई, 1991 को भारतीय मानक समय के अनुसार 14.39 बजे आया था । इसका अधिकेन्द्र (उद्‌भव) नई दिल्ली से लगभग एक हजार किलोमीटर की दूरी पर हिन्दूकुश पर्वतों में 36.5° उत्तर अक्षांश पर तथा 71.0° पूर्व देशान्तर पर था । भूकम्प का परिमाण रिक्टर पैमाने पर 6.6 था ।

(ग) भारतीय क्षेत्र में किसी प्रकार की हानि होने की सूचना नहीं हुई ।

[अनुवाद]

कछार चीनी मिल, असम

1971. **श्री द्वारका नाथ दास : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के करीमगंज जिले में कछार चीनी मिल, राताबाड़ी कई वर्षों से बंद पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बंद रहने के क्या कारण हैं और यह कब तक चालू हो जायेगी ।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) कछार चीनी मिल लि० राताबाड़ी, जिला करीमगंज 1985–86 से पर्याप्त मात्रा में गन्ना व निधि उपलब्ध होने के कारण बंद पड़ी है ।

कछार चीनी मिल लि०, असम औद्योगिक विकास निगम लि० की सहायक कंपनी है । इसे पुनः चालू करने का निर्णय मिल प्रबंधन / राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा ।

उत्तरी त्रिपुरा में फल प्रसंस्करण संयंत्र

1972. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी त्रिपुरा जिले में एक फल प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यह संयंत्र बेकार और रुग्ण हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप फल प्रसंस्करण कार्य में मंदी आ गई है तथा घाटा हुआ है; और

(ग) इसकी रुग्णता के क्या कारण हैं और इस संयंत्र को फिर से चालू करने और कार्यक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक) द्वारा नलटका, उत्तरी त्रिपुरा में एक फल रस सांद्रण संयंत्र स्थापित किया गया है ।

(ख) यद्यपि यह संयंत्र अपनी संस्थापित क्षमता से कम कार्य कर रहा है और घाटा भी हुआ है परन्तु नियमित कामगारों की कोई छंटनी नहीं की गई है ।

(ग) संयंत्र के असंतोषजनक कार्य के लिये उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिये "नेरामक" की कार्यप्रणाली पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था । समिति की रिपोर्ट 31-7-1991 को प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है ।

कलकत्ता दूरदर्शन के दूसरे चैनल की प्रसारण क्षमता में विस्तार

1973. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता दूरदर्शन के दूसरे चैनल की प्रसारण क्षमता के अंतर्गत विभिन्न रिले केन्द्रों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के समूचे क्षेत्र को शामिल करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने रिले केन्द्रों को सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पृथक स्थानीय सेवा जिसे प्राय: दूरदर्शन के दूसरे चैनल के नाम से जाना जाता है, मूलत: कलकत्ता शहर और उसके आसपास की जनता की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू की गई थी । अत इस समय कलकत्ता दूरदर्शन के दूसरे चैनल के कार्यक्रमों को राज्य के किसी अन्य रिले केन्द्र से प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

पश्चिमी घाट विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त धन-राशि

1974. **श्री एच०डी० देवगौड़ा:** क्या **योजना और कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पश्चिमी घाट विकास योजनाओं के अंतर्ग त केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को कितनी धन–राशि प्रदान की गई ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज)

पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई गई :

(करोड़ रुपये में)

	1988-89	1989-90	1990-91
केरल	4.66	5.68	6.05
कर्नाटक	8.00	8.89	9.47
महाराष्ट्र	11.84	12.67	13.50

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास की नई योजना शुरू करना

1975. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण लोगों के उत्थान हेतु कोई नई योजना शुरू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) :(क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

91-M/J (D)429LSS—5

राजस्थान में पेयजल की कमी

1976. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या एक अध्ययन दल ने राजस्थान में सूखे की स्थिति और वर्तमान गर्मी के मौसम में यहां के गांवों में पेयजल की कमी के संकट का जायजा लेने हेतु राजस्थान का दौरा किया था ;

(ख) इस दल ने राजस्थान के कितने गांवों का दौरा किया ;

(ग) क्या अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(च) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1977. **प्रो० के०वी०थामस : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गहरे समुद्र में मच्छली पकड़ने की प्रणाली को अधिक कारगर और आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : गहरे समुद्री मात्स्यिकी को सुदृढ़ करने और उसके आधुनिकीकरण के लिए उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार है :—

(1) उद्यमियों को संसाधन सम्पन्न जलयानों को प्राप्त करने और अधिमूल्य उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

(2) गहरे समुद्र की मात्स्यिकी और प्रसंस्करण में संयुक्त उद्यमों भारतीय समुद्र में मात्स्यिकी के लिए दीर्घकालिक पट्टेदारी और परीक्षण मात्स्यिकी की नई स्कीमों की घोषणा कर दी गई है ।

(3) समुद्री उत्पादों के निर्यातकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर डीजल तेल की आपूर्ति ।

(4) बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर पत्तन सुविधायें बढ़ाना ।

(5) भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में मात्स्यिकी स्रोतों का व्यवसायिक सर्वेक्षण और गहरे मात्स्यिकी जलयानों में नियुक्ति के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण ।

(6) सातवीं योजना अवधि के दौरान गहरे समुद्री मात्स्यिकी के लिए संसाधन संपन्न और आधुनिक 94 जलयान बढ़ाये गये है ।

(7) भारतीय जल में टूना मात्स्यिकी स्रोतों के अन्वेषण और मूल्यांकन के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा दो बड़े टूना लौंग लाइनर (36 मी० सम्पूर्ण लम्बाई) प्राप्त किये गये हैं।

(8) गहरे समुद्री मात्स्यिकी में इक्विटी भागीदारी, अधिमूल्य उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए बेकार मछली के उपयोग और गहरे समुद्री मात्स्यिकी जलयानों को संचार सुविधायें प्रदान करने की स्कीमें 1991-92 के वार्षिक प्लान में चलाई गई हैं।

(9) "इनडीविज्युअल क्विक फ्रीजिंग मशीनरी/सहायक सामग्रियों को प्राप्त करने, समुद्री खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण यूनिट द्वारा रेफ्रीजेरेटिड गाड़ी प्राप्त करने, संयंत्र के अन्दर प्रयोग के लिए बर्फ बनाने वाली मशीन के संस्थापन, प्लेट फ्रीजर, कमीवाले शीत भण्डार के उन्नयन, छोटी प्रयोगशालायें स्थापित करने आदि के लिए सब्सिडी का प्रावधान।

(10) देश के दूर-दराज के हिस्सों में समुद्री मछली के परिरक्षण और विपणन की शीत शृंखला के विकास के लिए उचित रेल डिब्बे और ट्रक प्राप्त करना और संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों/राज्य सरकार के उपक्रमों/सहकारिताओं को सहायता।

राज्यों को आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

1978. श्री राम लखन सिंह यादव } क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह
श्री छेदी पासवान : } बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी है और सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की है,

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार को और अधिक केन्द्रीय सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तथा (ख) राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों को उनके आर्थिक विकास को सुसाध्य करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार आवंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आवंटित की गई (कुल) केन्द्रीय सहायता की धनराशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता आवंटित करने का फार्मूला, जनसंख्या के मानदंड, प्रति व्यक्ति आय तथा विशेष विकास समस्याओं को शामिल करते हुए बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के अनुकूल है।

विवरण

1988–89, 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान राज्यों को (कुल) केन्द्रीय सहायता का आबंटन

(रुपये करोड़ों में)

	1988–89	1989–90*	1990–91
1	2	3	4
क. विशेष श्रेणी राज्य			
1. असम	538.55	621.91	629.28
2. अरुणाचल प्रदेश	160.51	141.26	164.69
3. हिमाचल प्रदेश	220.06	190.96	224.64
4. जम्मू व कश्मीर	518.40	548.24	574.70
5. मणिपुर	153.49	134.72	156.03
6. मेघालय	135.82	129.81	148.21
7. मिजोरम	138.62	83.87	141.71
8. नागालैंड	183.57	105.06	125.13
9. सिक्किम	67.59	60.53	68.11
10. त्रिपुरा	160.80	143.97	163.87***
जोड़–क	2,277.41	2,160.33	2,396.37
ख. गैर-विशेष श्रेणी के राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	391.52	426.56	446.20
2. बिहार	577.38	613.63	646.24**
3. गुजरात	185.86	193.27	261.97
4. गोवा	86.00	100.00	100.00
5. हरियाणा	83.67	77.57	103.02
6. कर्नाटक	203.74	225.00	235.13
7. केरल	259.31	252.58	263.95
8. मध्य प्रदेश	376.20	413.48	432.50
9. महाराष्ट्र	307.85	337.52	352.71
10. उड़ीसा	253.56	271.20	283.10
11. पंजाब	99.00	81.91	115.67
12. राजस्थान	311.05	329.54	344.37
13. तमिलनाडु	348.09	364.49	404.70
14. उत्तर प्रदेश	776.02	856.20	1044.73
15. पश्चिम बंगाल	276.55	298.72	312.58
जोड़–ख	4,535.80	4,841.67	5287.17
कुल जोड़ (क+ख)	6,813.21	7,002.00	7,683.54

*विशेष श्रेणी के राज्यों के गैर योजना अन्तराल के अनुरूप, केन्द्रीय सहायता को 1989–90 से बन्द कर दिया गया था और इसलिए पिछले वर्षों से इनके मामलों में आंकड़ों की तुलना कठोरता से नहीं की जाती है।

** 5 करोड़ अग्रिम योजना सहायता शामिल है।

*** टी एन वी एन कार्ड के लिए एम ओ एच द्वारा दिए गए 2.83 करोड़ रुपये (शामिल नहीं हैं)

[हिन्दी]

दिल्ली के गांवों में लाल डोरा

1979. **श्री सज्जन कुमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के गांवों में "लाल डोरा" बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है या करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) "लाल डोरा" बढ़ाने के लिये समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के उन 82 गांवों (सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है) जिनकी सन् 2001 तक शहरीकरण होने की आशा नहीं है, में चकबंदी की प्रक्रिया के जरिए "लाल डोरा" क्षेत्र का विस्तार किये जाने का निर्णय किसी समय 1986 में लिया गया था।

इस निर्णय के अनुसरण में, 8 गांवों को चकबंदी के लिये अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात् 1988 में 15 और गांवों को चकबंदी हेतु अधिसूचित किया गया था (सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है)।

इन दो गांवों (दिचौन कलां और पंजाबखोर) को अधिसूचना से निकाल दिया गया है। शेष 21 गांवों में से 3 गांव (बुद्धपुर–बीजापुर, हमीदपुर तथा मंगेशपुर में चकबन्दी कार्य पूरा हो चुका है तथा इन गांवों में भी "लाल डोरा" क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है।

विवरण-1

उन गांवों के नाम जिनका सन् 1991 तक शहरीकरण नहीं किया जाना है

क्रमांक	गांव का नाम	क्रमांक	गांव का नाम
1	अकबरपुर माजरा	5	भोरगढ़
2	अलीपुर	6	बुद्धपुर-बीजापुर
3	बक्करवाला	7	चटेसर
4	बामनोली	8	गढ़ईपुर

क्रमांक	गांव का नाम	क्रमांक	गांव का नाम
9	हरेवली	46	खामपुर (अलीपुर)
10	हिरणकूदना	47	खेड़ा कलां
11	इब्राहिमपुर	48	लामपुर
12	झंगोला	49	मोहम्मदपुर रामजानपुर
13	कंझावला	50	मुखमेलपुर
14	किराड़ी सुलेमान नगर	51	मंगेशपुर
15	लाडपुर	52	मदनपुर डबास
16	नांगली पूना	53	नंगल ठकरान
17	नानक हेड़ी	54	ओछन्डी
18	पूठ पहलाद	55	पल्ला
19	पंजाब खोर	56	पूठ खुर्द
20	कुतबपुर	57	कोशीपुर
21	गाधोपुर	58	कमरुद्दीन नगर
22	सुल्तानपुर डबास	59	कुतुबगढ़
23	सतबाड़ी	60	रसूलपुर
24	ताजपुर कलां	61	रजांकड़ी
25	सुगेरपुर	62	रानी खेड़ा
26	बादु सराय	63	रोशनपुरा
27	बकोली	64	समालका
28	बंकनेर	65	शाहपुर गढ़ी
29	बापरौला	66	सिंधु
30	बवाना	67	सिघोला
31	बाजीतपुर ठाकरा	68	सुरेशपुर
32	बुढपुर	69	ताजपुर खुर्द
33	छतरपुर	70	सुरेरा
34	चांदपुर	71	टीगीपुर
35	दरियापुर कलां	72	टीकरी खुर्द
36	गढ़ी रिथाला	73	जफरपुर कलां
37	घिटोरनी	74	झिंगापुर कोटला
38	घोघा	75	सावदा
39	हमीदपुर	76	आयानगर
40	हालम्बी	77	बख्तावरपुर
41	जटखोर	78	जिदपुर
42	झरोडा माजरा बुराड़ी	79	पिन्नवाला खुर्द
43	झरोडा कलां	80	निलोठी
44	कैर	81	रनहोला
45	कटेवड़ा	82	दिचाऊ कलां

विवरण—2

(क) 1986 में अधिसूचित	क्रमांक	गांव का नाम
	1	अलीपुर
	2	जैतपुर
	3	कापसहेड़ा
	4	मुंगेशपुर
	5	हमीदपुर
	6	बुद्धपुर-बीजापुर
	7	पंजाब खोर
	8	अली
(ख) 1988 में अधिसूचित	1	औचंदी
	2	बकोली
	3	बकरवाला
	4	चटेसर
	5	दरियापुर कलां
	6	दिचौन कला
	7	हीरंकी
	8	हिरनकूदना
	9	जटखोर
	10	खामपुर
	11	कैर
	12	नागली पूना
	13	कैदीपुर
	14	पूठ खुर्द
	15	सिंघोला

[अनुवाद]

केरल में क्लोरीन गैस का रिसाव

1980. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को केरल में कोलम के निकट चावरा में "टिटैनियम डाईऑक्साइड" संयंत्र से क्लोरीन गैस के रिसाव पर कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार के लिए विकास परियोजनाएं/योजनाएं

1981. **श्री छेदी पासवान**
श्री राम लखन सिंह यादव
मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के लिये बनायी गई विभिन्न विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) बिहार में किन-किन स्थानों पर ये योजनायें लागू की गई है,

(ग) क्या बिहार के विकास के लिये कुछ और योजनाएं विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा स्कीमवार ब्यौरा तैयार नहीं किए जाते हैं। स्कीमवार ब्यौरे स्वयं राज्य सरकारों द्वारा (बिहार सहित) तैयार किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में लालगंज में उद्योगों की स्थापना

1982. **श्री रामबदन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लालगंज में और लालगंज के आस-पास शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित न करने के क्या कारण है ; और

(ग) निकट भविष्य में इस क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) औद्योगीकरण सम्बन्धित राज्य सरकार की विशेष जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार रियायती वित्त, केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने में प्राथमिकता देने जैसे प्रोत्साहन देकर इनके प्रयासों में मदद करती है। लालगंज आजमगढ़ जिले में श्रेणी 'ग' आता है और यह इस श्रेणी को उपलब्ध सभी प्रोत्साहनों और रियायतें पाने का पात्र है।

[अनुवाद]

हल्दिया उर्वरक कारखाने का बन्द किया जाना

1983. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को हल्दिया-स्थित उर्वरक कारखाना गत तीन वर्षों के दौरान कितने समय बन्द रहा और उसके कारण क्या हैं ;

(ख) कारखाना बन्द रहने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए ; और

(ग) कारखाने को फिर से चालू करने के लिये क्या उपाय किए गए है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) वातावरणीय अमोनिया भण्डारण सुविधाओं के सिवा सभी संयंत्र अक्टूबर, 1986 से बन्द रहे हैं क्योंकि आरंभण के दौरान उपस्कर की बारम्बार खराबी के कारण आरम्भण कार्यकलाप बन्द करने पड़ गए।

(ख) कोई कर्मचारी बेरोजगार नहीं हुआ है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि परियोजना को चलाया जाए या नहीं और यदि चलाया जाए तो किस रूप में चलाया जाए।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण

1984. **श्री प्रेम धूमल** :
श्री फूल चन्द वर्मा : } क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किन-किन भाषाओं को दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम में स्थान दिया गया है ;

(ख) क्या क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से संस्कृत भाषा के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृत भाषा में कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये ; और

(घ) यदि नहीं, तो ये कार्यक्रम कब तक प्रसारित किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों के प्रसारण समय में दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को राष्ट्रीय नेटवर्क के अपने प्रातः कालीन प्रसारण में संस्कृत में 15 मिनट का एक कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् अगस्त, 1988 से जुलाई, 1991 तक प्रसारित ऐसे कार्यक्रमों की संख्या 137 है।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

बुंदेलखण्ड विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

1985. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिये उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड ने योजना आयोग को कोई योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ए० पी० इलेक्ट्रोनिक डिवलपमेंट कारपोरेशन को रंगीन पिक्चर ट्यूब के निर्माण हेतु लाइसेंस

[**अनुवाद**]

1986. **श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० पी० इलेक्ट्रानिकस डिवलपमेन्ट कारपोरेशन ने हालैण्ड की फर्म मेसर्स फिलिप्स के सहयोग से रंगीन पिक्चर ट्यूब का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) संघ सरकार के पास रंगीन पिक्चर ट्यूब का निर्माण करने सम्बन्धी इसी प्रकार के लंबित पड़े अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन फर्मों को रंगीन पिक्चर ट्यूब का निर्माण करने सम्बन्धी लाइसेंस जारी किए गए हैं और ये लाइसेंस कब से जारी किए गए हैं ;

(घ) ए० पी० इलेक्ट्रोनिक डिवलपमेंट कारपोरेशन को लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) ए०पी० इलेक्ट्रानिक डिवलपमेंट कारपोरेशन को हालैंड की फर्म मैसर्स फिलिप्स के सहयोग से रंगीन पिक्चर ट्यूब का निर्माण करने हेतु लाइसेंस कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) मेसर्स आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड (ए पी ई डी सी) से रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण की क्षमता का विस्तार करने तथा विदेशी सहयोग से सम्बन्धित एक मिला जुला प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस आई ए) द्वारा इस आवेदन-पत्र को दिनांक 11-4-86 को पंजीकृत किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। मेसर्स ए पी ई डी सी ने इस निर्णय के विरुद्ध दिसम्बर, 1988 में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसी बीच मेसर्स ए पी ई डी सी के सहयोगकर्त्ता अर्थात् मेसर्स फिलिप्स, हालैण्ड ने भारत सरकार को सूचित किया कि उन्होंने मेसर्स ए पी ई डी सी के साथ अपने सहयोग का प्रस्ताव वापस ले लिया है तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिये प्रौद्योगिकी के अन्तरण के अपने पिछले सारे प्रबन्ध समाप्त कर दिए हैं। लेकिन बाद में मेसर्स फिलिप्स ने अपना निर्णय बदल दिया और मेसर्स ए पी ई डी सी तथा/अथवा मेसर्स वीडियोकॉन को रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिये प्रौद्योगिकी के अन्तरण की पेशकश की। मेसर्स फिलिप्स, हालैण्ड के सहयोग से मेसर्स वीडियोकॉन के द्वारा रंगीन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा मेसर्स ए पी ई डी सी को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते मेसर्स वीडियोकॉन अपना संयंत्र आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थापित करें। मेसर्स वीडियोकॉन ने रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य में अपना संयंत्र स्थापित करने की पुष्टि कर दी है। किन्तु, मेसर्स वीडियोकॉन का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिये कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रंगीन पिक्चर ट्यूब एक लाइसेंस मुक्त वस्तु है। रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए जिन कम्पनियों को विदेशी सहयोग/पूंजीगत वस्तुओं के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनके नाम नीचे दिए अनुसार हैं :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोग के अनुमोदन की तारीख
1	मेसर्स जे सी टी इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	12-3-1984
2	मेसर्स अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लि०	2-12-1985
3	मेसर्स सैमटेल कलर लि०	11-8-1986
4	मेसर्स जम्मू तथा कश्मीर राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम	26-9-1990

फ्यूजन मशीन का अविष्कार

1987. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन करने वाली कम खर्चीली फ्यूजन मशीन का आविष्कार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) संगलन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बनाए गए टोकामेक नामक एक विशेष प्रकार के प्लाज्मा यंत्र को अनेक प्रयोगशालाओं में काम में लाकर देखा जा रहा है। अब तक ये यन्त्र उससे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने में सफल नहीं हो पाए हैं जितनी ऊर्जा उस मशीन को चलाने में प्रयोग में लाई जाती है और इसलिये यह माना गया है कि विकास के इस चरण में ये अभी सस्ती नही पड़ती है। आजकल, अनेक प्रयोगशालाओं में शीत संगलन के सम्बन्ध में परीक्षण किए जा रहे हैं। किन्तु न तो पुनरुत्पादन कर सकने वाली कोई मशीन अब तक बनाई गई और न ही इस परिघटना के पीछे कोई सिद्धान्त ठीक से समझ में आया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सहित विश्व में अनेक प्रयोगशालाओं में इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अभी से यह निर्णय करना सम्भव नही है कि अगले कुछ दशकों में संगलन ऊर्जा कम खर्च पर उपलब्ध हो जाएगी।

बिहार में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की बेसिक औषध इकाई

[हिन्दी]

1988. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने कितनी औषध इकाइयां स्थापित की हैं ;

(ख) क्या बिहार में एक बेसिक औषध इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त इकाई को स्थापित करने के कार्य हेतु इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को अधिकार देने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के तीन सहायक एकक हैं जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा की राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया

[अनुवाद]

1989. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के उत्पादन में पिछले 3-4 महीने मे वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के उत्पादों के ग्राहक सरकारी क्षेत्र के कुछ एकक ही हैं ;

(ग) क्या इस एकक को और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है : और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) यद्यपि टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के उत्पादन में 1991-92 की पहली तिमाही में कोई सुधार नहीं हुआ, तथापि, जुलाई, 1991 के मास में इसकी सभी उत्पादन मदों में, विशेषरूप से इसके मुख्य उत्पादन फुटवियर में, वृद्धि का रुझान देखा गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सरकार ने कम्पनी द्वारा तैयार किए गए पुनरुद्धार पैकेज के आधार पर कम्पनी का जैव्यता अध्ययन करने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कहा था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मई, 1991 में प्रस्तुत की गई जैव्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है ।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

1990. **प्रो० राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं : और

(ख) पेंशन पाने वालों को उनकी सेवानिवृत्ति होने की तारीख से लगभग कितने समय के बाद पेंशन आदेश के कागजात सौंप दिये जाते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन मंजूर करने की मौजूदा प्रक्रिया

बिल्कुल सरल है तथा समय पर खरी उतरी है। पेंशन की मंजूरी में होने वाले विलम्ब को कम से कम करने की दृष्टि में जनवरी, 1987 में ऐसे अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन तथा उपदान--अस्थायी अथवा अन्तिम---का प्राधिकार दिए जाने की बात सुनिश्चित करने सम्बन्धी सरकारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।

(ख) पेंशन भुगतान के आदेश आमतौर पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक जारी कर दिए जाते हैं। 1-4-87 से 31-3-91 तक गत चार वर्षों के दौरान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन भुगतान के आदेश जारी न किए जाने सम्बन्धी पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में केन्द्रीयकृत रूप में प्राप्त शिकायतों की संख्या केवल 133 थी।

मध्य प्रदेश को आशय पत्र जारी करना

1991. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 के बीच मध्य प्रदेश में स्वीकृत पड़े और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये कितने आशय पत्र जारी किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वह किस-किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिये 1 जनवरी, 1990 से 1 अप्रैल 1991 की अवधि के दौरान 69 आशय पत्र जारी किए गए थे।

सभी आशय पत्रों के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम तथा पता, स्थापना-स्थल, विनिर्माण की मद (मदें) तथा क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित खाद्यान्न से लाभान्वित व्यक्ति

1992. **श्री विजय नवल पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित खाद्यान्न से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी करने का विचार है ;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के निर्धारित मानदंड क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में कमी कर सरकारी कर्मचारियों, मध्यम और निम्न आय वर्गों के हितों की सुरक्षा करने का है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवंटन, स्टाक की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, बाजार में उपलब्ध मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकता आदि जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए करती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

1993. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के दौरान कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया ;

(ख) कुल कितने श्रम दिवसों का कार्य सृजित किया गया ; और

(ग) राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और खर्च की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 92,150 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 8,750 लाख श्रम दिन सृजित किए गए ।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिये वित्तीय आबंटन राज्यों के अंश सहित 2,627.80 करोड़ रुपये है । राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में यह दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान 2,571.76 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है । राज्यवार विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1990–91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों का राज्यवार आवंटन तथा किया गया व्यय

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय
1	आन्ध्र प्रदेश	19166.20	18032.89
2	अरुणाचल प्रदेश	330.67	208.77
3	असम	5114.59	5648.57
4	बिहार	38466.78	42645.86
5	गोवा	357.27	277.12
6	गुजरात	8090.71	7513.03
7	हरियाणा	1926.82	2085.43
8	हिमाचल प्रदेश	1135.28	1270.68
9	जम्मू और कश्मीर	2000.00	1636.30
10	कर्नाटक	12059.70	10684.41
11	केरल	6396.19	6819.92
12	मध्य प्रदेश	26402.50	24102.41
13	महाराष्ट्र	20424.84	19254.92
14	मणिपुर	423.83	482.45
15	मेघालय	495.91	339.35
16	मिजोरम	208.90	833.41
17	नागालैंड	610.00	617.16
18	उड़ीसा	13094.93	12845.26
19	पंजाब	1675.65	1222.63
20	राजस्थान	12805.28	17029.54
21	सिक्किम	198.54	183.48
22	तमिलनाडु	17223.66	19661.60
23	त्रिपुरा	550.49	525.40
24	उत्तर प्रदेश	51093.28	45773.98
25	पश्चिम बंगाल	21786.94	16998.84
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	156.56	102.02
27	चंडीगढ़	38.81	12.29
28	दादर व नगर हवेली	84.99	66.53
29	दमन और दीव	50.07	15.46
30	दिल्ली	184.18	56.84
31	लक्षद्वीप	78.49	64.30
32	पांडिचेरी	153.25	164.48
	अखिल भारत	262780.27	257175.63

ग्रामीण विकास के लिए बिहार को धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

1994. श्री विजय कुमार यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिहार के गांवों में सर्वाधिक पिछड़ापन और बेरोजगारी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विकास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के लिये जनसंख्या के आधार पर, ग्रामीण विकास के लिए धनराशि आवंटित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) योजना आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, बिहार में 42.7 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है जबकि पूरे देश में यह 33.4 प्रतिशत है। उड़ीसा की स्थिति और भी अधिक खराब है जहां ग्रामीण गरीबी का स्तर 48.3 प्रतिशत है। रोजगार/बेरोजगारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 43वें दौर के सर्वेक्षण से प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मूल बेरोजगारी की स्थिति 2.40 प्रतिशत है जो कि असम, हरियाणा केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन के अन्य सूचकों के स्तर का सम्बन्ध है, हालांकि बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह सबसे अधिक प्रभावित नहीं है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता का स्तर जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बेहतर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में शिशु मृत्यु-दर का स्तर कम है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के लिये निधियों का निर्धारण व्यापक मानदण्ड के आधार पर किया जाता है जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या, गरीबी की स्थिति, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, कुल श्रमिकों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत और कृषि उत्पादकता की स्थिति शामिल हैं।

खाद्य तेलों का आयात

1995. श्री तेजनारायण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन की भारी फसल को देखते हुए सरकार का खाद्य तेलों के आयात में कटौती करने का विचार है ताकि स्वदेशी वनस्पति तेलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) और (ख) सरकार द्वारा फिलहाल खाद्य तेल का आयात पहले ही स्थगित कर दिया गया है।

91-M/J(D)429

ग्रामीण विकास की योजनाओं पर व्यय

1996. **डा० परशु राम गंगवार** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण लोगों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस समय ग्रामीण विकास योजनाओं पर राष्ट्रीय आय की कितनी प्रतिशत धनराशि खर्च की जा रही है ; और

(ग) ग्रामीण जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं पर व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की अनन्तिम ग्रामीण जनसंख्या 627.1 मिलियन है ।

(ख) राष्ट्रीय लेखा आंकड़े (नेशनल अकाउन्टस स्टेटिस्टिक्स) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवेश के अलग से अनुमान प्रस्तुत नहीं करते हैं । फिर भी जनगणना वर्षों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पाद (एन० आई० पी०) के अनुमान तैयार किए गए हैं । 1980-81 में ग्रामीण शुद्ध घरेलू उत्पाद देश के कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद का 56.85 प्रतिशत था ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर योजना व्यय 2782 करोड़ रुपये था । सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे बढ़ाकर 10956 करोड़ रुपये कर दिया गया था । ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के अन्तर्गत योजनाएं मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए हैं । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर योजना व्यय छठी योजना में 6497 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सातवीं योजना में 13743 करोड़ रुपये कर दिया गया था । इनके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों को सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों से भी लाभ होता है जिनमें कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में निवेश शामिल है ।

चीनी कारखाने

1997. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**
श्री यशवंतराव पाटिल :
श्री नवल किशोर राय :
क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये, राज्य-वार, कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) प्रस्तावित चीनी कारखाने, राज्यवार, किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 23-7-1990 को लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी होने के बाद नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिये 394 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार स्थिति विवरण-1 में दी गई है।

(ख) उक्त आवेदन पत्रों में से, 2 आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। जहां तक बाकी आवेदन पत्रों का सम्बन्ध है, चीनी उद्योग के लिये लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अभी सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। इन आवेदन पत्रों पर उक्त समीक्षा के बाद तैयार की गई नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त दो आशय-पत्रों की राज्यवार स्थिति विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

दिनांक 23-7-1990 को लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी होने के बाद नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का राज्य-वार विवरण (30-6-91 को)

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं०
1	महाराष्ट्र	130
2	मध्य प्रदेश	05
3	उत्तर प्रदेश	120
4	पंजाब	20
5	गुजरात	04
6	तमिलनाडु	08
7	उड़ीसा	01
8	कर्नाटक	34
9	आन्ध्र प्रदेश	50
10	बिहार	11
11	हरियाणा	10
12	राजस्थान	01
	कुल	394

विवरण-2

नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिए जारी किए गए दो आशय पत्रों का राज्यवार स्थान 30-6-91 को

क्रम सं०	नाम एवं चीनी फैक्ट्री का स्थान
उत्तर प्रदेश	
1	श्री हरीश चन्द्र सिंह, जसवंतनगर, जिला इटावा
पंजाब	
2	पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, नजदीक लोपोके, जिला अमृतसर

मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

1998. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात बढ़ाने के लिये मत्स्य उद्योग को क्या प्रोत्साहन दिये हैं अथवा देने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मात्स्यिकी उद्योग से

निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) मात्स्यिकी स्रोतों के उपयोग के लिये भारतीय कम्पनियों द्वारा संसाधन। सम्पन्न गहरे समुद्री मात्स्यिकी जलयानों का अधिग्रहण ।

(2) गहरे समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण में संयुक्त उद्यम, विदेशी मात्स्यिकी जलयानों की पट्टेदारी और परीक्षण मात्स्यिकी पर नई नीतियों की घोषणा कर दी गई है।

(3) स्वदेश में निर्मित गहरे समुद्री मात्स्यिकी जलयानों की लागत पर 33% सब्सिडी का प्रावधान ।

(4) शिपिंग क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया द्वारा आसान शर्तों पर ऋण सुविधा का प्रावधान ।

(5) मात्स्यिकी स्रोतों का व्यवस्थित और गहन सर्वेक्षण तथा गहरे समुद्री मात्स्यकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण ।

(6) गहरे समुद्री मात्स्यिकी परियोजनाओं में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इक्विटी भागीदारी ।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर डीजल तेल की आपूर्ति ।

(8) झींगा मछली अण्डज उत्पत्ती शाला (हेचरि) की स्थापना के लिए सब्सिडी ।

(9) इन्डिविड्यूअलि क्विक फ्रिजिंग मशीन/सहायक उपकरणों की प्राप्ति के लिये सब्सिडी ।

(10) प्रशीतित समुद्री उत्पादों की ढुलाई के लिये रेफ्रीजेरेटिड ट्रक प्राप्त करनेहेतु समुद्री खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण यूनिटों को सब्सिडी ।

(11) संयंत्र के अन्दर प्रयोग के लिये अपेक्षित अच्छी क्वालीटी की बर्फ के उत्पादन हेतु मशीनरी संस्थापित करने के लिए सब्सिडी ।

(12) परिष्कृत किस्म की प्लेट फ्रीजर के खरीदने लिये सब्सिडी।

(13) कमी वाले शीत भण्डार के उन्नयन के लिये सब्सिडी ।

(14) जेनरेटर सेट खरीदने के लिए सब्सिडी ।

(15) छोटी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये सब्सिडी ।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान के लिये मार्गनिदेश/अनुदेश

1999. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान के लिए सरकारी विभागों को मार्गनिदेश और अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सभी सरकारी विभागों का इन मार्गनिदेशों/अनुदेशों का वास्तव में पालन किया जा रहा है;

(ग) प्रधान मंत्री को पिछले 14 महीनों में कितने पत्र प्राप्त हुए;

(घ) इस समय कितने पत्र लम्बित पड़े हुए हैं और उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष पत्रों में शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए मूल मार्गनिदेश केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में दिए गए हैं। इनमें ये अनुदेश भी शामिल हैं कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पत्र का उत्तर 15 दिन के भीतर देना अपेक्षित होता है; जिन मामलों में अन्तिम उत्तर भेजने में विलम्ब की संभावना हो; अथवा पत्र से संबंधित मन्त्रालय से भिन्न कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जानी होनी है तो उसके बारे में अन्तरिम उत्तर 15 दिन के भीतर भेज दिया जाना चाहिए जिसमें अन्तिम उत्तर भेजने की संभावित तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि पत्र मंत्री के नाम भेजा गया हो तो उसका उत्तर यथासंभव स्वयं मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। इन अनुदेशों का सामान्य रूप से पालन किया जा रहा है।

(ग) 1 अप्रैल, 1990 से 31 जुलाई, 1991 के बीच संसद सदस्यों से प्रधान मंत्री के कार्यालय में लगभग 10,700 पत्र प्राप्त हुए।

(घ) और (ङ) ये पत्र विभिन्न मुद्दों से संबंधित होते हैं, जिन पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, इनमें से काफी मात्रा में ऐसे पत्र भी होते हैं जो राज्य सरकारों के विषयों से संबंधित होते हैं। संबंधित मंत्रालय/विभाग, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों से संगत सामग्री एकत्रित करते हैं और उन पत्रों के लिए समुचित उत्तर तैयार करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद सदस्यों को भेजे गए उत्तरों का केन्द्रीयकृत विवरण तैयार करने की कोई पद्धति नहीं है।

चूंकि पत्रों का उत्तर देने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित की जानी होती है इसलिए अन्तिम उत्तर भेजने में काफी समय लग जाता है। ऐसे मामलों में सदस्यों को अन्तरिम उत्तर भेजा जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि सूचना एकत्रित हो जाने के पश्चात् समुचित उत्तर भेजा जाएगा। मंत्रालय/विभाग संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों और उनको भेजे गए उत्तरों के बारे में पाक्षिक विवरण तैयार करते हैं।

उड़ीसा के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृति देना

2000. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास नए उद्योगों के पंजीकरण के बारे में उड़ीसा सरकार के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें इस प्रकार की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) इस समय नये औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन के लिए उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है। नयी औद्योगिक नीति के अनुसार, लाइसेंसीकरण से मुक्त/छूट प्राप्त उद्योग/डी०जी०टी०डी० पंजीकरण योजनाएं समाप्त हो गयी हैं।

मारुति वाहनों का निर्यात

[हिन्दी]

2001. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड के वाहन कितने देशों को निर्यात किये जा रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान निर्यात किये गये वाहनों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ग) क्या सरकार का विचार मारुति वाहनों का अन्य कई देशों को भी निर्यात करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) मारुति वाहनों का निर्यात 36 देशों को किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1990-91 में मारुति उद्योग लिमिटेड ने निर्यात से 18.17 मिलियन अमरीकी डालर अर्जित किए।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न भंडार

2002. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में खाद्यान्नों का कुल कितना भंडार है ;

(ख) क्या देश की मांग के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या खाद्यान्नों का आयात किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना और किस दर से ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) सरकारी एजेन्सियों के पास पहली जुलाई, 1991 को स्थिति के अनुसार लगभग 21 मिलियन मी० टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान था। इसमें वह स्टाक भी शामिल है जो कि राज्य सरकारों के पास पड़ा हुआ सूचित किया गया है।

(ख) किसी समय विशेष में खाद्यान्नों की मांग जनसंख्या के स्वरूप, उत्पादन, उपलब्धता, आय वितरण, मूल्यों, उपभोग संबंधी आदतों, वैकल्पिक खाद्यान्नों की उपलब्धता, आदि पर निर्भर करती है।

कुल मिलाकर खाद्यान्नों की आन्तरिक मांग को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) फिलहाल खाद्यान्नों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

2003. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार रोजगार सृजन हेतु किस प्रकार के लघु, मध्य और बड़े कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है :

(ख) प्रत्येक वर्ष लगभग कितने रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है; और

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनकी स्थापना पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में की जा सकती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) सरकार के पास किसी राज्य में सीधे ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, योजना स्कीमें बनायी गयी हैं जिनके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) खुमी की खेती व प्रसंस्करण, फल व सब्जी प्रसंस्करण, मांस मुरगा-मुरगी व सूअर-मांस प्रसंस्करण जैसे उद्योगों और सिंगल हलर राइस मिलों के आधुनिकीकरण का पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए पता लगाया गया है।

गुरु जल की मांग

2004. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिये संयंत्र-वार गुरु जल की वर्तमान वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) क्या उड़ीसा में तालचेर गुरु जल संयंत्र अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले प्रत्येक दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर के लिए प्रारम्भ में औसतन लगभग 250 मीटरी टन भारी पानी के भंडार और खर्च हुए पानी की पूर्ति के लिए एक वर्ष में 12 मीटरी टन भारी पानी की आवश्यकता होती है।

(ख) तलचर स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र इस समय काम कर रहा है और उर्वरक संयंत्र जिसके साथ यह संयंत्र जुड़ा हुआ है, से मिलने वाले निवेश की मात्रा उपलब्ध होने के आधार पर भारी पानी का उत्पादन कर रहा है। तथापि, भारतीय उर्वरक निगम से निवेश की आपूर्ति बहुत कम और प्रायः रुक-रुक कर होने तथा बिजली की सप्लाई में होने वाले व्यवधानों की वजह से इस संयंत्र को नियमित रूप से चलाया जाना संभव नहीं रहा।

कर्नाटक में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या

2005. श्रीमती बासवराजेश्वरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में कितने प्रतिशत जन संख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है ;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में यह प्रतिशत कितना अधिक है ;

(ग) क्या उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है ;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में संघ सरकार को कुछ उपाय करने के लिए प्रस्ताव मांगा है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान उनको कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) घरेलू उपभोग व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए 43वें दौर (1987-88) के सर्वेक्षण के आधार पर कर्नाटक में 32.1 प्रतिशत जनसंख्या के गरीबी की रेखा से नीचे रहने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) कर्नाटक में गरीबी अनुपात 17 प्रमुख राज्यों में से 11 राज्यों की तुलना में अधिक है ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने तीन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) को शुरु किया था जिन्हें सातवीं योजना के दौरान भी जारी रखा गया था। वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) को मिलाकर एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया जिसे जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के नाम से जाना जाता है ।

वर्ष 1989 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) भी शुरू की गई ।

इसके अलावा, कृषि उद्योग तथा सिंचाई जैसे अन्य सैक्टरों में विकास कार्यक्रमों के लाभ भी गरीबी से नीचे की जनसंख्या को प्राप्त हुए हैं।

(घ) इस प्रकार के कोई प्रस्ताव योजना आयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

संस्कृत समाचार बुलेटिनों का दूरदर्शन से प्रसारण

[हिन्दी]

2006. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री फूल चन्द वर्मा : } क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन से संस्कृत समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किया जाना

2007. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 (2)(क), (ख) और (ग) जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बिना कारण बताये अथवा अपनी रक्षा के लिये कोई अवसर दिए बिना मनमाने ढंग से बर्खास्त करने का प्रावधान है, को समाप्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 311(2) की धारा (क), (ख) तथा (ग) आपवादिक मामलों के निपटने के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने भी यह माना है कि अनुच्छेद 310 तथा 311 लोक नीति पर आधारित हैं तथा लोकहित में और लोक कल्याण के लिए हैं।

भारत-स्वीडन सहयोग

2008. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्वीडन ने नये क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और मध्यम तथा लघु उद्योगों को सहयोग के परिप्रेक्ष्य में लाने के लिये दोनों देशों के बीच के सहयोग में और वृद्धि करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) स्वीडन और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर हुई द्विपक्षीय बातचीत में जोर दिया गया है। हाल ही में स्टॉकहोम में भारत–स्वीडन संयुक्त व्यापार परिषद् की 13 जून, 1991 को हुई बैठक के दौरान विशेषकर औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर एक बार फिर जोर दिया गया था। दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि भारत को विशेषकर लघु और मझौले उद्योगों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। जिन मदों के बारे में यह पता लगाया गया है कि इनमें सहयोग की अच्छी सम्भावना है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

ऊर्जा से सम्बद्ध उपकरण।
वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण।
पावर जेनेरेशन, ट्रांसमीशन और डिस्ट्रिब्यूशन।
औद्योगिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन के लिये इन्स्ट्रूमेंट्स और इलैक्ट्रानिक प्रणाली।
बहिस्राव उपचार संयंत्र।
परिवहन।
मटीरियल हैंडलिंग उपकरण।
मशीनी औजार।
वैकल्पिक ऊर्जा उपकरण।
खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग।
पोत निर्माण और बन्दरगाह का रख-रखाव।
एविट्रॉनिक्स और नेविगेशन।
चिकित्सा उपकरण ; स्वास्थ्य की देखभाल करने सम्बन्धी उपकरण।
खनन और उत्खनन।
तेल और प्राकृतिक गैस।
प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट।
फाइबर ग्लास उत्पादों के लिये मशीनें।
ऑटोमेटिक प्लास्टिक वेल्डिंग मशीनें।
छपाई और क्वालिटी मशीनें।

सिविल इंजीनियरी और निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारतीय और स्वीडन दोनों पक्षों ने तीसरे देश के सहयोगों की भी सम्भावनाएं महसूस की है।

समुद्री सम्पदा की खोज का प्रस्ताव

2009. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रचुर समुद्री सम्पदा की खोज करने का कोई ठोस प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या सरकार की योजना इन परियोजनाओं को गैर-सरकारी कम्पनियों को देने की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी **ब्यौरा क्या** है ?

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) निम्नलिखित विभाग/एजेंसियां, समुद्री सम्पदा से सम्बन्धित परियोजनाएं चलाती हैं :—

1. महासागर विकास विभाग (म० वि० वि०) :

1. बहुधात्विक पिण्डिकाएं :

यह विभाग मध्य हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के लिये विरचन आयोग द्वारा आवंटित अग्रणी क्षेत्र में बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोवा के माध्यम से एक कार्यक्रम को पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। अनुमान है कि 1,50,000 वर्ग कि०मी० के इस क्षेत्र में 3,800 लाख टन पिण्डिकाएं हैं जिनमें लगभग 730 लाख टन मैंगनीज, 32 लाख टन निकल, 30 लाख टन तांबा और 5 लाख टन कोबाल्ट है। बहुधात्विक पिण्डिक कार्यक्रम अनुसंधान और विकास के चरण में है तथा सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की सहायता से किया जाता है। निष्कर्षण धातुकर्म पर भी अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है जो क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (उदयपुर) और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (जमशेदपुर) की सहायता से किया जा रहा है। केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (दुर्गापुर) द्वारा परीक्षण खनन प्रणाली के विकास के लिये एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के अतिरिक्त, महासागर विकास विभाग, तरंगों से ऊर्जा की प्राप्ति के लिये एक परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के माध्यम से चला रहा है।

2. तरंगों से बिजली :

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के द्वारा विझिंजम केरल में 150 किलोवाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली तरंग विद्युत उत्पादन प्रणाली के एक आदिप्ररूप का निर्माण किया जा रहा है।

3. समुद्री जल से उच्च गुणवत्ता वाला पोटाशियम क्लोराइड :

केन्द्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान और हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के माध्यम से समुद्री जल से उच्च गुणवत्ता वाले पोटाशियम क्लोराइड के निष्कर्षण पर एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

4. मत्स्य संसाधन :

इस विभाग के मत्स्य एवं समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान, सागर सम्पदा का प्रयोग कर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सजीव संसाधनों के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। किए गए अध्ययनों से अनन्य आर्थिक क्षेत्र के चुनिन्दा क्षेत्रों में थ्रेडफिन ब्रीम, रिबन फिश, लिजार्ड फिश और गहरे समुद्री झींगा के मत्स्यन क्षेत्रों का प्रचुर मात्रा में पता चला है।

(2) **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण** :

यह देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण के लिए समुद्र संस्तर सर्वेक्षण कर रहा है। लगभग 62 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए समुद्र संस्तर सर्वेक्षण से पता चला है कि :—

1. गोपालपुर, उड़ीसा, कलिंगपत्तनम, आन्ध्र प्रदेश और क्विलन वर्कला व मुत्तम, केरल के शेल्फ प्रक्षेत्र के समीप मल्टी प्लेसर बालू (इल्मेनाइट, रुटाइल, जिरकॉन मोनाजाइट) के विस्तृत टुकड़े पाए गए हैं।

2. महाराष्ट्र तट पर इल्मेनाइट बालू के प्रचुर सान्द्रणों को अंकित किया गया।

3. पेंटाकोंटा, आन्ध्र प्रदेश तट पर अच्छी किस्म की लाइम मड (चूना पंक) को अंकित किया गया।

4. लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों के लगूनों और उथले क्षेत्रों में लगभग 283 मिलियन टन शुद्ध कैल्सियमी बालू पाई गई।

(3) **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** :

यह मन्त्रालय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों की सम्भावना का पता लगा रहा है।

(4) **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०)** :

यह परिषद् देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सजीव संसाधनों के भण्डारों के मूल्यांकन विषयक अनुसंधान में लगी हुई है। अभी तक किए गए अध्ययनों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले हैं :—

1. अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों की अनुमानित संभावित मात्रा 3.9 मिलियन टन है इसमें से उप तट क्षेत्र में 2.21 मिलियन टन और 1.69 मिलियन टन अप तट क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर पाई जाती है।

2. तलमज्जी संसाधन 50 मीटर तक 1.04 मिलियन टन और 50 मीटर से दूर 0.65 मिलियन टन होने का अनुमान है।

3. पेलाजी संसाधन 50 मीटर की गहराई तक 1.17 मिलियन टन और इससे अधिक गहराई में 0.74 मिलियन टन होने का अनुमान है।

4. सामुद्रिक संसाधनों में ट्यूना, चैलोफिश, विग आई, स्किपजैक, शार्कस और बिल मछलियां प्रमुख हैं। उनका भण्डार 0.3 मिलियन टन होने की सम्भावना है।

(ग) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर में पैट्रोलियम।

(घ) हाइड्रोकार्बनों के केवल अन्वेषण के लिए भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय किया है ।

गढ़वाल के जिलों में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या

2012. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में गढ़वाल के जिलों में आर्थिक पिछड़ेपन और अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिय योजना आयोग के अन्तर्गत एक उप-समिति गठित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज)

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों जैसे आई आर डी पी, जे आर वाई, नेहरु रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सहायक व्यवसायों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान किये जा रहे हैं ।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन और आकाश वाणी का प्रसारण क्षेत्र

2013. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दूरदर्शन और रेडियो के प्रसारण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी दूरदर्शन और रेडियो के प्रसारण क्षेत्र में नहीं आता है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के शेष हिस्से में प्रसारण क्षेत्र में विस्तार किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये है अथवा अगले दो वर्षों में उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस समय महाराष्ट्र की करीब 98 प्रतिशत जनसंख्या को रेडियो की तथा 74 7 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन की सेवाएं उपलब्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन सेवाओं का कवरेज करीब 97 प्रतिशत तथा 59 97 प्रतिशत बैठता है। तथापि, दूरदर्शन कवरेज के आंकड़ों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्रों के किनारे के वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां दर्शक ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाकर कार्यक्रम देख सकते है।

(ग) अम्बाजोगाई में एक उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है और खामगाव, हिंगनघाट और अकोट में एक-एक अर्थात् कुल तीन अतिरिक्त अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, अकोला, चंद्रपुर, धुले, सतारा, यवतमाल, कोल्हापुर, नासिक और उस्मानाबाद में रेडियो केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है तथा बम्बई के मौजूदा ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 50 कि० वा० करने का कार्यक्रम है।

राज्य के कवर न हुए शेष भागों में रेडियो और दूरदर्शन कवरेज का विस्तार इस प्रयोजना के लिये साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए विभिन्न चरणों में ही पूरा किया जा सकता है।

संस्कृत ग्रन्थों के पठनीय मूल पाठ का कम्प्यूटरीकरण

2014. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाभारत, कुमार संभव आदि जैसे संस्कृत ग्रन्थों के और आगे अध्ययन के लिये उनके पठनीय मूल पाठ का कोई कम्प्यूटरीकरण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे पठनीय संस्कृत के मूल पाठ का कम्प्यूटरीकरण करने की कोई योजना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये जिन संस्थानों को शामिल किये जाने की सम्भावना है उनके नाम क्या है और इस प्रकार के मूल पाठ तैयार करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) महाभारत, कुमार संभव आदि जैसे संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों को कम्प्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य कोई पाठ उपलब्ध नहीं है।

(ख) कम्प्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य संस्कृत के ऐसे पाठ तैयार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोनगढ़–डोसवाडा, सूरत में दूरदर्शन रिले केन्द्र

2015. **श्री छीतूभाई गामित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत जिले (सोनगढ़–डोसवाडा) में दूरदर्शन रिले केन्द्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन रिले केन्द्र को सही ढंग से बनाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) बताया जाता है कि सोनगढ़ का अल्पशक्ति (100 वॉट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। तथापि, बिजली फेल होने के कारण इस ट्रांसमीटर से प्रसारण में रुकावटें आई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी रुकावटें कम से कम हों, इस केन्द्र के लिये एक डीजल जेनरेटर सैट खरीद लिया गया है।

[अनुवाद]

देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण

2016. **डा० विश्वनाथम केनिथी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने संबंधी योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अबाध रूप से चल रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है और इन क्षेत्रों में दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का "यूनिवर्स केबल" दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) गत वर्षों में देश में रेडियो और दूरदर्शन कवरेज के योजनाबद्ध विस्तार के लिये बनाई गई योजनाएं कुल मिलाकर निर्धारित समय में पूरी की गई हैं लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, जिनमें वित्तीय कठिनाईयों और अन्य कारणों से उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से आकाशवाणी सेवाओं का कवरेज 0.5 प्रतिशत तथा दूरदर्शन का 57.7 प्रतिशत है। जबकि आबादी की दृष्टि से यह क्रमश: 95.7 प्रतिशत और 78.7 प्रतिशत बैठता है। चालू स्कीमों के पूरा हो जाने पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रेडियो और दूरदर्शन का कवरेज बढ़कर क्रमश: 91 प्रतिशत और 69.6 प्रतिशत तथा आबादी के रूप में क्रमश: 97.3 प्रतिशत और 84 प्रतिशत हो जाएगा। किन्तु दूरदर्शन सेवा के संबंध में कवरेज के आंकड़ों में दूरदर्शन

ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के किनारे के वे स्थान भी शामिल हैं, जहां दर्शक ऊंचे एंटीनों और बूस्टरों का इस्तेमाल करने पर ही दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं।

कवर न हुए और हल्के कवरेज वाले क्षेत्रों में रेडियो और दूरदर्शन सेवा का विस्तार इस प्रयोजन के लिये साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए केवल विभिन्न चरणों में ही किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं। फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खुले बाजार में गेहूं का विक्रय

2017. **श्री चन्दूभाई देशमुख :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत एक या दो महीनों में बढ़ी गेहूं की कीमतें कम करने के लिए और अधिक गेहूं का खुले बाजार में विक्रय करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम जब कभी आवश्यक होता है तब उपयुक्त समय और चुनिंदा स्थानों पर खुले बाजार में परिचालन करता है ताकि बाजार उपलब्धता में सुधार लाया जा सके बशर्ते कि उसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं से अधिक स्टाक उपलब्ध हो और देश की खाद्य सुरक्षा को नुकसान न पहुंचता हो। अद्यतन खुली बिक्री का कार्य अप्रैल, 1991 में पूरा कर लिया गया था और 13.81 लाख मीटरी टन गेहूं की बिक्री की गई थी।

[हिन्दी]

उद्योगविहीन जिले

2018 : **श्री विश्वेश्वर भगत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार उद्योगविहीन जिले कितने हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में बालघाट जिले के विकास के लिए स्थापित किए गए औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बालघाट जिले के विकास के लिए कोई औद्योगिक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) राज्यवार उद्योग-रहित ज़िलों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य	संख्या
1	असम	2
2	बिहार	6
3	गुजरात	1
4	हिमाचल प्रदेश	5
5	जम्मू और कश्मीर	7
6	कर्नाटक	1
7	केरल	2
8	महाराष्ट्र	1
9	मध्य प्रदेश	18
10	मणिपुर	6
11	मेघालय	4
12	नागालैंड	1
13	उड़ीसा	3
14	राजस्थान	4
15	सिक्किम	4
16	त्रिपुरा	3
17	उत्तर प्रदेश	11
18	पश्चिम बंगाल	5
19	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1
20	अरुणाचल प्रदेश	4
21	लक्षद्वीप	1
22	मिजोरम	2
23	दादर एवं नगर हवेली	1
	योग	93

(ख) से (घ) किसी विशिष्ट ज़िले/क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मूल रूप से संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार, लाइसेंसी, रियायती वित्त इत्यादि के मामले में प्राथमिकता जैसे प्रोत्साहन देकर पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने संबंधी राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। 'उद्योग रहित जिला' होने के कारण, बालाघाट जिला इन रियायतों का पात्र है। 1989–91 (जून), की अवधि के दौरान बालघाट जिले को तीन औद्योगिक पंजीकरणों की स्वीकृति दी गई।

91-M/J(D)429LSS—7

[अनुवाद]

औषधों पर आयात प्रतिबन्ध

2019. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधों के क्या नाम हैं जिन पर सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान आयात प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की थी;

(ख) इनमें से प्रत्येक सिफारिश कब की गई थी;

(ग) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने ऐसी औषधों के लिए अनुरोध किए थे;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक की लाइसेंस क्षमता और उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन औषधों के नाम क्या है जिनमें कम शुल्क के निवेशों का प्रयोग किया गया है और इन निवेशों के क्या नाम हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) :(क), (ख) और (ङ) आयात पर प्रतिबन्ध लगानें के लिए 1990-91 के दौरान अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी विभिन्न मुद्दों जैसे स्वदेशी मांग, लाइसेंस क्षमता, उत्पादन, वस्तुओं की अवतरित और स्वदेशी कीमतों आदि को ध्यान में रखते हुए जांच की गयी थी। इनमें से केवल एक मद अर्थात् एम्पीसिलिन सोडियम ऐसी मद है जिसके लिए एक्जिम नीति में परिवर्तन करते हुए आवश्यक अधिसूचना जारी की गयी है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की औषधों के आयात के लिए इस विभाग में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

चीनी की नयी मिलें और विद्यमान मिलों के विस्तार हेतु योजनाओं की पुनरीक्षा

20 20. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिलों को सक्षम बनाने के लिए चीनी की नयी मिलें लगानें और विद्यमान मिलों के विस्तार के लिए 1988 योजना की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी की नयी मिलें और विद्यमान मिलों के विस्तार के लिए लाइसेंस देने की कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

- (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) चीनी उद्योग के लिए लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की अभी सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है ।

चावल की खरीद

[हिन्दी]

2021. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार लेवी चावल की खरीद करती है;

(ख) क्या सभी राज्यों में लेवी चावल की दरें समान हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का लेवी चावल की खरीद बंद करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में आदेश कब तक जारी किए जायेंगे ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए गए सांविधिक लेवी आदेशों के अधीन खरीफ विपणन मौसम, 1990-91 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए लेवी चावल की वसूली कर रहा है :—

(1) पंजाब (2) हरियाणा (3) उत्तर प्रदेश (4) राजस्थान (5) संघ शासित प्रदेश, दिल्ली (6) संघ शासित प्रदेश, चण्डीगढ़ (7) मध्य प्रदेश, (8) महाराष्ट्र (9) आन्ध्र प्रदेश (10) कर्नाटक (11) संघ शासित प्रदेश, पांडिचेरी (12) पश्चिम बंगाल (13) उड़ीसा (14) असम

तमिलनाडु और गुजरात में राज्य सरकारों द्वारा राजकीय खाते में चावल पर लेवी एकत्रित की जाती है ।

जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

2022. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू : } क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार किन-किन जिलों को चुना गया है ;

(ख) क्या संघ सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना का विस्तार पूरे देश में करने का है, ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह पता लगाने के लिये कोई अध्ययन कराया गया है कि जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना 1-4-1989 से देश के सभी ग्रामीण जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) से (च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है, पर्यवेक्षण तथा निगरानी की एक समुचित पद्धति तैयार की गई है। चूंकि जवाहर रोजगार योजना एक नया कार्यक्रम है जोकि अप्रैल, 1989 में ही शुरू हुआ है, अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या योजना का कार्यान्वयन सही ढंग से हो रहा है, अथवा नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है।

अकोला स्थित आकाशवाणी केन्द्र

[हिन्दी]

2023. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अकोला स्थित आकाशवाणी केन्द्र ने अभी तक कार्य करना शुरु नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससे वहां आकाशवाणी केन्द्र शीघ्र चालू हो जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेडियो स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केन्द्र के नियमित परिचालन के लिये आवश्यक प्रारंभिक कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है ताकि इसका शीघ्र चालू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

समाचार पत्र का मूल्य

[अनुवाद]

2024. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छपाई के कागज के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप समाचारपत्रों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या केरल सरकार से समाचारपत्रों के उच्च मूल्यों में कमी करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :(क) जी, हाँ। यह भी एक कारण हो सकता है।

(ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

उर्वरकों के वितरण हेतु "रेक प्वाइंट्स" की स्थापना

2025. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में "रेक प्वाइंटस" की स्थापना करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार उर्वरकों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त "रैक प्वाइंटस" खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में कितने अतिरिक्त "रैक प्वाइंटस" स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) रेक प्वाइंट खोलने के लिए मूल मानदंड अर्थव्यवस्था को न्यूनतम परिवहन लागत प्रदान करना है। रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रेक प्वाइंट द्वारा लगभग 100 कि० मी० तक के भीतरी प्रदेश को सेवा प्रदान करनी चाहिए और प्रत्येक रेक प्वाइंट के लिए पर्याप्त उर्वरक का आवागमन होना चाहिए ताकि प्रत्येक सप्ताह दो या अधिक रेक प्राप्त हो सकें।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में और रेक संचालन प्वाइंट खोलने के लिए विकास कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश के दीवानगंज में स्थित यूनियलकेम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से सल्फर-डाई-आक्साइड गैस का रिसाव

2026. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भोपाल से 22 कि० मी० दूर दीवानगंज स्थित यूनियलकेम फर्टीलाइजर्स लिमिटेड से 10 दिसम्बर, 1987 से अब तक तीन से पांच बार सल्फर-डाईआक्साइड गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप भोपाल तथा रायसेन जिलों के निकट के लगभग एक दर्जन गांवों में खड़ी फसल को हुई क्षति की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्षति का आकलन करने के लिए कभी कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संयंत्र से गैस का पुनः रिसाव रोकने तथा गांव वालों की फसलों तथा जान-माल के रूप में हुई क्षति के लिये मुआवजा देने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्र

[अनुवाद]

2027. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक, कीटनाशक और सम्बद्ध रसायनों से सम्बन्धित निर्माणाधीन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक संयंत्र के लिये कुल परिव्यय कितना है, और

(ग) प्रत्येक संयंत्र के लिये कितना विदेशी ऋण लिया गया और उस पर कितना वार्षिक ब्याज देय होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) सूचना नीचे दी गयी है :—

संयंत्र का नाम	कुल परिव्यय (रु० लाखों में)	लिया गया विदेशी ऋण और ब्याज की दर
उर्वरक क्षेत्र		
1. पारादीप में पारादीप फास्फेटस परियोजना	63082	स्विस फ्रैंक. 85,96,798 9.25% की दर से ब्याज
2. थल में राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लि० (आर सी एफ) की मिथाईलामाइन परियोजना	1275	—
3. थल में आर सी एफ की डाईमिथाईल फोर्मामाइड परियोजना	988	—
4. ट्राम्बे में आर सी एफ की मेथानोल पुनरुद्धार परियोजना	1822	आर सी एफ ने आई डी बी आई के साथ ऋण का करार किया और प्रत्यक्ष विदेशी ऋण अन्तर्ग्रस्त नहीं है । आई डी बी आई के ऋण पर ब्याज भारतीय रुपये में देय है ।
कीटनाशी क्षेत्र		
5. रसायनी में मोनोक्रोटोफास के उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लि० की परियोजना	445.40	—
6. उद्योगमण्डल में इण्डोसल्फान टेक्निकल के उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लि० का परियोजन	2498	—

हैदराबाद में इलेक्ट्रोनिक्स और दूर संचार विचार गोष्ठी

2028. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में वर्ष 1991 के दौरान कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी आयोजित होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस विचार गोष्ठी में कौन-कौन से देश भाग लेंगे ; और

(घ) इस मेले के आयोजन में कितना धन खर्च होगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 1991 के दौरान हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार पर कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सेमिनार आयोजित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, कुछ गैर-सरकारी आयोजनकर्ताओं ने इस प्रकार के एक सेमिनार प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 11 जुलाई से 14 जुलाई, 1991 तक हैदराबाद में करने का प्रस्ताव किया था लेकिन वह भी आयोजित नहीं हुई।

(ग) इस सेमिनार में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैण्ड, स्विटजरलैंड, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन, ताईवान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के भाग लेने की आशा है।

(घ) इस सेमिनार के आयोजनकर्ताओं ने इसके आयोजन की जो योजना बनाई थी उसमें आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ अन्तर्निहित नहीं था और इसके लिए 10 लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था।

वीडियो कैसेटों का प्रमाणीकरण

2030. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीडियो कैसेटों के परिचालन के लिये अधिनियम के अन्तर्गत सेंसर प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है ;

(ख) क्या सभी परिचालित वीडियो कैसेटों के परिचालन से पहले ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सेलुलाएड या वीडियो, फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये, चाहे इन दोनों में कोई भी हो, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है।

(ख) और (ग) इतने विशाल देश में यह सूचना इकट्ठा करना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता कि क्या सभी प्रचालित वीडियो कैसेटों के लिये सेंसर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है या नहीं। तथापि, विभिन्न स्थानों से ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि वीडियो पारलरों में अप्रमाणित वीडियो फिल्में दिखायी जा रही हैं और लाइब्रेरियों द्वारा ये किराये पर भी दी जा रही हैं। प्रमाणन के पश्चात्, फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से सम्बन्धित चलचित्र अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और उनके उल्लंघन की सूरत में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है। अतः उन्हें अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये समय-समय पर कहा जाता रहा है।

"इलेक्ट्रा वैन" का विकास

2031. **श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने "इलेक्ट्रा वैन" नाम से एक बैटरी चालित वाहन विकसित किया है जो आवाज-मुक्त है और जिसमें पैट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वाहन की गति कितनी है और इसके निर्माण पर कितनी लागत आयी है ; और

(ग) क्या इन वाहनों को वाणिज्यिक आधार पर सड़क पर चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) "इलेक्ट्रा वैन" 40 किलो मीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है और इसकी परिचालन लागत 85 पैसे प्रति किलोमीटर है।

(ग) इस समय 146 वाहन सफलतापूर्वक चल रहे हैं तथा इन वाहनों की बिक्री के संवर्धन हेतु सरकार प्रति वाहन 1 लाख रुपये का नकद अनुदान दे रही है।

तेलुगु कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु विदेश सेवा प्रभाग

2032. **श्री जे० चोक्का राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलुगु कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये आकाशवाणी में कोई बाह्य सेवा प्रभाग है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय उक्त कार्यक्रम सर्किट प्रदान किया गया है ;

(ग) क्या अन्य देशों से तेलुगु बाह्य सेवा सर्किट का कोई अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उन्हें उक्त सर्किट प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) तेलुगु कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित किए जाते हैं ।

(ख) तेलुगु सेवा के अन्तर्गत पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को कवर किया जाता है, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाइलैंड, फिलीपीन्स, वियतनाम, कम्पूचिया, लाओस, हांगकांग तथा बर्मा आते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत रियायती चावल

2033. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत रियायती चावल की योजना कब शुरू की गई थी ;

(ख) असम में करबी अंगलांग और एन० सी० हिल्स जिलों में इस योजना को कब शुरू किया गया था ;

(ग) क्या सरकार का योजना शुरू करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके लिये मुआवजा देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों के निवासियों को विशेष रूप में राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की योजना की नवम्बर, 1985 में घोषणा की गई थी और उसे दिसम्बर, 1985 से कार्यान्वित किया गया था ।

(ख) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम को अप्रैल, 1990 में असम के करबी अंगलांग और उत्तरी कछार के पहाड़ी जिलों में भी लागू किया गया था ।

(ग) और (घ) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना में उपर्युक्त जिलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को सरकार द्वारा 29-3-90 को स्वीकृति प्रदान की गई थी । चूंकि यह योजना इन इलाकों में भी लागू कर दी गई थी, इसलिये कोई मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी केन्द्र, दिफू

2034. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र दिफू (असम) के निर्माण और उसे चालू किये जाने की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस केन्द्र के निर्माण और उसे चालू किये जाने में देरी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस देरी से इस परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हो गई है ; और

(ङ) सरकार इस केन्द्र के शीघ्र निर्माण और उसे चालू किये जाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दीफू में आकाशवाणी भवन का सिविल निर्माण कार्य और बिजली का काम चल रहा है।

(ख) और (ग) परियोजना स्थल तक पक्की सड़क के न होने, परियोजना स्थल के कुछ हिस्से पर अनधिकृत कब्जा होने और क्षेत्र में अशान्ति जैसे कारणों से इस परियोजना की स्थापना में विलम्ब हुआ है।

(घ) और (ङ) इस परियोजना को 26 मई, 1986 को अनुमोदित 120.00 लाख रुपये के पूंजी परिव्यय के अन्दर-अन्दर पूरा करने की योजना है। सरकार ने इस परियोजना की शीघ्र स्थापना को उचित प्राथमिकता दी है।

[हिन्दी]

गन्दी बस्तियों के निवासियों को राशन कार्ड जारी करने पर प्रतिबन्ध

2035. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों को नये राशन कार्ड जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्दी बस्तियों के निवासियों को नये राशन कार्ड देने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) जी नहीं। दिल्ली के सभी वास्तविक निवासियों को, चाहे वे गन्दी बस्तियों में रहते हों या किन्हीं अन्य स्थानों में, राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, बशर्ते कि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। इन शर्तों में ये शामिल हैं कि आवेदक पक्के घर में रहता हो ; आवेदक आवेदन में दिए गए पते पर वास्तविक रूप में रहता हो तथा गैर-कानूनी कब्जे का कोई सबूत न हो।

दिल्ली प्रशासन ने एक बार के कार्य के रूप में 31-1-90 तक बनी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को स्थायी राशन कार्ड जारी करने के लिए 1990 में झुग्गी-झोंपड़ी समूहों का एक सर्वेक्षण किया था। तथापि, 31-1-1990 के बाद बनी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को राशन कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रमिकों को राशन कार्ड

2036. **श्री कालका दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में दुकानों पर रेहड़ी चलाने का काम करने वाले श्रमिकों को राशन कार्ड जारी नहीं किये गये हैं, यद्यपि वे दिल्ली में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली प्रशासन की इन श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने संबंधी योजना क्या है और उन्हें राशन कार्ड कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) राशन कार्ड व्यक्ति के व्यवसाय की कोटि के आधार पर नहीं, बल्कि दिल्ली के वास्तविक निवासियों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित पात्रता के मानदण्ड के अनुसार जारी किए जाते हैं।

यदि आवेदक राशन कार्ड लौटाने/नाम हटाने के प्रमाण पत्र के साथ दस्तावेजी सबूत पेश करता है तो स्थायी राशन कार्ड अविलम्ब जारी किया जा सकता है। तथापि, जहां आवेदन पत्र के साथ ऐसी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती वहां राशन कार्ड निवास संबंधी तथ्य के सत्यापन आदि के बाद जारी किया जाता है। स्थायी राशन कार्ड प्राप्त करने की शर्तों में ये मापदण्ड शामिल हैं कि आवेदक पक्के मकान में तथा दिए गए पते पर वास्तव में रहता हो और अवैध कब्जे का कोई सबूत हो।

केरल में औद्योगिक विकास केन्द्र

2037. **श्री कोड्डी कुनील सुरेश :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) :(क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के अधीन, प्रत्येक विकास केन्द्र का 25 से 30 करोड़ रु० की लागत से विकास किया जाएगा, जिसमें केन्द्र का योगदान 10 करोड़ रु० का होगा। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सलाह दी है कि वे भारत सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन किए जाने तक चुनिंदा विकास केन्द्रों पर किसी प्रकार का व्यय न करें। केरल सरकार ने, उनको आवंटित दो विकास केन्द्रों संबंधी परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत उद्योग

[हिन्दी]

2038. **श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्गीकृत उद्योग घोषित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने तथा इस संबंध में किसानों को शिक्षा देने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों के प्रव्रजन को रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दुग्ध आहार, माल्टेड आहार और आटे के अलावा लघु सैक्टर के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र माना गया है।

(ख) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास किसी भी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इस मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास तथा खाद्य प्रसंस्करण में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों आदि को सहायता दी जाती है।

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना पर खर्च की गई धनराशि

2039. **श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जयपुर दूरदर्शन केन्द्र सहित अन्य दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने में कितनी धनराशि खर्च की गई और चालू वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

की मोटाई वाले जल पम्पों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है तथा बी०एच०एन० 250 से 300 में परिवर्तन करने के लिए निवेदन किया। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने परामर्शदाताओं से स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात् परिवर्तन की मंजूरी दे दी है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 1,29,906.76 रु० की कीमतों में कमी हुई है।

(3) प्लग वाल्व हेतु मूल रूप से स्वीकृत बनावट डेजूरिक वाल्व की थी। डेजूरिक वाल्वों की तकनीकी खराबी के कारण सफल बोली लगाने वालों के अनुरोध पर, नमूने को बदलकर आडको वाल्व कर दिया गया। डेजूरिक वाल्वों की 7[illegible],451/- रु० की तुलना में आडको वाल्व की कीमत 1,53,959/- रु० थी। बदलाव के समय सहमति देते हुए एन०एल०सी० द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी कि आडको वाल्व की अतिरिक्त कीमत के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) अन्य परिवर्तन, जो किए गए, वे निम्नलिखित कार्यों के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित थे: सिविल कार्य, निर्माण कीमत तथा उपकरणों की आपूर्ति। प्रारम्भ में "सिविल कार्य" जिसके लिए सफल बोली लगाने वालों ने 58 लाख रु० की एकमुश्त राशि की बोली लगाई थी, उसमें पाइप ब्रिजों की आपूर्ति तथा ढांचेदार स्टील में पाइप सपोर्ट, पाइप पुलों का पिलाई (ग्राउटिंग) तथा निर्माण कार्य शामिल है। किन्तु बाद में पाइप पुलों का पिलाई तथा उत्थापन तथा पाइप सपोर्टों का कार्य "सिविल कार्य" से स्थानान्तरित कर "उपकरण आपूर्ति" तथा "उत्थापन" को सौंप दिया गया। जिसके फलस्वरूप "सिविल कार्य" के अन्तर्गत कीमतों को 28.60 लाख रु० तक घट गई तथा इसमें "उपकरणों की आपूर्ति" (रु० 23 लाख) तथा उत्थापन (रुपये 5.60 लाख) को पुन: आवंटित कर दिया गया। यह सामान्यत: कीमतों का आवंटन था और इससे करार की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(5) सफल बोली लगाने वालों द्वारा बी० एच० एन० के जल पम्पों तथा कुछ पुर्जों की सख्त कड़ाई में कमी करने के लिए 1.30 लाख रु० की कमी करने की पेशकश की गई।

(ग) राख संचालन संविदाओं को दिए जाने के फलस्वरूप एन० एल० सी० को कोई घाटा नहीं हुआ।

(घ) चूंकि कारपोरेशन द्वारा कोई घाटा नहीं उठाना पड़ा, अत: प्रश्न ही नहीं उठता है।

मद्रास और नेवेली के बीच वायुदूत सेवा

1849. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और नेवेली के बीच चलने वाली वायुदूत सेवा को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा को कब से पुन: चालू किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं, और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार का अब ऐसा करने का विचार है तथा लोगों को देर से ही सही राहत उपाय उपलब्ध कराने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) भोपाल के बुरी तरह से प्रभावित 36 वार्डों को दुर्घटना के समय रिहायश के आधार पर उचित जांच के बाद प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 200/- रुपये की अंतरिम सहायता दी जा रही है। इस योजना को और क्षेत्रों तक बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के गांवों में भूमि की चकबन्दी

[हिन्दी]

2042. **श्री सज्जन कुमार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने गांवों में भूमि की चकबंदी हो गई है और जिन गांवों में अभी चकबंदी करनी है उनका ब्यौरा क्या है,

(ख) ऐसे गांवों में भूमि की चकबंदी करने हेतु सरकार ने क्या योजना तैयार की है, और

(ग) यह चकबंदी कब तक किये जाने सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) 234 गांवों में भूमि की चकबंदी का कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 1986 में किसी समय यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली के उन 82 गांवों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जिनका सन् 2001 तक शहरीकरण होने की आशा नहीं थी, में यह कार्य आरम्भ किया जाए। 20 गांवों में जोतों की चकबंदी का कार्य चल रहा है और 64 गांवों में चकबंदी का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। दो गांव (दियौन कलां तथा पंजाब खोर) अधिसूचना से निकाल दिये गये हैं।

(ख) और (ग) चकबंदी कार्य को प्रत्येक वर्ष 15 गांवों में पूरा किये जाने की योजना है और इस कार्य को 5 से 8 वर्ष की समयावधि में पूरा करने का प्रस्ताव है।

विवरण

उन गांवों के नाम जिनका सन् 2001 तक शहरीकरण होने की आशा नहीं है

क्रम सं०	गांव का नाम	क्रम सं०	गांव का नाम
1	अकबरपुर माजरा	5	भोरगढ़
2	अलीपुर	6	बुढ़पुर-बीजापुर
3	बक्करवाला	7	बटेसर
4	बामनोली	8	गढ़ईपुर

क्रम सं०	गांव का नाम	क्रम सं०	गांव का नाम
9	हरेवली	46	खामपुर (अलीपुर)
10	हिरण कूदना	47	खेड़ा कलां
11	इब्राहिमपुर	48	लामपुर
12	झंगोला	49	मोहम्मद पुर रामोनपुर
13	कंझावला	50	मुखमेल पुर
14	किराड़ी सुलेमान नगर	51	मंगेशपुर
15	लाडपुर	52	मदनपुर डबास
16	नांगली पूना	53	नंगल ठकरान
17	नानक हेड़ी	54	ओछंदी
18	पुल पहलाद	55	पल्ला
19	पंजाब खोर	56	पूठ खुर्द
20	कुतबपुर	57	कौडीपुर
21	राधोपुर	58	कमरुद्दीननगर
22	सुल्तानपुर डबास	59	कुतबगढ़
23	मनवाड़ी	60	रसूलपुर
24	ताजपुर कलां	61	रजोकड़ी
25	सुंगेरपुर	62	रानी खेड़ा
26	बार मगाव	63	रोशनपुरा
27	बाकोली	64	समालका
28	बकनेर	65	शाहपुर गढ़ी
29	बापरोला	66	सिंधु
30	बवाना	67	सिघोला
31	बजीतपुर ठाकरा	68	सुरेशपुर
32	बुढपुर	69	सुरेरा
33	छतरपुर	70	ताजपुर खुर्द
34	चांदपुर	71	टीगीपुर
35	दरियापुर कलां	72	टीकरी खुर्द
36	गढ़ी रिंधोला	73	जफरपुर कलां
37	घिटोरनी	74	तिलंगपुर कोटला
38	घोघा	75	मावदा
39	हमीदपुर	76	आया नगर
40	होलम्बी	77	बख्तावरपुर
41	जटखोर	78	जिवपुर
42	झरोडा माजरा बुराड़ी	79	गिडवाला खुर्द
43	झरोडा कलां	80	निलोठी
44	कैर	81	रनहौला
45	कटेवड़ा	82	दिचाऊ कलां

विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों को केन्द्रीय सहायता

2043. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाएं और विकास योजनाएं, जिन्हें वर्ष 1989-90 में पूरा हो जाना था, पूरी नहीं हो पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :

(क) और (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर प्रत्येक 20 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं में से, जो कि 1989-90 में सरकार की स्वीकृति के अनुसार पूरी होनी थी; 57 परियोजनाए विभिन्न कारणों से अभी पूरी होनी हैं; इन कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ उपस्कर प्राप्ति में विलम्ब, वन निकासी, भूमि अधिग्रहण, ठेकेदारों द्वारा विलम्ब, निधि अभाव, कानून और व्यवस्था की समस्या आदि शामिल हैं। कोई भी परियोजना केवल धनाभाव के कारण विलम्बित नहीं हुई है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन कर रहा है और परियोजनाओं के समयबद्ध पूरा करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उचित सामयिक कार्रवाई के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाल रहा है।

अरावली पर्वत विकास परियोजना

2044. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने "अरावली पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" परियोजना की रूपरेखा तैयार की है और उसे योजना आयोग को पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दी है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं कब तक पूरी की जानी थीं और उन्हें पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और व्यय

[अनुवाद]

2046. **श्री छेदी पासवान :** क्या **योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य श्रौर संघ क्षेत्र में गत दस वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति श्राय श्रौर व्यय क्या था ;

(ख) क्या बिहार में प्रति व्यक्ति श्राय श्रौर व्यय राष्ट्रीय श्रौसत से कम है ; श्रौर

(ग) यदि हां, तो बिहार में प्रति व्यक्ति श्राय श्रौर व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति श्राय सम्बन्धी सूचना विवरण-1 में दी गई है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा घरेलू खपत व्यय श्रांकड़े पंचवर्षीय सर्वेक्षण में एकत्र किए जाते हैं । 1986-87 के बाद से ऐसे श्रांकड़े विरल प्रतिदर्श को श्रपनाते हुए प्रति वर्ष भी एकत्र किए जाते हैं । राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये वर्ष 1977-78, 1983, 1986–87, 1987–88 तथा 1988–89 में प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोक्ता व्यय (30 दिन के लिए) संबंधी सूचना विवरण–2 में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बिहार राज्य, राज्य की प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि के लिये विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है । योजनाश्रों में, श्राधारित संरचना, उद्योग कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य श्रादि के विकास के लिये श्रौर सीधे रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये भी निवेश/परिव्यय शामिल है ।

विवरण–I

1980-81 से 1990-91 तक की चालू कीमतों पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89 (पी)	1989 90 (क्यू)	1990–91 (क्यू)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	1380	1651	1756	2046	2086	2296	2394	2839	3211	3364	–
2	अरुणाचल प्रदेश	1561	2011	2240	2455	2793	3271	3579	3679	4236	4176	–
3	असम	1200	1474	1641	1777	2182	2313	2420	2589	2772	3178	–
4	बिहार	878	989	1082	1242	1469	1558	1744	1846	2111	2122	–
5	गोवा	3145	3365	4003	4127	4931	4927	5702	6209	6619	6939	–
6	गुजरात	1951	2390	2484	3162	3233	3077	3525	3509	4893	5404	–
7	हरियाणा	2370	2664	2967	3133	3325	3849	3950	4312	5537	6265	–
8	हिमाचल प्रदेश	1698	1948	2025	2264	2283	2630	2848	3122	3622	4005	–
9	जम्मू व कश्मीर*	1455	1568	1719	1979	2111	2270	2344	–	–	–	–
10	कर्नाटक	1596	1790	1926	2285	2508	2564	2900	3254	3787	4075	–
11	केरल	1494	1559	1782	2050	2238	2328	2603	2828	3076	3389	–
12	मध्य प्रदेश*	1183	1281	1432	1746	1675	1931	1973	2433	2772	2878	–
13	महाराष्ट्र	2427	2669	2813	3185	3403	3835	3990	4558	5363	6184	–
14	मणिपुर	1430	1684	1742	2018	2265	2354	2611	3008	3480	3502	3548

15	मेघालय	1361	1516	1625	1831	2046	2250	2437	2893	3112	3251	–
16	मिजोरम	1289	1383	1471	1724	3139	2658	3165	4077	–	–	–
17	नागालैंड	1383	1666	1941	2251	2579	2800	3034	3361	3464	–	–
18	उड़ीसा	1231	1380	1388	1772	1707	2072	2128	2194	2793	3066	–
19	पंजाब	2675	3082	3343	3605	4028	4486	4862	5572	6274	7081	–
20	राजस्थान	1222	1392	1544	1914	1849	1978	2095	2363	3327	3595	4214
21	सिक्किम	1571	1701	1926	2136	2635	3023	3472	3886	3946	4396	–
22	तमिलनाडू	1498	1776	1777	2024	2341	2620	2851	3362	3677	3894	–
23	त्रिपुरा	1323	1390	1641	1640	1962	2108	2177	–	–	–	–
24	उत्तर प्रदेश	1286	1349	1547	1682	1812	2032	2201	2382	2744	3072	–
25	पश्चिम बंगाल	1564	1735	1860	2189	2473	2561	2803	3046	3542	3963	–
26	दिल्ली	3843	4301	4692	4720	5042	6130	7037	7788	–	–	–
27	पांडिचेरी	3038	3169	3490	3806	4147	4553	4909	5622	5734	5637	–
	अखिल भारत	1630	1856	2001	2300	2504	2726	2954	3286	3875	4252	–

क्यू—त्वरित अनुमान

पी–अनन्तिम

–: सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

*: पुरानी (1970–71) श्रृंखलाओं पर आधारित।

स्रोत: राज्य अनुमानों के लिए संबंधित राज्यों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एन०एन०पी० के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

टिप्पणी 1: उपयोग में लाई गई स्रोत सामग्री में अंतर के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आंकड़े सही अर्थ में तुलनीय नहीं है।

टिप्पणी 2: संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप इन अनुमानों को तैयार नहीं करते हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण चक्र पर आधारित 30 दिन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोक्ता व्यय
(रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	32 वां चक्र (1977-78)		38 वां चक्र (1983)		42वां चक्र* (1986-87)		43 वां चक्र = (1987-88)		44 वां चक्र* (1988-89)	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	69.66	93.22	115.40	153.48	140.93	205.20	160.13	230.28	183.14	245.25
असम	58.95	94.43	113.00	154.01	139.70	219.76	153.60	269.93	159.66	277.09
बिहार	57.45	83.14	93.75	138.53	117.44	191.82	136.57	186.48	152.89	227.87
गुजरात	70.30	100.92	122.72	163.61	152.71	212.45	161.20	240.65	171.55	268.84
हरियाणा	92.44	100.36	151.78	186.86	198.68	212.17	214.66	251.76	244.65	276.03
कर्नाटक	64.94	87.59	116.84	166.32	129.17	202.91	149.13	222.78	157.55	249.77
केरल	74.22	82.73	145.20	176.36	195.78	233.90	211.47	266.22	217.97	280.01
मध्य प्रदेश	59.93	90.91	100.52	144.87	122.00	204.61	141.98	235.98	152.89	234.34
महाराष्ट्र	76.87	110.33	110.44	184.35	136.11	243.14	160.77	279.53	171.07	311.76
उड़ीसा	52.47	86.99	98.75	151.42	114.19	216.94	127.51	225.20	147.34	256.36
पंजाब	114.39	121.66	170.52	185.20	211.66	259.55	244.19	269.95	264.71	298.50
राजस्थान	108.74	95.68	127.00	159.92	157.24	229.46	177.84	237.87	218.79	264.12

तमिलनाडु	63.33	86.14	112.23	163.74	139.97	218.46	154.29	248.79	170.73	251.34
उत्तर प्रदेश	67.34	82.50	104.49	135.48	138.77	188.41	148.67	216.73	164.73	238.22
पश्चिम बंगाल	59.27	97.13	104.59	169.95	139.02	242.62	149.87	249.45	169.98	268.67
उत्तर पूर्वी									203.02	286.89
अरुणाचल प्रदेश	72.81	147.43	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	203.72	240.38		
मणिपुर	67.55	81.45	131.50	138.25	161.99	171.74	190.65	200.31		
मेघालय	73.51	124.76	131.72	227.91	134.25	253.85	174.11	331.29		
मिजोरम	×	×	119.65	191.51	174.04	248.29	245.90	324.17		
नागालैंड	=	137.50	=	194.86	=	369.87	=	367.00		
सिक्किम	×	×	141.01	223.27	172.68	214.90	169.98	277.56		
त्रिपुरा	56.16	111.60	126.21	186.61	169.34	287.86	193.66	271.37		
ऊत्तर पश्चिमी									247.87	368.86
जम्मू व कश्मीर	72.86	88.37	129.27	155.29	172.59	225.62	204.36	270.81		
हिमाचल प्रदेश	81.39	122.97	150.81	258.62	180.70	269.55	209.61	345.70		
चण्डीगढ़	–	229.58	–	288.30	363.61	284.87	275.56	436.91		
दिल्ली	95.85	129.92	217.74	228.81	217.15	357.36	372.48	485.51		
बरौनी									227.33	247.30
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	×	×	156.24	240.70	235.62	343.45	272.33	419.69		
दादर व नगर हवेली	×	×	93.05	=	115.13	=	114.47	=		

विवरण-II--आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गोवा दमन व द्वीव	96.67	135.09	169.11	222.45	183.71	222.74	183.65	329.49		
लक्षद्वीप	×	×	उ०न०	उ०न०	206.58	244.91	262.83	228.67		
पांडिचेरी	65.20	96.61	96.01	158.62	160.72	326.85	155.62	210.46		
अखिल भारत	68.89	96.15	112.45	164.03	140.93	226.02	158.10	249.93	175.10	266.75
घरेलू सर्वेक्षण की सं०	99766	58162	75913	41983	16626*	9135*	41597	22703	15003*	9595*

टिप्पणी : * : विरल प्रतिदर्श पर आधारित।

= : केवल उपप्रतिदर्श-1 पर आधारित।

= : एन०एन०एस० के क्षेत्र के बाहर।

एन०ए० : उपलब्ध नहीं

सी : अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर।

स्रोत: (1) 32 वां दौर सर्वेक्षण खण्ड-9 सं०-3 (जनवरी, 1986) (सारणी-3, पेज एस-92 से एस-116, एस 158 से एस-184 तक)

(2) 38 वां दौर-सर्वेक्षण खंड-9, सं०-4 (अप्रैल, 1986) (सारणी-3, पेज नं० एस-12)

(3) 42 वां दौर-सर्वेक्षण खंड-12, सं०-4 (अप्रैल-जून, 1989) (सारणी-3, पेज नं०-एस-47 से एस-76, एस-152 से एस-181 तक)

(4) 43वां दौर-एन०एस०एस० रिपोर्ट सं०-372 (विवरण-2, पेज नं०-17)

(5) 44 वां दौर-सक्षण खंड-14-सं०-3 (जनवरी-मार्च, 1991) (विवरण एस-3, आर पेज नं०-6 तथा विवरण एस-3 यू पेज नं० 7 पर)

राज्यों में केन्द्रीय निवेश

[हिन्दी]

2046. श्री छेदी पासवान : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश के प्रतिशत का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या बिहार में किया गया निवेश इसकी जनसंख्या और वहां उपलब्ध खनिजों के अनुपात में कम है और

(ग) यदि हां, तो बिहार में केन्द्रीय निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :

(क) केन्द्रीय योजना निवेश राज्यों के आधार पर नहीं किया जाता है और इसलिए सही ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। तथापि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1985-86 (वास्तविक आंकड़े), 1986-87 (संशोधित) तथा 1987-88 (बजट अनुमान) के सम्बन्ध में केन्द्रीय योजना व्यय के राज्यवार ब्यौरों के अनुमानित आंकड़ों तथा उनके प्रतिशत अनुमानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह अनेक पूर्वानुमानों पर आधारित है तथा इस प्रकार संकलित आंकड़े स्थिति के केवल मात्रात्मक मूल्यांकन को दर्शाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय योजना निवेश, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण देश के लिए किया जाता है। कार्यक्रमों/परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश प्रायः ऐसे क्षेत्रों में है जहां पर अवाश्यक आर्थिक कारकों की इष्टतम उपलब्धता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं को पार कर जाती हैं (उदाहरणार्थः रेलवे लाइनें, राजमार्ग आदि)/वे राज्य विशेष तक सीमित नहीं हैं, इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलता है।

विवरण

केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा

सातवीं पंचवर्षीय योजना : 1985–86 से 1987–88

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1985–86	संशोधित अनुमान 1986–87	बजट अनुमान 1987–88	तीन वर्ष का योग
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	2105.90 (13.07)	2156.22 (11.23)	2321.37 (11.44)	6583.49 (11.84)
2	अरुणाचल प्रदेश	15.97 (0.10)	28.62 (0.15)	54.49 (0.27)	99.08 (0.18)
3	असम	713.69 (4.43)	621.80 (3.24)	730.50 (3.60)	2065.99 (3.72)
4	बिहार	1133.68 (7.04)	1384.45 (7.21)	1393.82 (6.87)	3911.95 (7.04)
5	गुजरात	1109.99 (6.89)	1573.98 (8.20)	1585.63 (7.81)	4269.60 (7.68)
6	हरियाणा	253.14 (1.57)	249.46 1.30)	329.64 (1.62)	832.24 (1.50)
7	हिमाचल प्रदेश	200.71 (1.57)	298.54 (1.56)	325.79 (1.61)	825.04 (1.48)
8	जम्मू और कश्मीर	197.11 (1.22)	167.02 (0.87)	230.64 (1.14)	594.77 (1.07)
9	कर्नाटक	558.13 (3.47)	687.32 (3.58)	809.89 (3.99)	2055.34 (3.70)
10	केरल	441.61 (2.74)	529.34 (2.76)	531.66 (2.62)	1502.61 (2.70)
11	मध्य प्रदेश	1976.29 (12.27)	2508.83 (13.7)	1895.79 (9.34)	6380.91 (11.48)
12	महाराष्ट्र	1302.28 (8.09)	1522.80 (7.93)	2020.66 (9.95)	4845.74 (8.72)
13	मणिपुर	34.33 (0.21)	50.21 (0.26)	69.04 (0.34)	153.58 (0.28)

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
14	मेघालय	24.50 (0.15)	26.49 (0.14)	34.36 (0.17)	85.35 (0.15)
15	मिजोरम	13.38 (0.08)	22.13 (0.12)	16.45 (0.08)	51.96 (0.09)
16	नागालैंड	27.60 (0.17)	30.08 (0.16)	55.46 (0.27)	113.14 (0.20)
17	उड़ीसा	1176.75 (7.31)	951.76 (4.96)	1126.29 (5.55)	3254.80 (5.85)
18	पंजाब	254.87 (1.58)	326.03 (1.70)	473.79 (2.33)	1054.69 (1.90)
19	राजस्थान	532.23 (3.30)	648.12 (3.38)	773.42 (3.81)	1953.77 (3.51)
20	सिक्किम	7.16 (0.04)	7.62 (0.04)	34.56 (0.17)	49.34 (0.09)
21	तमिलनाडू	827.80 (5.14)	964.75 (5.03)	1069.04 (5.27)	2862.19 (5.15)
22	त्रिपुरा	56.82 (0.35)	54.75 (0.29)	58.23 (0.29)	169.80 (0.31)
23	उत्तर प्रदेश	1702.30 (10.57)	2568.40 (13.38)	2452.45 (12.08)	6723.15 (12.09)
24	पश्चिम बंगाल	974.70 (6.05)	1234.13 (6.43)	1288.73 (6.35)	3497.56 (6.29)
	राज्यों का योग	15640.94	18612.85	19682.30	53936.09
25	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16.62 (0.10)	63.62 (0.33)	18.63 (0.09)	98.87 (0.18)
26	चंडीगढ़	13.50 (0.08)	12.19 (0.06)	11.58 (0.06)	37.27 (0.07)
27	दादर एवं नगर हवेली	1.79 (0.01)	2.10 (0.01)	1.70 (0.01)	5.59 (0.01)
28	दिल्ली	366.14 (2.27)	442.38 (2.30)	528.19 (2.60)	1336.71 (2.40)
29	गोवा, दमन व दीव	56.58 (0.35)	53.10 (0.28)	39.42 (0.19)	149.10 (0.27)

विवरण—जारी (करोड़ रु०)

1	2	3	4	5	6
30	लक्षद्वीप	1.69 (0.01)	2.43 (0.01)	9.29 (0.05)	13.41 (0.02)
31	पांडिचेरी	7.64 (0.05)	9.74 (0.05)	7.00 (0.03)	24.38 (0.04)
	कुल सं० शा० क्षे०	463.96	585.56	615.8	1665.33
	कुल आबंटनीय	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42
	अनाबंटनीय राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
	निवल जोड़	19108.48 (×)	23666.23 (=)	25275.54 (—)	68050.25

कोष्ठकों में आंकड़े कुल आबंटनीय राशि के प्रतिशत भाग को दर्शाते है।

(×) "ग्रामीण विकास" के मामले में वास्तविक व्यय (1985–86) के आंकड़े वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा दिए गए हैं।

(=) योग में ये शामिल है: (1) वास्तविक व्यय 1986–87 "संचार" हेतु तथा (2) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय के 1986–87 के संशोधत अनुमान।

(–) योग में ये शामिल है: (1) "संचार" हेतु 1987–88 के संशोधित अनुमान तथा (2) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय के 1987–88 के बजट अनुमान।

टिप्पणी: ऐसे ब्यौरे तैयार करने के लिए कुछ संकलपानएं की गई हैं। यद्यपि ऐसे अभ्यास पर आधारित ये दोनों संभावित संकटपनाएं प्रतीत होती हैं। फिर भी उनकी वैद्यता निश्चित रूप से सीमित प्रकार की है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:—

(1) रेलवे के मामले में जहां रेल डिब्बों पर किसी वर्ष के परिव्यय के महत्वपूर्ण अंश हैं वहां वितरण मार्ग/किसी विशेष राज्य में गुजरते हुए रेल लाइन के किलोमीटर के आधार पर अनुमानित किया गया है।

(2) वायुयान के मामले में इसी प्रकार जहां वायुयानों पर काफी बड़ा परिव्यय होता है वहां वितरण को किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में लैंडिंग की संख्या पर अनुमानित किया गया है।

(3) डाक सेवाओं में व्यय का ब्यौरा सर्किल वार अनुमानति है। चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांश उन क्षेत्रों में है जहां आवश्यकता आर्थिक कारण की इष्टतम उपलब्धि है अतः क्षेत्रीय संतुलन का उद्देश्य ऐसे मामले में सीमित प्रासंगिकता का ही हो सकता है।

महाराष्ट्र में हिंगोली दूरदर्शन केन्द्र

2048. **श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नान्देड–परभणी जिले में हिंगोली स्थित दूरदर्शन केन्द्र ने कार्य शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां से कब तक कार्यक्रम शुरू होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र के परभणी जिले में हिंगोली में दिनांक 1-12-1989 से एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा अर्जित आय

2049. **श्री विलासराव नागनाथ राव गुण्डेवार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1990 से अब तक दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा राज्य-वार कितनी आय अर्जित की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा जनवरी, 1990 से मई, 1991 के दौरान अर्जित कुल आय

दूरदर्शन

क्रम संख्या	राज्य	राशि (लाख रुपये)
1	दिल्ली तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और चैनल–2	3146.58
2	बम्बई तथा चैनल–2 (महाराष्ट्र)	2270.17
3	कलकत्ता तथा चैनल–2 (पश्चिम बंगाल)	1176.65
4	मद्रास तथा चैनल–2 (तमिलनाडु)	3272.40

क्रम सं०	राज्य	राशि (लाख रुपये)
5	अहमदाबाद (गुजरात)	262.81
6	बंगलौर (कर्नाटक)	874.87
7	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	1521.77
8	जालन्धर (पंजाब)	381.47
9	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	316.08
10	त्रिवेन्द्रम (केरल)	878.02
11	गुवाहटी (असम)	1.80
12	श्रीनगर	0.20

इसके अलावा दूरदर्शन को इसी अवधि में राष्ट्रीय नेटवर्क से 22835.29 लाख रुपये की आमदनी हुई।

आकाशवाणी

क्रम संख्या	राज्य	(राशि लाख रुपये में) (अनंतिम)
1	आन्ध्र प्रदेश	535.64
2	बिहार	173.67
3	दिल्ली/हरियाणा	499.08
4	गुजरात	252.87
5	जम्मू और कश्मीर	28.94
6	कर्नाटक	338.88
7	केरल	308.32
8	मध्य प्रदेश	217.90
9	महाराष्ट्र/गोवा	628.49
10	उड़ीसा	74.34
11	पंजाब/चंडीगढ़/हिमाचल प्रदेश	140.53
12	राजस्थान	163.82
13	तमिलनाडु/पांडिचेरी	884.44
14	उत्तर प्रदेश	450.48
15	पश्चिम बंगाल/असम	285.89

इसके अलावा, बम्बई स्थित आकाशवाणी के केन्द्रीय बिक्री एकक तथा विज्ञापन प्रसारण सेवा, दिल्ली ने इस अवधि के दौरान 'नेटवर्क बुकिंग' नामक शीर्षक के अंतर्गत 526.00 लाख रुपये के वाणिज्यिक विज्ञापन बुक किए।

महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी

2050. **श्री विलास राव नागनाथ राव गुण्डेवार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में जनवरी, 1991 से स्वीकृत औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किन्हीं स्वीकृत परियोजनाओं की पुनरीक्षा की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिये 1 जनवरी, 1991 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक अनुमोदनों की मंजूरी दी गई थी :—

आशय पत्र	113
औद्योगिक लाइसेंस	41
लाइसेंस मुक्त उद्योगों के पंजीकरण की योजना के अधीन पंजीकृत आवेदन	81
छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण की योजना के अधीन पंजीकृत आवेदन	105
तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत आवेदन	24

मंजूर किये गये उपर्युक्त सभी अनुमोदनों के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम और पता, स्थापना-स्थल, विनिर्माण की मद (मदें) और क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद-पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं ।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई असामान्य प्रस्ताव नहीं है । किन्तु, यह सरकार पर निर्भर है कि वह गुण-दोष के आधार पर निर्णय की समीक्षा करे ।

भोजपुरी भाषा की फिल्मों का प्रसारण

2051. **श्री राम बदन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन से विभिन्न भाषाओं की कितनी-कितनी फिल्में प्रसारित की गई हैं ; और

(ख) क्या भोजपुरी भाषा की फिल्मों का दूरदर्शन से प्रसारण नहीं किया जा रहा है हालांकि उनके प्रसारण की मांग की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों में, दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय नैटवर्क पर और दिल्ली तथा उससे सम्बद्ध ट्रांसमीटरों से विभिन्न भारतीय भाषाओं/बोलियों की 542 फीचर फिल्में प्रसारित की गईं । इनमें से 56 फिल्में विभिन्न बोलियों में थीं, जिनमें भोजपुरी में फिल्मों की संख्या छः थी ।

[अनुवाद]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद को हुआ घाटा

2052. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, हैदराबाद के घाटे में भारी वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आज तक का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, हैदराबाद के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभिन्न संगठनों से ऋण प्राप्त करके किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को आधुनिक बनाने तथा इसकी वित्तीय समस्या को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान और 30 जून 1991 तक इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई डी पी एल) के हैदराबाद एकक को हुई हानियां निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	रु० / करोड़
1989-90	19.68
1990-91	36.35 (अस्थाई)
अप्रैल–जून, 1991	9.65 (अस्थाई)

हानियों के मुख्य कारण हैं अधिक वेतन बिल, क्षमता का कम उपयोग, प्रौद्योगिकी का पुरानापन, भारी ब्याज भार और निर्धारित लागतें, कच्चे माल और पैकेज माल का प्राप्त न होना और कार्यशील पूंजी की कमी ।

(ग) जी, नहीं । किन्तु जब भी कम्पनी को आवश्यकता पड़ी बैंकरों के माध्यम से सहायता प्राप्त की जाती है ।

(घ) उपचारात्मक उपायों में सारी कम्पनी के लिये एकमुश्त कार्य शामिल होंगे । जिसमें क्षमता के उपयोग को बढ़ाना, निर्यात पर जोर देना, संस्थागत बाजारों और व्यापार में अधिक बिक्री दक्षता में वृद्धि करके लागत कम करना और सेवाओं एवं उपयोगों में बचत करना, बकाया राशियों के संग्रह के लिये पद्धति में सुधार करना, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनमें कम्पनी के पुनःस्थापन के लिये एकमुश्त कार्य सम्मिलित हैं ।

बुलढाना में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

2053. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के बुलढाना नगर में स्थापित दूरदर्शन ट्रांसमीटर खराब है और ठीक से कार्य नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) बताया जाता है कि बुलढाना का अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है । तथापि, बिजली फेल हो जाने के कारण इस ट्रांसमीटर से प्रसारण में रुकावटें आई हैं । इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये कि ऐसी रुकावटें कम से कम हों, केन्द्र पर एक डीजल जैनरेटर सेट लगाया गया है । तथापि, बिजली की सप्लाई को मेन से डीजल जैनरेटर और डीजल जैनरेटर से मेन में बदलने में क्षण भर के लिये जो रुकावट आती है, उससे नहीं बचा जा सकता ।

रामनाथपुरम में उच्च शक्ति वाला आकाशवाणी केन्द्र

2054. **डॉ० वी० राजेश्वरन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रामनाथपुरम में उच्च शक्ति वाला आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

तमिलनाडु में रंगीन फिल्म परियोजना

2055. **श्री अन्बारासु इरा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा रंगीन परियोजना की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया था जो अभी भी केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में उडगामण्डलम स्थान पर परियोजना स्थापित करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने अनुरोध किया था कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चर कम्पनी लिमिटेड (एच० पी० एफ०) ऊटकमण्ड द्वारा सिने कलर पाजिटिव फिल्मस के विनिर्माण हेतु परियोजना को आठवीं योजना में शामिल किया जाए। एच० पी० एफ० के आठवीं योजना प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव कलर फोटोग्राफिक गुड्स—सिने कलर और कलर पेपर के विनिर्माण के सम्बन्ध में है। आठवीं योजना के प्रस्तावों को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीय शरणार्थियों को डी० वी० पर दिखाना

2057. **श्री ई० अहमद :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के खाड़ी युद्ध के दौरान अमान से होते हुए कुवैत और इराक से लौटते हुए भारतीय शरणार्थियों के बारे में दूरदर्शन फिल्म बनाने के लिए क्या उपाय किए गए थे ;

(ख) दूरदर्शन द्वारा इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) खाड़ी युद्ध के सम्बन्ध में दूरदर्शन फिल्म बनाने हेतु कितने कर्मचारी वहां भेजे गये थे ;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये दूरदर्शन ने कोई अन्य प्रबन्ध किये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) खाड़ी युद्ध के दौरान दूरदर्शन द्वारा खाड़ी में दिनांक 27-9-90 से 15-10-90 तक एक तीन सदस्यीय दल भेजा गया था जिसने अम्मान होते हुए कुवैत और इराक से भारतीय शरणार्थियों की वापसी को कवर किया था। इस टीम पर करीब 1.40 लाख रुपये खर्च किए गए। दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों में खाड़ी युद्ध को दूरदर्शन और विसन्यूज़ तथा एशियाविजन इत्यादि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय दृश्य समाचार एजेंसियों के बीच विद्यमान नियमित व्यवस्था के अन्तर्गत उपग्रह के माध्यम से कवर किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत दूरदर्शन को सभी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की कवरेज प्राप्त होती है जिसके लिये दूरदर्शन वार्षिक अभिदान देता है। इसके अलावा दूरदर्शन ने खाड़ी युद्ध, भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति इत्यादि पर इसके प्रभाव जैसे विषयों पर इंटरव्यू और इन्टरव्युओं पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित किए। इन कार्यक्रमों के प्रसारण में लगभग 15 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

संस्कृत विद्वान उपलब्ध कराने की योजना

2058. **डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्प्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण, न्यायमीमांसा इत्यादि के वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सुयोग्य संस्कृत विद्वान उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना और इस सम्बन्ध में तैयार किये गये अथवा तैयार किये जा रहे पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) उन तकनीकी संस्थाओं के नाम क्या हैं जो आठवीं योजना के दौरान ऐसे पाठ्यक्रम शुरु करने के लिये उपयुक्त होंगे, जिससे भारतीय भाषा प्रक्रिया के कार्यों को श्रेष्ठता से और समय पर शुरू किया जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अपने भारतीय भाषाओं के लिये प्रौद्योगिकी विकास (टी डी आई एल) कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषाविदों तथा कम्प्यूटर वैज्ञानिकों के लिये संस्कृत व्याकरण, न्यायमीमांसा तथा निरुक्त पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए पाठ्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा पाठ सामग्री तैयार करने की एक योजना आरम्भ की हैं । इसमें निम्नलिखित अभिकरण भाग ले रहे हैं :—

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली ।

2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति ।

3. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

कम्प्यूटर उन्मुख भाषा परियोजनाएं

2059. **डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय भाषाओं के कम्प्युटर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने में संस्कृत की महत्ता से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटर उन्मुख भाषा परियोजनाओं में संस्कृत विद्वानों को निरन्तरता के आधार पर सम्बद्ध करने सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्तमान संस्कृत जनशक्ति बनाम कम्प्यूटर जनशक्ति के लिये बजट में कितना हिस्सा है ;

(घ) संस्कृत शिक्षा और अनुसंधान में कम्प्यूटर शुरू करने में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु चुनी गयी संस्कृत संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

91-M/J(D)429LSS—9

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मार्गरेट अल्वा) :

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिये प्रौद्योगिकी विकास (टी डी आई एल) कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित आधारभूत क्षेत्र आते हैं :—

(1) संस्कृत में सूचना संसाधन प्रणाली,

(2) कम्प्यूटर पर आधारित शब्दार्थ संसाधन,

(3) संस्कृत व्याकरण, और

(4) भाषाविदों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत का ज्ञान दिलाने के लिये पाठ् सामग्री, पाठ्यक्रम और मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना।

इसमें भाग लेने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं :—

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति।
3. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट।

भारतीय भाषाओं के लिये प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय संस्कृत और कम्प्यूटर जनशक्ति विकास की परियोजनाओं के लिये लगभग 43 लाख रुपये के कुल बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया है। चूंकि राशि यह एकीकृत परियोजनाओं से सम्बन्धित है, जिसमें संस्कृत और कम्प्यूटर विशेषज्ञ शामिल हैं, अतः इनका अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत के अध्ययन तथा अध्यापन के क्षेत्र में शिक्षा स्नातक (बी एड) और शिक्षा निष्णात् (एम एड) के विद्यार्थियों के लिये प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

नारियल जटा उत्पादों के लिए छूट योजना

2060. **श्री टी० जे० अंजलोज**
श्रीमती सुशीला गोपालन } क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में नारियल जटा उत्पादों के लिये छूट योजना कार्यान्वित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) कयर उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गयी श्री असीम चटर्जी समिति ने छूट योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का सुझाव दिया है, समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जा रहा है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के लिये आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण एजेंन्सियां

2061. **श्रीमती डी० के० भण्डारी**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य स्तर और राष्ट्रीय-स्तर पर अब तक स्थापित की गई उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण परिषद ने स्वत: अब तक जिन मामलों को लिया है उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर, जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता है, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 27 उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों (राज्य आयोग) तथा 325 उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचो (जिला मंच) ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। जम्मू व कश्मीर राज्य ने इस क्षेत्र में अपना कानून लागू किया है। इसी प्रकार दिसम्बर, 1988 से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने काम करना आरम्भ कर दिया है। ये प्रतितोष अभिकरण संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों को स्वयं अपनी ओर से मामले शुरु करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं।

31-3-91 की स्थिति के अनुसार राज्य आयोग/राष्ट्रीय आयोग में दायर की गई शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	दायर की गई शिकायतें (अपीलों आदि सहित)	निपटाई गई
1. राष्ट्रीय आयोग	525	322
2. राज्य/आयोग (17 राज्य आयोगों से प्राप्त सूचना)	4431	2671

कीटनाशकों के सुरक्षित विकल्प अपनाने सम्बन्धी कार्य योजना

2062. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कीटनाशकों के सुरक्षित विकल्प हेतु कोई कार्य योजना प्रारम्भ की है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या इस प्रकार विकसित की गई प्रौद्योगिकियों को गैर-सरकारी संगठनों के माध्य से लागू किया जायेगा : और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) जी हां, महोदया। बायोटेक्नोलाजी विभाग ने मार्च, 1989 से एकीकृत कार्यक्रम के अधीन पीडक जन्तुओं एवं रोगों के जैविक नियंन्त्रण सम्बन्धी दस अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चालू की हैं जिनमें देश के विभिन्न भागों में स्थित सात संस्थाएं शामिल है। किसानों के खेत में प्रदर्शन भी किये गये हैं। जैविक नियंन्त्रण कर्मकों जैसे कपास के बालवार्म (हेलियोथिस आर्मीजेरा) के न्यूक्लियर पालिहेड्रोसिस वायरस (एन० पी० वी०) तम्बाकू के एन०पी०वी०, कैटर पिलर (स्पोडोप्टेरा लिटूरा), गन्ना पोरी बेधक (चिलो इंफस्केटेलस) के ग्रेन्युलोसिस बायरस (जीवी) क्रायसोपा (एफिड, सफेद मक्खियों और वालवार्म की रोकथाम के लिये), ट्राइकोग्रामा (लेपिडो-टेरन पीड़क जन्तुओं की रोकथाम के लिये) और ट्राइकोडर्म तथा ग्लायोकलेडियम (जडगल जान एवं मुरझाने की बीमारियों की रोकथाम के लिये) प्रायोगिक स्तरीय उत्पादन तकनीकें विकसित की गई हैं।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी को किसान के खेत में ले जाना है। अतः स्थानीय किसानों की सक्रिय भागीदारी से परीक्षण के तौर पर जगह-जगह क्षेत्रीय प्रदर्शन के माध्यम से जैव नियन्त्रण कर्मकों के इस्तेमाल के बारे में किसानों को शिक्षित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों एवं प्रसार कामगरों सहित कृषक संगठनों को अगले सुविस्तृत क्षेत्रीय प्रदर्शन एवं प्रायोगिक स्तरीय उत्पादन में शामिल करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चरखड़ी कस्बे में उच्च शक्ति के दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

2063. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चरखड़ी कस्बे में उच्च शक्ति के दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के लिए गत योजना अवधि में धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत कक्ष

[अनुवाद]

2064. **श्री भगवान शंकर रावत　श्री रमेश चन्द तोमर**
श्रीमती सुमित्रा महाजन　श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में लोक शिकायत कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं ?

(ख) गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग में कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान औसतन कितनी शिकायतों का निपटान किया गया; और

(घ) इन कक्षों के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून, 1991 की 6 महीने की अवधि के दौरान 4 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन वर्षों (1987-88 से 1989-90) के दौरान विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में प्राप्त कुल शिकायतों के निपटान की औसत दर 75 प्रतिशत से अधिक रही।

(घ) सरकार ने समय-समय पर मन्त्रालयों/विभागों के शिकायत कक्षों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शिकायत कक्ष का मुखिया प्रायः उप सचिव के पद से कम का अधिकारी नहीं होता है। सप्ताह का एक दिन बैठक विहीन दिवस के रूप में रखा जाता है जिसमें उप सचिव और उससे उच्च पद वाले अधिकारी जनता से व्यक्तिगत तौर पर शिकायतों को प्राप्त करने के लिए अपने अपने कक्ष में उपलब्ध रहते हैं। सरकार ने मामले के सभी संबंधित पहलुओं पर पूरा ध्यान देते हुए लोक शिकायतों के शीघ्रतापूर्वक निपटान करने के लिए बार-बार जोर दिया है।

उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाना

2065. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव संघ सरकार के पास लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसे स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) कारखाने की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) मैं० भारतीय सीमेंट निगम ने एक सीमेंट ग्राइन्डिंग यूनिट लगाने के लिए स्थापना-स्थल भटिंडा (पंजाब) से बदलकर बागपत (उत्तर प्रदेश) करने के लिए आवेदन किया था।

मैं० दर्शन आयल्स (पी०) लिमिटेड ने छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण योजना के अन्तर्गत सीमेंट के विनिर्माण के वास्ते जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में एक मिनी सीमेंट संयंत्र, जिसकी वार्षिक क्षमता 66,000 मी० टन होगी, लगाने हेतु आवेदन किया था।

हाल में अधिसूचित संशोधित लाइसेंसीकरण नीति के अधीन, नई सीमेंट परियोजनाएं लगाने हेतु, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों की कमी

2066. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को इस बात का पता लगा है कि देश के कुछ भागों में कतिपय किस्म के उर्वरकों की कमी के कारण काला बाजारी हो रही है जिसमें किसानों पर भारी बोझ पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के सभी भागों में, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में, उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा समय पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) चालू फसल मौसम में यूरिया और डी ए पी की तरह के मुख्य उर्वरक की आवश्यकताओं को कुल मिलाकर पूर्णतः पूरा किया गया है। देश के कुछ भागों में अमोनिया सल्फेट, सी ए एन, कम्पलेक्सों आदि की तरह की कुछ उर्वरकों की कमी नोट की गयी है। यह इस देश में इन उर्वरकों के सीमित उत्पादन के कारण है। ऐसे मामलों में, कमी को यूरिया और डी० ए० पी० की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति से पूरा किया जाता है ताकि कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आन्ध्र प्रदेश में मुनाफे पर उर्वरकों की बिक्री के संबंध में देर से कुछ अपुष्ट सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सांविधिक मूल्य के अन्तर्गत ही की जाए।

चीनी उद्योग को "क्रेडिट फ्रीज" से मुक्त करना

2067. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को "क्रेडिट फ्रीज" से मुक्त करने का कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विशेषकर बिहार में किसानों की मई, 1991 तक मिल-वार, कितनी राशि बकाया थी ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) ऋण विस्तार को रोकने की आवश्यकता की दृष्टि में भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 मई, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए नकद ऋण पर कुछ सीमाएं लगा दी थी। इन प्रतिबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि उपर्युक्त अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रभावी शक्ति या तो पिछले तीन वर्षों में तदनुरूपी अवधि के दौरान वास्तव में इस्तेमाल की गई अधिकतम राशि तक रहेगी अथवा वह 8 मई, 1991 को स्थिति के अनुसार नकद ऋण सीमा, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी। तथापि, चीनी उद्योग पर नियंत्रण के स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए, बैंकों को आवश्यकता पर आधारित ऋण सीमा तक राशि मंजूर करने की इजाजत दी गई थी लेकिन यह राशि गत तीन मौसमों में तदनुरूपी अवधि के दौरान वास्तव में इस्तेमाल की गई अधिकतम राशि के 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) अद्यतन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बिहार में वर्तमान मौसम के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 60.6 करोड़ रुपये बैठती है। इस संबंध में मिलवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	चीनी मिल का संक्षिप्त नाम	गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि (लाख रुपए में)	निम्नलिखित तारीख के अनुसार
1	2	3	4
	उत्तरी बिहार		
1	गरौल	91.69	31-5-91
2	रयाम	116.45	31-5-91
3	लोहाट	257.99	31-5-91
4	सकरी	131.84	31-5-91
5	समस्तीपुर	171.66	31-5-91
6	बनमंखी	168.86	31-5-91
7	लौरिया	570.91	31-5-91
8	सुगौली	192.90	31-5-91
9	मोतीपुर	249.97	31-5-91
10	मीरगंज	366.75	31-5-91
11	सीवान	62.04	31-5-91
12	न्यू सावन	46.33	31-5-91
13	मढ़ौरा	161.06	31-1-91
14	हसनपुर	108.71	31-5-91
15	बगहा	मिल से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	
16	हरिनगर	820.60	31-5-91

1	2	3	4
17	नरकटियागंज	313.44	31-5-91
18	मझौलिया	399.26	315-91
19	बनपतिया	246.84	31-5-91
20	बड़ोचकिया	179.04	31-3-91.
21	मोतीहारी	310.32	31-5-91
22	मामामुसा	224.26	31-5-91
23	गोपालगंज	267.29	31-5-91
24	सिद्धवालिया	198.15	31-5-91
25	रीषा	292.14	28-2-91
26	पचरुखी	–	कार्य नहीं किया
	दक्षिणी बिहार		
27	बिहटा	7.77	31-12-90
28	वरसालीगंज	91.06	31-5-91
29	गराऊ	13.12	31-3-91
	जोड़	6060.45	

[हिन्दी]

केशोरायपाटन चीनी मिल का अधिग्रहण

2068. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल को सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार घाटे को पूरा करने के लिए उपरोक्त मिल को दी गई धन-राशि वापस लेने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त मिल ने गन्ने के विकास के लिए गन्ना विकास कोष से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) उक्त चीनी मिल को अनुसूचित करने की तारीख को 209.55 लाख रुपये के ऋण की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज उक्त चीनी मिल से वसूली योग्य है और इस राशि को वसूल न करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उक्त मिल ने गन्ने के विकास के लिये चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था लेकिन उनके आवेदन पत्र को इस टिप्पण के साथ अस्वीकार कर दिया गया था कि चीनी मिल द्वारा इस मिल को वापस लेने के लिये करार पर हस्ताक्षर कर देने के बाद ही उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। उक्त चीनी मिल द्वारा मिल वापस लेने संबंधी करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये गए है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अकाल प्रवण क्षेत्रों को शामिल करना

2069. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर कोटा और झालावाड़ के 20 उप-डिवीजनों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है क्योंकि वे अकाल प्रवण क्षेत्र है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत राजस्थान सरकार के ज्ञापन में भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा तथा झालावाड़ जिलों के 20 नये खण्डों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के अन्तर्गत शामिल करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों, जहां पर वर्षा 500 मी० मी० प्रति वर्ष से कम होती है, में सूखा पड़ने के ठोस कारण मौजूद हैं।

(ख) योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य, श्री एल० सी० जैन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति ने अगस्त, 1990 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को कार्यान्वयन हेतु राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। इस कार्यक्रम के हस्तांतरण के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए समिति का यह विचार था कि राज्य सरकारें कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य में और क्षेत्रों को शामिल करने हेतु स्वयं ही ऐसे क्षेत्रों का पता लगायेंगी। समिति की इस रिपोर्ट पर संबंधित राज्य सरकारों की टिप्पणियां अब प्राप्त हो गई हैं और भारत सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए समिति

[अनुवाद]

2070. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 16 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्थापित की गई समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और उन पर जल्दी कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) लोक सभा के दिनांक 16 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 713 में उल्लिखित समीक्षा समिति को राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए पूर्वानुमोदित कार्यक्रमों की समीक्षा करनी थी। समिति को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी थी। तथापि, समिति ने जिन फीचर फिल्मों तथा अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की थी और जिनका अनुमोदन किया था वे टेलीकास्ट की जा चुकी हैं

पेंशन और ग्रेचुइटी का देरी से भुगतान होने पर ब्याज

2071. **प्रो० राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन शुरू होने अथवा ग्रेच्युटी का लाभ देने में विलम्ब के कारण हुई क्षतिपूर्ति को कुछ सीमा तक पेंशनर को ब्याज देकर की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्याज-दर क्या है ;

(ग) "विलम्ब" का निश्चय करने का क्या तरीका है और यदि विलम्ब स्वयं पेंशनर के कारण नहीं हुआ हो, तो क्या ब्याज स्वाभाविक रूप से दिया जाता है ;

(घ) क्या प्रत्येक मंत्रालय में इन निदेशों का पालन कराने के लिए कोई प्रशासनिक तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उनके नियंत्रण में विभिन्न कार्यालय पेंशनों की शीघ्र मंजूरी के लिए इन नियमों को लागू कर रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) नियमों में केवल उपदान की देरी से भुगतान पर ही ब्याज देने की व्यवस्था है।

(ख) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले तीन मास तथा अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति के ऐसे मामलों में जिनमें किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पहले छह मास की अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इस अवधि के बाद एक वर्ष तक की देरी के लिए 7% प्रति वर्ष की दर पर तथा एक वर्ष से अधिक की देरी के लिए 10% वार्षिक की दर पर ब्याज की अनुमति दी जाती है। .

(ग) ब्याज का भुगतान तभी किया जाता है यदि यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाए कि भुगतान में देरी प्रशासनिक भूल-चूक से हुई थी न कि पेंशन की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में सरकारी कर्मचारी की असफलता के कारण।

(घ) और (ङ) सरकारी नियमों तथा अनुदेशों के पालन को सुनिश्चित करना सभी मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेवारी है ।

"भगवान कृष्ण" धारावाहिक का दूरदर्शन पर प्रसारण

2072. **प्रो० रम कापसे**
श्री अन्ना जोशी } : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धारावाहिक "भगवान कृष्ण" और "श्रीमद् भागवत्" से एक प्रसंग का दूरदर्शन पर प्रसारण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनका प्रसारण कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन से प्रसारण के लिये अभी तक ऐसे किसी कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नारियल जटा बोर्ड का आधुनिकीकरण

2073. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना बोर्ड, केरल द्वारा गठित कार्य बल द्वारा प्रतिपादित नारियल-जटा उद्योग का अधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन करने संबंधी कोई योजना केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से कार्यान्वित किया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसे स्वीकार न करने के क्या कारण है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा कार्य बल (टास्क फार्स) का गठन किया गया था। रिपोर्ट की एक प्रति उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई है। उसके बाद, भारत सरकार ने श्री असीम चटर्जी योजना आयोग में सलाहकार (वी० एस० आई०), की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

कापार्ट द्वारा स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त आवेदन

2084. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांउसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नोलोजी (कापार्ट) द्वारा स्वैच्छिक संगठनों से गत वर्ष के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनावार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) को स्वैच्छिक संगठनों से गत वर्ष (1990-91) के दौरान 2411 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 1990-91 के दौरान कापार्ट द्वारा राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1990-91 के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा परियोजनावार खर्च (रिलीज़) की गई कुल धनराशि को दर्शाने वाली सूचना विवरण- II में संलग्न है।

विवरण I

1990-91 के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा स्वीकृत राज्यवार परियोजनाएं तथा धनराशि

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–
2	आन्ध्र प्रदेश	155	256.27
3	अरुणाचल प्रदेश	2	0.67
4	असम	9	15.84
5	बिहार	149	168.44
6	चंडीगढ़	2	5.71
7	दादर और नगर हवेली	–	–
8	दिल्ली	26	56.17
9	गोआ दमन दीव	–	–
10	गुजरात	26	91.23
11	हरियाणा	21	14.50
12	हिमाचल प्रदेश	16	17.43
13	जम्मू और कश्मीर	3	7.24
14	कर्नाटक	43	46.34
15	केरल	19	20.36
16	लक्षद्वीप	–	–
17	मध्यप्रदेश	31	43.72
18	महाराष्ट्र	29	44.03
19	मणिपुर	22	23.48
20	मेघालय	1	9.26
21	मिज़ोरम	1	14.46
22	नागालैण्ड	1	7.84
23	उड़ीसा	48	58.69
24	पांडिचेरी	1	0.23
25	पंजाब	4	9.70
26	राजस्थान	46	66.48
27	सिक्किम	–	–
28	तमिलनाडु	107	128.17
29	त्रिपुरा	–	–
30	उत्तर प्रदेश	259	308.17
31	पश्चिम बंगाल	135	319.62
	योग	1,156	1734.04

विवरण- II

1990-91 के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा खर्च (रिलीज) की गई कुल धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	खर्च (रिलीज) की गई धनराशि
1.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	4.38
2.	ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना	1.01
3.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.24
4.	ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन	2.80
5.	लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) को सहायता (ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास)	1.04
6.	जवाहर रोजगार योजना	4.34
7.	गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लाभार्थियों का संगठन	0.72
8.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	1.62
	योग	16.15

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में ग्रुप "ए" के पदों पर सेवा-निवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

2075. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में ग्रुप "ए" के पदों को सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति करके भरा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फीडर श्रेणी से पदोन्नति के लिए योग्य अधिकारी उपलब्ध होने के बावजूद इन पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्तियां की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह "क" के विभिन्न पदों के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार अधिकरण में ऐसे पदों को पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना होता है। अतः केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पदोन्नति

(3) वनस्पति के उत्पादन के लिए सस्ती देशीय कच्ची सामग्री सीमित मात्रा में उपलब्ध होना; तथा

(4) वनस्पति की तुलना में तरल तेलों विशेष रूप से परिष्कृत तेलों का लोकप्रिय होना ।

वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) वनस्पति के निर्माण में अप्रधान तथा गैर-पारम्परिक तेलों के उपयोग पर उत्पाद शुल्क में छूट देना;

(ख) वनस्पति उद्योग को, आई० एस० आई० चिन्ह लगे नए टीन के डिब्बों की उपलभ्यता में कमी होने की स्थिति में, वनस्पति की पैकिंग के लिए गैर-आई० एस० आई०/पूरी तरह से साफ किए गए पुराने टीन के डिब्बों के उपयोग की अनुमति दी गई है ।

(ग) और (घ) एक विवरण उत्तर के साथ संलग्न है ।

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

1. वनस्पति का उत्पादन

(मात्रा लाख मी० टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	वनस्पति का उत्पादन
1987-88	9.86
1988-89	9.70
1989-90	8.81

2. 1988 से वनस्पति की संस्थापित क्षमता की तुलना में उसका उत्पादन (तिमाहीवार)

तेल वर्ष (नवम्बर–अक्तूबर)	नवम्बर–जनवरी	फरवरी–अप्रैल	मई–जुलाई	अगस्त–अक्तूबर
1988-89	2.57 *(16.08)	2.39 (16.08)	2.54 (16.08)	2.20 (16.08)
1989-90	2.30 (16.38)	2.37 (16.46)	2.30 (16.46)	1.84 (16.46)
1990-91	1.92 (16.46)	2.10 (14.69)	†2.31 (16.83)	– (–)

*संस्थापित क्षमता कोष्ठकों में दी गई है ।

†अनुमानित ।

3. खाद्य तेलों का आयात

तेल वर्ष (नवम्बर–अक्तूबर)	तेल	मात्रा
1987-88	आर बी डी पी एल	8.42
	आर बी डी पी ओ	0.84
	आर एस ओ	3.02
	एस बी ओ	3.91
	एन पी ओ	0.93
	एस एफ ओ	0.80
सहायता के अधीन	परिष्कृत आर एस ओ	0.15
	परिष्कृत एस बी ओ	0.12
		18.19
1988-89	आर बी डी पी एल	2.82
	आर एस ओ	0.33
	एन पी ओ	0.30
	आर आर एस ओ	0.17
	आर एस बी ओ	0.11
		3.73
1989-90	आर बी डी पी एल	5.41 (पी डी एल) 0.66 (एन डी डी डी)
		6.07
1990-91 (जुलाई, 1991 तक)	आर बी डी पी एल	0.90

आयातित खाद्य तेलों के नाम

एस बी ओ	सोयाबीन तेल
आर एस ओ	रैपसीड तेल
एस एफ ओ	सूरजमुखी का तेल
आर बी डी पी एल	परिष्कृत विरंजित निर्गन्धीकृत पामोलीन
आर बी डी पी ओ	परिष्कृत विरंजित निर्गन्धीकृत ताड़ तेल
एन पी ओ	निर्विषीकृत ताड़ तेल
आर एस बी ओ	परिष्कृत सोयाबीन तेल

[अनुवाद]

सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) की सुविधाएं

2079. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी मंच से अवकाश यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) सुविधा दिये जाने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में पेंशनभोगी एसोसिएशनों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से इस आशय के कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें भी सेवारत कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टी यात्रा रियायत अथवा रेलवे पेंशनभोगियों को मानार्थ पास की प्रणाली पर यात्रा रियायत दी जाएं। ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

उड़ीसा को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

2080. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : उड़ीसा को सार्वजनिक वितरण के लिए जनवरी से जून, 1991 तक माह-वार कितनी मात्रा में चावल, अन्य खाद्यान्न, पामोलिन और चीनी का आवंटन किया गया और भेजा गया ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने और अधिक आवंटन की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आवंटन की मात्रा बढ़ाने का है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने जनवरी, 1991 में प्रतिमाह 35,000 मी. टन गेहूं और 30,000 मी० टन चावल के आवंटन की मांग थी। राज्य सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1991 के लिए चावल के आवंटन में वृद्धि करने की ओर मांग की। उक्त राज्य को जुलाई, 1991 के लिए 5,000 मी० टन और अगस्त, 1991 के लिए 14,000 मी०टन चावल का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया है।

(घ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जाने वाला खाद्यान्न का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है तथा इसका उद्देश्य राज्य

91-M/(G)429LSS-10

की संपूर्ण मांग को पूरा करना नहीं होता। अगस्त से अक्तूबर, 1991 तक की कमी वाली अवधि के लिए चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल का आवंटन केंद्रीय सरकार के पास भंडार उपलब्ध होने पर किया जाता है।

लेवी चीनी का आवंटन 1.10.1986 को अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 माह मे सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को लेवी चीनी के आवंटनों में 5% तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय किया है और यह वृद्धि दिसम्बर, 1991 तक जारी रहेगी जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु उड़ीसा को गेहूं, चावल, चीनी और आयातित खाद्य तेल का माहवार आवंटन और उसकी उठाई गई मात्रा

(मी० टन में)

माह	गेहूं		चावल		आयातित खाद्य तेल		लेवी चीनी आवंटन
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	
जनवरी, 1991	25000	25200	18000	15100	शून्य	250	12393
फरवरी, 1991	30000	24500	18000	17700	1200	184	12393
मार्च, 1991	30000	25600	18000	15700	1500	1000	12393
अप्रैल, 1991	35000	24400	24000	18000	शून्य	1335	12393
मई, 1991	35000	28700	24000	22500	शून्य	39	12393
जून, 1991	25000	20400	26000	18800	220	शून्य	12393

टिप्पणी : लेवी चीनी की लगभग 100 प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में सहरसा में उद्योग की स्थापना

2081. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बिहार के सहरसा जिले में कोई उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह उद्योग कब तक स्थापित किया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो "उद्योग रहित जिले" में उद्योग स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) किसी विशेष जिले/क्षेत्र के औद्योगीकरण का प्राथमिक दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार लाइसेंसीकरण, रियायती वित्त इत्यादि के मामले में प्राथमिकता जैसे प्रोत्साहन देकर पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को पूरा करती है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को पेयजल की आपूर्ति के लिए धनराशि

2082. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तमिल नाडु को राज्य में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई, और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि को उपयोग में लाया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और रामनाथ पुरम, सालेम तथा दक्षिण अर्कोट जिलों में मिनी मिशन परियोजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये तमिलनाडु सरकार को 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमश: 25.28 करोड़ रुपये तथा 21.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमश: 27.790 करोड़ रु० और 28.082 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल किया गया।

1989-90 के दौरान तमिलनाडु में सूखा राहत उपाय के रूप में पेयजल क्षेत्र के अन्तर्गत 29.84 करोड़ रुपये के खर्च की सीमा अनुमोदित की गयी थी। 1990-91 के दौरान सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये आपदा राहत निधि के रूप में तमिलनाडु को 39.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस राशि का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अपने निजी संसाधनों में से वहन किया जाना था। राज्य सरकार ने 1990-91 के दौरान पहली तीन तिमाहियों में 17.73 करोड़ रुपये के खर्च किये जाने की सूचना भेजी है जिसमें पेयजल पर किये गये 13.27 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

तमिलनाडु में पंजीकृत कम्पनियों को ऋण

2083. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश वाली कितनी कम्पनियां तमिलनाडु में पंजीकृत हैं ;

(ख) इन कम्पनियों को अब तक कितना ऋण वितरित किया गया है ;

(ग) उन्हें संघ सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन कम्पनियों में नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रुग्ण भारी औद्योगिक यूनिटें

2084. **श्री आर० जीवरत्नम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य वार भारी औद्योगिक यूनिटों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक यूनिट में कितना पूंजी निवेश हुआ है और कितने यूनिट रुग्ण हो गए हैं ; और

(ग) रुग्ण उद्योगों में निवेश की गई धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) देश में बैंकों द्वारा सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं। वे भारी औद्योगिक एककों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंकड़े दो श्रेणियों अर्थात् लघु उद्योग और गैर-लघु उद्योग के अन्तर्गत रखे जाते हैं। भारी औद्योगिक एकक "गैर-लघु उद्योग" की श्रेणी में आयेंगे।

अधिकतर भारी औद्योगिक एकक सरकारी क्षेत्र में हैं। सभी सरकारी क्षेत्र के एककों जो विनिर्माणकारी क्षेत्र में हैं, और प्रत्येक में किए गए निवेश तथा जिस राज्य में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनमें से 39 एककों में काफी समय से नुकसान हो रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी औद्योगिक एककों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

जैसा कि हाल ही में औद्योगिक नीति में घोषणा की गई है, वे सरकारी उद्यम जो काफी समय से रुग्ण हैं और जिनके ठीक होने की कोई सम्भावना नहीं हैं, को पुनरुज्जीवन/पुनर्स्थापना योजना तैयार करने के लिये औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा इस उद्देश्य के लिये बनाये गये अन्य समान उच्च स्तरीय संस्थान को भेजा जायेगा।

विवरण

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रम का नाम	निवेश (रु० लाख में)	पंजीकृत कार्यालय का राज्य-वार स्थान
1	2	3	4
1	मिश्र धातु निगम लि०	13925	आन्ध्र प्रदेश
2	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	17117	आन्ध्र प्रदेश

विवरण-जारी

1	2	3	4
3	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	4493	आन्ध्र प्रदेश
4	भारत डायनेमिक्स लि०	17283	आन्ध्र प्रदेश
5	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	12319	आन्ध्र प्रदेश
6	प्राग टूल्स लि०	2586	आन्ध्र प्रदेश
7	स्पंज आयरन इंडिया लि०	2728	आन्ध्र प्रदेश
8	साउदर्न पेस्टिसाइडस कारपोरेशन लि०	1005	आन्ध्र प्रदेश
9	एच० एम० टी० बियरिंगस लि०	1069	आन्ध्र प्रदेश
10	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लि०	3645	आन्ध्र प्रदेश
11	बोंगेगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकलस लि०	24473	असम
12	ऑयल इंडिया लि०	24846	असम
13	नॉर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपो० लि०	500	असम
14	भारत रिफ्रेक्टरीज लि०	9493	बिहार
15	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इन्स्यूलेशन कं० लि०	1548	बिहार
16	पाइराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	10158	बिहार
17	युरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	5589	बिहार
18	भारत कोकिंग कोल लि०	192839	बिहार
19	सेंट्रल कोल्ड फिल्ड्स लि०	124781	बिहार
20	हेवी इंजिनियरिंग कारपो० लि०	43775	बिहार
21	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कारपो० लि०	1464	बिहार
22	फेरो स्क्रेप निगम लि०	572	बिहार
23	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०	129901	गुजरात
24	एन० टी० सी० (गुजरात) लि०	19119	गुजरात
25	इंडियन ड्रग्स एंड फारमेस्यूटिकलस लि०	28551	हरियाणा
26	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०	66339	कर्नाटक
27	भारत गोल्ड माइन्स लि०	9837	कर्नाटक
28	तुगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि०	1557	कर्नाटक
29	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि०	28805	कर्नाटक
30	एच० एम० टी० लि०	22113	कर्नाटक
31	इंडियन टेलीफोन इंड० लि०	65076	कर्नाटक
32	भारत अर्थमूवर्स लि०	27006	कर्नाटक
33	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि०	66692	कर्नाटक
34	माण्डेया नेशनल पेपर मि० लि०	4719	कर्नाटक
35	एन० टी० सी० (आ० प्र० कर्नाटक, केरल और माहे) लि०	19949	कर्नाटक
36	कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स और फार्मे० लि०	208	कर्नाटक
37	विज्ञान इंडस्ट्रीज लि०	325	कर्नाटक
38	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कं० लि०	10860	कर्नाटक

विवरण–जारी

1	2	3	4
39	कोचीन रिफाइनरीज लि०	18887	केरल
40	फर्टीलाइजर एंड केमीकल्स (त्रेवनकोर) लि०	43395	केरल
41	कोचीन शिपयार्ड लि०	16547	केरल
42	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	2320	केरल
43	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि०	10026	केरल
44	नेपा लि०	8736	मध्य प्रदेश
45	एन० टी० सी० (मध्य प्रदेश) लि०	19887	मध्य प्रदेश
46	नॉर्थन कोल फिल्ड्स लि०	185356	मध्य प्रदेश
47	साउथ ईस्टर्न कोल फिल्डस लि०	154960	मध्य प्रदेश
48	इंडियन रेयर अर्थस लि०	13198	महाराष्ट्र
49	मग्नीज (ओर) इंडिया लि०	2182	महाराष्ट्र
50	वैस्टर्न कोल्ड फिल्डस	101758	महाराष्ट्र
51	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	28547	महाराष्ट्र
52	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो० लि०	37148	महाराष्ट्र
53	इंडियन ऑयल ब्लैंडिंग लि०	755	महाराष्ट्र
54	इंडियन ऑयल कारपो० लि०	47092	महाराष्ट्र
55	लुब्रीजोलइंडिया लि०	2134	महाराष्ट्र
56	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	12880	महाराष्ट्र
57	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि०	8495	महाराष्ट्र
58	रिचर्डसन एंड क्रयूड्स (1972) लि०	5416	महाराष्ट्र
59	मेजागोन डॉक लि०	45600	महाराष्ट्र
60	एन० टी० सी० (महाराष्ट्र नॉर्थ) लि०	24647	महाराष्ट्र
61	एन० टी० सी० (साऊथ महाराष्ट्र) लि०	29366	महाराष्ट्र
62	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि०	85250	महाराष्ट्र
63	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	385	महाराष्ट्र
64	नेशनल बाइसाईकिल कारपो० ऑफ इंडिया लि०	3060	महाराष्ट्र
65	महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लि०	4714	महाराष्ट्र
66	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०	44822	मेघालय
67	नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लि०	11975	नागालैण्ड
68	नैशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	297818	उड़ीसा
69	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि०	143	उड़ीसा
70	पैरादीप फास्फेटस लि०	48938	उड़ीसा
71	सेमी-कण्डक्टर लि०	6228	पंजाब
72	हिंदुस्तान जिंक लि०	41218	राजस्थान
73	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	243	राजस्थान
74	सम्भर साल्ट्स लि०	264	राजस्थान

विवरण-जारी

1	2	3	4
75	इंस्ट्रूमेंटेशन लि०	5844	राजस्थान
76	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	119	राजस्थान
77	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लि०	78	राजस्थान
78	नेवेली लिग्नाइट कार्पो० लि०	253985	तमिलनाडु
79	मद्रास रिफाइनरीज लि०	30026	तमिलनाडु
80	मद्रास फर्टीलाइजर्स लि०	6814	तमिलनाडु
81	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	1159	तमिलनाडु
82	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	23935	तमिलनाडु
83	एन टी सी (तमिलनाडु एंड पांडिचेरी) लि०	7549	तमिलनाडु
84	इंडियन एडिटिव्स लि०	500	तमिलनाडु
85	ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन	609065	उत्तर प्रदेश
86	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	2735	उत्तर प्रदेश
87	भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर्स लि०	5642	उत्तर प्रदेश
88	स्कूटर इंडिया लि०	9963	उत्तर प्रदेश
89	टैनरी एंड फुटवियर कार्पो० आफ इंडिया लि०	6040	उत्तर प्रदेश
90	एन० टी० सी० (उत्तर प्रदेश) लि०	22516	उत्तर प्रदेश
91	इंडियन मेडिसन्स फार्मेस्यूटिकल कार्पो० लि०	85	उत्तर प्रदेश
92	यू० पी० ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स कं० लि०	86	उत्तर प्रदेश
93	भुसवारा लि०	5	उत्तर प्रदेश
94	ब्रिटिश इंडिया कार्पो० लि०	11961	उत्तर प्रदेश
95	इलगिन मिल्स कं० लि०	7839	उत्तर प्रदेश
96	नेशनल हैंडलूम्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०	644	उत्तर प्रदेश
97	कॉनपोर टैक्सटाइल्स लि०	1181	उत्तर प्रदेश
98	भारत यात्रा निगम लि०	526	उत्तर प्रदेश
99	भारत इम्यूनोलोजिकल एंड बियोलॉजिकल्स कार्पो० लि०	663	उत्तर प्रदेश
100	इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०	97430	पश्चिम बंगाल
101	हिन्दुस्तान कॉपर लि०	51794	पश्चिम बंगाल
102	कोल इंडिया लि०	934944	पश्चिम बंगाल
103	इस्टर्न कोल फिल्डस लि०	186038	पश्चिम बंगाल
104	आई० बी० पी० कं० लि०	3597	पश्चिम बंगाल
105	स्मिथस्टेनस्ट्रीट एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	1235	पश्चिम बंगाल
106	ब्रेथवेट एंड कं० लिमिटेड	5228	पश्चिम बंगाल
107	ब्रिज एंड रूफ कं० लिमिटेड	1888	पश्चिम बंगाल
108	बर्न स्टैण्डर्ड कं० लिमिटेड	14890	पश्चिम बंगाल
109	जेसप एंड कं० लिमिटेड	7300	पश्चिम बंगाल
110	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि०	7184	पश्चिम बंगाल

विवरण-जारी

1	2	3	4
111	बामर लारी एंड कं० लिमिटेड	3948	पश्चिम बंगाल
112	बिको लारी लिमिटेड	2952	पश्चिम बंगाल
113	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड	1369	पश्चिम बंगाल
114	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	20538	पश्चिम बंगाल
115	आई आई एस सी ओ उज्जैन पाइप एंड फाउण्ड्री कं० लिमिटेड	357	पश्चिम बंगाल
116	नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड	3365	पश्चिम बंगाल
117	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	14433	पश्चिम बंगाल
118	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	20159	पश्चिम बंगाल
119	भारत आपथालमिक ग्लास लिमिटेड	3270	पश्चिम बंगाल
120	रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	4808	पश्चिम बंगाल
121	एन टी सी (वैस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा) लि०	30257	पश्चिम बंगाल
122	लिगेन जूट मशीनरी कं० लि०	89	पश्चिम बंगाल
123	एन्ड्र यूल एंड कम्पनी लिमिटेड	5523	पश्चिम बंगाल
124	हुगली प्रिंटिंग कं० लिमिटेड	94	पश्चिम बंगाल
125	भारत प्रोसेस एंड मकैनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	2178	पश्चिम बंगाल
126	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	470	पश्चिम बंगाल
127	साइकिल कार्पो० ऑफ इंडिया लि०	5779	पश्चिम बंगाल
128	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कार्पो० लि०	37657	पश्चिम बंगाल
129	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड	4161	पश्चिम बंगाल
130	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	2203	पश्चिम बंगाल
131	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	7168	वेस्ट बंगाल
132	बंगाल इम्युनिटी लि०	2912	वेस्ट बंगाल
133	भारत भारी उद्योग निगम लि०	413	वेस्ट बंगाल
134	ब्रीडंस, जूट और एक्सपोर्टस लि०	360	वेस्ट बंगाल
135	अंडमान एण्ड नीकोबार आइसलैंड फारेस्ट एण्ड प्लांट डेवलोपमेंट कारपोरेशन लि०	359	अंडमान एण्ड नीकोबार
136	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	65315	दिल्ली
137	नेशनल फर्टीलाइजर्स लि०	73960	दिल्ली
138	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०	312737	दिल्ली
139	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०	1097823	दिल्ली
140	स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लि०	699404	दिल्ली
141	भारत अलमूनियम कं० लि०	61638	दिल्ली
142	ओ० एन० जी० सी० विदेश लि०	2500	दिल्ली
143	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	64746	दिल्ली
144	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	116222	दिल्ली
145	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइडस लि०	6173	दिल्ली

विवरण—समाप्त

1	2	3	4
146	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	89214	दिल्ली
147	सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि०	2995	दिल्ली
148	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	17784	दिल्ली
149	मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०	1087	दिल्ली
150	नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि०	3189	दिल्ली
151	स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	3137	दिल्ली
152	नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लि०	25856	दिल्ली
153	एन० टी० सी० (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लि०	10784	दिल्ली
154	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	142374	दिल्ली
155	मारुति उद्योग लि०	17835	दिल्ली
156	गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि०	170912	दिल्ली
157	हिन्दुस्तान वेजेटेबल ऑयल कारपोरेशन लि०	1185	दिल्ली
158	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	269964	दिल्ली
159	इनटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन्स	51	दिल्ली
160	गोवा शिपयार्ड लि०	7010	गोवा

श्वेत-श्याम और रंगीन टेलीविजनों का उत्पादन

2085. **श्री आर० जीवरत्नम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितने श्वेत श्याम और रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) क्या कुछ रंगीन टेलीविजन उपकरणों का भी आयात हो रहा है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें रंगीन टेलीविजनों के निर्माण के लिये ऋण दिये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान टी० वी० सेटों का वार्षिक उत्पादन नीचे दिये अनुसार है :—

(संख्या लाख में)

वर्ष	श्याम तथा श्वेत टी वी	रंगीन टी वी
1988	44	13
1989	40	12
1990	36	12

(ख) सरकार की नीति के अनुसार व्यक्तिगत असबाब नियमों के अन्तर्गत लाई जाने वाली वस्तुओं को छोड़ कर टेलीविजन सेटों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) टी० वी० रिसीवरों के विनिर्माण के लिये किसी भी भारतीय कम्पनी को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण प्रदान नहीं किया गया है।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का बन्द होना

2086. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्र अभी भी बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और अब तक इससे कितने राजस्व की हानि हुई है ; और

(ग) सरकार का इस संयंत्र को पुनः कब तक चालू करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गैस पाईपलाइन के फटने के कारण 10 जून, 1990 को एक दुर्घटना हुई। उसके पश्चात्, कारखाना निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एफ. सी. आई. को निर्देश दिया गया कि संयंत्र को पुनः चालू करने से पूर्व तीसरे पक्षकार से उसका स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया जाए। एक विस्तृत स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके अक्टूबर 1991 तक पूरा होने की सम्भावना है। अब तक हुई राजस्व की हानि 17.22 करोड़ रु० है। संयंत्र को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में निर्णय संयंत्र की स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया रिक्त पद

2087. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों में से कितने पद नहीं भरे गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का इन बकाया पदों को भरने के लिये एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खाली पदों को भरने के प्रावधानों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा यथा-सूचित केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित बकाया रिक्तियां क्रमश: 43504, 35647 और 31928 हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिये 25-1-89 को प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें सीधी भर्ती में अनारक्षण पर रोक लगा दी गई है। इन निर्देशों को पर्याप्त समझा गया है।

हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के कब्जे में भूमि

2088. **श्री राम नारायण बेरवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांभर झील में हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के कब्जे में नमक उत्पादन करने हेतु कितनी भूमि है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह सरकारी उपक्रम सम्पूर्ण क्षेत्र में नमक उत्पादन करने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अप्रयुक्त पड़ी भूमि को शिक्षित बेरोजगारों को आवंटित करने का विचार है ताकि इन युवकों को रोजगार मिल सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 19,200 एकड़।

(ख) सांभर साल्ट्स लिमिटेड (हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी) के कब्जे की सारी भूमि नमक-उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है। तथापि, कम्पनी उपयुक्त भूमि का यथासम्भव अधिकतम सीमा तक उपयोग कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

रोजगार बढ़ाने वाली योजनाएं

2089. **डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रतिवर्ष एक करोड़ बेरोजगार नौजवानों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनायी गयी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार का पूरे देश में प्रति वर्ष एक करोड़ नए रोजगारों का सृजन करने का लक्ष्य है । आठवीं पंचवर्षीय योजना इस लक्ष्य को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास करेगी । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यनीति के ब्यौरे योजना दस्तावेज में समाविष्ट किए जायेंगे ।

ग्रामीण जीवन का स्तर

2090. **श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्धन व्यक्तियों के संदर्भ में "जीवन–स्तर" से क्या तात्पर्य है ;

(ख) निर्धन व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए किन आदानों की आवश्यकता है : और

(ग) निर्धन व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार करने में सरकार को अब तक कितनी सफलता मिली है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण जीवन-स्तर उनकी आमदनी के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में एक विशेष समय-सीमा के अन्तर्गत राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत सामाजिक उपभोग की मूलभूत सेवाओं तथा सुविधाओं पर निर्भर करता है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) जो क्रमशः ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को स्व-रोजगार तथा मजदूरी–रोजगार मुहैया कराती है के अन्तर्गत कार्यकलापों के जरिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के द्वारा निर्धन परिवारों के आय-स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है । इसके साथ-साथ न्यूनतम आवश्यतकता कार्यक्रम (एम एन पी) को भी क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पोषण, गांवों के लिये खाना पकाने सम्बन्धी ऊर्जा, ग्रामीण सफाई, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे घटक आते हैं जो आधारभूत संरचना के विकास तथा ग्रामीण जनसंख्या के मानव संसाधन विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं ।

(ग) विभिन्न विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीबी का विस्तार-क्षेत्र राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1977-78 में 51.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1987-88 में 33.4 प्रतिशत रह गया है । इसके साथ-साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम एन पी) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । कुछ उपलब्धियों को नीचे दिया गया है :—

(1) **दिनांक 1-4-90 की स्थिति के अनुसार देश में 1,30,876 उप केन्द्र, 20,587 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा 2,048 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे ।**

(2) ग्रामीण जन्म दर तथा मृत्यु दर वर्ष 1981–85 में क्रमशः 34.3 तथा 13.00 की तुलना में घटकर वर्ष 1989 में (अनन्तिम) क्रमशः 32.0 तथा 11.1 हो गई है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर वर्ष 1971 में 138 से घटकर वर्ष 1989 में (अनन्तिम) 98 तक नीचे चली गई है।

(4) "पुरुष" तथा "स्त्री" के लिये जन्म के समय जिन्दा रहने की सम्भावना वर्ष 1941–51 के दौरान क्रमशः 32.45 तथा 31.66 से बढ़कर वर्ष 1989 में (अनन्तिम) क्रमशः 58.1 तथा 59.1 तक हो गई है।

(5) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" के तहत खाद्यान्नों की कुल खरीद वर्ष 1955 में 1.64 मि० टन की तुलना में बढ़कर वर्ष 1990-91 में 16.03 मि० टन तक पहुंच गई है।

(6) साक्षरता दर वर्ष 1951 में 16.67 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1991 में 52.1 प्रतिशत हो गई है।

(7) 1000—1500 की आबादी वाले 65 प्रतिशत से अधिक गांवों तथा 1500 से ज्यादा आबादी वाले 89 प्रतिशत से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

(8) छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर 54 प्रतिशत की तुलना में सातवीं योजना की समाप्ति तक 87 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पीने योग्य पानी की आपूर्ति के अन्तर्गत आ गई थी।

कर्नाटक को उर्वरकों की सप्लाई

2091. **श्रीमती बासव राजेश्वरी**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने संघ सरकार से राज्य को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) कर्नाटक राज्य को वर्ष 1988-89, 1889-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई की गयी और उक्त अवधि के दौरान राज्य की वास्तविक मांग क्या थी; और

(ग) कर्नाटक राज्य में उर्वरकों की कुल मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक में 1989-90 और 1990-91 वर्षों के दौरान उर्वरकों की कुल उपलब्धि तथा उसकी तुलना में अनुमानित मांग नीचे दी गयी है :–

(न्यूट्रीएन्ट्स लाख टनों में)

	अनुमानित मांग	उपलब्धि
1989-90	8.26	10.02
1990-91	8.65	9.75

(ग) राज्य की उर्वरक अपेक्षा को पूर्णत: पूरा किया जा रहा है।

कर्नाटक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी मुद्रा की कमी

2092. **श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे कितने उपक्रम हैं जो विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण मुसीबत में हैं;

(ख) क्या इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण विदेशी सप्लाई नहीं मिल पायेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन सोलह उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय स्थित हैं, उनमें से आठ उपक्रमों को विदेशी मुद्रा की कुछ राशि की कमी हो रही है। उनके उत्पादन कार्यक्रमों पर इसका प्रभाव कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

कर्नाटक को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

2093. **श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को वर्ष 1990-91 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितनी मात्रा में मुख्य मदों का आवंटन किया गया था;

(ख) कर्नाटक सरकार ने वास्तव में कितनी मात्रा प्राप्त की थी; और

(ग) कर्नाटक को वर्ष 1991-92 के लिए कितना आवंटन किया गया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) 1990-91 में कर्नाटक सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की आवंटित तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा निम्नलिखित है :---

(हजार मी० टन में)

वस्तु	आवंटन (1990-91)	उठाई गई मात्रा (1990-91)
चावल	589	501
गेहूं	375	325
लेवी चीनी	219	*
आयातित खाद्य तेल	44	44
मिट्टी का तेल	444	440

*लेवी चीनी की सामान्यत: शत-प्रतिशत मात्रा उठाई जाती है।

(ग) 1991-92 के पहले चार महीनों (अप्रैल–अगस्त, 1991) में कर्नाटक को आवंटित उपर्युक्त मदों की मात्रा निम्नवत है :–

(हजार मी० टनों में)

चावल	248
गेहूं	210
लेवी चीनी	90
आयातित खाद्य तेल	0.56
मिट्टी का तेल	171

कर्नाटक में उद्योगों का पंजीकरण

2094. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में नए उद्योगों का पंजीकरण करने से संबंधित कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान तथा अब तक कर्नाटक राज्य में सरकार द्वारा पंजीकृत किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनमें से कितने उद्योगों को मंजूरी दी गई है; और

(घ) विचाराधीन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस समय कर्नाटक राज्य में नये औद्योगिक एकक के पंजीकरण के लिए प्रस्ताव लंबित नहीं है। नई औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस मुक्त/छूट प्राप्त उद्योगों/डी०जी०टी०डी० पंजीकरण की योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य में जनवरी, 1990 से जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान लाइसेंस मुक्त/छूट प्राप्त उद्योगों/डी०जी०टी०डी० पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

पंजीकरणों की संख्या

वर्ष	लाइसेंस मुक्त उद्योगों के पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण	डी०जी०टी०डी के पंजीकरण
1990	29	45	34
1991 (जुलाई तक)	26	42	16

जारी किये गये सभी पंजीकरण के संबंध में उपक्रम का नाम, स्थापना स्थल, विनिर्माण की मद (मदें) और क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज़ लैटर" में प्रकाशित किये जाते है, जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है।

(घ) ऊपर (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया इकाई का नवीकरण

2095. **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया इकाई के नवीकरण हेतु कोई निवेश संबंधी निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना के पुनरुद्धार के लिए विदेशी परामर्शदाताओं की रिपोर्ट में बहुत भारी निवेश अन्तर्ग्रस्त था। नाइट्रोफॉस्फेट संयंत्र समूह के पुनरुद्वार के विकल्प में भी काफी निवेश अन्तर्ग्रस्त था। इसको ध्यान में रखते हुए और निवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

पेरे गए गन्ने की मात्रा

2096. **श्री राम नगीना मिश्र :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चालू मौसम (1990-91) के दौरान चीनी मिलों द्वारा कितनी मात्रा में गन्ने की पेराई की गई तथा गन्ने की कितनी मात्रा के लिए भुगतान दिया गया और शेष कितनी मात्रा का भुगतान किया जाना बाकी है; और

(ख) गन्ने के किसानों को गन्ने की बकाया राशि का कब तक भुगतान किया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) 1990-91 के चालू मौसम के दौरान 15-6-91 तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 323.11 लाख टन गन्ने की पेराई की गई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार देय गन्ना कीमत में से 1043.88 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है तथा 15-6-91 को 145.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष है।

(ख) गन्ना कीमत का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है, जिनके पास ऐसे भुगतान के लिए बाध्य करने के लिए आवश्यक अधिकार एवं क्षेत्रीय संगठन हैं। तथापि, केन्द्र सरकार स्थिति की मोनिटरिंग कर रही है तथा राज्य सरकारों से बकाया गन्ना कीमत के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

शोलापुर में उद्योगों की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी करना

2097. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में सहकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने हेतु जून, 1991 के अन्त तक आशय पत्रों के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों को स्वीकार करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) लंबित अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सहकारी क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए जनवरी, 1988 और 30 जून, 1991 के बीच आशय पत्र की मंजूरी के लिए 26 आवेदन प्रत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से आठ आवेदन पत्रों के संबंध में आशय पत्र जारी कर दिये गये है और तीन आवेदन पत्र नामंजूर कर दिये गये है। शेष 15 आवेदन पत्र कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में है।

भारत विद्या और अध्ययन अनुसंधान में कम्प्यूटरों का प्रयोग

2098. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विद्या अध्ययन और अनुसंधान में कम्प्यूटरों के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) आठवीं योजना में भारत विद्या अध्ययन हेतु कम्प्यूटर लगाने हेतु जिन केन्द्रों का चयन किया गया है उनके नाम क्या हैं ;

(ग) इन केन्द्रों का तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं का नेटवर्क स्थापित करने की योजना का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन योजनाओं का परिणाम अच्छा निकले, यह सुनिश्चित करने संबंधी निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत विद्या अध्ययन और अनुसंधान में कम्प्यूटरों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, जैसे कि प्राचीन विज्ञान एवं भाषाएं, वेद, आयुर्वेद संगीत, वैदिक गणित आदि।

इसके प्रयुक्त केन्द्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी—डैक), पुणे

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

(3) इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई.आर. एण्ड डी.सी.) तिरुवनन्तपुरम

(4) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।

(5) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

(6) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(7) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

(8) संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट

(ग) इस समय इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

(घ) जिन परियोजनाओं को धनराशि प्रदान की गई है उनकी निगरानी इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित निगरानी समिति की प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों से की जाती है ।

इलेक्ट्रोनिक्स के संबंध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका को हिन्दी में प्रकाशित किया जाना

2099 **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रानिक्स के संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका को हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है, अंतर्राष्ट्रीय सम्पादकीय बोर्ड जैसे संगठन, जो ऐसी पत्रिका प्रकाशित करेगा, की संरचना संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लेखकों, प्रकाशनों तथा प्रकाशकों के लिए हिन्दी में 'सॉफ्टवेयर पैकेज' का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लेखकों तथा प्रकाशकों के लिए इस समय हिन्दी के दो प्रकार के साफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध हैं । ये हैं वर्ड प्रोसेसिंग (डब्ल्यू पी) तथा डेस्क टॉप पब्लिशिंग (डी टी पी) पैकेज । हिन्दी के सॉफ्टवेयर पैकेजों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है ।

[अनुबंध]

विवरण

हिन्दी के सॉफ्टवेयर पैकेजों की सूची

1. शब्दरत्न सुपर (त्रिभाषी वर्ड पोसेसिंग पैकेज)
2. वीनस डेस्क टॉप पब्लिशिंग पैकेज (द्विभाषी)
3. प्रकाशक डेस्क टॉप पब्लिशिंग पैकेज
4. मल्टीवर्ड (वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज)
5. अक्षर (वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज)
6. ए एल सी डेस्क टॉप पब्लिशिंग पैकेज
7 देवस्टार (वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज)
8. वाईस्क्रिप्ट्स (वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज)
9. हिन्दी विज़ीराइटर
10. देवनागरी (वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज)
11. आलेख (वर्ड प्रोसेसिंग)

[हिन्दी]

पेंशन का भुगतान न किया जाना

2100. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान पेंशन का भुगतान किए जाने के बारे में पेंशनभोगियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही कर दी गई है; और

(ग) कितनी शिकायतें अभी लम्बित पड़ी हैं तथा इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान की पद्धति एक विकेन्द्रीकृत आधार पर चलती है। पेंशन मंजूर किए किए जाने में विलम्ब को कम से कम करने के उद्देश्य से जनवरी, 1987 में ऐसे निर्देश जारी किए गए थे जिनमें विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन तथा उपदान–अस्थाई अथवा अंतिम–का प्राधिकार दिए जाने की बात को सुनिश्चित करने संबंधी सरकारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। सेवानिवृत्त होने वाले जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त नहीं होता उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे ऐसे मामलों को इस मंत्रालय की जानकारी में लाए। 1989–90 और 1990– 1991 के वर्षों के दौरान इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :––

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	अब तक निपटाई गई शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका अभी तक अंतिम रूप से निपटान किया जाना है
1989–90	52	51	1
1990–91	18	9	9

संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त स्तर पर निर्देश दे दिए गए है कि वे लम्बित मामलों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करें।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत सृजित रोजगार के अवसर

2101. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1990 से सृजित रोजगार अवसरों की संख्या क्या है, और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार अवसर बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उड़ीसा में भारत सरकार के मुख्य गरीबी निवारण कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जनवरी, 1990 से सृजित रोजगार अवसरों की संख्या नीचे दी गई है :—

1. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार (मई, 1991 तक)	400.41 (लाख श्रम दिन)
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या (जून, 1991 तक)	2.48 (लाख संख्या)

(ख) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात् जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों के आबंटन को काफी बढ़ा दिया है। इस योजना के अन्तर्गत 1988-89 में 68.44 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था जिसे 1989-90 के दौरान बढ़ाकर 126.56 करोड़ रुपये और 1990-91 में बढ़ाकर 130.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाए रखना

2102. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाये रखने के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कतिपय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को समाप्त करने से सम्बन्धित प्रश्न की जांच के लिये प्रो० सतीश चन्द्र, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

सीमेंट का मूल्य

2103. **श्री राम नरेश सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1989, 1990 और 1991 में देश के विभिन्न क्षेत्रों में पोर्टलैंड सीमेंट का प्रति बोरी मूल्य कितना था ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सीमेंट के मूल्यों में तेजी से वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को देशों के प्रमुख सीमेंट निर्माताओं द्वारा एक उत्पादक संघ का गठन एवं उनके बीच मूल्य निर्धारण की व्यवस्था किए जाने की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जुलाई, 1989, जुलाई, 1990 तथा जुलाई, 1991 के अन्त में भारत के चार महानगरों में प्रचलित पोर्टलैंड सीमेंट के प्रति 50 कि०ग्रा० के बैग का खुदरा मूल्य इस प्रकार है :-- -

(आंकड़े रुपये में)

	जुलाई, 1989	जुलाई, 1990	जुलाई 1991
दिल्ली	69–71	92–95	110–115
कलकत्ता	68–75	85–92	113–123
बम्बई	70–74	90–95	105–120
मद्रास	66–70	84–87	97–102

(ख) पिछले दो वर्षों में सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :--

(i) सीमेंट की मांग और उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन।

(ii) बढ़ती हुई निविष्टी और वितरण लागत।

(iii) स्थानीय अवसंरचना तथा उत्पादन अवरोध।

(ग) तथा (घ) महानिदेशक (जांच तथा पंजीकरण) ने एम. आर. टी. पी. आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें कुछ सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा अवरोधक व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया गया है।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में भर्ती

2104. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांख्यकीय सेवा में भर्ती किये गये व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय सांख्यकीय सेवा को समाप्त करने का कोई निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा में प्रवेश ग्रैड सेवा का ग्रेड चार (वेतनमान 2200–4000 रुपए) है। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार 1-10-90 से संभरक पदों से पदोन्नति के आधार पर इस ग्रेड में 166 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान इस ग्रेड में कोई सीधी भर्ती नहीं की जा सकी। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग सेवा के इस ग्रेड में सीधी भर्ती के लिये 1991 में परीक्षा आयोजित करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल गैस से पीड़ित लोगों के आवास समूहों को गिराना

2105. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय नगर अधिकारियों ने मई–जून, 1991 में लगभग 60,000 भोपाल गैस पीड़ितों को उनके आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शहर के बाहरी क्षेत्र में भेज दिया है ;

(ख) क्या 5,000 से अधिक गैस पीड़ितों के मकानों को गिराकर इनमें रहने वाले व्यक्तियों को बेघर कर दिया गया है ;

(ग) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर मकानों के गिराने पर रोक लगाई थी कि गैस से पीड़ित लोगों के मौजूदा आवासीय समूहों में हस्तक्षेप करने से कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मकानों को गिराये जाने की ओर ध्यान दिया है तथा राज्य सरकार को यह सलाह दी है कि वह भोपाल में गैस से पीड़ित लोगों के अपवासीय समूहों में हस्तक्षेप न करें ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) म्युनिसिपल प्रशासन का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार अपर लेक के प्रदूषण को रोकने के लिये भोपाल के जिला प्रशासन ने अप्रैल और जून, 1991 में रेधघाट, साकिर नगर और शाजिद नगर से 959 परिवारों को पुनःस्थान दिया है। इन परिवारों को गांधी नगर, बाघवाई, बाग फरात अफजा, अब्बास नगर और दुर्गा नगर में 15 फीट × 20 फीट के आकार के प्लाटों पर व्यवस्थित ढंग से बसाया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पॉट पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल्स का मूल्य निर्धारण

2107. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांट पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल के मूल्य निर्धारण के लिये विभिन्न औषध निर्माता कम्पनियों ने जो मानदंड प्रस्तुत किये थे उनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है; जिसके परिणामस्वरूप इनके अधिक मूल्य निर्धारित किये गये है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित आंकड़ों को प्रकाशित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) पोटेशियम पेन्सिलीन जी० फर्स्ट क्रिस्टल की कीमत मेसर्स एच ए एल, मे० आई डी पी एल, मे० अलेम्बिक और मे० स्टेन्डर्ड फार्मास्युटिकल्स के लागत ढांचे का बीआईसीपी द्वारा लागत तथा तकनीकी अध्ययन के आधार पर निर्धारित की गई है। सभी प्रपुंज औषधों की कीमतें इसी प्रकार के लागत तथा तकनीकी अध्ययनों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं जो गोपनीय प्रकृति की होती हैं और इनको बताना जनहित में नहीं है। बी आईसीपी की रिपोर्ट के अनुसार प्रयोग में लाई गई स्ट्रेन और अपनायी गई प्रौद्योगिकी अलग-अलग निर्माताओं की अलग-अलग होती हैं जिसके कारण कच्चे माल और उनकी मात्राओं में अन्तर होता है।

राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार

2108. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थानी रेगिस्तान का विशेषकर हरियाणा और दिल्ली की ओर विस्तार हो रहा है;

(ख) पिछले एक दशक के दौरान अनुमानतः कितनी भूमि रेगिस्तान में बदल गई है;

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिये किसी विधि का विकास किया है ;

(घ) क्या सरकार ने रेगिस्तान विकास से अलग रेगिस्तान नियन्त्रण के लिये कोई कार्यक्रम चालू किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किए गए गत 25 वर्षों के अनुसंधान कार्य के आधार पर, यह देखा गया है कि थार रेगिस्तान का हरियाणा और दिल्ली की ओर विस्तार होने का कोई संकेत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर संसाधन सर्वेक्षणों के माध्यम से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया की निगरानी का अध्ययन कर रहा है।

(घ) और (ङ) राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिये कोई अन्य विशेष कार्यक्रम नहीं है। तथापि, राजस्थान में कार्यान्वित किए जा रहे निम्नलिखित कार्यक्रमों द्वारा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने की सम्भावना है :—

1. **वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल सम्भर (वाटरशेड) विकास कार्यक्रम :**

यह परियोजना राजस्थान में 1986 में आरम्भ की गई थी और सातवीं योजना के दौरान इसे 104 वाटरशेडों मे कार्यान्वित किया गया था जिसके अन्तर्गत 5.10 करोड़ रुपये की लागत से 16 जिलों में 43,333 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था। आठवीं योजना के दौरान 135.98 करोड़ रुपये की लागत से 3.4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने हेतु 27 जिलों में प्रत्येक खण्ड में एक-एक वाटरशेड की दर से 188 वाटरशेडों का विकास किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 1990-91 के दौरान चयन किए गए वाटरशेडों के विकास के लिये 9.25 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

2. **विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन-रोपण कार्यक्रम :**

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना सहित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य प्लान योजनाओं के अन्तर्गत कुल 2.84 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत कुल 125.79 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित वनरोपण योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान को कुल 10.49 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

अब्दुल कलाम आजाद पर उनके शताब्दी वर्ष के दौरान कार्यक्रमों का दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण

2109. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा अब्दुल कलाम आजाद के शताब्दी वर्ष के दौरान उन पर क्रमश: कितने-कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए; और

(ख) दूरदर्शन/आकाशवाणी पर प्रसारित प्रत्येक कार्यक्रम की आकाशवाणी केन्द्र-वार तथा दूरदर्शशन केन्द्र-वार अवधि और भाषा का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय हुक-अप नेटवर्क में अब्दुल कलाम आजाद शताब्दी वर्ष के दौरान उन पर प्रसारित टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न स्टेशनों/केन्द्रों द्वारा प्रसारित/टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप में संकलित नहीं किया जाता ।

विवरण-1

मौलाना अबुल कलाम आजाद पर उनके शताब्दी वर्ष के दौरान आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय हुक-अप पर प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं०	प्रसारण की तारीख	कार्यक्रम	कार्यक्रम की भाषा	अवधि
1	11-11-88	मौलाना अबुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद हसन द्वारा वार्ता।	अंग्रेजी	7 मिनट
2	11-11-88	मौलाना आजाद का शिक्षा और साहित्य में योगदान परिचर्चा : प्रतिभागियों के नाम : 1. डॉ० ए० आर० किदवई, उप-कुलपति, अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय; 2. डॉ० प्रेम कृपाल—सेवा-निवृत्त शिक्षा सचिव; 3. डॉ० मुसरूल हसन—जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय; 4. डॉ० नामवर सिंह—शिक्षा शास्त्री	हिन्दी	30 मिनट
3	12-11-88	मौलाना आजाद : पी० टी० आई०—भाषा के रफीक खाजी द्वारा वार्ता	हिन्दी	30 मिनट
4	21-02-89	मौलाना आजाद : वार्ता प्रो० सैयद नुरूल हसन द्वारा शताब्दी श्रद्धांजलि	अंग्रेजी	15 मिनट
5	19-10-89	मौलाना अपने खुतूत के आईने में : रूपक	हिन्दी	30 मिनट

विवरण-2

मौलाना अबुल कलाम आजाद पर उनके शताब्दी वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय हुक-अप पर टेलीकास्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं०	कार्यक्रम		टेलीकास्ट की तारीख तथा समय	अवधि तथा भाषा
1	दोआना-ए-राज-मौलाना अबुल कलाम आजाद		11-11-88 को रात 9.50 बजे	30 मिनट उर्दू
2	इत्तेहाद का पैकर अबुल कलाम आजाद पर विशेष कार्यक्रम		22-2-1989 को रात 10.40 बजे	30 मिनट उर्दू
3	मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मारक व्याख्यान माला श्रीमती अरुणा आसफ अली		3-10-1989 को सायं 4.55 बजे	54 मिनट अंग्रेजी
5	इत्तेहाद का पैकर—मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्मशती पर विशेष कार्यक्रम प्रतिभागियों के नाम : श्रीमती अरुणा आसफ अली, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला श्री मालिक राम, डॉ० बी० एम० चोपड़ा, श्री बाकर हुसैन		11-11-1990 को रात 11.04 बजे	30 मिनट उर्दू
6	मौलाना अबुल कलाम आजाद धारावाहिक	(पहली कड़ी)	6-3-90 को रात 10 बजे	25 मिनट उर्दू
7	तथैव	(दूसरी कड़ी)	13-3-90 को रात 10 बजे	तथैव
8	तथैव	(तीसरी कड़ी)	20-3-90 को रात 10 बजे	तथैव
9	तथैव	(चौथी कड़ी)	27-3-90 को रात 10 बजे	तथैव
10	तथैव	(पांचवीं कड़ी)	3-4-90 को रात 10 बजे	तथैव
11	तथैव	(छठी कड़ी)	10-4-90 को रात 10 बजे	तथैव
12	तथैव	(उपर्युक्त धारावाहिक का समेकित पाठ)	22-2-91 को रात 11.10 बजे	40 मिनट उर्दू

केरल को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

2110. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई धनराशि का वर्ष-वार और कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वास्तव में प्रयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु दी गई धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने हेतु कोई स्वतंत्र मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना की है,; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) . (क) केरल को 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटित की गई निधियां नीचे दी गई हैं :—

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	1988-89	1989-90	1990-91
1. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	2686.71		
2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3586.01		
3. जवाहर रोजगार योजना		6569.99	6396.19
4 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1805.79	1871.12	1871.12
5. ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना	16.98	19.94	19.94
6. ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना	25.10	25.42	28.73
7. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1171.00	1076.00	1076.00
8. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम			25.00

(ख) केरल द्वारा 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोग की गई वास्तविक धनराशि निम्न प्रकार है

(लाख रुपये म)

कार्यक्रम	1988-89	1989-90	1990-91
1. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	2180.90		
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	4008.98		
3. जवाहर रोजगार योजना		6587 35	6819.92
4. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1878.84	1926.69	2043.51
ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना	16.98	19 94	19.94
6 ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना	15.04	8 14	8.76
7. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1184.00	1002.00	1525.00
8. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	4.25	0.15	असूचित

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में सुधार लाने तथा उसे कारगर बनाने हेतु इस कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन करवा रहा है। सारे देश में सर्वेक्षण कार्य स्वतन्त्र अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम का पिछला मूल्यांकन जनवरी–दिसम्बर, 1989 की अवधि के लिये किया गया था और उसकी रिपोर्ट सभी राज्यों के 16568 लाभार्थी घरेलू अनुसूचियों के विश्लेषण के आधार पर थी।

भूमि सुधार

2111. **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूलभूत भूमि सुधार करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय होने के कारण, भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भूमि सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये भूमि कानूनों में परिवर्तन हेतु विभिन्न प्रस्तावों पर जून, 1990 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में यह आम सहमति हुई थी कि भूमि कानूनों में और परिवर्तन न किए जाएं बल्कि विद्यमान कानूनों को ही बेहतर ढंग से लागू किया जाए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् के अपने उद्घाटन भाषण में कृषि उत्पादकता बढ़ाने की एक पूर्व शर्त के रूप में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके पश्चात् उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों को भूमि के बेनामी लेनदेनों का पता लगाने, आबंटितियों को भूमि का वास्तविक कब्जा दिलवाने और ऐसी भूमि को प्राप्त करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा भूमि और निर्धन लोगों में इसके वितरण से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिये भूमि न्यायाधिकरण गठित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक पत्र भी लिखा था।

सरकार ने मुकद्दमेबाजी को कम करने के लिये 222 भूमि कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में पहले ही शामिल कर लिया है।

[हिन्दी]

जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्य में वृद्धि

2112. **श्री राम नारायण बैरवा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान देश में जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षयरोग के मरीजों के लिए अभिप्रेत औषधियों के मूल्य में इस वृद्धि के कारण निर्धन लोग इस रोग का उपचार करने हेतु व्यय का वहन कर पाने में असमर्थ हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य कम करके निर्धन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन): (क) से (ग) बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति में कुछ मूल्य वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। किन्तु सूचीबद्ध सूत्रयोगों जैसे टी०बी० रोगियों के लिए अपेक्षित सूत्रयोगों की कीमत औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 में दिए गए उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए नियत की जाती हैं।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धन-राशि का आबंटन

2113 **श्री बलराज पासी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय जिलों के पिछड़ेपन और उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इन जिलों के लिये धनराशि का विशेष आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को जिले-वार आबंटित की गई और कितने श्रमदिवस सृजित किए गए; और

(ग) उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जिलों के लिये आबंटित धनराशि और अन्य जिलों के लिये आबंटित धनराशि में कितना अन्तर है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के राज्य के अंश सहित आबंटित निधियां तथा सृजित श्रम दिवसों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

क्रम सं०	जिला का नाम	आबंटित निधियां (लाख रुपये में)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)
1	उत्तरकाशी	255.30	12.91
2	चमोली	259.13	10.30
3	टिहरी गढ़वाल	329.88	12.70
4	देहरादून	255.52	9.83
5	गढ़वाल	399.82	13.92
6	पिथौरागढ़	331.37	12.08
7	अल्मोड़ा	505.64	19.92
8	नैनीताल	585.77	19.25

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन एक राज्य में ग्रामीण गरीबों का देश में कुल ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। इन जिलों में पिछड़ेपन तथा उनकी रोजगार की अधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए राज्य के समग्र आबंटन में से विशेष आबंटन किए गए थे। ऐसे मामलों में, पर्वतीय जिलों के लिए प्रति व्यक्ति आबंटन को अन्य किन्हीं जिलों के मुकाबले सबसे अधिक माना गया जिसकी सीमा न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपये तथा अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये थी। ऐसे जिले के बढ़े हुए अंश को राज्य के शेष जिलों के आबंटन में से आनुपातिक कटौती करके समायोजित किया गया था।

[हिन्दी]

बिहार के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के समाचार एककों में कार्मिकों की कमी

2114. **श्री रामलखन सिंह यादव**
श्री छेदी पासवान
मोहम्मद अली अशरफ फातमी
: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में समाचार एकको में संपादन एवं संकलन का कार्य करने वाले कार्मिकों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में स्थानीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिहार के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा इस समय पर्याप्त संख्या में स्थानीय कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन के पास पटना में केवल एक समाचार एकक है। यह अन्तरिम व्यवस्था है। इस एकक द्वारा इस समय सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जैसे ही पटना में पूर्ण विकसित टी० वी० स्टूडियों व्यवस्था स्थापित हो जायेगी, वैसे ही स्थानीय कार्यक्रमों की अवधि बढ़ा दी जायेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही स्थानीय प्रतिभाओं का उपयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार/कर्तव्य की उपेक्षा की कथित शिकायतें

2115. **श्री राम लखन सिंह यादव**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में भ्रष्टाचार और कर्तव्य की उपेक्षा के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। इन शिकायतों की जांच की गई है। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। कुछ मामलों में, उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन पर आरोप लगाए गए हैं, सम्बन्धित अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

भूमि रिकार्डों का दर्जा बढ़ाने की योजना

2116. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "भूमि रिकार्डों का दर्जा बढ़ाने की योजना" के अंतर्गत कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सहायता प्रदान करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) 1989-90—100 लाख रुपये
1990-91—शून्य

(ग) 1990-91 के दौरान योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज के लिये राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) जी हां।

(ङ) भारत सरकार का भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्ती कार्यों को शीघ्र पूरा करने, स्टाफ को प्रशिक्षण देने, सर्वेक्षण और बन्दोबस्ती कार्यों के लिए अपेक्षित आधुनिक उपकरणों को खरीदने तथा भूमि रिकार्डों को तैयार करने आदि जैसे प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ऐसी सहायता की राशि अधिकतर राज्य सरकार द्वारा उनके अपने बजट में किये गये मैंचिग प्रावधान तथा भूमि राजस्व प्रशासन म सुधार लाने और भूमि रिकार्ड व्यवस्था में टैक्नोलोजी को अपनाने हेतु उनके द्वारा तैयार किये गये नये प्रस्ताव पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को औद्योगिक विकास हेतु सहायता

2117. **श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटील :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान और अधिक वित्तीय सहायता की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलों का चयन

2118. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन जिलों के नाम क्या है जिन्हें जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत चुना गया है और वर्ष 1990-91 के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया गया है,

(ख) उन अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या है जिन्हें उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है,

M/J(D)429LSS—12

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई तंत्र है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई धनराशि का समुचित व्यय हुआ है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है, और

(ङ) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जवाहर रोजगार योजना को कब तक कार्यान्वित कर लिये जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ङ) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण जिलों में पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रगति की निगरानी रोजगार सृजन के रूप में की जाती है न कि रोजगार प्रदान किए गए लोगों की संख्या के रूप में। 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में 1628.77 लाख श्रमदिनों के रोजगार का सृजन किया गया था।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

(1) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसमें शामिल हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) और इसकी अनुषंगी योजनाएं जैसे ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) और ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात् जवाहर रोजगार योजना (जे०आर० वाई०)

(2) क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)

(3) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनमें शामिल हैं :—

1. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी मिशन
2. कृषि विपणन तथा ग्रामीण गोदाम
3. भूमि सुधार
4. पंचायती राज संस्थाओं को पुन: सक्रिय बनाना
5. प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ बनाना
6. लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की मार्फत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों अर्थात् मासिक, तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए राज्य/जिला/खण्ड स्तर पर प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारियों द्वारा अनेक

फील्ड दौरे भी किये जाते हैं। कार्यक्रम के गुणवत्ता/मात्रात्मक पहलुओं की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी भी फील्ड दौरे करते हैं। आवधिक रिपोर्टों और केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों के फील्ड दौरों से कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी होती है और जहां-कहीं आवश्यक होता है, उचित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी निधियों को सही ढंग से खर्च किया जाए, ग्रामीण स्थानीय निकायों पर लागू अधिनियमों, नियमों, मैन्यूवलों और लेखा कोडों में निर्धारित संस्थागत जांच-बिन्दु हैं।

(ङ) अपेक्षित उत्तर प्रश्न के भाग (क) में दिया गया है।

स्कूटरों का निर्यात

2119. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों को स्कूटरों का निर्यात किया जा रहा है,

(ख) ये कंपनियां कब से स्कूटरों का निर्यात कर रही है और वर्ष 1991-92 के लिए कितना निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) इन स्कूटरों का निर्यात करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) प्रमुख निर्माताओं द्वारा स्कूटरों के निर्यात संबंधी ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

निर्माता का नाम	जब से निर्यात कर रहे है	(सं०) लक्ष्य 91-92	(रु० करोड़ में) अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा
1. मै० बजाज आॅटो लि०	1972-73	12000	22.00
2. मै० कायनेटिक हौंडा लि०	1990	5000	9.36
3. मै० गजरात नर्मदा आॅटो लि०	1988-89	500	0.65
4. एल० एम० एल० लि०	1987	7000	10.00

देवरिया और बलिया में उद्योगों की स्थापना

2120. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवरिया और बलिया में विभिन्न उद्योगों की स्थापना/पंजीकरण/लाइसेंस देने से संबंधित अनेक मामले लम्बे समय से सरकार के पास लंबित पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं और ये किन सैक्टरों से संबंधित है, और

(ग) इन्हें स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा बलिया जिलों में औद्योगिक एकक लगाने के लिए आशय पत्र की मंजूरी के लिए क्रमश: 13 तथा 2 आवेदन पत्र लंबित पड़े थे। सरकार के पास इन जिलों में उद्योगों के पंजीकरण के बारे में कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं पड़ा है। नयी औद्योगिक नीति के अनुसार, सुरक्षा, सामरिक महत्व से संबद्ध उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंससीकरण समाप्त कर दिया गया है। नयी नीति के अंतर्गत उद्योगों की विभिन्न पंजीकरण योजनाएं समाप्त हो जाती हैं।

महाराष्ट्र में खामगांव, अकोट और हिंगनघाट में दूरदर्शन रिले केन्द्र

2121. **श्री पांडुरंग पुंडलिक पुंडकर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के खामगांव, अकोट और हिंगनघाट में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिये स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) क्या इन केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरु हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिले केन्द्रों का निर्माण कार्य कब से शुरु किये जाने त ा कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) महाराष्ट्र के अकोट, हिंगनघाट और खामगांव में एक-एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना के लिये योजना बनाई गई है।

(ख) और (ग) ट्रांसमीटर लगाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिये कार्रवाई शुरु कर ली गई है तथा हिंगनघाट और खामगांव की परियोजनाओं के लिए मुख्य उपकरणों की सप्लाई के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं। इन तीनों ट्रांसमीटरों के वर्ष 1992 के उत्तरार्द्ध में सेवा के लिये चालू कर दिए जाने की संभावना है।

अकोला स्थित दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करना

2122. **श्री पांडुरंग पुंडलिक पुंडकर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में अकोला स्थित दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, नहीं, अकोला में कार्यरत अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर की विकिरण शक्ति बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जिले की कवरेज में सुधार करने के लिये इस क्षेत्र में एक और अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

गांवों को बारह मासी सड़कों से जोड़ना

2123. **श्री बलराज पासी**
श्री महेश कुमार कनोडिया } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार बारहमासी सड़कों से जोड़े गए गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान गांवों को इन सड़कों से जोड़ने का राज्यवार लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) ग्रामीण सड़कों के निर्माण का उत्तरदायित्व मूल रूप से राज्य सरकारों का है और इसे राज्यक्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में सूचना अलग-अलग राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं द्वारा घटिया सामान की बिक्री

2124. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं से घटिया सामान बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पेशवा रोड, गोल मार्किट स्थित केन्द्रीय भण्डार शाखा में प्रायः बहुत ही घटिया और मिलावट युक्त दालें बेची जाती है और यहां

खाद्य-पदार्थों का भी अभाव रहता है तथा उपभोक्ताओं से उचित बर्ताव भी नहीं किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मिलावट-युक्त और सड़ी गली दाल धोकर और सुखा कर बेच दी जाती है; और यदि हां, तो दोषी सेल्समैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) केन्द्रीय भण्डार के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) केन्द्रीय भण्डार में घटिया सामान बेचे जाने से संबंधित शिकायतें सरकार की जानकारी में पहले भी लाई गई हैं। भण्डार के प्रबन्धकों को इन शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के निदेश दे दिये गए थे। प्रबन्धकों द्वारा की गई जांच से यह पता लगा है कि इन शिकायतों में कोई तथ्य नहीं है। केन्द्रीय भण्डार उचित मूल्यों पर बढ़िया माल बेचने के लिए जाना जाता है। गोल मार्केट क्षेत्र में पेशवा रोड डी०आई०जैड० क्षेत्र तथा काली बाड़ी स्थानों पर इसके तीन शाखा भण्डार है। इन भण्डारों के संबंध में दालों की घटिया किस्म अथवा बिक्री कर्मचारियों के व्यवहार से संबंधित कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन भण्डारों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का कोई अभाव नहीं है। भण्डार की आपूर्ति स्थिति तथा कार्य-प्रणाली पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है तथा जहां आवश्यक हो सुधारात्मक कार्यवाई की जाती है।

[हिन्दी]

राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मंत्रालय

2125. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राज्यों से पृथक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्बन्धी मंत्रालय का गठन करने को कहा है ताकि कृषि उपज और प्रसंस्कृत फलों का निर्यात सभी राज्यों से किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जिन राज्यों ने अभी तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पृथक मंत्रालय का गठन नहीं किया है, उनके नाम क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों से राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए नोडल एजेन्सियां स्थापित करने का अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपानगर द्वारा अखबारी कागज का उत्पादन

2126. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपानगर ने गत वर्ष की तुलना में अखबारी कागज का कम उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अखबारी कागज की मांग पूरी करने की दृष्टि से इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० क० थुंगन) : (क) नेपा लिमिटेड (पूर्ववर्ती नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स) ने वर्ष 1989-90 के 51,575 एम०टी० की तुलना में वर्ष 1990-91 में 75,512 एम०टी० अखबारी कागज का उत्पादन किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) क्षमता के बेहतर उपयोग हेतु मशीन-निष्पादन में और सुधार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना

2127. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गेहूं, चावल, खाद्य तेल और चीनी की राज्यवार भंडारण क्षमता कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है; और

(च) इनको कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम ऐसी प्रमुख केन्द्रीय एजेन्सियां हैं जो भण्डारण क्षमता का निर्माण करने में कार्यरत हैं । उनका 1990-91 से 1994-95 की अवधि के दौरान अतिरिक्त क्षमताओं का निम्नानुसार निर्माण करने का प्रस्ताव है :—

भारतीय खाद्य निगम	--	4.23 लाख मी० टन
केन्द्रीय भण्डारण निगम	--	15.00 लाख मी० टन

इसके अलावा, राज्य सरकारें और उनकी एजेन्सियां, राज्य भण्डारण निगम, सहकारी समितियां आदि भी भण्डारण क्षमता का निर्माण कर रही हैं।

(ग) भण्डारण क्षमता का सामान्यतया केवल मात्र किसी जिन्स विशेष के लिए सृजन नहीं किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास उपलब्ध कुल राज्यवार भण्डारण क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित गोदामों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के नए गोदाम जिन स्थानों पर निर्माणाधीन हैं और जिन्हें मार्च, 1992 तक पूरा कर लेने की सम्भावना है, यह जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

1-4-1991 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता

क्षमता (लाख मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय भण्डारण निगम
1	2	3	4
1	अरुणाचल प्रदेश	0.15	–
2	आन्ध्र प्रदेश	23.93	10.72
3	असम	2.87	0.42
4	बिहार	6.41	1.70
5	गोआ	0.28	0.19
6	गुजरात	9.05	3.09
7	हरियाणा	15.93	2.28
8	हिमाचल प्रदेश	0.25	0.05
9	जम्मू तथा कश्मीर	0.95	–
10	कर्नाटक	3.99	1.78
11	केरल	5.35	0.70
12	मध्य प्रदेश	13.46	5.93
13	महाराष्ट्र	14.99	8.24
14	मणिपुर	0.14	0.003
15	मेघालय	0.21	–
16	मिजोरम	0.12	0.02
17	नागालैण्ड	0.16	0.13
18	उड़ीसा	3.83	1.23
19	पंजाब	54.22	6.06
20	राजस्थान	12.05	1.46

विवरण II—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
15	पंजाब	2	1	–	2	1	2
16	राजस्थान	1	–	–	1	1	1
17	सिक्किम	1	1	–	–	–	–
18	तमिलनाडु	–	–	–	4	2	1
19	त्रिपुरा	1	–	1	1	1	–
20	उत्तर प्रदेश	5	2	1	4	–	3
21	पश्चिम बंगाल	–	1	–	3	4	2
22	दिल्ली	1	–	–	1	2	1
	जोड़	23	10	9	39	23	13

विवरण-III

उन स्थानों के नाम जहां भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा 1991-92 के दौरान नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है

भारतीय खाद्य निगम		केन्द्रीय भण्डारण निगम	
क्रम सं०	केन्द्र का नाम	क्रम सं०	केन्द्र का नाम
1	पाथीघाट	1	धुबरी
2	बेवरा	2	करनाल
3	कल्याणगापल्ली	3	गुलबर्गा
4	बाजपुर	4	गडाग
5	लार्वेगतलाई	5	नरसिंहपुर
6	मोन	6	सोहागपुर
7	बरान	7	चिलकल्याना
8	बाड़मेर	8	कोल्हापुर
9	चन्देरिया	9	पुणे
10	हनुमानगढ़	10	अकोला
11	केशोरामपटनम	11	जे० एन० पोर्ट न्यू बम्बई
12	श्रीविजयानगर	12	बालुज
13	कुमारघाट	13	बेरहामपोर
14	बुलन्दशहर	14	जयपुर
15	कोसीकलां	15	सम्बलपुर
16	मथुरा	16	मोगा
17	प्रतापपुर	17	रानीनगर
18	मुरादाबाद	18	बेरहामपुर
19	वाराणसी	19	तारागांव
20	रोजा		
21	धनकुनी		

[हिन्दी]

पुरस्कृत क्षेत्रीय फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण

2128. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेहतरीन फिल्म होने के लिए पुरस्कृत क्षेत्रीय फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में दूरदर्शन पर किन-किन फिल्मों को दिखाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षत्रीय भाषाओं की पुरस्कृत फीचर फिल्में प्रसारित की जाती हैं।

(ख) दूरदर्शन द्वारा निकट भविष्य में राष्ट्रीय नेटवर्क पर अन्तरिम रूप से निम्नलिखित क्षेत्रीय फीचर फिल्में प्रसारित किए जाने का कार्यक्रम है :—

1. सांतू रंगीली (गुजराती)
2. नम्मा मक्कलू (कन्नड़)
3. चेटगु चित (कन्नड़)
4. बलर्तू मृगंगल (मलयालम)
5. नव जन्म (उड़िया)
6. उडीकां (पंजाबी)
7. अन्नायन आर्णै (तमिल)
8. आकाश कुसुम (बंगला)

दिल्ली में सीमेंट में मिलावट

2129. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान सीमेंट में मिलावट की शिकायतें मिली हैं, और

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) बताया जाता है कि 1-5-1991 से 31-7-1991 की अवधि के दौरान सीमेंट में मिलावट के संबंध में भारतीय दंड संहिता/आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन दिल्ली पुलिस द्वारा पांच मामले दर्ज किए गए। इस संबंध में ग्यारह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं का विकास

2130. **श्री रवि राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशाला द्वारा विकसित विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाएं उद्यमियों को बेची गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्होंने ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और उनमें से कितने उद्योगों ने इन प्रक्रियाओं को अव्यावहारिक पाकर इन्हें अस्वीकार कर दिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी, हां। सीएसआई आर की प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रक्रियाओं (प्रक्रमों) का उद्योगों को लाइसेंस दिया गया है। इन प्रक्रमों में से लगभग 45% के आधार पर उत्पादन किया गया है। उद्योगों के नामों के साथ-साथ लाइसेंसीकृत/उत्पादनकृत महत्वपूर्ण प्रक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सीएसआईआर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली कुछ यूनिटों ने बाद में बदले हुए बाजार/आर्थिक हालातों और परिवर्तित राजकोषीय स्थितियों के परिणामस्वरूप अन्य उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

विवरण

महत्वपूर्ण सी एस आइ आर तकनीकी की जानकारी लाइसेंसीकृत/उत्पादनकृत

उद्योग/लाइसेंसधारी का नाम	प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी	प्रयोगशाला द्वारा विकसित
1 **रसायन**		
बुश बांक एलेन इंडिया लि० मद्रास	ग्लाइऑक्सालिक एसिड	सी ई सी आर आइ
गोदावरी केल ग्लूस केमिकल्स लि० हैदराबाद और 11 अन्य पार्टियां	कैल्शियम ग्लूकोनेट	सी ई सी आर आइ
ईस्टर्न नेफ्था केमिकल्स, धनबाद	बी-नेफ्थॉल, क्रीसॉल, रेसॉरसीनॉल	सी एफ आर आइ
कोल केम कॉम्प्लैक्स, सिंगरौनी कॉलरीज, नासपुर (ए.पी)	एल टी सी ऑफ कोल	सी एफ आर आइ
कथवानी केमिकल्स, गोंडाल	प्रेसीपिटेटेड सिलिका	सी एस एम सी आर आई

विवरण--जारी

उद्योग/लाइसेंसधारी का नाम	प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी	प्रयोगशाला द्वारा विकसित
हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, रामायनी	ब्यूटेन्डियॉल	एन सी एल
हिन्दुस्तान पॉलीमर्स, विशाखापत्तनम	डयाएलबेन्जीन फ्रॉम एथाएल एलकोहल एण्ड बेन्जीन	एन सी एल
धामपुर शुगर मिल्स लि०, नई दिल्ली	ईथेनॉल फ्रॉम मोलासिस	एन सी एल
डियामाइन्स एण्ड केमिकल्स लि०, कालोल	डयाएलडनेडियामॉन	एन सी एल
हाइको प्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई	1. मिथाएलक्लोरोसिलेन्स 2. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	एन सी एल
मैज प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद	सोरबिटॉल	एन सी एल
मेटॉयल कारपोरेशन, जमशेदपुर	मेटासेव, कॉरोसन इन्हीबीटर	एन एम एल

2 कृषि रसायन

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०, नई दिल्ली	1. ब्यूटाक्लोर 2. सिन्थेसिस एण्ड डी डी बी पी 3. इन्डोसल्फान	आइ आइ सीटी आइ आइ सी टी एन सी एल
सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, पुणे	1. डी डी वी पी 2. डिएज़ीनॉन 3. मोनोक्रोटोफॉस 4. फॉसफेमिडॉन 5. क्वीनालफॉस	आइ आइ सी टी आइ आइ सी टी आइ आइ सी टी आर आर एल, जो आइ आइ सी टी, आर आर एल, जो
नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज, लि०, मुम्बई	1. डी डी वी पी 2. मोनोक्रोटोफॉस	आइ आइ सी टी
शा वालेस एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	1. डाइमेथोएट 2. इथिऑन	एन सी एल

3 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स

सिपला लि०, मुम्बई	1. गुगुलीपिड 2. विनब्लास्टिन एण्ड विनक्रिसटिन सल्फेट	सी डी आर आइ एन सी एल
हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०, त्रिवेन्द्रम	सेन्टोक्रोमेन	सी डी आर आइ
एफ डी सी लि०, मुम्बई	टिमोलोल मेलिएट	आइ आइ सी टी

विवरण--जारी

उद्योग/लाइसेंसधारी का नाम	प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी	प्रयोगशाला द्वारा विकसित
सिपला लि०, मुम्बई	1. एजीडोथीमिडाइन (ए जे ड टी)	आइ आइ सी टी
	2. ओमेप्राज़ोल	
केडिला लेबोरेट्रीज लि०, अहमदाबाद	फ्रेमिफाजोल	आइ आइ सी टी
4 लेदर एण्ड आक्सीलरीज		
बामर लॉरी कं०, लि०, कलकत्ता	एल्कोटन एण्ड एल्यूटन	सी एल आर आइ
5 संयंत्र और मशीनरी/उपस्कर		
बी एच पी एण्ड बी. विशाखापत्तनम	टिटेनियम सब्सट्रेट इनसोल्युबल एनोड्स	सी ई सी आर आइ
ग्रीनफील्ड ट्रेक्टर, नई दिल्ली	रोटीलेर	सी एम ई आर आइ
पी एम आई डी सी, चण्डीगढ़	ट्रेक्टर (20 अ० श०)	सी एम ई आर आइ
सेवरल स्माल स्केल यूनिट्स	लकड़ी/विवक सेटिंग क्लेम्प्स	सी एम आर एम
6 इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन		
भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०, बंगलौर	1 के डब्ल्यू क्लिसट्रॉन	सी ई ई आर आइ
मिनी सर्किट्स प्रा०, लि०, बंगलौर	हाइब्रिड माइक्रोसर्किट्स	सी ई ई आर आइ
सेटविक इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स प्रा०, लि०, नासिक और 2 अन्य	माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड पेन मॉनीटरिंग सिस्टम	सी ई ई आर आइ
एन्ड्रयूल एण्ड कं० लि०, कलकत्ता और बी० के० इंडस्ट्रीज, भिमानी	माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड मॉनीटरिंग सिस्टम फॉर माइन वाइन्डर	सी ई ई आर आइ
कम्प्यूटर कंट्रोल्स, गाजियाबाद और 2 अन्य	प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट फॉर शुगर इंडस्ट्री	सी ई ई आर आइ
सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०, साहिबाबाद	150 कि० वा० थाइरिस्टर कन्वर्टर	सी ई ई आर आइ
7 बिल्डिंग मैटीरियल्स		
जगधात्री ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, पश्चिमी बंगाल और 10 अन्य	उड़न राख ईंटें	सी एफ आर आइ
सूर इनेमल एण्ड स्टेम्पिंग वर्क्स लि०, कलकत्ता	इन्सुलेटिंग ब्रिक्स फ्रॉम राइस हाक एश	सी जी सी आर आइ

विवरण—जारी

उद्योग/लाइसेंसधारी का नाम	प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी	प्रयोगशाला द्वारा विकसित
खाद्य		
कैरा मिल्क को-ऑपरेटिव यूनियन लि०, नई दिल्ली और आन्ध्र प्रदेश डेरी डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन, हैदराबाद	बेबी फूड फ्रॉम बफेलो मिल्क	सी एफ टी आर आइ
माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली	कोला फ्लेवर ब्लेण्ड्स	सी एफ टी आर आइ
रसना फूड प्रोडक्ट्स प्रा०, लि०, उडूपी व 62 अन्य	इंस्टेंट मिक्सेस-इडली, ढोसा, बड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, रसम, सांभर	सी एफ टी आर आइ
मिडलैण्ड फूट एण्ड वेजीटेबिल (आई) प्रा०, लि०, नई दिल्ली और 8 अन्य	लिक्विड फूड्स	सी एफ टी आर आइ
डालमिया डेरी इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	माल्टेड मिल्क फूड	सी एफ टी आर आइ
कोरगू फूड प्रा० लि०, बंगलौर और इंडियन फारेस्ट फूड इंडस्ट्रीज विदिशा और 12 अन्य	टेमेरिन्ड जूस	सी एफ टी आर आइ
मत्य साई फूड प्रोडक्ट्स, मद्रास और एस० ए० एन्टरप्राइसेस, बंगलौर और 21 अन्य	टेमेरिन्ड पाउडर	सी एफ टी आर आ
9 ग्लास एण्ड सिरेमिक्स		
डेरो फ्लोगेटम लि०, कलकत्ता और कार्बोरेन्डम युनिवर्सल लि०, मद्रास	लो मोस्चर कास्टेबल्स	सी जी सी आर आइ
इनामेलनगर डेवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता	सिरेमिक कलर्स	सी जी सी आर आइ
हिन्दुस्तान जिपबोर्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली और गणेश एग्रो इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	जी आर जी कम्पोजिट बोर्ड एण्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस	सी जी सी आर आइ
कुमारधुबी फायर क्ले एण्ड सिलिका वर्क्स लि०, कलकत्ता और 6 अन्य	मैट ग्लेज्ड टाइल्स	सी जी सी आर आइ
भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि०, दुर्गापुर	न्यू वेरायटीज ऑफ ऑप्टीकल ग्लास	सी जी सी आर आइ
10 अन्य		
ए०वी० थॉमस एण्ड कं०, लि०, मद्रास और 3 अन्य	पी टी सी फॉर कार्डेमम	एन सी एल
मैसूर लेक एण्ड पेन्ट वर्क्स लि०, मैसूर	1. इन्डेलीबिल इंक	एन पी एल
	2. ब्लैक स्टेम्प केन्सिलिंग इंक	

धुबरी टी० वी० रिले केन्द्र

2132. **श्री नरूल इस्लाम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुबरी टी०वी० रिले केन्द्र को उच्च शक्ति वाले टी०वी० रिले केन्द्र या कार्यक्रम प्रस्तुति केन्द्र में परिवर्तित करने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय साधनों की तंगी के कारण धुबरी में कोई उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना अथवा कार्यक्रम निर्माण केन्द्र का निर्माण करना संभव नहीं हो पाया है।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना

2133. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की कितनी राशि देय है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह राशि कब तक दी जायेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से 23.88 करोड़ रु० के दावे प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 30-9-1988 को समाप्त हो गयी। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गयी थी कि केन्द्र सरकार केवल ऐसी परियोजनाओं से संबंधित राजसहायता की राशि की प्रतिपूर्ति करेगा जिन्हें राज्यस्तरीय समितियों/जिला स्तरीय समितियों द्वारा 30 सितंबर, 1988 को अथवा इससे पूर्व अनुमोदित कर दिया गया था और 30 सितंबर, 1989 (गैर विनिर्माणकारी एककों के लिए) तथा 31 दिसंबर, 1989 (विनिर्माणकारी एककों के लिए) भुगतान कर दिया गया था। चूंकि आन्ध्र प्रदेश से मिले दावों को 30-9-1988 से पूर्व अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए वे प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी परिवार

2134. श्री भाग्ये गोवर्धन
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री प्रभू दयाल कठेरिया
श्री भगवान शंकर रावत
श्रीमती महेन्द्र कुमारी

: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति में से प्रत्येक लाभार्थियों, जिन्होंने पिछलेभदो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गरीबी की रेखा पार कर ली है, की संख्या की तुलना में प्रत्येक श्रेणी में महायता प्रदान किए गए परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है,

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान समेकित ग्रमीण विकास कार्यक्रम का विपरीत प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) समेकित ग्रामीण विकास योजना को और प्रभावीबनाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गरीबी दर को तेजी से कम किया जा सके ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के सहायता किए गए परिवारों की संख्रा दर्शाने वाला सूचना विवरण-I में दी गयी है। चालू वर्ष के आंकड़े वर्ष के समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे।

गरीबी की रेखा पार करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मंत्रालय नमूना लाभार्थी परिवारों पर कार्यक्रम के प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों की मार्फत समवर्ती मूल्यांकन करवाता है। अलग-अलग राज्य में स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। नवीनतम समवर्ती मूल्यांकन (जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1989) के निष्कर्षों के अनुसार, 6,400 रुपये की गरीबी की रेखा को पार करने वाले परिवारों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

(ख) जी नही।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सुधार लाने के कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :–

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की कवरेज को बढ़ाने के लिए 1 जनवरी, 1990 से महिला लाभार्थियों के लिए सामूहिक नीति को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत, थ्रिफ्ट तथा ऋण समितियां बनाने वाले महिला समूहों को उनके द्वारा जुटाई गई बचत राशि के बराबर आवर्ती निधि के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। बराबर की अनुदान राशि की अधिकतम सीमा प्रति समूह 15,000 रुपये होगी।

1991-92 से, ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना के अन्तर्गत 50 जिलों को कवर किया जाएगा जबकि पहले प्रतिवर्ष 25 जिलों को कवर किया जाता था। 1-4-90 से सहायता किए जाने वाले परिवारों में महिला लाभार्थियों की कवरेज को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 3 प्रतिशत लाभों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। सबसिडी की अधिकतम सीमा को 5,000 रुपये की राशि सीमा के आधार पर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. छठी तथा सातवीं योजना के दौरान सहायता किए गए परिवारों, जो गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सके हैं, उनके लिए सहायता की अतिरिक्त किस्त उपलब्ध है।

4. इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की कवरेज के लक्ष्य को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। 1990-91 से अनुसूचित जाति परिवारों के लिए सबसिडी की सीमा को 5,000 रुपये की सीमा के आधार पर कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि उन्हें अनुसूचित जन-जाति के बराबर लाया जा सके।

5. आठवीं योजना में उत्पादक स्वरूप के रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं को काफी बढ़ाया जाना चाहिए। ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण को सरल बनाने के लिए 1991-92 से ट्राइसेम प्रशिक्षण के लिए वित्तीय प्रावधानों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अलग किया जाना है। अलग से बजट अनुदान प्रदान नहीं किए जाएंगे।

6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) तथा ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के सम्बद्ध कार्यक्रमों के मैन्युअल को पूर्णतः संशोधित और अद्यतन बनाया गया है।

विवरण I

1989-90 और 1990-91 के दौरान सहायता प्राप्त परिवारों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90			1990-91		
		सहायता प्राप्त कुल परिवार	अनसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सहायता किए गए कुल परिवार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	आन्ध्र प्रदेश	255228	95872	28568	263391	101350	31485
2	अरुणाचल प्रदेश	8532	–	8532	8423	–	8423
3	असम	61146	3787	12209	50345	5227	11263
4	बिहार	449033	145002	72787	415814	131803	67315
5	गोआ	3858	86	–	3200	20	–
6	गुजरात	102465	15055	35405	72426	10922	27549
7	हरियाणा	55657	17310	–	34179	14551	–
8	हिमाचल प्रदेश	30417	15320	2742	17037	8066	1691
9	जम्मू और कश्मीर	14375	1540	–	13008	2225	–
10	कर्नाटक	140275	36231	4147	125027	41276	4249
11	केरल	74150	23034	2711	60877	27860	2478
12	मध्य प्रदेश	325995	70096	183190	345514	79597	116367
13	महाराष्ट्र	248059	51473	44044	214199	57889	37921
14	मणिपुर	3716	2	1881	4962	72	2227
15	मेघालय	2320	–	2320	3134	3	3131
16	मिजोरम	4982	–	4982	3366	–	3366
17	नागालैण्ड	4932	–	4932	4429	–	4429
18	उड़ीसा	185969	42832	55557	149612	36541	48287
19	पंजाब	56128	29593	–	35944	18198	–
20	राजस्थान	159039	51986	29830	135604	40674	27773
21	सिक्किम	1717	88	566	1422	86	402
22	तमिलनाडु	221508	107008	3462	181842	88846	3611
23	त्रिपुरा	122	1829	4762	12222	1727	4112
24	उत्तर प्रदेश	63002	289377	2686	508840	272106	3123
25	पश्चिम बंगाल	291847	102360	17424	226608	82237	13337
26	अंडमान और निकोबार	1939	–	489	1660	–	396
27	चंडीगढ़	0	–	–	–	–	–
28	दादर व नगर हवेली	387	–	384	311	7	299
29	दिल्ली	2375	977	–	1567	600	–
30	दमन और दीव	726	31	127	592	12	131
31	लक्षद्वीप	209	–	209	139	–	139
32	पांडिचेरी	2089	520	–	2078	636	–
	अखिल भारत	3351373	1101409	443866	2897767	1022531	423504

विवरण-II

गरीबी की रेखा को पार करने वाले परिवारों के बारे में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन (तीसरा दौर)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	6,400 रुपए की गरीबी की रेखा
आंध्र प्रदेश	23.41
अरुणाचल प्रदेश	24.50
असम	39.05
बिहार	42.63
गोवा	10.53
गुजरात	18.65
हरियाणा	10.00
हिमाचल प्रदेश	36.67
जम्मू व कश्मीर	51.09
कर्नाटक	5.59
केरल	27.96
मध्य प्रदेश	10.57
महाराष्ट्र	23.83
मणिपुर	31.82
मेघालय	13.92
मिजोरम	57.63
नागालैण्ड	45.00
उड़ीसा	11.54
पंजाब	43.28
राजस्थान	38.58
सिक्किम	20.00
तमिलनाडु	12.37
त्रिपुरा	31.67
उत्तर प्रदेश	39.28
पश्चिम बंगाल	18.27
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	85.00
चण्डीगढ़	50.00
दादरा व नगर हवेली	10.00
दिल्ली	70.00
लक्षद्वीप	50.00
पांडिचेरी	10.00
अखिल भारत	27.81

लेवी चीनी के लिए समान मूल्य

2135. **श्री राजवीर सिंह**
श्री अंकुशराव साहेब टोपे } : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोहरी मूल्य नीति के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वितरित की जाने वाली चीनी के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का लेवी चीनी के लिए समान मूल्य निर्धारित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, नहीं, । लेवी चीनी देश भर में एक समान खुदरा निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका

2136. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका का समर्थन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीतियों के पुर्ननिर्धारण में गैर-सरकारी क्षेत्र को उसका उचित हिस्सा देने पर विचार किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) भारत ने परम्परागत रूप से मिश्रित अर्थ व्यवस्था का अनुकरण किया है जहां सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की अपनी निर्दिष्ट भूमिकाएं हैं। देश के भविष्य की योजनाओं में निजी क्षेत्र का अपना उचित हिस्सा होगा। अर्थ व्यवस्था में इसकी भूमिका औद्योगिक नीति संकल्प, 1956, 24 जुलाई, 1991 को संसद के समक्ष रखे गए नीति वक्तव्य तथा सरकार के अन्य नीति वक्तव्यों में परिलक्षित होती है ।

जापानी शिष्टमंडल का दौरा

2137. **डॉ० सी० सिलवेरा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उच्च स्तरीय जापानी शिष्टमंडल ने जुलाई, 1991 के दौरान भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में उद्योगों में जापानी पूंजी निवेश के बारे में विचार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ऐसे पूंजी निवेश के लिए किन्हीं शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) 23-24 जुलाई 1991 को नई दिल्ली में हुई भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की स्थाई समिति की 14वीं बैठक में भाग लेने के लिए श्री इमे यामाशिता, अध्यक्ष, जापानी पक्ष, जापान-भारत स्थााई समिति के नेतृत्व में एक जापानी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। सूचित किया जाता है कि बैठक के दौरान दोनों देशों के वाणिज्य प्रतिनिधियों ने भारत में जापान के निवेश की रुझान तथा नये निवेश के अवसरों की समीक्षा की।

शिष्टमंडल के कुछ सदस्य वित्त मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री से भी मिले। बैठकों के दौरान भारत में जापान के निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण से जापान के पक्ष को अवगत कराया गया। उच्च प्रौद्योगिकी को जापान से भारत में लाने तथा दोनों देशों के बीच और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नये प्रोत्साहनों का पता लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

[हिन्दी]

महान विभूतियों पर फिल्म बनाना

2138. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सदकार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर टेलीफिल्म बनाकर कब तक प्रदर्शित की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : दूरदर्शन ने, फिल्म प्रभाग और गुजरात सरकार द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर बनाई गई फिल्में समय-समय पर दिखाई हैं। सरदार पटेल को मरणोंपरांत दिए गए "भारत रत्न" के अवसर पर दिनांक 12 जुलाई, 1991 को उनके जीवन और कार्यों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। फिल्म प्रभाग द्वारा सरकार वल्लभ भाई पटेल पर वृत्तचित्र बनाया जाएगा। तथापि, दूरदर्शन द्वारा फिलहाल सरकार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर कोई टेलीफिल्म तैयार करवाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुवाद]

केरल में अदरक प्रसंस्करण केन्द्र

2139. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के वाइनाड जिले में अदरक प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कहां पर स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए जितना खाद्यान्न का स्टाक अलाट किया गया था गेहूँ, चावल, खाद्य तेल, शक्कर आदि चीजें जो हैं उनके अधिकांश भाग का उपयोग वहां की प्रदेश की सरकार ने नहीं किया जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में खाद्य तेलों के भाव पिछले साल आसमान छू गये। इस बार भी इनकी अत्यधिक कमी हो जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार अपना अलाटेड कोटा नहीं उठा पा रही है। मैं इस बता को आपके माध्यम से यहां उठाना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी खाद्यान्न की दुकानें हैं वहां न गेहूँ है, न चावल और न खाद्य तेल है। [**व्यवधान**]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा नहीं उठाया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को अलाटेड कोटा नहीं दे रही है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

[**व्यवधान**]

श्री दिग्विजय सिंह : यह मेरे प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने आवंटित कोटा नहीं लिया है। उन्होंने खाद्य तेल का कोटा नहीं लिया है। वे कालाबाजारियों की सहायता कर रहे हैं। [**व्यवधान**] मैंने खाद्य तेल की अनुपलब्धता के संबंध में प्रश्न किया है। [**व्यवधान**]

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : आप मंत्री जी से पूछ लें . . .

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है ।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मानव संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, लोगो के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में माननीय सदस्य महोदय की चिंता को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं । मैं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वह सभा को स्थिति से अवगत कराएं । [व्यवधान]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जायें, काफी हो गया है ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं बहुत ही गम्भीर मामले की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की पूर्व नियोजित जो हत्या हुई उसमें इस देश की जो गुप्तचर एजेंसीज हैं वे पूरी तरह से असफल हुई हैं । उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । चाहिये तो यह था कि सरकार की ओर से एक सूओ-मोट स्टेटमेंट दिया जाता क्योंकि जो जज आपने बनाया, वह बाद के मुद्दे के मामले को लेकर हत्या के पहले जो षड़यन्त्र रचा गया, उसके बारे में सरकार मौन क्यों है? कई प्रश्न उठते हैं क्योंकि हमारे देश की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं—आई०बी० और रॉ—ये तमिलनाडु में, सिलोन में और सब जगह एजेंसियां हैं । करुणानिधि सरकार को डिसमिस इसलिए किया गया क्योंकि वे गुप्तचर एजेंसियों की खबरें अन्य जगह पहुंचाते थे, यह कहा गया । हमारे गृह मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट क्या थी ? अगर नहीं दी तो मेरा यह कहना है कि वे टोटल फेल्यर हुई । मेरी जानकारी है और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, एग्जाम्पल नहीं . . .

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही सीरियस मामला है कि लिट्टे का एक डेलीगेशन 4 मार्च को काशी आनन्दन् के नेतृत्व में श्री राजीव गांधी से दिल्ली में मिला । इसमें रॉ का एक एजेंट था और मार्च के अन्त में रॉ के एजेंट ने सांकेतिक भाषा में पत्र भेजा, उस पत्र को डिकोड किया गया तीन महीने के बाद । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस एजेंट का संदेश क्या था, यह आज

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

तक पता नहीं चला और वह एजेंट गायब है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसय आपने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दर्जन पुलिस आफिसर को यहां से डिसमिस किया था, हटा दिया था।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले में आई०बी० और रॉ एजेंसियां फेल हुई हैं, आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की रक्षा नहीं कर सकती तो कल को जब देश की सुरक्षा का मामला आयेगा तो टोटल फेल्योर होगी। मेरा कहना यह है कि सरकार इस बारे में बताये क्योंकि श्री राजीव गांधी के नाम पर जो कमीशन बैठा है, उनकी हत्या से पहले जो षड़यन्त्र रचा गया, उसके बारे में इस सदन को और देश को जानकारी मिलनी चाहिये . . . ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेवल प्रसाद . . .

[**व्यवधान**]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा . . .

श्री मदन लाल खुराना : मैंने जो बात रखी है कि राजीव गांधी के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें रॉ का एजेंट मौजूद था, वह कहां है ?

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गत चुनाव में महा-प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और पिछली सरकार के लोगों ने प्रयास किया कि मैं चुनाव जीतकर यहां पर न आऊं। मेरे क्षेत्र की जनता का कोई गुनाह नहीं था कि उन्होंने पूर्व रेलवे मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र को हरा दिया और उनको हराये जाने के पहले व उनको जिताये जाने के लिए मण्डल रेलवे प्रबंधक और महाप्रबंधक ने साजिश करके भटनी से वाराणसी तक एक रेलगाड़ी चलाने का कार्यक्रम बनाया। यद्यपि यह वहां की जनता की पूर्व मांग थी क्योंकि उससे पूर्व वहां कोई गाड़ी नहीं चलती थी। सुबह से शाम कोई गाड़ी चलाये जाने की मांग कर रहे थे तो मई के महीने में एक रेलगाड़ी चलायी गयी। जब मैं पहली जुलाई को चुनाव जीत गया तो उस रेलगाड़ी को बंद कर दिया। माननीय रेल मंत्री ने लोगों से कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता का गुनाह था, जनता ने चूंकि मुझे चुनकर भेज दिया, इसलिये आपकी रेल गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूं . . . [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने जो कहना था, कह दिया . . .

[**व्यवधान**]

श्री हरिकेवल प्रसाद : मेरे क्षेत्र की जनता सलेमपुर में रेल का चक्का जाम करेगी और श्रीमन्, आप गुस्से में आकर कल मुझे कह रहे थे कि आपकी सदस्यता समाप्त कर दूंगा। आप बताइए कि जिस जनता ने मुझे यहां चुन कर भेजा है, इसीलिए भेजा है कि मैं कहूं आपके माध्यम से। आप सदन के सदस्यों के अधिकारों की हिफाजत करने वाले हैं और आप नहीं सुनेंगे तो हमारा क्या अधिकार

रहेगा श्रीमन्? [व्यवधान] मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर शीघ्र न्याय नहीं किया गया तो मैं 9 तारीख को इसी सदन में सदस्यता से वंचित हो जाऊंगा लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की धमकियों को मैं ठीक नहीं मानता। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद : सरकार के निर्णय की कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से इस सदन का ध्यान दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी की वर्तमान स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन यह एक घोटाले का और किसानों की तथा आम जनता की लूट का एक अड्डा बन गया है। मैंने स्वयं पब्लिक एकाउंटस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से सन् 1980-81 में इसकी जांच की थी। उस समय भी मैंने कहा था कि किसानों की जमीन कौड़ी के भाव खरीद कर के ये लाभकारी की सस्था बन गई है। अब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है कि पिछले 10 साल में इस में 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है इस संस्था के अंदर। मकान बनाए जाते हैं गरीबों के लिए, गलत किस्म का मिला हुआ सीमेंट और घटिया किस्म का सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिससे मकान गिर जाते हैं, लोगों की जिन्दगी खराब होती है। दिल्ली में इतना महत्वपूर्ण संगठन हो और वह इस तरह घोटाले का, निकम्मेपन का और अक्षमता का संगठन बनता जाए। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच करानी चाहिए और इस महत्वपूर्ण संगठन को सक्षम बनाने के लिए जो जरूरी कार्यवाही है, वह भी करनी चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिलांतर्गत केशपुर में जनजातियों को उत्पीड़ित किया गया है। वे बेघर हो गए हैं और अब वे जंगल में हैं। इतना ही नहीं जनजातीय महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी घटी हैं। [व्यवधान] वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इन लोगों को सहायता देने के लिए कोई राहत योजना नहीं बनाई है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : यह बहुत सीरियस मामला है। वैस्ट बंगाल में आए दिन आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : आरोप यह है कि इस क्षेत्र में जनजातियां पर किये जा रहे अत्याचारों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है क्योंकि वे जनजातियों पर अपने वर्चस्व को और मजबूत करना चाहते हैं। **(व्यवधान)** जब जनजातियों महिलाओं का बलात्कार, उनका उत्पीड़न, उनके घरों को जलाया जाने की घटना हो रही और उनके सम्पत्ति को लूटा जा रहा है तो उस स्थिति में सरकार को उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना चाहिये था। सदन के नेता को यह मुद्दा संबंधित मंत्रालय के साथ उठाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, बिहार में जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर जो गेहूं आज से 6 महीने पहले रहता था, उसकी मात्रा में कमी हो गई है जिससे गरीब आदमी को खुली दुकान से गहूं खरीदना पड़ता है और वह गेहूं बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जो आम गरीब जनता है वह महंगाई से तबाह है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर जो गेहूं आज से 6 महीने पहले जिस मात्रा में दिया जाता था, उसी मात्रा में भेजा जाए जिससे गरीबों को बाजार से महंगा गेहूं नहीं खरीदना पड़े और महंगाई का भार गरीबों पर न पड़े।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, फिल्म निर्माता रामानन्द सागर ने भगवान राम पर टेली-फिल्म बनाने के बाद भगवान श्रीकृष्ण पर एक टेली-फिल्म निर्मित की है लेकिन यह दुर्भाग्य इस देश का है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज तक उस फिल्म को अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है ताकि टी०वी० सीरियल के रूप में उसे दिखाया जा सके। वह टी०वी० सीरियल मौरिशस में 16 अगस्त को दिखाया जाने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने इस फिल्म को देखने के बाद, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ज्ञानी जैल सिंह ने इस फिल्म की प्रशंसा की है। वर्तमान राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन साहब ने इस फिल्म की प्रशंसा की है। इस फिल्म को नेपाल में दिखाया जा रहा है। इस फिल्म को अमेरिका के फ्लोरिडा और शिकागो आदि जगहों पर दिखाया जा रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा-शक्ति का दमन करके, कुछ लोगों के प्रभाव में, रामानन्द सागर की टेली-फिल्म "श्रीकृष्ण" को अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है। मैं आपके जरिये आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार तुरन्त "श्रीकृष्ण" फिल्म को हिन्दुस्तान के टेलिविजन नैटवर्क पर दिखाकर लाखों लोगों की भावनाओं का आदर करे।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की अधिसूचना से भारतीय पुस्तक उद्योग को गम्भीर धक्का लगा है। बैंक ने अपनी अधिसूचना द्वारा सामान्य लाइसेंस वाले पुस्तक आयातकों को समूल्य का दो सौ फीसदी नकद मार्जिन के रूप में जमा कराने को कहा है। [**व्यवधान**] रिजर्व बैंक के इस कदम से देश के वैज्ञानिकों, डाक्टरों, इंजीनियरों व अनुसंधानकर्त्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्या कर रहे हैं, बैठिये । ऐसे नहीं । मैं एक के बाद एक को बुला रहा हूं । आप बैठिये प्लीज़ ।

[व्यवधान]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : पुस्तक उद्योग अत्यधिक संकट में है । यह आश्चर्य का विषय है कि सिद्धांततः शिक्षा प्रसार को महत्व देने के बाद भी इस प्रकार का जनहित विरोधी कदम उठाया गया है । इसका कारण यह बताया गया है कि विदेशी मुद्रा का संकट है किन्तु 44 हजार करोड़ रुपये के आयात बिल में पुस्तकों का आयात मात्र शून्य दशमलव उन्तीस प्रतिशत (0.29%) है । देश में आज भी विज्ञान और तकनीकी विषयों की पुस्तकें हमें आयात करनी पड़ती हैं किन्तु इस अधिसूचना से सभी पूरी तरह प्रभावित होंगे । विषय सार्वजनिक महत्व का है अतः आपके माध्यम से मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि उन्होंने जो कदम उठाया है उसे तुरन्त वापस लें । आज भी देश में अनकों तकनीकी व वैज्ञानिकी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं । माननीय मंत्री जी इस पर अविलम्ब सदन में वक्तव्य दें ।

[अनुवाद]

श्री टी० जे० अंजलोज (अलप्पी) **:** महोदय केन्द्र ने केरल राज्य के लिये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रट का कोटा रद्द कर दिया है । इस निर्णय से राज्य के 35,000 हैक्टेयर के चाय बागान और हजारों मजदूर प्रभावित होंगे । विगत वर्ष आबंटित कोटा 45 हजार टन था ।

इसलिय मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि केरल को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अविलम्ब उपलब्ध कराने के लिये तुरंत कदम उठाए जाएं ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) **:** अध्यक्ष जी, किसानों को ऋण मुक्त करने की, उनके ऋण को माफ करने की एक योजना पहले की सरकार ने मंजूर की थी । उसका सभी ने स्वागत भी किया था परन्तु कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। कल वित्त मंत्री जी का कहना था कि पिछली सरकार का यह फैसला गैर-जिम्मेदारी का था, लेकिन पहले की सरकार ने जो फैसला लिया था उसके अनुसार महाराष्ट्र के 15 लाख किसानों को इसका लाभ हुआ । उसमें से 380 करोड़ रुपये का कर्जा महाराष्ट्र के अलग-अलग को-आपरेटिव बैंक्स ने वेव भी किया परन्तु इसमें जो पैसा महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार के जरिये मिलना चाहिये था, उसमें से 110 करोड़ रुपया अभी तक वापस नहीं मिला है । अब 110 करोड़ रुपया वापस न मिलने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि वहां के किसानों को जो नये ऋण स्वीकृत करने थे, उसे देने में बैंक अक्षम हो गये हैं । बैंकों के पास किसानों को नये ऋण देने के लिये फण्डस का अभाव है । अतः मेरी मांग है कि 110 करोड रुपया, जो केन्द्र सरकार को देना है, वह रुपया

तुरन्त महाराष्ट्र को री-इम्बर्स किया जाये। इस बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी के साथ साथ मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं वे मुझे नमस्कार कर रहे हैं कि यहां नमस्कार करने से ही कोई बात पूरी होने वाली नहीं है। उनसे भी मेरी मांग है, निवेदन है कि महाराष्ट्र को यह पैसा उपलब्ध कराने में मदद करें।

[अनुवाद]

श्री सानीदत्त (मुम्बई पश्चिम उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, बेहद दुःख के साथ मैं उन लाखों गरीबों की दयनीय स्थिति को इस महान सभा को बताना चाहता हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर को छोड़कर महानगरों में अपनी जीविकोपार्जन के लिये आकर रहने लगते हैं। महोदय, वे सभी झोंपड़पट्टियों में रहते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे वे सहयोगी जो कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, दिल्ली जैसे शहरों से आए हैं वे हम से सहमत होंगे कि वे गरीब जिस परिस्थिति में रहते हैं वह सभी के लिये चिंता का विषय है। महोदय, वे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में जीते हैं जहां पानी, बिजली और शौचालय जैसी मौलिक सुविधाओं का अभाव होता है। सरकार उन लोगों को भी शुद्ध पेय जल की आपूर्ति करने की योजना बना रही है जो सुदूर गांवों में रहते हैं। मैं नहीं जानता कि ये सपने कब पूरे होंगे। कुछ ही गज दूरी पर शहरों में लोग ऐशो-आराम के साथ जी रहे हैं और उन्हें वातानुकूलित आवास, स्नानगृह जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं जबकि ठीक उन्हीं के सामने झुग्गी-झोंपड़ियों में लोग अत्यंत उपेक्षित हालत में रहते हैं जहां जीवन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। महोदय, प्रत्येक सरकार जो भी सत्ता में आती है उनकी योजनाओं के तहत इन सुविधाओं को मुहैय्या कराने की घोषणा की जाती है। मुम्बई में करीब-करीब 35 से 40 लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। वे देश के सभी हिस्सों से आते हैं। महाराष्ट्र सरकार उन झुग्गी-झोंपड़ी वासियों को मौलिक सुविधाएं देती है जो महाराष्ट्र में म्युनिसिपल क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और बाकी लोग पानी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। बहुत झुग्गी-झोपड़ीवासी रक्षा विभाग जमीनों, रेलवे के जमीन और विमानन विभाग के जमीन पर बसे है जिन्हें इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये वे अपना पैसा भी खर्च करने के लिये तैयार हैं। इसलिये, महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों को निर्देश दिया जाएं कि झुग्गी-झोंपड़ी वासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध करा कर उन्हें जीवन जीने योग्य स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराएं।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। निश्चित समय के बाद विद्युत की आवश्यकतानुरूप उत्पादन शुरू करके राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण और उद्योगों के विस्तार के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष विद्युत की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत की प्रभावी मांग इतनी हो जाएगी कि राज्य सरकार उस मांग को पूरा करने में तभी सक्षम हो पाएगी यदि तब तक बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना पूरी हो जाएगी और वह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विद्युत उत्पन्न कर सकेगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ यदि सोवियत संघ द्वारा वादा की गयी सहायता कम पड़ रही हो तो इस परियोजना के लिये उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से भारतीय हाकी टीम को अजलानशाह टूर्नामेंट में शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूं। भारतीय हाकी टीम को अरसे के बाद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफलता मिली है।

इस सफलता को भारतीय हाकी में एक नया अध्याय मानता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। भारत सरकार एवं भारतीय हाकी फैडरेशन की ओर से पूरे सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

इस अवसर पर श्री बालकिशन सिंह भारतीय टीम के प्रमुख प्रशिक्षक एवं उनके सहयोगी जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर से वर्षों से जानता हूं, विशेष बधाई देता हूं और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्री और उनका मंत्रालय भी बधाई का पात्र है। [**व्यवधान**]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, देश में बीड़ी मजदूरों की संख्या लगभग 40 लाख है और अगर उनके परिवार की आबादी जोड़ी जाए तो लगभग दो करोड़ लोग होते हैं। अकेले बिहार में लगभग चार लाख बीड़ी मजदूर हैं और उनके परिवारों की संख्या को लगाकर बीस लाख होते हैं। ये असंगठित मजदूर हैं, इन्हें औद्योगिक मजदूरों की तरह न तो सुविधा है और न सुरक्षा है। इसका लाभ उठाकर बीड़ी के कारखानेदार बिहार समेत कई राज्यों में बीड़ी कारखानों को समाप्त कर बीड़ी कारखानों की जगह पर घर खाता शुरू कर रहे हैं। यह मजदूर विरोधी और गैरकानूनी कदम है, इनका मकसद फैक्ट्री एक्ट से जो सुविधाएं मजदूरों को मिलती हैं उनसे वंचित करना और सरकार का करोड़ों रुपया जो एक्साइज ड्यूटी में आना चाहिए उसकी चोरी करना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कारखानों को तोड़कर घर खाता शुरू करने पर पाबन्दी लगाएं और एक्साइज ड्यूटी की चोरी को रोकने के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए जिससे मजदूरों और सरकार को भी फायदा हो सके।

डॉ० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जयगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जलगांव जिला महाराष्ट्र के केला उपज करने वाले किसानों का करोड़ों रुपये का नुकसान जो रेलवे रैक देरी से पहुंचने से हो रहा है उसके प्रति सदन का और रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि पूरे उत्तर हिन्दुस्तान में केला महाराष्ट्र से आता है, महाराष्ट्र के जलगांव जिले से आता है। सब केला रेलवे रेक से आता है और वह देरी से पहुंचने से किसानों को उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती है। यदि रेल पहुंचने में चार-पांच दिन लग जाएं तो रास्ते में केला पक जाता है और उसका मूल्य घट जाता है जिसकी वजह से किसानों को कम से कम 6-7 करोड़ का घाटा हुआ है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें ध्यान देकर ऐसी व्यवस्था करवाएं कि ट्रेन दो दिन में दिल्ली पहुंच जाए। [**व्यवधान**]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो कस्टम कलेक्टर हैं उनके द्वारा तस्करी के कामों में जो लिप्तता हो रही है, इसमें वे संलग्न है, इस

विषय को सरकार के सामने लाना चाहता हूँ। यहां का कस्टम कलेक्टर अपने इस्पैक्टरों के साथ मिलकर तस्करी करने वाले लोगों को ग्रीन चैनल के द्वारा बाहर निकाल देता है। जो इंस्पैक्टर उनकी खिलाफत तस्करी के कार्यों में करते हैं उनको ये सस्पैंड करवा देते हैं और मुकदमा कायम कर देते हैं। अभी 21 जुलाई 1991 को फ्लाइट नम्बर एस०क्यू० 408 जो सिंगापुर से दिल्ली आई थी उसमें दो संदिग्ध व्यक्ति, जिनके पास दो बड़े-बड़े सूटकेस थे जिसमें काफी तस्करी का माल था, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स थे, सोना था, को ग्रीन चैनल से बाहर निकाल दिया गया जबकि उन दोनों सूटकेसों के ऊपर क्रास का निशाना लगाया गया था। इस समान की जांच होनी चाहिए। जांच करने वाले इंस्पैक्टर के खिलाफ कार्यवाही की धमकी दे दी गई और उन दोनों तस्करों को ले जाकर कस्टम कलेक्टर ने चाय पिलाई। जिन अधिकारियों ने खिलाफत की ऐसे चार इंसपैक्टर जिनके ऊपर उन्होंने कौफे पोसा का मुकदमा दायर करवा दिया, अदालत मे यह तय पाया गया कि वे लोग निर्दोष थे। यह सरकार ऐसे तस्करों में लिप्त कस्टम कलैक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है। मेरी मांग है कि ऐसे तस्करों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए तथा एयर पोर्ट पर इनकी तैनाती के कार्यकाल की कठोर जांच की जानी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : देश में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का स्थान कर्नाटक के बाद आता है। यह करीब नौ लाख लोगों की जीविका का आधार है। आंध्र प्रदेश में करीब 32,000 टन कैकून का उत्पादन होता है। विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र तथा रामीरेड्डी-पल्ली, जोनालगड्डा और गमपालागुड्म क्षेत्रों में रेशम उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इन किसानों को कैकून चेन्नपटना और कर्नाटक के अन्य स्थानों में ले जाना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है क्योंकि यदि विलम्ब हो जाता है तो कैकून का स्तर खराब हो जाता है।

इसलिये, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आंध्र प्रदेश के रेशम उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये उन्हें अविलम्ब विपणन, सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि विजयवाड़ा के निकट एक सिल्क रीलिंग यूनिट की स्थापना करे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि रेशम उद्योग को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए हर प्रकार से प्रोत्साहन दें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, कल सभा में पुराने पड़ गये विमानों की उड़ान बन्द करने पर चर्चा हो रही थी। लेकिन मेरा प्रश्न विमानों में कार्यरत मानव संसाधन के बारे में है जिनकी उम्र अधिक हो गई है। प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि 20 वर्ष पुराने विमानों की उड़ानें बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। तो, महोदय, किस तर्क के आधार पर 45 वर्ष की महिला कर्मचारी जो विमानों में परिचारिकाओं के रूप में कार्य कर रही है, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है. इतना ही नहीं विमान परिचारिका के पद से हटाए जाने के बाद एयर इंडिया ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों को सबसे नीचे स्तर के क्लर्क का पद देती है। यदि यह सोचा गया था कि प्रत्येक

व्यक्ति में 45 वर्ष की उम्र के पश्चात् उसमें कुछ शारीरिक और मानसिक कमजोरी पैदा हो जाती है तो हम में से अधिकतर लोग यहां नहीं होंगे। इसके अलावा पुरुष कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र तक विमानों में कार्यरत रहते हैं।

इसलिये, मैं यह जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिये अलग कानून क्यों बनाए गए हैं और उन्हें 35 वर्ष की उम्र के बाद शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक वर्ष क्यों करवाना पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि 700 विमान परिचारिकाओं द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर याचिका समिति रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए 16 अक्तूबर 1989 को जारी किये गये सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसा किया जा रहा है।

1990 में तात्कालीन नागर विमानन मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान ने आश्वासन दिया था कि इस तरह के भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। इसके बावजूद भी एक वरिष्ठ विमान परिचारिका 45 वर्षीय डॉन विलादवाला को नोटिस दी गई है कि उन्हें विमान के कार्यों से हटाकर कार्यालय में कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिये इस पर अविलम्ब कारंवाई किये जाने की आवश्यकता है।

अब, मंत्री जी मुझ से तथा कई अन्य महिला सदस्यों से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं और आशा है कि वह कारंवाई करेंगे। लेकिन मैं इस मामले को सभा के समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रही हूं क्योंकि महिला सदस्यगण और महिला मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं समझती हूं कि यहां उपस्थित सभी महिलाएं तथा पुरुष इस बात से सहमत होंगे कि यह केवल भेद भाव ही नहीं है बल्कि यह अत्यधिक शर्मनाक और अपमानजनक भेदभाव है। [**व्यवधान**] इसलिये सभी पार्टी तथा लिंग भेद से हटकर इस संवैधानिक अधिकार की अवमानना के विरुद्ध बोलें।

श्रीमती विभू कुमारी देवी (त्रिपुरा-पूर्व): हम आपका समर्थन करते हैं। [**व्यवधान**]।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मंत्री महोदय को विनम्रता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। [**व्यवधान**]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय, आप स्वयं नागर विमानन मंत्री रह चुके है। अत: आप समस्याओं के बारे में भली-भांति जानते हैं। मैं शून्य काल समाप्त होने के बाद माननीय सदस्य से मिल रहा हूं और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आप में पूर्ण विश्वास है।

[**व्यवधान**]

श्री माधव राव सिंधिया : मेरे विचार से श्री निर्मल चटर्जी अविवाहित होने के कारण महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डम-डम) : आपसे किसने कहा ? मैं अविवाहित नहीं हूं । मैं दुबारा विवाह करने की सोच रहा हूं ।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी भी मामले में, मेरे विचार से आपका यह कहना सही है कि शेष मामले के लिए हमें माननीय सदस्य की कुशलता पर निर्भर रहना चाहिए। (व्यवधान)

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस माननीय सभा का ध्यान उड़ीसा में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कल अनेक समाचार पत्रों विशेष रूप से **दि हिन्दुस्तान टाइम्स** और **दि टाइम्स ऑफ इंडिया** में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उड़ीसा के दो भूतपूर्व कांग्रेस मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में छोड़ दिया गया । उड़ीसा में इस प्रकार घरों में छापे मारने और गिरफ्तारी करने का कार्य मार्च, 1990 से चल रहा है । राजनीतिक प्रतिशोध के कारण भूतपूर्व मुख्य मंत्री, भूतपूर्व मंत्रियों और कांग्रेस के कुछ नेताओं के यहां छापे मारे गए । पिछले संसदीय चुनावों के दौरान चुनाव के दो दिन पहले कांग्रेस के उम्मीदवार को बदनाम करने और उनका हौसला तोड़ने के लिए उनके घर पर छापा मारा गया । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । इस कार्यवाही द्वारा चुनाव प्रक्रिया की संहिता, नियमों और मानदंडों का उल्लंघन किया गया है । लेकिन अन्य नेताओं के घरों में ऐसे छापे नहीं मारे गए जिन्होंने भ्रष्ट तरीकों से धन जमा किया । उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू नहीं किया गया । ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं लेकिन केवल कांग्रेस नेता जो प्रसिद्ध हैं और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको बदनाम करने के लिए छापे मारे गए ।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य लंबा होता जा रहा है ।

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, इसके द्वारा मौलिक अधिकार छीन लिए गए । यहां तक कि संबंधित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण के लिए भी नहीं बुलाया गया । यह भविष्य में ऐसी कार्यवाही करने के लिए गलत उदाहरण होगा ।

हमारे देश में अनेक लोग हैं जिन्होंने विशाल जमीन, भवन और निवेश आदि के रूप में धन-संपत्ति जमा की है । उड़ीसा में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बदनाम करने तथा नैतिक पतन करने की प्रथा चल रही है । इससे हमारे संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकारों को गहरा धक्का पहुंचा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सारा नहीं पढ़िए केवल इसका सार दीजिए ।

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, आप मेरी सहायता करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता कर रहा हूं । कृपया आप इसका सार पढ़िए ।

91-M/J(D)429LSS—13

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र : संविधान के अनुच्छेद 13(1) में प्रावधान किया गया है : "इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।

राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।"

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पात्र जो कुछ बोल रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया आप बैठ जाइए।

[**व्यवधान**]*

[**हिन्दी**]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल (शोलापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से और सरकार से एक महत्वपूर्ण बात में के बारे मालूमात करना चाहता हूं।

इस देश में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें करोड़ों कामगार आज जुड़े हुए हैं मगर गये मास से आज तक सूत के भाव जो विपरीत बढ़ रहे हैं, उससे यह पूरा व्यवसाय संकट में फंस गया है। इस बहुत बड़े उद्योग में आज कुछ यूनिट्स बन्द हो रही हैं और कुछ हथकरघे आज बन्द होने की स्थिति में हैं।

मेरी सरकार से आपके माध्यम से विनती है कि सूत सप्लाई की आज की जो व्यवस्था है, यह बिल्कुल सही नहीं है। गलत है। जो यार्न सप्लाई के लिए एक सही व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके जरिये योग्य भाव पर यार्न सप्लाई हथकरघा और पावरलूम को मिले लेकिन आपकी जो गलत नीति है, काटन एक्सपोर्ट की, उससे भी यार्न के भाव बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम रेट में हथकरघों और पावरलूम्स को यार्न सप्लाई करने की व्यवस्था को सही बनायें।

[**अनुवाद**]

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड़) : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल के दौरान निम्नलिखित मुद्दा उठाने की मुझे अनुमति दी जाए :

केरल राज्य सरकार का राज्य का पूरा शैक्षिक कार्यक्रम समाप्त करने का कथित निर्णय बहुत ही गलत कदम है और उन लोगों के लिए एक आघात है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत अभी शामिल किया जाना है तथा जिन लोगों ने नई-नई शिक्षा ग्रहण की है वह दुबारा अशिक्षा की अवस्था

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में आ जाएंगे। राज्य में शत-प्रतिशत व्यक्तियों को शिक्षा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये केवल एक लाख आदिवासी लोग रह गए हैं जिन्हें अभी मानव धन निर्मित करने के कार्यक्रम में शामिल करना है। पूर्ण शिक्षा के लिए राज्य व्यापी प्रयासों ने सभी वैचारिक प्रतिबंध तोड़ दिए हैं। राज्य में किसी भी दल की सरकार होने के बावजूद यह परियोजना जारी रही। इस परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है इस अच्छे कार्य के लिए कार्यरत संगठनों ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए थे। लेकिन यह हैरानी की बात है कि नई सरकार इस सारे कार्यक्रम को उस समय राजनीतिक रूप देना चाहती है जब केरल के अभूतपूर्व प्रयासों को देखते हुए पूरे भारत में शिक्षा अभियान जोर पकड़ रहा है और देश के अनेक भागों में फैल रहा है। इस गैर-राजनीतिक कार्य का राजनीतिकरण करने से इसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।

|हिन्दी|

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सन् 1984 के दौरान हुए दंगा पीड़ितों की तरफ खींचना चाहता हूं। कोई ऐसा महीना नहीं जाता है, जो दंगा-पीड़ित मारे गए हैं उनकी विधवाओं के द्वारा बोट-क्लब के ऊपर प्रदर्शन और धरना नहीं दिया जाता है। सात साल हो गए हैं, न तो उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है और न उनके आश्रितों के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है या और भी वे सुविधायें जो सरकार ने घोषणा की थी। उसी दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, दूसरे सदन में भी यह मामला उठता रहता है, कि 1984 के दंगा-पीड़ित परिवारों के जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनकी नौकरी के लिए या जो भी सुविधाओं की सरकार ने घोषणा की हैं उनको तत्काल कार्यान्वित करे।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी इजाजत से इस सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने सारे नियमों को तिलांजलि दे कर के एल एंड टी कंपनी के अध्यक्ष पद पर श्री धीरुभाई अम्बानी और उनके लड़के मुकेश अम्बानी को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। . . . [**व्यवधान**] . . . यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को तिजोरी खोल कर पैसा बांटने का काम किया था। ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित पदों पर कायम किया जा रहा है। . . . (**व्यवधान**) . . . मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार तत्काल ऐसे लोगों को . . . [**व्यवधान**] . . .

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने भी इसके लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों और विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवानी ने एक मुद्दा उठाया था। श्री माधव राव सिंधिया ने मुझे सूचित किया है कि वह सच्चाई बताने के लिए वक्तव्य देना चाहते हैं मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें वक्तव्य देने दें। इसमें कोई व्यवधान न डालें।

[**व्यवधान**]

श्री वसुदेव आचार्य : अम्बानी एल एंड टी को अपने हाथ में लेने वाले हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह गंभीर मामला है। वित्त मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : श्री छेदी पासवान, श्री वसुदेव आचार्य, कृपया आप लोग बैठ जाइए। मैं आपकी सहायता करूंगा। आज ही हम उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगें।

[**व्यवधान**]

श्री श्रीकांत जेना : यह मुद्दा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। [**व्यवधान**]

श्री वसुदेव आचार्य : यह अलग मामला है, यह उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि कंपनी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार नहीं होने दे सकता। जब हम उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगें तब आप यह विषय उठा सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : अम्बानी गुप्त तरीके से एल० एंड टी० का अधिग्रहण कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। वित्त मंत्री सभा में आएं और वक्तव्य दें। इस मामले पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। सभा के नेता इस मामले पर चुप क्यों हैं। सभा इस मामले पर चुप्प क्यों है? इसके बारे में सभी समाचारपत्रों में छपा है। मैं मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री पर आरोप लगाता हूं कि अनेक समाचार पत्रों में भी ये आरोप लगाए गए हैं और ऐसी खबरें प्रकाशित हुई हैं कि उन्होंने वित्तीय संस्थाओं को एल० एंड टी० का अधिग्रहण करने के लिए कहा है। प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री इस बारे में तुरन्त स्पष्टीकरण दें। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर चर्चा करने का अवसर देते हुए आठ घंटे का समय दिया गया है। लेकिन आप इस पर एक मिनट में ही चर्चा कर लेना चाहते हैं।

[**व्यवधान**]

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे यह जानकारी मिली है और इस खबर का खंडन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। जब आपके पास आठ घंटे हैं तो आप इसे एक मिनट में ही क्यों समाप्त करना चाहते हैं?

श्री श्रीकान्त जेना : हम इस पर चर्चा चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह मामला उद्योग के तहत नहीं है। यह कम्पनी मामलों के तहत है। यह एक पृथक मामला है। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री वसुदेव आचार्य : इस कम्पनी को अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी गई है। हमें इस बारे में चर्चा करनी है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। वित्तीय संस्थाओं की भूमिका संदिग्ध है। वे इस प्रकार का बर्ताव कर रही हैं। (व्यवधान) वे गुप्त रूप से अधिग्रहण करने के लिए कम्पनियों की मदद कर रहीं हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आज दोपहर बाद बी०सी०सी०आई० पर एक वक्तव्य दिया जाएगा। बी०सी०सीं०आई० के विरुद्ध ये आरोप हैं कि लोगों ने अमीर होने के लिए धनराशि का दुरुप्रयोग किया है और पाकिस्तानी उग्रवादियों इत्यादि को शस्त्र उपलब्ध कराने सहित सभी प्रकार के उद्देश्यों हेतु इस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। अब इस का सम्बन्ध एक विशेष संस्था से है जिसकी एक शाखा बम्बई में है। यह अम्बानी मामला बैंक आफ बड़ौदा से संबंधित है और यह इस सौदे में सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से सम्बंधित है। एल० एंड टी० भी इसमें शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन लोगों के बारे में भी कह रहे हैं जो इस सभा में अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अगर सभा बी०सी०सी०आई० से सम्बंधित मामले को गंभीरता-पूर्वक ले रही है तो हम इस मामले पर भी चर्चा क्यों न करें?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात अब कही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह हमें तथा हमारी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। श्री मनमोहन सिह मेरे मित्र हैं। समाचारपत्रों में कहा गया है कि जब वह भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर थे तब उन्होंने इन्कार कर दिया था। [व्यवधान] जी हां, वह मेरे मित्र हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? उनका भी वही व्यवसाय है जो कि मेरा है। अब समाचार पत्र कहते है कि हम विशेषाधिकार प्रस्ताव रख सकते हैं जब वह भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर थे तब उन्होंने अम्बानी के पक्ष में इस प्रकार के हस्तांतरण से इन्कार कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : चटर्जी जी, आप अब काफी लम्बा भाषण दे चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में वह इसे अनुमति क्यों दे रहे हैं? यह प्रश्न किया जा रहा है। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुत्तेमवार, उन्हें और अधिक बोलने के लिए मत उकसाइए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिह अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इसलिए, आप उन्हें निर्देश दें कि वह इस प्रश्न पर भी बोले। आपसे मेरा यह अनुरोध है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह आश्वासन दिया गया था कि अम्बानी का एल० एंड टी० को अपने कब्जे में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अब इसका अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। [व्यवधान]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अम्बानी के पास आपके लिए बहुत वोट हैं। आप इस बात से इनकार क्यों करते हैं ? आप चुनाव को काफी देर के लिए नहीं रोक सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री दलबीर सिंह यहां हैं। वह वित्तीय संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। [**व्यवधान**] क्या चुनाव घोषणापत्र में यह बात भी है कि आप एल० एंड टी० अम्बानी को सौंप देंगे ? [**व्यवधान**] वह इसे स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि नेता का इस बारे में उत्तर मिले कि यह मामला उल्लेख योग्य है। आप वित्त मंत्री से बात कर सकते हैं और उन्हें वक्तव्य देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप रोजाना ऐसे नहीं कर सकते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब आप ऐसी घटनाओं को रोजाना कैसे रोक सकते हैं ? अगर रोजाना ऐसा होता है तो इसके लिए हम कैसे उत्तरदायी ठहराये जा सकते है ? ... [**व्यवधान**]

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह मामला तुरन्त उठाया गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि इस प्रकार की बातों पर एकदम उत्तर नहीं दिया जा सकता यह संभव नहीं है ... [**व्यवधान**]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, यह **इंडियन एक्सप्रेस** में प्रकाशित हुआ है

[**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गलत बात है।

[**व्यवधान**]

श्री अर्जुन सिंह : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। यह किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है यह अच्छी बुरी या अन्य बात है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं यह कह रहा हूं कि इस मामले को यहा पर उठाया गया है और कोई भी इसका एकदम उत्तर नहीं दे सकता। मैं यही कह रहा हूं। [**व्यवधान**] मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सदस्यों के कथन पर गौर करें और यदि वह यह समझें कि कोई जानकारी देनी है तो वह जानकारी देंगे .. [**व्यवधान**]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : महोदय, मुझे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय : आप का व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, मैं इस सत्र के प्रारम्भ से ही सभा के विभिन्न नियमों के तहत नोटिस देता रहा हूं। लेकिन आपने अभी तक मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया है ... [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपके व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर अपना विनिर्णय दे रहा हूं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में नोटिस दिए हैं ? आप उसी विषय पर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है। यह निश्चित रूप से अनुचित है . . .[**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलिति नहीं होगा।

[**व्यवधान**]*

[**हिन्दी**]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जब से चुन कर आया हूं प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता आ रहा हूं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है। हमको अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता। यदि हमें अपनी और अपने क्षेत्र की बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा तो हमको यहां पर जनता ने किसलिए चुन कर भेजा गया है। अतः मैं सदन का त्याग करता हूं।

[**अनुवाद**]

12.52 म० प०

तत्पश्चात् श्री केशरी लाल सभा-भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सदस्य के गुस्से को मानता हूं। लेकिन इस सभा में 542 सदस्य हैं। और यदि हर सदस्य एक ही दिन बोलना चाहे तो यह संभव नहीं है। सभा में किसी के लिए भी यह बहुत ही अनुचित है कि वह एक दूसरे के खिलाफ और अध्यक्षपीठ के खिलाफ भी आरोप लगाए :

[**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सही नही समझता। इस प्रकार हम सभा की कार्यवाही नहीं चला सकेंगे क्योंकि एक ही समय पर प्रत्येक सदस्य को सन्तुष्ट करना मेरे लिए संभव नहीं है।

[**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री माधव राव सिंधिया।

12.54 म० प०

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकनण

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री, श्री माधव राव सिंधिया द्वारा 4-8-1991 को लखनऊ में एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय 4 अगस्त को लखनऊ में एक प्रेस कान्फ्रेंस में मेरे द्वारा दिए गये वक्तव्य के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण देने के लिए मैं खड़ा

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुं। हमारा देश बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम गंभीर राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे समय पर हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प पर संगठित रहें। और प्रत्येक राष्ट्रवादी के लिए यह सुनिश्चित करना उसका कर्त्तव्य है कि उसका हर कदम देश को मजबूत बनाने में योगदान दे इसे नष्ट न करे।

यह खेदजनक है कि ऐसे कठिन समय पर *धर्म का इस्तेमाल करना शुरु किया है ...[**व्यवधान**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह बहुत ही आपत्तिजनक है . . . [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

[**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : कमलनाथ जी, आप एक मंत्री हैं। कृपया इस प्रकार मत कीजिए।

[**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाइए।

[**व्यवधान**]

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप और अधिक भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं।

[**हिन्दी**]

आप बैठ जाइए।

[**व्यवधान**]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को माननीय सदस्यों में इस सदन में उठाया था मैंने यह कहा था कि मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में इस बात को लाऊंगा तथा अगर उन्हें इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देना होगा तो दे देंगे। अब उस आश्वासन के प्रत्युत्तर में माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते है। माननीय सदन को उनकी बात सुननी चाहिए तथा उसे सुनने के पश्चात् ही कोई और प्रश्न पूछना चाहिए...[**व्यवधान**]

1.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[**व्यवधान**]

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : महोदय, यह निवेदन किया गया था कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए। अब मंत्री महोदय वक्तव्य देने जा रहे हैं। हमें उनकी बात अवश्य सुननी चाहिए. . .[**व्यवधान**]। उन्हें वक्तव्य देने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने माननीय मंत्री जी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। उन्हें इसका स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए। उन्हें वक्तव्य देने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि हम सच्चाई को जान सकें। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे कुछ कहने दीजिए।

[**व्यवधान**]

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर संसद में आकर हम एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर संसद नहीं चल सकती है तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा. . . [**व्यवधान**] मेरी बात तो सुनिए। मैं सभी आदरणीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि एक-दूसरे की बात सुनना न केवल हमारा कर्त्तव्य है बल्कि संसदीय प्रणाली को चलाने की अनिवार्यता है। यदि हम सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो यह सदन कभी नहीं चल सकता। माननीय आडवाणी जी ने उस दिन जो कुछ कहा, उससे ही मैंने उस वक्त आपकी आज्ञा से बताया कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा और यदि आवश्यकता समझेंगे तो अपना वक्तव्य देंगे। हो सकता है कि उनके वक्तव्य में कोई बात आपको अच्छी न लगे, आपकी बात हमको अच्छी न लगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारी बात न सुनें और हम आपकी बात न सुनें। इसलिए उनकी बात सुनकर, अगर आपको कुछ टिप्पणी करनी हो तो जरूर करें। माननीय मंत्री जी आपके कथन पर ही आज वक्तव्य देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यदि उनको अपनी बात नहीं कहने देंगे तो न्यायपूर्ण नहीं होगा। मैं यह आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। [**व्यवधान**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो बात कही है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं और इसलिए जिस समय मंत्री जी खड़े हुए थे वक्तव्य देने के लिए तो सब लोग ध्यान से सुन रहे थे लेकिन मंत्री जी इस बात को पहचानेंगे कि यह जो विवाद खड़ा हुआ वह एक शब्द पर खड़ा हुआ। वह इस कारण नहीं खड़ा हुआ कि राष्ट्र हित में कौन काम करता है, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार हम सभी राष्ट्र-हित में काम कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर को इस बात का प्रसंग नहीं बनने देना चाहता हूं कि आप राष्ट्र-हित की हमें दुहाई दे दें कि क्या राष्ट्र-हित में है और क्या नहीं है ?

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि साधारणतया हमारी बहुत सारी आलोचना बाहर होती है, कभी कोई आपत्ति नहीं करता। स्वयं सदन के नेता भी आलोचना करते हैं, बाकी मंत्री लोग भी करते हैं। कभी किसी ने आपत्ति नहीं उठायी लेकिन इस बार आपत्ति उठी थी एक शब्द पर और उस शब्द के बारे में जब मेरे यहां के सदस्य ने कहा कि आपके लोग कभी-कभी ऐसे शब्द हमारे बारे

में प्रयोग करते हैं, मैंने कहा डबल स्टैंड्र्डस नहीं होने चाहिएं और इसका कारण यह है कि कोई इधर-उधर आपस में गरमागरमी में कोई बात कह दे, अलग बात है लेकिन कोई केन्द्र का मंत्री इस प्रकार कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही हैं. . . [**व्यवधान**]

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : यदि नहीं कहा तो एक बात सुनिए। लेकिन चार वाक्त जो पहले पहले कहे, उससे यहां के लोगों को आभास मिला कि आप केवल एक प्रकार से फिर से वह बात रिपीट कर रहे हैं। बिना उस शब्द का प्रयोग किए हुए, तो हम यह नहीं होने देंगे। यह गलत बात है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पहले हम इस बात से शुरू करें कि देशद्रोही कहा कि नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो बिल्कुल आगे बढ़ने का सवाल नहीं है । आप कह दें मैंने देशद्रोही नहीं कहा . . . [**अनुवाद**] मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता । [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं है।

[**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप मुझे तो अपनी बात कहने दीजिए। सुनीलदत्त जी, एक मिनट आप बैठ जाएं। मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर निवेदन मांगा है तो वे दे रहे हैं और उन्होंने अपने ढंग से आपके सामने निवेदन रख रहे हैं। अगर उनका निवेदन आपको मान्य नहीं है तो लास्ट में वे कह सकते हैं मगर निवेदन पूरा होने के पहले ही हर शब्द पर अपनी बात कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप उनको कहने तो दीजिए। कहना खत्म होने के बाद अगर आपको मान्य नहीं है तो "मान्य नहीं है" कह दीजिए लेकिन उनको कहने तो दीजिए।

[**अनुवाद**]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) **:** महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियमों के अनुसार, जब भी कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो उसकी एक प्रति आपको दी जानी चाहिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस वक्तव्य की प्रति दी गई है. . . [**व्यवधान**] . . .तथा क्या आपने उसका अनुमोदन कर दिया है।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अन्यथा, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

क्योंकि मैं जो बात कह चुका हूं, मैं समझता हू साफ किया, यह अंतिम बात नही है। [**व्यवधान**]

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर निर्णय दूंगा। श्री राम नाईक ने ठीक कहा है। कृपया . . . .

[**व्यवधान**]

एक माननीय सदस्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वक्तव्य है या व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है । [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो उसकी एक प्रति पहले अध्यक्ष को दी जाती है। अब वक्तव्य और स्पष्टीकरण में भी बहुत कम अन्तर है। फिर भी मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि इस मामले की कुछ जानकारी मंत्री महोदय ने मुझे दी थी ।

[**व्यवधान**]

श्री माधव राव सिंधिया : मैं आडवाणी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया [**हिन्दी**] जिस संदर्भ में मैं बोला हूं, क्या बोला हूं, किस संदर्भ में बोला हूं, किस परिप्रेक्ष्य में बोला हूं, यह समझने का तो आप कम से कम प्रयास कीजिए । [**व्यवधान**]

[**अनुवाद**]

मैंने आपके नेता की बात सुनी है । आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने के बाद अगर आप उससे सहमत न हों तो . . . [**व्यवधान**]

श्री राम कापसे (ठाणे) : आपने यह शब्द प्रयोग किया या नहीं ? [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलदाना) : महोदय, क्या विपक्षी सदस्य मंत्री महोदय को डिक्टेट करेंगे कि क्या कहना चाहिए ? [**व्यवधान**]

[**अनुवाद**]

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे अपने तरीके से स्पष्टीकरण देने का अवसर दीजिए । श्री आडवाणी के तरीके से नहीं । [**व्यवधान**]। इस तथ्य के बावजूद कि यह मुद्दा **के विरुद्ध एक अभिप्रेत आरोप के आधार पर उठाया गया, मुझे इस संदर्भ में उत्तर देने का पूरा अधिकार है । फिर भी सदस्यों की आकांक्षाओं को समझते हुए, मैं उनकी बात सुनना चाहूंगा। मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। मुझे जो मैं कहना चाहता हूं, उसे सपष्ट करने दीजिए । मैंने यह शब्द क्यों कहे, किस संदर्भ में कहे तथा वास्तव में मैंने क्या कहा. . . [**व्यवधान**]

श्री राम कापसे : आपने ऐसा कहा या नहीं ? [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हमको यह बताइए कि आपने यह कहा या नहीं कहा ? [**व्यवधान**]

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : यह बड़े खेद की बात है कि एक ऐसे विकट समय में एक राजनैतिक दल ने वोट लेने के लिए धर्म को मुख्य मुद्दा बनाया. . . [**व्यवधान**]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यह फिर से क्या हो रहा है ? [**व्यवधान**]

[हिन्दी]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या लीडर ऑफ अपोजीशन मंत्री जी को डिक्टेट कर सकते हैं कि मंत्री को क्या जवाब देना चाहिए ? उन्हीं की मांग पर मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। [**व्यवधान**]

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वे ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। यह कोई तरीका नहीं है कि वे किसी मंत्री महोदय अथवा सदस्य को वक्तव्य आपका स्पष्टीकरण न देने दें । इस प्रकार हम संसद की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आप हमें यह बताइए कि यह कहा या नहीं ? [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : रवि राय जी। आप बैठिए।

[**व्यवधान**]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां आपके काम की सहूलियत के लिए हैं, आपकी सहायता करने के लिए, हाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं। आज मैं जिस तरह हाउस का मूड देख रहा हूं इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मंत्री को बयान देने से रोकना नहीं चाहिए; इंटरप्ट नहीं करना चाहिए । किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी, जो सदर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी तरफ से भी सदस्यों की भावनाओं को देखकर सदन को चलाना ठीक रहता है। मेरा यही कहना है कि आडवाणी जी ने जो व्याकुलता दिखाई है और जिस तरीके से कहा गया है, परेशानी कही गई है, मैं मंत्री महोदय को, सिंधिया जी को जानता हूं और वे जब चाहें इस तरीके से बोल सकते हैं लेकिन आपकी सहायता करने हेतु, मैं उनसे कहूंगा कि वे जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे ढंग से कह कर, मान लीजिए कि "देशद्रोही" इन्होंने किसी पार्टी के लिए कहा है. . . [**व्यवधान**]

यदि आप सुनना नहीं चाहते तो ठीक है। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परेशानी को देखते हुए, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप परेशान न हों, हाउस भी परेशान न हो, मेरा सिंधिया जी से इतना ही निवेदन है कि यह एक भावात्मक मामला है और इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इसलिए मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि यदि वे समझते हैं, चीजों को कहने के ढंग में परिवर्तन करके तरीके से कहना चाहिए, वह कह दें। [**व्यवधान**]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय ने जो कहा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं यह समझता हूं कि उनके द्वारा व्यक्त भावनाओं को इस सदन में उपस्थित सभी लोग समझने की चेष्टा करेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : इन्दिरा जी तथा राजीव जी ने सारे राष्ट्र का ध्यान 'सर्वहारा' के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने की ओर लगाया। एक ऐसे समय में जबकि हमें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के सामने उपस्थित रोजी-रोटी की समस्या से जूझ रहे है . . . [**व्यवधान**] क्या एक राजनैतिक दल ने इन सब मुद्दों की उपेक्षा करके अपने चुनावी मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रत्येक गांव और कस्बे को साम्प्रदायिकता के आधार पर बांटने का प्रयत्न किया ? [**व्यवधान**] मैंने भा०ज०पा० का नाम नहीं लिया है . . . [**व्यवधान**] . . . मैंने भा०ज०पा० का नाम नहीं लिया है। [**व्यवधान**] क्या इस अभियान का असर हम देश के प्रत्येक शहर और गांव में नहीं देख सकते हैं ? [**व्यवधान**] क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि वह गौरव पूर्ण हिन्दू धर्म जिस पर मुझे गर्व है उसे महज एक राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तोड़-मरोड़ कर संकीर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है ? [**व्यवधान**]

प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, जैन, बौद्ध अथवा ईसाई हो, अपने धर्म पर गर्वान्वित होने का अधिकार है। वे सभी उस विश्व का सार्वभौमिक संदेश देते हैं जिसमें मानव का मानव के प्रति प्रेम हो न कि आपसी द्वेष। इसी संदेश का हमारे महान देश ने सदियों पुराने अपने इतिहास और समृद्धिपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा के साथ हमेशा से प्रतिनिधित्व किया है। हमेशा से "भारत माता" की यही परम्परा रही है जिससे सभी धर्मों और जातियों के लोगों को अपने अंक समेट रखा है और शांतिपूर्वक मिल जुल कर उनके विकास के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है [**व्यवधान**]

महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर आदि इस दर्शन के उत्कृष्ट प्रतीक थे और धर्मनिरपेक्षता के इसी दर्शन के प्रति कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। [**व्यवधान**]

इसके ठीक विपरीत क्या हमने हाल ही के चुनाव प्रचार के दौरान एक विशेष राजनीतिक दल द्वारा बनायी गयी वीडियो फिल्म को नहीं देखा है ? क्या हमने राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा खून जमाने वाले साम्प्रदायिक भाषणों के टेप नहीं सुने हैं ? क्या अनेक राजनीतिक दलों द्वारा तुच्छ साम्प्रदायिक अफवाहें नहीं फैलायी गयी हैं ? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है ? [**व्यवधान**] मैं जानता हूं कि . . . . . ** . . . . मैं जानता हूं कि एक राजनीतिक दल में इस धार्मिक मुद्दे को अपनाए जाने के विरोध में भी कुछ लोग हैं। मैं उन्हें देख सकता हूं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि उस राजनीतिक दल में कुछ लोग हैं जो दल द्वारा अपनायी जा रही इस विषैली राजनीति का विरोध कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनमें से कुछ अगली सीटों पर बैठे हैं। [**व्यवधान**] फिर भी अनेक ऐसे लोग भी हैं जो इस कटु साम्प्रदायिक मुद्दे को

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपनाए हुए हैं और राष्ट्रीय छवि को सुधारने की जगह क्षति पहुंचा रहे हैं। मेरी टिप्पणी इस प्रकार के लोगों के ही विरुद्ध है। [**व्यवधान**]

मैंने कहा कि............**............एक राजनीतिक दल के नेतागण चाहे वे जिस भी धर्म के मानने वाले हों, जो धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर रहे हैं वे निश्चित रूप से राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं..........**.........मैं इस वक्तव्य का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। [**व्यवधान**]

मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं उस दल से सम्बन्धित हूं जो इस प्रकार के तत्वों चाहे वे जिस धर्म के मानने वाले हों, का विरोध करने के लिए वचनबद्ध है और इस प्रकार सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की खुशी और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत के इस गुण के कारण मैं इस बात का समर्थन करने में नहीं हिचकूंगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस दर्शन का पक्ष लिया है। इस दर्शन के प्रति मैं पूर्ण रूप से वचनबद्ध हूं। इसी आदर्श के लिए इन्दिरा जी और राजीव जी जीवित रहे और इसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने क्या कहा वह सुनाई नहीं दिया जो दो चार वाक्य सुनाई दिए उससे यह आभास नहीं मिला कि उनको इस बात की कोई अनुभूति है कि किसी विपक्षी दल को या उस दल के सदस्यों को देशद्रोही कहना, यह संसदीय परम्परा के तो खिलाफ है ही, लेकिन साधारण शालीनता के भी खिलाफ है .... [**व्यवधान**]

[**अनुवाद**]

श्री माधवराव सिंधिया : वे मेरा वक्तव्य सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर मैं उनका वक्तव्य क्यों सुनूं? मैंने जो कुछ कहा आपने नहीं सुना। फिर आप दूसरों से यह आशा क्यों करते हैं कि वे आपकी बात सुनेंगे ? आप लोकतांन्त्रिक परम्परा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैंने भा०ज०पा० का नाम नहीं लिया है। मैंने कहा है "एक राजनीतिक पार्टी"। यदि आप समझते हैं कि यह "आपका" है तो यह आपका काम है मेरा नहीं। [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : इस सदन में अनेक बहसें हुई हैं, इस सदन में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब हमने एक-दूसरे की आलोचना बहुत तीखी सुनी है लेकिन वह आलोचना सुनने के बाद भी कभी भी आपकी पार्टी को देशद्रोही नहीं कहा है और अगर गलती कभी होती है तो मैं अपनी पार्टी की ओर से ऐपौलाजाइज करने में संकोच नहीं करता हूं। लेकिन ऐपोलोजाइज करने के लिए शालीनता चाहिए और मुझे यह लगता है कि आज इस सदन में इसका अवसर उठाकर पार्टी के प्रति जो टायरेड शुरु किया है, मैं इसके विरोध में और शालीनता के अभाव में विरोध प्रकट करते हुए इसी समय सदन का त्याग करता हूं। लेकिन इसका उत्तर ठीक समय पर सरकार को जनता देगी इसमें मुझे सन्देह नहीं है। ... [**व्यवधान**]

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

1.28 म०प०

(तत्पश्चात् श्री लाल कृष्ण अडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

1. 28 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री बलराम जाखड़।

वर्ष 1991-92 की कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं वर्ष 1991-92 की कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) संशोधन नियम, 1990 तथा दूसरा संशोधन नियम, 1991

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) संशोधन नियम, 1990, जो 22 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 36 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1991, जो 10 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-300/91]

बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 1991

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 1991, जो 15 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 343(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 301/91]

भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलोजीकल कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1989-90 तथा जीवद्रव्य अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलांजीकल कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलॉजीकल कारपोरेशन लिमिटेड बुलन्दशहर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 302/91]

(3) (एक) जीवद्रव्य अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीवद्रव्य अनुसधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करर)

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 303/91]

(4) (एक) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-304/91]

(5) (एक) बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 305/91)

कयर बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखों तथा कयर बोर्ड के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : महोदय, श्री पी० जे० कुरियन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कयर बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कयर बोर्ड के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-306/91**]

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1991 का संख्या 13)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1991 का संख्या 13)—संघ सरकार—सिविल की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-307/91**]

पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषदें (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन अधिनिय 1990

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : महोदय, मैं पंजाब राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषदें (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1990 (1990 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 5) जो 11 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-308/91**]

1.31 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मांतुगा टेलीफोन एक्सचेंज, मुम्बई को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (मुम्बई–उत्तर मध्य) : महोदय, विगत कई माह से बाहर से आने वाले और बाहर किये जाने वाले टेलीफोन कॉल के डायल टोन में निरन्तर विलम्ब की असुविधा दूर नहीं

किये जा सकने के कारण मुम्बई के 48—मांतुगा एक्सचेंज के उपभोक्ता बहुत ही अधिक उत्तेजित हैं ।

48 पोन्टा कोंन्टा एक्सचेंज वर्ष 1972 में स्थापित की गयी थी और इसमें करीब 5028 चालू लाइनें हैं । मियोन में दो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किया जाना और मई, 1990 में पुराने 47—स्ट्राजर एक्सचेंज को बन्द कर दिया जाना 48—एक्सचेंज उपभोक्ताओं के लिये हानिकारक साबित हुआ है । 47—एक्सचेंज के उपभोक्ताओं के करीब 2,000 लाइनों को 1 मई, 1990 को 48—एक्सचेंज में स्थानान्तरित कर दिया गया है । नये कनेक्शन भी दिये गये थे जिस कारण एक्सचेंज का कार्यभार बढ़ गया है । 48—एक्सचेंज की अधिकांश वर्तमान समस्याएं इसी कारण हैं ।

मैं 48—एक्सचेंज, मांतुगा मुम्बई का शीघ्र ही आधुनिकीकरण किये जाने का और इस प्रकार के आधुनिकीकरण के लम्बित मामलों को अस्थायी रूप से 437 और/अथवा 414—एक्सचेंज से जोड़ कर आर० एल० यू० (रिमोट लाईन यूनिट) प्रदान करने का अनुरोध सरकार से करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 29 जुलाई को जो हरिजन मारे गये हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं. . . .[**व्यवधान**]. . .

अध्यक्ष महोदय : आपके जब मन में आयेगा तब उठेंगे, बात करेंगे, कैसे हाउस चलेगा ।

[**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : जैसे मन में आयेगा, करेंगे, ऐसे नहीं चलता है, यह पार्लियामेंट है ।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके लिये नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जब नोटिस मंजूर होगा तो बात करेंगे ।

(दो) त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 का उचित रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : त्रिवेन्द्रम—कन्याकुमारी राष्ट्रीय राज मार्ग, संख्या—47 का तमिलनाडु भाग बहुत ही खराब अवस्था में है । शीघ्र ही इसके रख-रखाव और इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है । देश के सभी मार्गों में यह सबसे अधिक व्यस्त रहता है और एक समय यह भारत की सबसे अधिक लम्बी पक्की सड़क थी। हाल ही में हुए मानसून की वर्षा के कारण इस सड़क को बहुत नुकसान पहुंचा है । कुणिथुराई नदी के पुल की किनारे की दीवारें भी गिर गई हैं । सड़क में गढ्ढे और दरारें हो गयी है और इस कारण यात्रियों और वाहनों का आवागमन मुश्किल हो गया है । यातायात दुर्घटनायें अक्सर होती रहती हैं । इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रखरखाव संबंधी कार्य आरम्भ करके इसे जल्द से जल्द यातायात योग्य बनाया जाए ।

(तीन) मध्य प्रदेश में बरंगी सिचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल झिकराम (मांडला) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में वृहप्रद सिचाई योजना "बरगी" को बने लगभग 20 वर्ष हो चुके है। इतने वर्षों के बाद भी आज तक मंडला एवं सिवनी जिलों के डूब क्षेत्र से प्रभावित लोगों को पुर्नस्थापित नहीं किया गया है। न तो बिजली की पूर्ति की गई है और न ही आवागमन की सुविधा है। बच्चों के लिए शालाओं की उचित रूप से व्यवस्था नही है। डूब में आने वाली जमीन हेतु शासन द्वारा पुन: 35 प्रतिशत राशि देने की घोषणा की गई थी परन्तु उसे आज तक उन्हें प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी जमीन को लेकर उन्हें भूमिहीन बना कर घर द्वार से वंचित किया गया है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार सभी तरफ से सताए-उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कर उनके विकास पर समुचित ध्यान देते हुए 35 प्रतिशत की राशि तत्काल दिलाई जाए।

[अनुवाद]

1.35 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

(चार) पूर्वोत्तर बिहार में महानन्दा उप-बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबन्धन योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, कोसी उप-बेसिन तथा तीस्ता उप-बेसिन, जो कि गंगा बेसिन का भाग है, उनकी ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा ध्यान दिया गया है, जबकि महानन्दा उप-बेसिन, जो कि इन दोनों के मध्य स्थित है, उसकी ओर बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन की दृष्टि से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण आयोग ने महानन्दा उप-बेसिन के लिए एक आधारः योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत कई और योजनाएं भी तैयार की गई परन्तु अभी तक कोई भी योजना योजनाबद्ध तरीके से शुरू नहीं की गई है ताकि इस योजना के कार्यान्वियन के लिए एक चरणबद्ध तथा समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा सके। हर वर्ष बाढ़ तथा भूमि-कटाव के कारण जान-माल की हानि होती रहती है।

समस्त उत्तर-पूर्व बिहार महानन्दा बेसिन में स्थित है, तथा बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के बिना कोई भी आर्थिक विकास संभव नही। महानन्दा की कुछ उप-नदियां प्रायः अपना रास्ता बदलती रहती हैं और कुछ अपने किनारों को बहा कर ले जाती हैं। कई जगह पर नदी का तल गाद के जमा हो जाने के कारण आस-पास की जमीन से ऊंचा हो गया है।

मेरा यह निवेदन है कि योजना आयोग की स्वीकृति से महानन्दा योजना को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए, विभिन्न योजनाओं का वरीयताक्रम भी निर्धारित किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को योजना खर्च का 50 प्रतिशत स्वयं उठाना चाहिए। महानन्दा बेसिन बाढ़ नियंत्रण तथा विकास प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए जिसमें दो केन्द्र सरकारों तथा क्षेत्रीय जनता के प्रतिनिधि होने चाहिएं ताकि योजना का उचित कार्यान्वियन किया जा सके।

(पांच) केरल में पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री टी० जे० अंजलोस (अलप्पी) : महोदय, केरल के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिम तटीय नहर का सम्पूर्ण भाग राज्य के आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। सदियों से यह राज्य के लोगों के लिए यातायात अथवा कृषि उत्पादों की ढुलाई का सबसे सस्ता साधन रहा है। अब राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह आग्रह किया है कि वह पश्चिम तटीय नहर के इस सारे हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करें। वर्तमान में जबकि तेल को बचाने की आवश्यकता है, इस जलमार्ग का उपयोग ज्यादा लाभप्रद रहेगा। इस संबंध में भारत सरकार ने कुछ प्राथमिक कार्य किया है, परन्तु अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हू कि वह केरल में पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोपित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(छह) बिहार में, हजारी बाग में रेलवे आउट एजेंसी को पुनः खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : सभापति महोदय, हजारीबाग जिला मुख्यालय - जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमण्डल का भी मुख्यालय है, रेलवे लाइन से जोड़ा नही गया है। यहां के लोगों को काफी असुविधा होती है। आज से करीब दस वर्ष पहले हजारीबाग में रेलवे आउट एजेन्सी थी लेकिन उसे भी बन्द कर दिया गया जिससे लोगों की असुविधा और भी बढ़ गई है। अब जो लोग रेलवे से यात्रा करते हैं उन्हें हजारीबाग रोड, कोडरमा, धनबाद या बड़काकाना रेलवे स्टेशनों पर टिकट कटवाने के लिए जाना पड़ता है।

हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ा नही जाता है, तब तक स्थाईतौर पर हजारीबाग में एक रेलवे आउट एजेन्सी खोली जाए एवं कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई आदि सभी नगरों में आने वाली ट्रेनों में यहां के लिए भी सीट सुरक्षित की जाए एवं माल की भी बुकिंग हो।

[अनुवाद]

1.39 म०प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 11 और 12 पर विचार करेगी। श्री गिरधारी लाल भार्गव उपस्थित नहीं। श्री शोभना द्रीश्वर वाड्डे राव।

श्री शोभनाद्रीश्वर वाड्डे राव (विजयवाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 अप्रैल, 1991 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं० 2) का नि रनुमोदन करे ।"

महोदय, यह अध्यादेश दसवीं लोक सभा के लिए हुए चुनावों के समय जारी किया गया था। यह अध्यादेश इसलिए जारी किया गया था ताकि जम्मू तथा कश्मीर राज्य में चुनावों को स्थगित किया जा सके। मेरे विचार में यह अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि जम्मू तथा कश्मीर राज्य की लोक सभा में छः सीटें हैं। तीन सीटें कश्मीर में, दो जम्मू में तथा एक लद्दाख में है। यद्यपि कश्मीर में स्थिति स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के अनुकूल नहीं है, फिर भी जम्मू तथा लद्दाख क्षेत्र में स्थिति इतनी खराब नहीं है। इन तीन सीटों के लिए चुनाव स्थगित करने का कोई कारण नहीं है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि श्री प्रफुल्ल कुमार मोहन्ता के नेतृत्व में चल रही असम सरकार को यह कह कर बर्खास्त कर दिया है कि वहां पर अल्फा की गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो गई थी। श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने श्री करूणानिधि की सरकार को यह आरोप लगा कर बर्खास्त कर दिया कि तमिलनाडु की स्थिति काफी खराब है तथा लिट्टे की गतिविधियां अबाध रूप से चल रही हैं तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है। [व्यवधान]

सभापति महोदय : कृपया, आपस में बातचीत मत कीजिए। कृपया, अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करके बोलिए।

[व्यवधान]

श्री शोभनाद्रीश्वर वाड्डे राव : जबकि तत्कालीन सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करना उचित समझा, परन्तु वह लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार थी। यद्यपि उस समय कांग्रेस (इ) तथा अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक के बीच कोई समझौता नहीं था तथा इसलिए द्रमुक सत्ता में आई। बाद में एक मामूली से बहाने के कारण उस सरकार को बर्खास्त करने के प्रति उनका आपस में तालमेल बैठ गया। यह एक बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीका है। इस के बावजूद उन्होंने तमिलनाडु में चुनाव करवाने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए। यहां तक कि सरकार ने पंजाब में भी चुनाव करवाना उचित समझा, यद्यपि बहुत से राजनैतिक दलों ने इस बात पर जोर दिया था कि पंजाब में चुनाव नहीं करवाए जाने चाहिएं क्योंकि वहां की स्थिति स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अनुकूल नहीं थी तथा हो सकता है कि वास्तविक जनमत सामने न आए। बेशक, चुनाव से कुछ घंटे पहले चुनाव स्थगित करना एक अलग बात है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि इस अध्यादेश को जारी करके जम्मू तथा लद्दाख क्षेत्र के लोगों को दसवीं लोक सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। आप कश्मीर घाटी में तीन लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर सकते थे। परन्तु, जम्मू तथा लद्दाख क्षेत्र में चुनाव स्थगित करने का आपको कोई अधिकार नहीं था।

इस दृष्टिकोण से मैंने इस अध्यादेश का विरोध किया तथा इस अध्यादेश को जारी करके लोगों के मौलिक अधिकारों को बुरी तरह से हनन किया गया है। यह एक बहुत ही अलोकतांत्रिक कार्य है। यह सरकार अनावश्यक रूप से अध्यादेश जारी कर रही है तथा यह संविधान में निहित भावना के खिलाफ है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

विधेयक का उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं० 2) जिसे राष्ट्रपति द्वारा 18 अप्रैल, 1991 को प्रख्यापित किया गया था, को प्रतिस्थापित करना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसार चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को इस आशय की अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को दसवीं लोक-सभा के गठन के लिए 19 अप्रैल, 1991 को सदस्य चुनने के लिए कहा गया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में स्थित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक अलग अधिसूचना जारी करने की चुनाव आयोग ने सिफारिश की। चुनाव आयोग ने यह सिफारिश इसलिए की क्योंकि आयोग के अनुसार मुख्य राजनैतिक दलों ने यह विचार प्रकट किया था कि उस समय स्थिति जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के अनुकूल नहीं थी तथा चुनावों से पहले विशेष सुरक्षा प्रबन्ध करवाने की आवश्यकता थी। तदनुसार चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों में चुनाव करवाने के लिए एक अलग कार्यालय बनाने की सिफारिश की।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अन्तर्गत, चुनाव आयोग को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आए सदस्यों के नामों को अधिसूचित करना होता है और इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् ही सभा को विधिवत् गठित माना जायेगा। [**व्यवधान**]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घण्टी बजाई जाए। गणपूर्ति है। मंत्री महोदय अब अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : धारा 73 में केवल उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों को अलग रखने का प्रावधान है जहां पर कि निर्धारित तिथि पर चुनाव न करवाये जा सके हों अथवा जहां पर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अवधि निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ा दी गई हो।

इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रपति इस आशय की अधिसूचना जारी कर सके जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को 19 अप्रैल,

1991 को लोकसभा के लिए सदस्य चुनने के लिए कहा जा सके तथा यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा धारा 73 के अंतर्गत विधिवत् गठन सम्बन्धी अधिसूचना जारी करके पूरी की जा सके, यह आवश्यक था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 को उचित रूप से परिवर्तित किया जा सके ताकि इस धारा के अन्तर्गत चुनाव आयोग इस धारा के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर में स्थित निर्वाचन क्षेत्रों की ओर ध्यान न देते हुए इस विधिवत् गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर सके। यह मामला अत्यावश्यक था तथा संसद का सत्र भी नहीं चल रहा था, इसलिए राष्ट्रपति को 18 अप्रैल, 1991 को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 जारी करना पड़ा। इसके पश्चात्, जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर अन्य राज्यों में चुनाव करवाने सम्बन्धी राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी की गई। जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि पहले भी पंजाब तथा असम के मामले में ऐसे अध्यादेश जारी किए जा चुके है।

जम्मू-कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव करवाने के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त की गई कार्यवाही तथा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही को वैधता प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश के स्थान पर संसद द्वारा पारित अधिनियम को लाना आवश्यक है। इसलिए, यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए : "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 अप्रैल, 1991 को जारी लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं० 2) का निरनुमोदन करती है।"

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

अब श्री धर्म पाल सिंह मलिक बोलेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सभापति महोदय, रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल एक्ट 1951 में जो तरमीम पेश की गई है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं इस चीज को खूब समझता हूं कि इस अमेंडमेंट के तहत बात कहने का बहुत थोड़ा स्कोप है, लेकिन फिर भी जैसा कि मंत्री महोदय ने जो हालात बयान किए कि किन हालात में यह आर्डिनेंस जारी किया गया, उस संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

पिछली जो सरकार थी, चन्द्रशेखर सरकार, उसके तहत आर्डिनेंस जारी हुआ और उस आर्डीनेंस को एक्ट की शक्ल देने के लिए, कानूनी पेचीदगियों की पूर्ति करने के लिए यह बिल पेश किया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि चुनाव अभी देश के अन्दर हुए हैं और सभी माननीय सदस्यों ने बहुत सारी कमियों को महसूस किया। इस लिहाज से सुझाव के तौर पर मैं कुछ चीजें पेश करना चाहता हूं।

पहला मेरा सुझाव यह है कि पिछले चुनावों में और खासतौर से 1977 के बाद जितने चुनाव हुए हैं, उनमें रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग के बहुत मामले सामने आए। इस बार तो बहुत सारी जगह ऐसी थीं जहां किसी प्रकार की कोई कानूनी मर्यादा वाली बात नहीं थी और वहां पर जबरदस्ती बूथों पर कब्जे किए गए और बोगस वोटिंग कराई गई। इस संबंध में इस हाउस के सामने बहुत बार

यह सुझाव आया है कि पहचान-पत्र परिचय पत्र, मल्टीपरपज आई-डिएंटिटी कार्ड्स जारी किए जाएं। कुछ समय पहले राज्यसभा में मंत्री जी ने एक ब्यान में कहा था कि हम यह चाहते हैं कि मल्टी-परपज आईडिएंटिटी कार्ड जारी किए जाएं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मल्टीपरपज आईडिएंटिटी कार्ड जब तक जारी नहीं किए जायेंगे, तब तक हम इस व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं चला सकते। यह रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल एक्ट से संबंधित बात है और मेरा सुझाव है कि मल्टी-परपज आईडिएंटिटी कार्ड होने से जो गलत लोग किसी दूसरे की जगह वोट डालते हैं, उनको रोका जा सकता है। इसमें मेरा सुझाव यह भी है कि मल्टीपरपज आईडिएंटिटी कार्ड के अंदर एक ऐसा कालम भी होना चाहिए, जिसमें पोलिंग आफिसर के दस्तखत भी हो सकें। यदि किसी के आईडिएंटिटी कार्ड पर दस्तखत नही हैं और उसका वोट डाल दिया गया है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पोलिंग आफिसर पर डाली जाए, ताकि वह ऐसी गलती फिर न करे।

इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि नॉन-सीरियस केन्डीडेट को कम करने के लिए हाउस में चर्चा हुई थी। मेरा यह भी सुझाव है कि सिक्योरिटी डिपोजिट को और बढ़ाया जाए और कोई न कोई उम्मीदवार बनने के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाए। जो वर्तमान क्वालिफिकेशन है उसके तहत कोई भी आदमी किसी के कहने से अपनी मरजी से केवल अखबारों में और रेडियो में नाम लाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं जिससे चुनाव प्रक्रिया में काफी बाधा होती है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कांस्टीच्युशन आफ इंडिया और रिप्रेजन्टेशन आफ पीप्लस एक्ट में तरमीम के बाद सन दो हजार तक के लिए डी-लिमिटेशन आफ इंक्रीज इन कांस्टीच्युऐंसी को सीज़ किया हुआ है। अभी बहुत संतुलन खराब है। दिल्ली के अन्दर चांदनी चौक कांस्टी-च्युऐंसी में साढ़े तीन लाख वोटर हैं और उसके साथ उत्तर-पूर्वी कांस्टीच्युऐंसी में 17 लाख वोटर हैं। इतना इम्बेलेंस पार्लियामेंटरी कांस्टीच्युऐंसी की वोटर संख्या में ठीक नजर नहीं आता और उससे ठीक ढंग से रिप्रेजन्टेशन नहीं हो पाता। हाउस की कुल संख्या को न बढ़ाया जाए तो भी कांस्टी-च्युऐंसी की डीलिमिटेशन जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में 1970 के बाद डीलिमिटेशन नहीं हुआ। हर स्टेट ने तहसील और हैडक्वार्टर्स की लिमिट बदल दी है, उससे बहुत परेशानी आती है। मेरा संसदीय क्षेत्र पांच डिस्ट्रीक्ट्स में आता है। चार गांव किसी डिस्ट्रीक्ट में चले गए और दूसरे गांव मेरे क्षेत्र में आ गए। मैंने जो सुझाव दिए हैं वे हालात के मुताबिक होने चाहिए। इसके साथ ही इन शब्दों के साथ जो बिल पेश किया गया, उसका मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को बड़ी तन्मयता-पूर्वक सुना है तथा मुझे यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि स्थिति की बाध्यताओं तथा वैधानिक पेचीदगीयों के कारण हमारे सामने प्रस्तुत विधेयक को पारित करवाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया है क्योंकि यह एक तकनीकी विधेयक है जो कि एक दैनिक कमी को पूरा करने के लिए लाया गया है। सभापति महोदय, मैं इस विचार से काफी चिन्तित हूं कि इस सभा की वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। शायद अपने हित को सामने रख कर ही हम इस विधेयक को पारित करवाने जा रहे है।

सभापति महोदय, इस समय कुछ निराशपूर्ण विचार मेरे दिमाग में उभर रहे हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि जम्मू–कश्मीर के लोग, जो कि इस देश का एक अभिन्न अंग है, आज उनका इस सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। आज हम उनके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति महसूस कर रहे हैं जो कि राष्ट्र के समक्ष उनकी समस्याओं को लाते थे तथा उन सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव तथा सिफारिशें दिया करते थे जो कि कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों से जोड़ते हैं।

आज, हम उनकी दुख तथा अवसाद भरी चीखें नहीं सुन सकते तथा उनकी तकलीफों और उनके अधिकारों के हनन के बारे में नहीं जान सकते, जो कि इस सम्माननीय सभा में उनके प्रतिनिधित्व द्वारा संभव हो सकता था।

महोदय, आज एक बहुत गंभीर मानवीय तथा राजनैतिक त्रासदी का सामना कर रहे हैं। घाटी में जन जीवन अस्त-व्यस्त था तथा अभी भी अस्त-व्यस्त है। यह पिछले विधान सभा चुनावों के कारण अधिक अस्त-व्यस्त हुआ। इसके लिए किसी दल अथवा व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने का कोई लाभ नहीं है। परन्तु, आज जो आतंकवादी आजादी का नारा लगा रहे हैं–अलगाववादी ताकतें–ये सब वे नवयुवक हैं जो कि किसी समय घाटी में सक्रिय राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता रहे हैं।

2.00 म०प०

उन्होंने निराशा अनुभव की। उन्हें लगा कि समस्या का समाधान मतपेटी नहीं बल्कि गोली है। फिर वे इस रास्ते की ओर आकर्षित हुए तथा सही रास्ते से भटक गए और आज हम यह अशांति देख रहे हैं। मुझे यह बताया गया कि कुछ नवयुवक जो कि चुनाव एजेंट तथा पोलिंग ऐजेंट रह चुके हैं, वे आतंकवादी बन गए हैं। और इस सब के अतिरिक्त, सभापति महोदय, हमने कश्मीर में एक पूर्ण राजनैतिक खालीपन ला कर अपनी राजनैतिक भूलों को और भी गंभीर बना दिया है। आज वहां कोई राजनैतिक गतिविधि नहीं हो रही है। राजनैतिक गतिविधियां बिल्कुल ठप्प हैं। कश्मीर में बहुत से प्रमुख राजनैतिक नेता, चाहे हम उनके विचारों से सहमत हैं, या नहीं, सलाखों के पीछे बंद हैं। इसलिए स्थिति अभी भी अशांत है।

1989 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उनका व्यापक स्तर पर बहिष्कार किया गया। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि बहिष्कार एक अलग चीज है जो कि ऐच्छिक है तथा चुनावों से वंचित करना एक अलग बात जो कि लोगों पर थोपी गई है। बहिष्कार के आधार पर चुनाव न करवाना न्याय संगत नहीं है। लोग अपना मन बदलते हैं, तथा राजनैतिक चातुर्य कभी भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। हो सकता था कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने वर्ष 1989 में चुनावों का बहिष्कार किया था, अगर चुनाव होते तथा हम चुनाव करवाने का साहस दिखाते तो वे चुनाव में हिस्सा लेते। लेकिन आज मेरा विचार है कि जैसा कि मैंने कल इस सभा में कहा था कि हमें घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करनी है। यह सब धीरे-धीरे हो पायेगा। मैं नहीं समझता कि हाल की घटनाओं को देखते हुए घाटी में अभी चुनाव कराने के लिए सामान्य स्थिति तत्काल बहाल हो सकती है।

तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमने राज्य की पूर्ण स्थिति का अध्ययन क्यों नहीं किया था? हम चुनावों की घोषणा कर सकते थे, चुनाव आयोजित कर सकते थे। साथ-ही साथ जिन विशिष्ट

निर्वाचन क्षेत्रों में अभी चुनाव कराने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं वहां चुनाव स्थगित किए जा सकते थे। उदाहरण के लिए जम्मू में स्थिति सामान्य है। लद्दाख में भी स्थिति सामान्य है शायद घाटी के कुछ भागों में भी स्थिति सामान्य हो सकती थी। एक या दो निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्य में चुनाव करवाए जा सकते थे। इस प्रकार जम्मू और लद्दाख में स्थिति सामान्य होने के बावजूद वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व न देने से स्थिति बिगड़ गई है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : क्या यह सही होगा कि घाटी को छोड़कर जम्मू और लद्दाख में चुनाव करवाए जाएं ? [**व्यवधान**]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने यह कहा है कि हमें पूरे राज्य में चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए। ऐसा किसी भी राज्य में हो सकता है कि एक या दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव न हो पाएं। यदि प्रशासन चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है तब वह चुनाव स्थगित करने की सलाह दे सकता है। प्रत्येक राज्य में ऐसा ही किया जाता है उदाहरण के तौर पर बिहार के पांच निर्वाचन क्षेत्रों का इस सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए कार्य प्रारंभ करने से पहले ही समस्याओं से घबराना ठीक नहीं है। इससे राजनीतिक समझबूझ और साहस न होना प्रदर्शित होता है।

मेरे मन में एक और मुद्दा भी है जो अति महत्वपूर्ण है। मैंने इस सभा में कहा था कि हम लोक सभा में भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एक विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व दूसरे सदन अर्थात् राज्यसभा में है। अतः यहां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अपना महत्व है और इस सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार है। प्रशासनिक सुविधा और प्रबंधन के उद्देश्यों से हम चुनाव करवाते हैं अथवा प्रशासन को चुनाव करवाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होते हैं।

मैं जिस दूसरे मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि विधेयक की धारा 2 (ख) में कहा गया है :

> "चुनाव आयोग जम्मू और कश्मीर राज्य में अलग से संसदीय चुनाव करवाने के लिए, ऐसा तरीका और ऐसी तारीख अथवा तारीखें निर्धारित कर **सकता है** और जो भी वह उचित समझे कदम उठा सकता है।"

हम देख सकते हैं कि वह जो तरीका उचित समझे और जो तारीख अथवा तारीखें उचित समझें उनका निर्धारण करने के बाद जम्मू और कश्मीर में अलग से संसदीय चुनाव करवाने की बात कह रहे है। अब मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि इस बात का कौन निर्धारण करेगा कि कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए कब स्थिति उपयुक्त है ? चुनाव आयोग के पास अपना ऐसा कोई तंत्र नहीं है। चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अथवा केन्द्र सरकार से परामर्श करेगा। केन्द्र सरकार ने कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने के लिए जो नीति अपनाई और कदम उठाए हैं उन्हें देखते हुए चुनाव आयोग को यह परामर्श देने की स्थिति में होगा कि राज्य में चुनाव करवाने के लिए स्थिति अनुकूल है या नहीं। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री और सभापति महोदय सभा को विश्वास

में लें और हमें बताएं कि क्या वह ऐसी आकस्मिकता के लिए तैयार है अथवा नहीं । उनके इस बारे में क्या विचार हैं और, कश्मीर में सामान्य राजनीतिक स्थिति बहाल करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए ताकि उपयुक्त समय पर चुनाव हो सकें, जैसा कि उन्होंने कहा है, जिसके बारे में हम आशा करते हैं कि वह इस सभा की अवधि से अधिक नहीं होगा । इसलिए, महोदय, केन्द्र सरकार को स्वयं को तैयार करना है । हम कमियों को पूरा कर रहे हैं ताकि हमें सभा से बाहर न कर दिया जाए । यह ठीक है, लेकिन यदि सरकार का यह विचार है कि जम्मू-कश्मीर की जनता को शीघ्र इस सभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तब सरकार को एक कार्य योजना बनानी चाहिए तथा सभा को विश्वास में लेना चाहिए और देश तथा कश्मीर की जनता को पता लगाना चाहिए कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उनके मस्तिष्क में कौन से क्रमिक कदम उठाने का विचार है। हम अंतिम उग्रवादी के समाप्त होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता । हम उग्रवाद की पूर्णतः समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं । ऐसा कभी नहीं होगा । कुछ न कुछ ऐसे तत्व रहेंगे ही और हमें उनके साथ ही जीना है और उन्हें बर्दाश्त करना है । लेकिन हम उन्हें कश्मीर में लोकतांत्रिक शासन के रास्ते में रुकावट डालने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और न ही कश्मीर की जनता के राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीवन में वीटो शक्ति का उपयोग करके उन्हें प्रतिनिधित्व से इंकार कर सकते हैं । इसलिए सरकार को इस प्रकार कार्य योजना बनानी है ।

सभापति महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं उन मुद्दों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो इस कार्य योजना में शामिल किए जाने चाहिएं । मेरा सुझाव है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिन्होंने चुनाव में पहले भी भाग लिया था और उग्रवाद का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं किया था, उन्हें कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए । यदि उनमें से कुछ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है तब वह प्रतिबंध हटा लेना चाहिए । मेरा सुझाव है कि कश्मीर के नेता जो ऐसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे, अथवा केन्द्र या राज्य स्तर पर विधायिकाओं के सदस्य थे और जो अब जेल में हैं, उनके मामलों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और यदि संभव हो तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए । कम से कम आप यह तो कर ही सकते हैं कि उन्हें राजनीतिक बंदी माना जाए न कि आम अपराधी जैसा कि उनमें से कुछ के साथ व्यवहार किया जा रहा है। एक न एक दिन तो हमें उनसे बात करनी ही है । घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हमें एक न एक दिन उनकी सहायता, सहयोग और सद्भावना लेनी ही है । महोदय, मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से कुछ को देश की भिन्न-भिन्न जेलों में रखा हुआ है, हम उन्हें घाटी में वापिस क्यों नहीं भेज देते जहां वह दूसरों के साथ बेहतर सम्पर्क कायम कर सकेंगे और इस प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग कर सकेंगे ? कश्मीर में एक विचारधारा पनप रही है, यह अभी प्रारंभावस्था में है। हम इसकी शुरूआत देख सकते हैं। यदि राजनीतिक व्यक्तियों के बीच कुछ हद तक शांतिपूर्वक सम्पर्क की अनुमति दी जाए तब मेरे विचार से उसके अच्छे परिणाम रहेंगे ।

सभापति महोदय, नागरिक स्वतंत्रताएं दुबारा दी जाएं तथा मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए । उग्रवाद के नाम पर अत्याचार को न्यायसंगत ठहराने का कोई औचित्य नहीं है । वहां उग्रवादी होंगे, आतंकवादी होंगे, लेकिन आतंकवाद और उग्रवाद को राज्य द्वारा आतंकवाद और

उग्रवाद कहकर न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। राज्य का सृजन कानून द्वारा किया गया है। इसका विधिक अस्तित्व है। राज्य ने जो नियम बनाए हैं उन्हें उनका सम्मान करना आवश्यक है तथा ऐसे राज्य में उसका विशेष सम्मान होना चाहिए जो विधि पर आधारित है जैसा हमारा देश है। इसलिए किसी भी प्रकार से राज्य के आतंकवाद की अनुमति नहीं दी जा सकती है, न केवल विधिक और संविधानिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी नहीं क्योंकि यह आत्म-घातक, आत्म-विनाशक और उत्पादकता के लिए अहितकर हो सकता है।

महोदय, आज वस्तुतः कश्मीर में कानून का शासन नहीं है। न्यायालयों में कोई कार्य नहीं हो रहा है। हजारों लोगों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं उच्च न्यायालय में जमा हो रही हैं। पिछली गणना के अनुसार ऐसी याचिकाओं की संख्या लगभग 5,000 थी और उच्च न्यायालय उन पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है। पिछली सरकार ने यह एक घोषणा की थी कि आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में श्रीनगर की पुनरीक्षा करने के लिए विशेष न्यायालय वापिस ले आयी जाएंगी उन्होंने अभी तक कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि कानून की सही प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए घाटी में कानून का शासन लागू किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को कार्य प्रारंभ करना चाहिए। विशेष न्यायालय को श्री नगर में ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए।

2.12 म०प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

प्रेस पर बहुत दबाव है। पंजाब में भी ऐसा ही है। लेकिन पंजाब में फिर भी प्रेस की कुछ स्वतंत्रता है। मेरे विचार से सरकार को प्रेस को स्वतंत्रता देनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आम राजनीतिक गतिविधियों अर्थात् रैलियों और प्रदर्शनों की भी अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें ऐसा करने दीजिए। अंत में ऐसा समय आएगा जब उनमें एक समुदाय की भावना सहज रूप से उभरेगी। वे आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी रोज-रोज प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपनी कार्यवाहियां समाप्त करनी होंगी और लोग भी उन्हें अस्वीकार कर देंगे, हो सकता है कि पहले दिन दस हजार लोग उनके साथ हों, दूसरे दिन पांच हजार हों लेकिन बाद में जब लोग देखेंगे कि इस कार्य का कोई लाभ नहीं है तब वे इससे दूर रहेंगे और यह समाप्त हो जाएगा। हमें राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

श्रीनगर शहर का मैंने विगत दो वर्षों में तीन बार दौरा किया है और घाटी के अन्य शहरों में भी करीब-करीब किलेबन्दी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा लगता मानों वे युद्ध के मैदान का एक हिस्सा हों। आप प्रत्येक गली के प्रवेश द्वार पर हर थोड़ी दूरी पर अवरोध पायेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि शहर की पूरी तरह घेराबन्दी कर दी गई है। इससे मानसिक रूप से घुटन पैदा होती है। इससे जनता और सुरक्षा बलों के बीच तनाव पैदा होता है। और उस तनाव की स्थिति में कभी-कभी ज्यादतियां भी हो जाती हैं। क्योंकि आखिर हमारे सुरक्षा बल के लोग भी इंसान ही हैं। यदि उन पर भी हमला होता है तो वे भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। शक्ति उनके हाथ

में होती है और तब वे अधिक शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम स्थाई तौर पर शहर में इस तरह की टकराव की स्थिति क्यों पैदा करें जबकि सप्ताह में कई दिन जन जीवन सामान्य होता है। सुरक्षा बलों को सीमा सील करने और वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर पाकिस्तान से आने तथा पाकिस्तान जाने वाले घुसपैठियों की रोकथाम के कार्य में ही लगाया जाए। उन्हें सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों तथा राजमार्गों की देख-रेख करने की जिम्मेवारी निभाने दें। उन्हें शहरों और कस्बों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने दिया जाए लेकिन शहरों और कस्बों के अन्दर शांति और आजादी का माहौल होना चाहिए। इतनी उच्च सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर तनाव को और न बढ़ाए जैसी स्थिति आज पैदा हो गई है। इसलिये मेरी यह राय है कि शहरी और ग्रावामीय क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबन्धों में कमी की जाए।

मेरा दूसरा सुझाव भी है। कल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सहयोगी श्री चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाने तथा स्थानीय प्रशासन को सलाह देने के लिये देश के सभी भागों के सभी दलों के सदस्यों की एक सलाहकार समिति गठित करने का विचार दिया था। लेकिन इन सबसे अधिक जरूरी है जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के रवैये में परिवर्तन लाना। कश्मीर के लोगों को यह लगता है कि जम्मू-कश्मीर का प्रशासन उन पर लादा गया है। यह प्रशासन उनके लिये पराया सा लगता है। सभापति महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू-कश्मीर में कार्यरत तीस उच्चाधिकारियों में से केवल एक ही जम्मू-कश्मीर कैडर के हैं और अन्य सभी देश के दूसरे भागों से बुलाए गए हैं। यदि विश्वास से विश्वास पैदा किया जा सकता है तो हमें कश्मीर के लोगों में विश्वास करना होगा। वहां के स्थानीय लोगों में विश्वास करना होगा जो सेवारत हैं और जिन्होंने लम्बे समय तक वहां के लोगों की सेवा की तथा जो कश्मीर के लोगों से परिचित हैं। उन्हें ही अपना प्रशासन चलाने दें। उपनिवेशवाद के तरीके से आज के समय में प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। यह केवल लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा सकता है। इसलिये मेरी यह राय है कि स्थानीय लोगों को ही प्रशासन से फिर से शामिल किया जाए। जहां तक सम्भव हो जम्मू-कश्मीर सरकार के संवर्ग के अधिक से अधिक अधिकारियों को जिन्हें निष्क्रिय बना दिया गया है, उन्हें पुनः प्रशासन में शामिल किया जाए ताकि वे आपस में जो संप्रेषण शून्यता है उसे दूर कर सकें और संप्रेषण के नये माध्यम तैयार कर सकें और शायद वह नये सिरे से राजनीतिक समस्या को छोड़कर कम से कम लोगों की समस्याओं, उनकी जरूरतों और राज्य के विकास तथा दिन-प्रतिदिन के जन-जीवन तथा भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता जिनका उन्हें सामना करना होता है उन मुद्दों पर बातचीत कर सकें। यदि हम राजनीतिक संकट को तुरन्त हल नहीं कर सकते और लोगों में यह विश्वास नहीं पैदा कर सकते कि उनका भविष्य हम से जुड़ा है तो कम से कम इतना अवश्य करें कि हम उन्हें स्वच्छ और सक्षम प्रशासन उपलब्ध कराएं।

अन्त में, महोदय, उल्फा एक अलगाववादी संगठन है—एक स्वयंभू अलगाववादी संगठन है—इसके बावजूद हमने उल्फा कार्यकर्ताओं के लिये आम माफी की घोषणा की और उनसे बातचीत करने लगे। मैं नहीं जानता कि वर्तमान सरकार सत्ता तक पहुंचने में उल्फा के प्रति कितना आभारी है और इसके बावजूद कश्मीर में हम शर्त लगाते हैं। हमने कश्मीर के मामले को उलझा दिया है और यह हमारा कर्तव्य है कि कश्मीर के लोगों में हम विश्वास पैदा करें। इन भ्रमित युवकों को सही रास्ते पर लाना होगा। हम आमने-सामने बैठकर बातचीत करें। हम उन्हें यह बता दें कि आजादी एक सपना है, एक असम्भव स्वप्न और राजनीति सम्भावनाओं का खेल है। इसलिये

हम स्वायत्तता की सीमा तक बातचीत के लिये तैयार है, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को पुर्ननिर्धारित करने, राजनीतिक समायोजन करने, घाटी के लोगों को अधिकार देने के लिये तैयार हैं ताकि वे अपने मामलों को स्वयं देख सकें और अपना शासन स्वयं चला सकें। संप्रभुता को छोड़कर हम कोई भी व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं जिससे कश्मीर के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

इन विचारों के साथ हम कश्मीर के लोगों के बीच जाएं वहां एक आम घोषणा करें और बातचीत के लिये सभी राजनीतिक ग्रुपों को आमन्त्रित करें और तब हमें ऐसा लगता है कि तब शायद हम एक नई शुरूआत कर सकें। और तब शायद सरकार निकट भविष्य में इस विधेयक के खंड 2 (ख) पर कार्य करने में समर्थ हो सकेगी। अन्यथा मुझे भय है कि वह दिन कभी नहीं आएगा जब यह निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर में संसदीय चुनाव कराने के लिये कार्रवाई कर सकती है। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री, मैं और सभा के प्रत्येक सदस्य भी यह आशा करते हैं कि ऐसा दिन आए जबकि देश की समस्याओं से निपटने हमारे लोगों को आगे बढ़ाने और न केवल कश्मीर बल्कि पूरे देश की समस्या को हल करने में जम्मू और कश्मीर के लोग हमारा साथ दे दें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम ऐसा करने के लिये बाध्य हैं। मैं अपने माननीय मित्र श्री शाहबुद्दीन से सहमत हूं कि यह सभा पूर्ण नहीं है क्योंकि देश के 30 या 36 निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य अनुपस्थित है। लेकिन मैं परिस्थितियों की बाध्यता को भी स्वीकार करता हूं जिसने पिछली सरकार को अध्यादेश प्रस्तुत करने पर बाध्य कर दिया था और उसे यह सरकार अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित करने का विचार कर रही है। मुझे उनसे पूरी साहनुभूति है।

इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू-कश्मीर की वर्तमान वास्तविक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वहां तुरन्त चुनाव कराए जा सकें। जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिये स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये माहौल पैदा करने में बहुत समय लगेगा। इसलिये हम कश्मीर की वास्तविक परिस्थितियों को जान लें।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री सक्सेना हमेशा यह कहते रहे हैं कि पाकिस्तान छिप कर लड़ाई कर रहा है। नियन्त्रण रेखा के समीप प्रशिक्षित और सशस्त्र उग्रवादियों की घुसपैठ हो रही है। अनुमान है कि 4,000 से 5,000 तक की संख्या में उग्रवादी जम्मू-कश्मीर के विभिन्न भागों में सक्रिय हैं। चालू वर्ष के प्रथम पांच महीनों के दौरान 396 बार सशस्त्र बलों पर आक्रमण करने की कोशिश की है। आतंकवादियों द्वारा 60 बार राकेट द्वारा गोले दागे गए। आतंकवादी अपनी गतिविधि शहरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करने लगे है। पाकिस्तान द्वारा कूटनीतिक स्तर पर तीव्र और कठिन प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रंग दे दिया जाए।

इन वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्री शाहबुद्दीन भी सहमत होंगे कि वहां चुनाव कराने योग्य माहौल है अथवा नहीं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कश्मीर में चुनाव कराए ही न जाएं।

राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में नई सरकार की नई कार्य सूची के बारे में भी वक्तव्य दिया है। जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी तो उस दौरान माननीय मन्त्री बहुत सक्रिय थे। यह उस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर हमेशा यह आरोप लगाते रहे कि कश्मीर के सवाल पर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। इसलिये कश्मीर और पंजाब पर नीति बनाई गई है। अब क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी नीति क्या है। क्या वह उतने ही जीवंत हैं? क्या वह कश्मीर की वास्तविकताओं के प्रति उतने ही सचेत हैं?

क्या वह भी कश्मीर नीति तैयार करना चाहते हैं? इस सरकार के पास भूतपूर्व सरकारों की तरह कोई कश्मीर नीति नहीं है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मैं श्री शाहबुद्दीन के दल की जिम्मेदारी लेने से स्वयं को मुक्त कर रहा हूं अथवा कश्मीर सम्बन्धी कोई सही परिप्रेक्ष्य योजना अथवा परिप्रेक्ष्य नीति नहीं होने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर रहा हूं।

अब, हम स्वयं राज्यपाल के ही कथन को लें। उन्होंने कहा था कि "राजनैतिक दृष्टि से कश्मीर को कार्यसूची में सबसे ऊपर रखा गया है तथा विशेष रूप से इसलिये भी कि जनता का विश्वास कैसे जीता जाये। राजनैतिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने अर्थात् जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिये कुछ पहल करनी होगी। हमें यह स्पष्ट करना है कि बन्दूकों के बल पर कुछ भी हल निकालने का हमारा इरादा या नीति नहीं है।" यदि राज्यपाल का ऐसा दृष्टिकोण है यदि सरकार की यह कार्य सूची हो तो मैं यह कहूंगा कि कश्मीर में भी ये अनिवार्य तथा आवश्यक मानदण्ड होने चाहिये। यह केवल कानून तथा व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है।

मूलतः यह एक राजनैतिक प्रश्न है कि जम्मू तथा कश्मीर भारत से सम्बन्धित है तथा भारत का एक अभिन्न अंग है।

कश्मीर वासियों की अपनी अलग राष्ट्रीयता है हम इसे उप-राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। कश्मीरियों की अपनी अलग संस्कृति है तथा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिये जिससे उनकी भावनाओं को, उनके उप-राष्ट्रवाद की भावना को, उनकी अलग व्यक्तित्व की भावना को ठेस पहुंचे।

जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति काफी लम्बे अर्से से, शेख अबदुल्ला के समय से भारत सरकार द्वारा चली जा रही राजनैतिक चाल खेलने का परिणाम है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु इसी के साथ ही मैं यह देखता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जैसा कि उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने के मामले में सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह उल्लेख किया गया था कि जनता की समितियां अथवा ऐसी ही कोई समिति बनाई जायेगी, प्रशासन में कश्मीर की जनता को शामिल करने के लिये एक नई पहल शुरू की जायेगी। इसका समर्थन सभा में उपस्थित सभी दलों द्वारा किया गया था। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, यद्यपि वह उपस्थित नहीं हैं। वह गृह मन्त्री नहीं है। हमें यह आशा थी कि जब सदन में ऐसी चर्चा चल रही हो तो गृह मन्त्री जी को उपस्थित होना ही चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने के लिये क्या प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं? मैं विशेष रूप से माननीय मन्त्री जी से ही यह जानना चाहता हूं। हमें यह स्पष्ट करना है कि बल प्रयोग से हमारा कोई हल सा समाधान निकालने का कोई इरादा या नीति नहीं है। हमें इसे क्रियान्वित करना है, हम इस भावना को साकार रूप देना चाहते हैं कि हम समस्या का समाधान

बन्दूक की सहायता से नहीं करना चाहते बल्कि इसका हल राजनीतिक स्तर पर कुछ विचार विमर्श द्वारा अथवा कुछ प्रारम्भिक कदम उठाकर करना चाहते हैं।

आज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोक सभा में दिनांक 7 अगस्त, 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा था। उन्होंने इसी सदन में कश्मीर के बारे में अपना भाषण दिया था। मेरे विचार से उनके भाषण को याद रखना हमारे लिए संगत है। उन्होंने कहा था :

> "अतः कानून की दृष्टि से तो यह समझौता पूरा हो चुका था परन्तु वास्तव में दूसरा तथ्य जिसका कानून से कोई सम्बन्ध नहीं था वह अभी भी शेष है तथा वह है कश्मीर की जनता से किया गया हमारा वादा, जो अभी पूरा नहीं हुआ है।"

यह केवल कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं था बल्कि कश्मीर की जनता से किये गये हमारे वादे का भी सवाल था। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहते हुए दुःख हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्मीर की स्वायतता के सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू अथवा अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कश्मीर की जनता से किये गये वादे को सरकार ने भुला दिया है।

आज, मैं यह देख रहा हूं कि कुछ वर्ग तो यहां तक कह रहे हैं कि कश्मीर के लिये हमारा दावा न केवल विलय सम्बन्धी समझौते के कारण है बल्कि जीत करके हासिल करने के अधिकार के कारण भी है। इस देश में ऐसी विचारधारा है, ऐसी भावना है, राजनैतिक रूप से यह समझा जा रहा है कि कश्मीर विलय सम्बन्धी समझौते के कारण ही भारत का एक हिस्सा नहीं है बल्कि जीत करके हासिल करने के अधिकार के कारण भी भारत का हिस्सा है।

बलराज मधोक द्वारा **"रेशनेल ऑफ हिन्दू स्टेट"** नामक एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारत का कश्मीर का दावा महाराजा द्वारा हस्ताक्षर किये गये विलय सम्बन्धी समझौते पर ही आधारित नहीं है बल्कि विजय हासिल करके प्राप्त करने के अधिकार के कारण भी है। उन्होंने मुझसे उनका नाम पढ़ने के लिये कहा था, इसलिये मैंने यह पढ़ा है।

अतःएव पुनः वे कह रहे है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है जो संविधान सभा के अनुसार उसे दिया गया, रद्द किया जाना है तथा जिसे निकाल दिया जाना है। परन्तु वे कहीं पर भी अनुच्छेद 371 का उल्लेख नहीं करते हैं जिसके अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ अन्य राज्यों को भी विशेष दर्जा दिया गया है। अन्य राज्यों को भी विशेष दर्जा दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : आन्ध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा दिया गया था।

श्री चित्त बसु : आन्ध्र प्रदेश तथा दिल्ली को भी विशेष दर्जा दिया गया था। मुझे खेद है।

वे चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 को अभी इसी समय से ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये। परन्तु अनुच्छेद 371 के बारे में क्या कहा जा रहा है ? उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश तथा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को भी

विशेष दर्जा दिया गया है। अतएव मुख्य प्रश्न यह है कि एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों का एक समूह चाहता है कि कश्मीर को साम्प्रदायिक रंग दिया जाये तथा सरकार इस मामले में कोई ठोस तथा सैद्धान्तिक कदम नहीं उठा रही है।

मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा तथा मेरे अन्य सहयोगियों द्वारा पूछें गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि कब तथा किस प्रकार से सरकार कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार कर रही है। मैं उनसे यही कहना चाहता था तथा राजनीतिक कैदी अथवा वे व्यक्ति जिनकी कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि है तथा जिनका सम्बन्ध किसी राजनीतिक दल से था तो क्या उन्हें रिहा किया जायेगा तथा उन्हें कश्मीर में ही राजनीतिक गतिविधियां प्रारम्भ करने का पुनः अवसर दिया जायेगा, इसका भी उत्तर दिया जाये।

जब तक वह राजनीतिक पहल शुरू नही की जाती, जब तक वह राजनैतिक प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होती, मैं समझता हूं कि कश्मीर में वह स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी जब वहां स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराये जा सकें। उसके बिना हमारे यहां आदर्श लोकतन्त्र कायम नहीं रह सकता जिसका हम हमेशा दावा करते हैं तथा जिस पर हम हमेशा गर्व करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अत्यधिक अनिच्छा से इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि परिस्थितियां काफी विवश कर रही हैं तथा सरकार को आगे आना चाहिये तथा जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने की दिशा में तुरन्त कदम उठाकर स्थिति में व्याप्त तनाव को समाप्त करना चाहिये।

श्री शरद दिघे : (मुम्बई—उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, मैं इस जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1991 का पूरी तरह से समर्थन करता हूं पर्व वक्ता के समान अनिच्छापूर्वक नहीं।

यह एक साधारण विधेयक है जिसका उद्देश्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 73 के प्रावधानों की खामियों को दूर करने के उद्देश्य से जारी किये गये अध्यादेश में परिवर्तन करना है। उस धारा के अन्तर्गत लोकसभा के स्थानों के परिणामों के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करना तथा उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् इस सदन का गठन किया जाता है तथा केवल तभी यह सदन कार्य कर सकता है। परन्तु जैसा कि हम जानते हैं कुछ राज्यों में तथा विशेष कर जम्मू तथा कश्मीर में चुनाव नहीं कराये जा सके तथा जब तक अध्यादेश जारी नहीं किया जाता, इस सदन का गठन भी नहीं हो सकता था। अतः जैसा कि मैंने कहा कि उस खामी को दूर करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था तथा इस विधेयक द्वारा उस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इस विधेयक में न केवल इस खामी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है बल्कि यह भी प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग ऐसे कदम उठाये जो उसे जम्मू तथा कश्मीर में चुनाव कराने के लिए उठाने हेतु परामर्श दिया जाए। और जब हम यहां इस विधेयक पर चर्चा करते हैं तो इस दृष्टिकोण से उस राज्य में भी चुनाव कराने का प्रश्न उठता है।

91-M(3)(D)429LSS—16

देश के कुछ राज्यों में चुनाव न कराए जाने के सम्बन्ध में अन्य सदस्यों की चिन्ता से मैं भी भागीदार हूं। जब सदन में कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता तो यह लोकतंत्र में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चय ही चिन्ता का विषय है और चाहे कुछ समय के लिए ही सही, किसी भी लोकतान्त्रिक संस्था के लिए यह ठीक नहीं है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। अतः यह सुनिश्चित् करने के लिए कि सदन में सभी राज्यों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य, का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाये जाने चाहिएं। विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए क्योंकि उस राज्य में निर्वाचित विधान सभा नहीं है। वास्तव में वहां के लोगों का केन्द्रीय सरकार से कोई सम्पर्क नहीं है क्योंकि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि न राज्य विधान सभा में हैं और न लोक सभा में हैं।

जैसा कि पिछले वक्ता ने कहा था ऐसा परिस्थितिवश था अतः हम इस अधिसूचना को जारी करने लिए न तो इस सरकार पर आरोप लगा सकते हैं और न ही पिछली सरकार को। इस पृष्ठभूमि में, जम्मू और कश्मीर की समस्या के समाधान का भी प्रश्न उठता है। जब तक उस राज्य में चुनाव कराये जाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की जातीं, तब तक शायद सदन में उस राज्य के प्रतिनिधियों की उपस्थिति की सम्भावना नहीं है। जैसा कि पिछले वक्ताओं ने कहा है, मैं भी यही कहता हूं कि इस दिशा में कदम उठाये जाने चाहियें। अवश्य हम इस बात को समझते हैं कि इतनी कम अवधि में, यह सरकार जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में अपनी पूरी नीति की घोषणा नहीं कर सकती। इस सरकार के पास समय बहुत कम था।

जनसमितियों आदि के गठन के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ संकेत किया गया था। ऐसे प्रयासों का स्वागत है। मेरे विचार में इस सरकार के सामने जो बजट सम्बन्धी समस्याएं थीं उन्हें ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे पाये होंगे। पिछले वक्ता ने भी इस ओर संकेत किया है। किन्तु, महोदय, मैं भी सरकार से निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी सम्भव हो वे इस समस्या का समाधान खोजें ताकि इस राज्य में चुनाव कराए जा सकें।

वास्तव में, कश्मीर की समस्या लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण है। मैंने इस बात पर कभी विश्वास नहीं किया कि कश्मीरी लोगों अथवा उस राज्य के किसी क्षेत्र के लोगों की पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कभी कोई इच्छा रही है। यह केवल एक क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रश्न है। वे केवल कश्मीरी लोगों के रूप में अपनी पहचान चाहते हैं तथा वे चाहते हैं कि उनकी विकास समस्याओं का समाधान किया जाये। अतः इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने कहा है—यह अति प्रासंगिक भी है—कल भी गृह मन्त्री जी ने इसका उल्लेख किया था कि इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने की कोई बात नहीं की जानी चाहिए। इससे शेष भारत और जम्मू और कश्मीर के लोगों के सम्बन्ध पूर्ण रूप से खराब हो जायेंगे। सारी क्षेत्रीय आकांक्षा हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 पर आधारित है। अतः, वे लोग जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात करते हैं उन्होंने जम्मू और कश्मीर की वास्तविक समस्या को नहीं समझा है और यदि इस राज्य के बारे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की मांग रहती है तो वे इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पायेंगे। अतः ऐसा वातावरण पैदा किया जाना

चाहिए जो यह स्पष्ट करे कि हम कश्मीर की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और भारत में रहते उन्हें विकास के लिए पूरा समर्थन मिलेगा।

इस समय, उस राज्य के अधिकाधिक विकास के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रयास का भी स्वागत है। जम्मू और कश्मीर की समस्या के समाधान तक पहुंचने का यह एक सही ढंग है। अतः, इस राज्य के विकास को ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा और उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी है उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः, उग्रवादियों की संख्या को कम करने के लिए, उनकी बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए हमें जम्मू और कश्मीर के अधिक और जल्दी विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। इस समस्या पर ध्यान देने के पश्चात् राजनैतिक स्तर पर बातचीत करने के लिए अन्य कदम उठाए जा सकते हैं। इस समय, एक समस्या यह भी है कि वहां पर बहुत कम राजनैतिक शक्ति शेष है। लोगों को एक ओर उग्रवादी तथा अव्यवस्था और दूसरी ओर सेना तथा पुलिस शासन से सामना करना पड़ता है। अतः, कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास जगाने हेतु हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए ताकि ऐसे राजनैतिक दल उभरें जो लोगों में विश्वास पैदा कर सकें कि वे उनका साथ देंगे, उनकी समस्याएं सुलझाएंगे, उनका आचरण अच्छा होगा और वे भ्रष्ट नहीं होंगे और यदि वे चुने जाते हैं और सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार और अन्य तरीकों में लिप्त होने के बजाऐ लोगों की मदद करेंगे। अतः, वहां पर सर्वजन के बारे में सोचने वाले और उनकी भावनाओं का ध्यान रखने वाले लोग उनमें यह विश्वास पैदा कर सकते हैं और विशेष तौर पर ये राजनैतिक दल जो यह विश्वास दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे कि वे समान रूप से उनकी समस्याएं सुलझाने में मददगार होंगे और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उग्रवादियों से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है जहां एक ओर सेना और पुलिस है और दूसरी ओर उग्रवादी हैं। प्रशासन का लोगों से पूरी तरह से सम्पर्क समाप्त हो गया है। यहां तक कि कभी-कभी-छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी लोगों को उग्रवादियों की मदद लेनी पड़ती है। इसी कारण इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। पाकिस्तानी उस राज्य की स्थिर व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के इच्छुक हैं। किन्तु, इसी के साथ हम इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि वहां पर जन साधारण की समस्याएं सुलझाने के लिए कोई राजनैतिक दल, राजनैतिक शक्ति, आम आदमी का ध्यान रखने वाले लोग नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर की समस्याओं में से एक समस्या यह भी है। अतः, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और उग्रवादियों को यह संकेत दिए जाएंगे कि जहां तक उग्रवादियों का प्रश्न है सरकार उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। दुर्भाग्य से, श्री दुरैस्वामी का मामला अभी भी निपटा नहीं है और ऐसी धमकियां दी गई हैं कि आज उनका हाथ काट दिया जायेगा और कल उनके शरीर के अन्य अंग काटे जायेंगे और अन्त में उनके पूरे शरीर को फैंक दिया जायेगा। ऐसी धमकियां बहुत लम्बे समय से आ रही हैं और हम इस समस्या का समाधान भी नहीं कर पाए हैं। अतः, हमें दृढ़ और कड़े कदम उठाने होंगे ताकि उग्रवादियों को सबक मिल जायें कि अब उनका समय समाप्त हो चुका है और जहां तक उस राज्य का सम्बन्ध है, सरकार उग्रवाद मिटाने के लिए और उस राज्य में लोगों को लोकप्रिय सरकार देने और उन्हें इस सदन में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बहुत गम्भीर है। ऐसा वातावरण जल्द से जल्द पैदा किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में आगे कार्यवाही कर रही है और जल्दी ही हम अपने उद्देश्य

को पा लेंगे। अतः, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मैं पूरी तरह से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : (कोट्टायम) : महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान के लिए पेश किया गया है जिसे राष्ट्रपति जी ने 18, अप्रैल, 1991 को जारी किया था। मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि कुछ अध्यादेश पहले भी जारी किये गये थे और कुछ नहीं, इसके लिए बाध्य है।

जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। दुर्भाग्य से, इस सम्माननीय सदन में जम्मू और कश्मीर तथा कुछ अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है। सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान स्थिति में चुनाव कराए जाने बिलकुल भी सम्भव नहीं है। आज, मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा है कि जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों ने सद्भावना दिवस मनाया था और सैंकड़ों उग्रवादियों ने अपनी वेशभूषा में घाटी में परेड की थी और हजारों लोग इन उग्रवादियों की परेड को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। मैं नहीं जानता कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है। घाटी में आज यही स्थिति है। घाटी में उग्रवादी अपनी वेशभूषाओं में परेड कर रहे हैं और पुलिस कर्मी तथा सुरक्षा बल दर्शकों की तरह उन्हें देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या इस पर लापरवाही का रवैया अपना सकते हैं ? इन उग्रवादियों से सख्ती से निबटा जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन ने कल राजनैतिक स्तर पर हुई बातचीत का उल्लेख किया है। मेरे विचार में बन्दूक इस समस्या का समाधान नहीं है। एक राजनैतिक हल निकाला जाना चाहिए उग्रवादियों के साथ, जो इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रहे हैं, देश के टुकड़े करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो इन सब बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हर व्यक्ति यह बात जानता है। कुछ राजनैतिक गतिविधियों को आरम्भ किया जाना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।

कल हम सभी ने कहा था कि सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए तथा कल हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय ने स्वयं जम्मू और कश्मीर के मामलों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बारे में बताया था। घाटी में आधुनिक हथियारों की सप्लाई की जाती है। कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्त्ता इस घाटी में बहुत डरे हुए हैं। कोई भी आगे नहीं आ रहा और वे किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि का साथ नहीं दे पा रहे हैं। बातचीत करना अच्छा है, लेकिन इसे किस प्रकार शुरू किया जाये, यही मुख्य समस्या है जिसका सामना हम कर रहे हैं।

यह कहा गया है कि कैदियों को अवश्य छोड़ा जाये। निःसंदेह कुछ राजनीतिक कैदियों को जो जेल में हैं, छोड़ा जा सकता ताकि वे कुछ राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर सकें। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह इस बारे में गंभीरता से विचार करे।

विधेयक में यह बताया गया है कि चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए उपयुक्त समय पर उचित कार्यवाही करेगा : मैं नहीं जानता कि चुनाव कब होंगे तथा क्या कार्रवाई शुरू की जा रही है। अतः कुछ राजनीतिक पहल की जानी चाहिए।

इस सभा ने स्वयं चुनाव सुधारों के बारे में चर्चा की है। अतः राजनीतिक पहल के अलावा हमें चुनाव-सुधारों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री जी ने बताया था कि सरकार कुछ चुनाव-सुधारों को लागू करने का विचार कर रही है। हमारी चुनाव-पद्धति में अनेक दोष हैं। अन्य बातों की तरह मतदान केन्द्र पर कब्जा तथा अन्य गड़बड़ियां आम हो गई हैं। अतः कुछ उपाय किये जाने चाहिए ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके।

हम सभी ने विस्तृत रूप से चर्चा की है कि चुनावों के दौरान जो उम्मीदवार गंभीर नहीं होते वे बहुत सी समस्यायें खड़ी करते हैं। हमें ऐसे उम्मीदवारों को, जो चुनावों को गंभीरता से नहीं लेते, जमानत की सीमा बढ़ाकर अथवा इन मामलों में कुछ अन्य तरीके अपनाकर हतोत्साहित करना पड़ेगा।

इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रयोग की भी यहां चर्चा हुई है। चुनाव प्रक्रिया को अधिक सक्षम बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है।

एक अन्य बात जो मैं बताना चाहता हूं वह सरकार द्वारा चुनाव खर्च उठाने के बारे में है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। चुनावों पर बहुत धन खर्च किया जाता है। चुनावों में देश का साधारण नागरिक खड़ा नहीं हो सकता; करोड़पति ही चुनावों में खड़े हो सकते हैं क्योंकि आम नागरिक के लिए यह खर्च वहन करना बहुत कठिन है। अतः सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन किये जाने का मामला बहुत महत्व का है, अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये।

एक अन्य बात जो मैं बताना चाहता हूं वह मतपत्रों पर एक जैसे चुनाव चिह्नों के बारे में है। हमने मतपत्रों पर समान चुनाव चिह्न देखे है जो मतदाताओं के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए जलती हुई टार्च और हाथ के निशान को लीजिए। जब ये दोनों निशान मतपत्र पर एक साथ दिखते हैं तो मतदाता उलझन में पढ़ जाता है। अतः एक-एक जैसे चुनाव चिह्नों को नहीं रखना चाहिए। यही स्थिति ऊँट और घोड़े के बारे में है। अगर वे एक ही मतपत्र में दिखाये गए हैं तो वे मतदाताओं के मष्तिष्क में उलझन पैदा करेंगे।

अतः, ये मेरे कुछ सुझाव हैं। निःसंदेह, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता परंतु मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जम्मू और कश्मीर में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वह राजनीतिक पहल करे ताकि इस महान सभी में जम्मू और कश्मीर के लोगों की आवाज सुनी जा सके। दूसरे सरकार को स्वयं विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ आगे आना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जो अभी स्थिति है, उस स्थिति को अगर ठीक करना है

तो केवल इससे इलैक्शन रूल्स में अमेंडमेंट करने से ही नहीं होगा बल्कि वहां के लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। मैं समझता हूं कि देश में जो परिस्थिति पैदा हो गई है तो उस परिस्थिति में रहने वाले लोगों का दिमाग कुछ संदेहात्मक हो गया है। वे लोग सोच रहे हैं कि यह सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर उनके दिमाग में यह बात नहीं होती तो अभी वहां से कुछ लोग आए तो अपने को असुरक्षित समझते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की स्थिति नहीं होती। लेकिन यहां जो कुछ स्थिति पैदा हुई है तो इस तरह से चलते वहां स्थिति पैदा हो गई। वहां ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि वहां के लोगों को विश्वास हो सके कि हम भारत के हैं और हमें भारत में ही रहना है और हमें पाकिस्तान की ओर नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस देश में धर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई धर्म के भाई रहते हैं। हमारे यहां मुसलमान मस्जिद में पूजा करते हैं और हिन्दू मंदिर में ही नहीं बल्कि खेत-खलिहान में खड़े होकर पूजा करते हैं। किसान, खेत-खलिहान में रोपणी के दिन गड्ढे में स्नान करते हैं और मिट्टी का देवता बनाकर पूजा करते हैं। इस तरह की स्थिति होती है और इन चीजों पर आघात करने से मैं समझता हूं कि देश की एकता नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हम देश की एकता बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि किसी के धर्म पर आघात होता है तो देश को तोड़ने का काम होता है। यही कारण है कि कश्मीर में रहने वाले लोग हमसे कुछ दूर होते जा रहे हैं। इसलिए, भारत सरकार को चाहिए कि अभी जो देश में कुछ हो रहा है तो उस पर रोक लगावें। हिन्दू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि चुनाव संशोधन बिल लाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा कीजिए। उसके बाद परिवर्तन किया जायेगा तो इससे काम चल सकता है वरना केवल परिवर्तन करने से काम चलने वाला नहीं है। हमारे देश में राम के सबसे बड़े भक्त तुलसीदास थे। तुलसीदास ने जब रामायण लिखी तो तब बाबर का राज समाप्त हो चुका था। रामायण में कहीं नहीं लिखा कि बाबर ने मंदिर को उठवाकर मस्जिद को बनवाया। मैं नहीं समझता कि लोगों को इसका वर्णन करने से क्या फायदा है। कुछ लोग यह कहते हैं कि बाबर ने मस्जिद को उठाकर मंदिर बनवा दिया तो वे इसलिए कहते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ वोट एकत्र कर सकें इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाबर ने अपनी डेली डायरी में लिखा, वह डायरी अब भी मौजूद है। उन्होंने यह कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को उठवाकर मस्जिद को बनवाया। मैं समझता हूं कि मुस्लिम धर्म में झूठ बोलना अपराध है। मुझे लोगों से जानकारी मिलती है कि वे धर्म के नाम पर झूठ बोलना पसन्द नहीं करते। मैं समझता हूं बाबर ने किसी भी हालत में इस बात को छुपाया नहीं होगा। इसके बावजूद कुछ लोग उसका नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं और उससे हमारे देश का वह अंग हमसे बिछड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए ऐसी शक्तियों पर रोक लगानी चाहिए। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो आप देश को एक साथ नहीं रख सकेंगे और देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। इसलिये कश्मीर को अगर एक रखना है, कश्मीर के लोगों पर काबू पाना है तो चुनाव कानून में सुधार करके ही आपको बस नहीं करना है, उनकी स्थिति में भी आपको सुधार लाना होगा। वरना उनकी रक्षा करना मुश्किल हो जायेगी। बयालीस वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे देश में बहुत से लोग गरीब हैं जिन्होंने बैलेट पेपर नहीं देखे हैं। आपको जानकारी हो या न हो, लेकिन मुझे मालूम है मैं जिस क्षेत्र से जीत कर आता हूं वहां बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के लोगों ने बैलेट पेपर तक नहीं देखा। खास तौर से हरिजनों और

पिछड़े वर्ग के लोगों ने बैलेट पेपर नहीं देखा और उन्हें अभी तक बूथ पर जाने का मौका नहीं मिला। मेरे क्षेत्र में सौ-डेढ़ सौ ऐसे गांव हैं जिनमें अधिकांश लोगों को बूथ पर जाने नहीं दिया गया। मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सरकार के पास ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो हरिजनों के गांवों में जाये और देखे कि वहां पर हरिजनों ने वोट दिया है या नहीं। इसलिए जो चुनाव कानून में प्रावधान किया गया है कि हरिजनों के लिए अलग से बूथ कायम किये जायेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। हरिजनों के लिए बूथ वहां होने चाहिए जहां वे चाहते हैं। आप उनके बूथ अलग तो बनाते हैं, लेकिन वहां बनाते हैं जहां जमींदार का दरवाजा हो इससे वे लोग इन बूथों पर कब्जा कर लेते हैं और उनको वोट नहीं डालने देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव कानून में सुधार होना चाहिए। जिससे गांव-देहात में रहने वाले हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग वोट दे सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक नई परम्परा चली है चुनाव आयोग द्वारा कि बूथों पर पुलिस नहीं भेजी जाती है, अगर भेजी जाती है तो बहुत कम भेजी जाती है। वहां गांव-गांव में नाजायज बंदूकों का निर्माण हो रहा है, अगर पांच-दस पुलिस वाले बूथ पर रहते हैं तो पचास आदमी नालों के साथ आते हैं और बूथ पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए जहां आप बूथ कायम करें वहां पर प्रिसाइडिंग आफिसर और तमाम हुक्मरानों की रक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हरिजन और अल्पसंख्यक वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए जो चुनाव कानून का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मतगणना का परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जायेगा जब तक री-पोलिंग समाप्त न हो जाये। लेकिन एक नई परम्परा देखने को मिली कि आदमी चाहे जीत रहा हो या हार रहा हो उसकी गणना हो जाती है और दुबारा वोट भी डाले जाते रहे हैं। इसलिए जो सरकार के अधिकारी कानून का उल्लंघन करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इससे कई नई परम्परायें पैदा हो जायेंगी और खराब परिपाटी चल पड़ेगी। जो एक न एक दिन आपके लिए भी खतरनाक होगी। भले ही आज आप के लिए यह फायदेमंद हो। इसलिए चुनाव पद्धति को ठीक रखना है तो जो पदाधिकारी चुनाव कानून का उल्लंघन करें उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें जिससे देश में प्रजातंत्र सुरक्षित रहे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चुनाव पद्धति को बरकरार रखना चाहती है तो इसमें बहुत से संशोधनों की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो लाठी के बल पर चुनाव ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। अगर चुनाव के दिनों में लोगों को बूथ पर जाने से रोका जाता है उसको आप नहीं रोकेंगे तो वह आदमी फिर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकता है। वह समझेगा कि यह देश मेरे लिए नहीं है। इसलिए चुनाव कानून में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जो मैंने सुधार करने की बातें कहीं हैं मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें और विचार करें और कानून में संशोधन करें। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर में चुनाव स्थगित किए जाने के कारण राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था। तथा इस विधेयक को उस अध्यादेश के स्थान पर लाया जाना है। अन्य राज्यों के साथ जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं करवाये जा सके जैसा कि पंजाब में भी चुनाव नहीं करवाये जा सके। मैं इस अवसर पर मांग करता हूं कि 25 सितम्बर, 1991 को पंजाब में चुनाव करवाये जाने चाहिएं। सरकार को उस राज्य में चुनावों को और आगे स्थगित नहीं करना चाहिए।

महोदय, चूंकि कश्मीर में स्थिति अनुकूल नहीं है, अतः सरकार द्वारा चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। हम सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वर्ष 1989 में जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराये गये थे, मतदाताओं का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो लगभग 5 से 10 प्रतिशत है, उस चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सका था। जम्मू और कश्मीर में स्थिति बिगड़ती जा रही है। यह अपेक्षाकृत दुःखद और जटिल हो गई है। मैंने 'जटिल' इसलिये कहा क्योंकि वहां उग्रवादी समूहों की संख्या अधिक है। ऐसे समूह वहाँ मौजूद हैं जो कश्मीर के अलगाव की मांग कर रहे हैं; वहाँ ऐसे समूह हैं जो जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ एक ग्रुप है जिसे 'इजबुल मुजाहिद्दीन' के नाम से जाना जाता है तथा उनकी मांग जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की है तथा जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक स्वतंत्र कश्मीर की मांग कर रहा है। अतः इन समूहों के बीच सीमा-रेखा खींचने की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जिसका हम समर्थन कर रहे थे और इस सरकार का मुख्य प्रहार उस समूह पर नहीं था जो पाकिस्तान के साथ जम्मू और कम्मीर को मिलाने की मांग कर रहा बल्कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के विरुद्ध था। मैं महसूस करता हूं कि राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि सेना लगाना कोई समस्या का हल नहीं है। अगर सरकार सोचती हैं कि सेना लगाकर वे कश्मीर की समस्या को हल कर सकते हैं, तो वे गलती पर हैं। कश्मीर के लोगों ने अपना खून बहाया है और बलिदान किये हैं तथा हमारे साथ रहने का फैसला किया है। हमारे साथ रहने का निर्णय लेने के 50 सालों के बाद भी, अलगाव की भावना क्यों कर आयेगी ? हमें विचार करना चाहिए कि कश्मीर के लोगों में ऐसी अलगाव की भावना क्यों है ? प्रश्न हमारी भूमि से किसी भाग के अलग होने का नहीं है बल्कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है। हमारा विचार है कि राजनीतिक प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार ने कश्मीर के सम्बन्ध में किसी नीति की घोषणा नहीं की है। कल जम्मू और कश्मीर पर एक अन्य विधेयक पर चर्चा का जवाब देते समय गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि वे कश्मीर के लोगों से मिलने के लिए वहां जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। गृह मंत्री द्वारा कश्मीर की यात्रा समस्या को सुलझायेगी नहीं जब तक की ऐसी पार्टियां जिनकी कुछ पैठ है—जैसे कांग्रेस (इ) तथा नेशनल कान्फ्रेंस, दुर्भाग्य से हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां कश्मीर में कमजोर हैं—वहां अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर सकती हैं। उन इलाकों को, जहाँ इन पार्टियों की स्थिति मजबूत है, आतंकवादियों की गतिविधियों से मुक्त किया जा सकता हैं। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

कल और आज भी एक सुझाव विभिन्न सदस्यों की तरफ से आया था कि एक उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार समिति गठित की जानी चाहिए वह पंजाब सलाहकार समिति जैसी नहीं होनी चाहिए जिसकी एक बार भी बैठक नहीं हुई। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कुछ पहल की थी यद्यपि उसका परिणाम इतना संतोषजनक नहीं था। लेकिन कम से कम इसने एक समिति क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए, लोगों की आहत भावनाओं पर मरहम लगाने के लिए बनाई थी। इस प्रकार की सलाहकार समिति सभी राजनीतिक पार्टियां बनायें तथा इस समिति को कश्मीर के लोगों से मिलने, उनकी भावनाओं को समझने तथा कश्मीर के लोगों के बीच काम करने के लिए कश्मीर की यात्रा करनी चाहिए। सरकार इस मामले पर विचार कर सकती है।

वहां अलगाव की भावना है। वे कश्मीर के लोगों की अलग पहचान चाहते हैं। लेकिन फिर अनुच्छेद 370 की समाप्ति का प्रश्न आता है, जिसकी मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। हम, वामपंथी दलों ने विशेष रूप से हमारी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम संविधान में अनुच्छेद 370 को बनाये रखने के पक्ष में हैं। संविधान में अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के पीछे ऐतिहासिक कारण है। अगर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया जाता है तो फिर देश के अन्य भागों से धनी व्यक्ति वहां जाकर बस सकते हैं। फिर वह पहचान, जिसके लिए कश्मीर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, समाप्त हो जायेगी।

अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक समुदायों का वहां से पलायन उस समय शुरू हुआ जब श्री जगमोहन को वहां के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। हमने उस सरकार की कार्यवाही की आलोचना की थी। विशेषकर कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से शुरू हो गया।

उनकी समस्या सुलझाई जानी चाहिये। वे शिवरों में रह रहे हैं। कार्यालयों में विभिन्न इकाइयों में बहुत से प्रवासी काम कर रहे हैं। सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, एच०एम०टी० त्रिपक्षीय समझौता और उनकी वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में उस समझौते को लागू नहीं किया गया। उन्हें अपना वेतन नहीं मिल रहा। शिविरों में बड़ी दयनीय अवस्था में रह रहे हैं। ये प्रवासी केवल अल्पसंख्यक समुदाय से ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक समुदाय से भी है। प्रवासियों की समस्या को भी सुलझाया जाना चाहिए।

हम चाहते हैं कि कश्मीर में तत्काल राजनैतिक गतिविधियां शुरू की जायें तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जायें ताकि लोगों के बीच जाकर काम किया जा सके और वहां के लोगों की भावनाओं को शांत किया जाना चाहिये तथा सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

सरकार को आतंकवादियों के विभिन्न ग्रुपों की पहचान करनी चाहिये कि कौन से आतंकवादी कश्मीर की आजादी की मांग कर रहे हैं और कौन से आतंकवादी कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। वहां अलगाव की भावना है। वे कश्मीर की जनता की अलग पहचान चाहते हैं। किन्तु फिर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की यही मांग है। हमने, वामपंथी दलों ने, अपनी स्थिति अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है कि हम अनुच्छेद 370 को संविधान में

रखने के पक्ष में हैं। अनुच्छेद 370 के द्वारा संविधान में जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया है उसके ऐतिहासिक कारण हैं। अगर अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया तो देश के अन्य भागों से लोग वहां पूंजी लगाएंगे और वहां बस जाएंगे। फिर कश्मीर की जनता जिस पहचान के लिए लड़ रही है वह समाप्त हो जाऐगी।

जब श्री जगमोहन राज्यपाल नियुक्त हुए थे, तब से ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों का पलायन शुरू हुआ था। हमने उस सरकार के कार्यों की आलोचना की थी। विशेषकर कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। उनकी समस्या सुलझाई जानी चाहिए। वे शिविरों में रह रहे हैं। कई प्रवासी हैं जो विभिन्न इकाइयों में, कार्यालयों में काम कर रहे हैं। सरकार के साथ कुछ समझौता हुआ था। एच०एम०टी० का त्रिपक्षीय समझौता, और वेतन के भुगतान के संबंध में वह समझौता अभी तक लागू नहीं किया गया। उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। वे अत्यन्त शोचनीय स्थिति में शिविरों में रह रहे थे। ये प्रवासी सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं हैं बल्कि वे बहुसंख्यक समुदाय के भी हैं। प्रवासियों की समस्या को भी सुलझाना चाहिए।

हम चाहते हैं कि कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया तत्काल आरम्भ की जाए और स्थितियां पैदा की जाएं और जनता से सम्पर्क किया जाए और उनमें व्याप्त भावना का शमन करना चाहिए और सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

सरकार से उग्रवादियों के विभिन्न समूहों में अंतर करना चाहिए। ऐसे उग्रवादी दल जो स्वतंत्र कश्मीर के पक्ष में हैं और ऐसे उग्रवादी दल जो पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते हैं।

हम जानते हैं कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर में दखलंदाजी कर रहा है। वे अपने हितों के लिए कश्मीर समस्या को जारी रखना चाहते हैं। हम अमरीका की साम्राज्यवादी नीति से भी अवगत हैं। वे भी वहाँ इन उग्रवादियों की सहायता कर रहे हैं।

पाकिस्तान कश्मीर समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देना चाहता है।

इसलिए, सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए और पहल करनी चाहिए और एक मंत्रणा समिति बनानी चाहिए और कश्मीर समस्या पर विचार करने के लिए शीघ्र ही सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए।

श्री दुरईस्वामी के अपहरण को एक महीना हो गया है, उनके भविष्य के बारे में सरकार को सभा को सूचित करना चाहिए। कोई नहीं जानता क्या हुआ है। उग्रवादी शर्तें रख रहे हैं। किन्तु वे उन्हें रिहा नहीं कर रहे।

इसलिए, इन सब के बारे में बताना चाहिए। स्थितियां पैदा करनी चाहिए और राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ करनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए और कश्मीर समस्या पर विचार करने के लिए सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि कश्मीर की समस्या सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है। अगर कश्मीर अलग हो जाता है तो, यह धर्म निरपेक्ष भारत पर

एक कलंक होगा। इसीलिए सरकार को जम्मू और कश्मीर की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने के लिए एक बैठक बुलानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, यह जो अध्यादेश भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 73 में अध्यादेश के जरिये संशोधन का है, तो धारा 73 इस बात के लिए है कि सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व भारत की लोक सभा में होना चाहिए। एक विशेष स्थिति में अध्यादेश के जरिये संशोधन लाया गया है इसलिए यह हमारी मजबूरी और बिडम्बना है कि इसका समर्थन होना ही चाहिए अन्यथा इस लोक सभा का ही अस्तित्व और इसकी वैधानिकता के समक्ष एक प्रश्नचिह्न पैदा हो जाएगा।

सभापति महोदय, जहां तक जम्मू-कश्मीर की समस्या का सवाल है, वह केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है। वह सम्पूर्ण भारत की भावनाओं की समस्या है और यदि भावनात्मक सम्बन्ध सम्पूर्ण भारत से कश्मीर का खत्म हो गया, तो केवल हम सेना और अर्धसैनिक बल की बदौलत जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाकर नहीं रख सकते, संघर्ष इसी बात का है क्योंकि जो लोग सम्पूर्ण भारत में हिन्दू सम्प्रदाय का वर्चस्व चाहते हैं, उनका एक निहित स्वार्थ है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान-परस्त शक्तियों का थोड़ा-बहुत प्रवेश और दखलंदाजी होती रहे। यदि कश्मीर की किसी घाटी में 15 अगस्त को पाकिस्तान का झण्डा फहराया जाता है, तो एक बहाना उनको मिल जाता है कि सम्पूर्ण देश में हिन्दुत्व की ध्वजा लेकर हम घूमें। ऐसे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो भारत के संविधान की धारा 370 है यह केवल धारा नहीं है, भारत के संविधान निर्माता, राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व और जम्मू-कश्मीर की जो सम्पूर्ण जनता का नेतृत्व था, जो वहां की राजशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, उन दोनों की एकता का यह शपथ पत्र है। उसको खत्म करने को किसी का भी अधिकार इस रूप में नहीं है कि वह केवल असैम्बली की अपनी चीज है। भारत की जनता या सरकार, वहां की सरकार से तो कोई समझौता नहीं किया, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने कश्मीर की जनता का जो नेतृत्व था, उसके साथ सहअस्तित्व के सिद्धांत के जरिये भारत में उसके मिलाने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया और वह दस्तावेज दोनों हिस्सों की भावनाओं का एक शपथ-पत्र है जिसको जोड़ने से दोनों की भावनाएं अलग-अलग हो जाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का जो सैन्य बल है, सुरक्षा बल है, उसके जरिये वहां की जो भावनाएं हैं, उनको हम भारत के साथ नहीं जोड़ सकते हैं।

सभापति महोदय, इस समय वहां तीन शक्तियां सक्रिय हैं—एक शक्ति है, जो सम्पूर्ण रूप से जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहती है, एक शक्ति है जो जम्मू-कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है और एक तीसरी शक्ति है। भारत के नेतृत्व वाले कश्मीर की प्रगति में जो बाधा पैदा की गई उसको लौटाया जाए, उसके लिए लड़कर भारत का ही हिस्सा बनाकर रखना चाहती है। तो क्या हम यहां पर राजनीतिक प्रक्रिया के जरिये, जो तीसरी शक्ति है, जिसकी निष्ठा भारत के संविधान में है, जो केवल इस बात के लिए लड़ रही है कि कश्मीर का भी सम्पूर्ण देश की तरह ही एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसकी

तरक्की के लिए क्या हम यहां बैठकर कोई राजनीतिक प्रक्रिया के जरिये प्रयास नहीं कर सकते ? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में शीघ्रातिशीघ्र राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए और जब तक हम वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल नहीं करेंगे जो वहां पर विदेशी हस्तक्षेप है, जो आतंकवाद है, उससे हम जनता के स्तर पर नहीं लड़ सकते।

सभापति महोदय, आजकल बिडम्बना यह है कि वहां लद्दाख की हालत खराब नहीं हुई जम्मू की भी हालत उतनी खराब नहीं है, जैसा ठीक ही इन्होंने पढ़ा कि 4 हजार उनकी संख्या है जो घाटी के माहौल को खराब कर रहे हैं और यह वहां के गवर्नर साहब का कहना है, तो 4 हजार के डर से ऐसे लोग जो भारत का ही अंग बन कर रहना चाहते हैं, भारत के संविधान के साथ जिनको निष्ठा है उनके भी लोकतांत्रिक अधिकार को हम डिनाई करते रहे, उसको निषेध करते रहे तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए श्रीमन् आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यह अध्यादेश कानून की शक्ल ले, लेकिन हमारे देश की परम्परा रही है कि ऐसी शक्तियां जिन्होंने भारत के खिलाफ विदेशी हथियार लेकर लड़ने का काम किया, हमने उनको विदेश से निमंत्रित किया, भारत की एकता और सम्प्रभुता के नाम पर, जब भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया, तो बिना वहां की जनता की इच्छा के, पूर्वी हिन्दुस्तान के एक राज्य का मुख्य मंत्री बनाकर हमने दिल्ली से भेजा। हमारे देश में लोकतंत्र और भारत की एकता के लिए इस प्रक्रिया को हम भूतकाल में अपना चुके हैं, कश्मीर में भी इस प्रक्रिया को अपनाने में हमें किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए इस संशोधन के जरिए बहस का जो अवसर राव साहब ने दिया मैं उनको धन्यवाद देते हुए सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो और यह अध्यादेश विधान का हिस्सा होने के साथ हमेशा के लिए हिस्सा न हो जाए। इस सदन के अन्दर कश्मीर और जम्मू के प्रतिनिधि भी बैठकर वहां की समस्याओं का किसी तरह से समाधान कर सकें, इस सदन में अपनी राय दे सकें, यह प्रयास हमें करना चाहिए। इन्हीं सुझावों के साथ में धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह): सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। हालांकि इस विधेयक को इस सभा के सामने प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव है, फिर भी यह एक तथ्य है कि, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के मामले में—मैं किसी विवाद में नहीं पड़ रहा, मुझे यह कहना है कि, पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि चुनाव न करवाए जा सकें। 1989 में भी, जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुए थे। कुछ माननीय सदस्यों ने 1989 के चुनावों के दौरान मतदान की कम प्रतिशत का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि, इस वर्तमान चुनावों में, जिसके द्वारा इस लोकसभा का गठन हुआ है, आप जानते हैं कि विभिन्न स्थानों पर मतदान का क्या प्रतिशत रहा है।

[व्यवधान]

यह पहले जनता दल सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों का परिणाम है कि निर्वाचित सरकार की राय पर ध्यान नहीं दिया गया, इसी कारण वहां स्थिति बिगड़ गई। मेरे विचार से, श्री बसुदेव आचार्य मुझसे सहमत होंगे कि अगर पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यपाल बदला जाता है तो सम्पूर्ण राज्य या राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी रुष्ट होगी। जम्मू और कश्मीर के मामले में, जब राज्यपाल को बदलने का प्रस्ताव था तो, केन्द्र की सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राज्य के मुख्य मंत्री से सलाह करती। ऐसा नहीं किया गया। और उसके परिणाम-स्वरूप, जब वहां कोई निर्वाचित सरकार नहीं रही तो, सभी असामाजिक तत्वों और पाकिस्तान से आए हुए उग्रवादियों ने उस मौके का लाभ उठाया और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता और कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जा सकते। यह एक कठोर सत्य है।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अधिकांश वक्ताओं से सहमत हूं कि इन प्रावधानों से बचना ही पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि, सारे देश में, जनता के लिए, चाहे वे जो भी हों, यह बहुत आवश्यक है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें और लोकतंत्र में भागीदार हों। जैसा कि अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया है, यह आवश्यक भी है कि उनसे और बातचीत की जाए, राजनैतिक प्रक्रिया शुरू की जाए और जनता से सक्रिय सम्पर्क करने के लिए राजनैतिक दलों को प्रेरित किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है।

इसके साथ ही, पंजाब के बारे में भी, यह जरूरी है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि वहां चुनाव किए जा सकें जनता के वास्तविक प्रतिनिधि इस सभा में आ सकें।

एक और मुद्दा है। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। प्रतिदिन हम पाते हैं कि अनेक अनदेखी समस्याएं सामने आ रही हैं। पिछले चुनावों में बिहार में क्या हुआ था? कितने लोग मारे गए थे? वहां मतदान केन्द्रों पर कब्जा कैसे किया गया? हम जानते हैं कि देश के अनेक भागों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में ऐसा ही होता है। [व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : (सहरसा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में बूथ कैपचरिंग किया गया जबकि यह सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जब भी आपकी सरकार ने किसी कमीशन को बैठाकर इसकी छानबीन करायी तो कहीं भी यह बात सिद्ध नहीं हुई कि वहां बूथ कैपचरिंग हुआ।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। [व्यवधान]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री मनोरंजन भक्त, आप जारी रख सकते हैं।

[व्यवधान]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें अपने भाषण को विधेयक तक ही सीमित रखना चाहिए। वे जो भी कह रहे हैं वह प्रासंगिक नहीं है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, अगर मैं वक्ताओं से कहूं कि वे सिर्फ विषय पर ही बोलें, तो मैं सोचता हूं कि अधिकांश वक्ताओं को अपने अधिकारों का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए प्रासंगिक मामले होने चाहिए किन्तु हो सकता है कि विषय वे से प्रत्यक्षतः संबंधित न हों।

श्री बसुदेव आचार्य : किन्तु बिहार में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने का मामला प्रासंगिक नहीं है। [व्यवधान]

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा कहना यह है कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की स्थितियां नहीं हैं। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करना चाहिए कि लोग बिना किसी डर के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और जनता के वास्तविक प्रतिनिधि चुने जाएं। सभी दल चाहते हैं कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। [व्यवधान]

एक माननीय सदस्य : त्रिपुरा सहित।

श्री मनोरंजन भक्त : हां, त्रिपुरा, सहित। किन्तु त्रिपुरा में क्या बुराई है। त्रिपुरा देश के बाहर नहीं है और यह देश में ही है। मतपेटियों पर कब्जा करने की घटना चाहे पश्चिम बंगाल में हो या त्रिपुरा में, मैं इसकी निंदा करता हूं। वहां कुछ गलत नहीं है। इसीलिए महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विशेषकर इस विषय पर विचार करें कि किसी अनुकूल क्षण में उन्हें इस विधेयक में संशोधन करना होगा, जिसके द्वारा हम चुनाव सुधारों पर कुछ चर्चा करें। क्योंकि, यह पूरी तरह आवश्यक है। आपने जम्मू और कश्मीर के मामले में यह किया है, अन्य क्षेत्रों में भी, इसी तरह की हिंसा व्याप्त है और वहां चुनाव करवाने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। तब आप क्या करेंगे ? क्या आप प्रतिदिन इस प्रकार जन प्रनिधिनित्व अधिनियम और अन्य प्रसंगिक कानूनों का संशोधन करेंगे ? इस तरह, इस सदन में 542 सदस्यों में से केवल 300 सदस्य रह जाएंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय से, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं जिससे हमारे समाज की इन सभी विसंगतियों को हल किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० सी० थामस (मुवतुपुजा) : यदि हम संविधान की पुस्तक पढ़ें, तो पाएंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में धारा 73 के अधीन 73A, 73AA संशोधनों को जोड़कर इसमें कई बार संशोधन किया गया है। मुझे भय है कि हमें इसे विभिन्न राज्यों के लिए पुनः संशोधित करना पड़ेगा। मुझे याद है कि पिछली लोक सभा, अर्थात् नौवीं लोक सभा, में असम संबंधी एक इसी प्रकार का विधेयक था और अन्य राज्यों संबंधी कुछ और समान विधेयक भी हो सकते हैं।

कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में पैदा हो रही स्थितियों से हम बहुत दुःखी हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का आशय किसी व्यवस्था को नियमित करने से है और इसमें कोई आपत्ति नहीं

है और मेरे विचार में किसी ने आपत्ति नहीं की है। किन्तु हम केवल उस राजनैतिक रुख से चिन्तित है जिसके द्वारा वे कश्मीर की समस्या को सुलझा रहे हैं।

कश्मीर के संबंध में कई सुझाव थे कि समितियों का गठन किया जाना चाहिए, एक मंत्रालय अथवा पृथक मंत्री हो। हमने इन सबको आजमा लिया है। मुझे याद है कि कश्मीर के मसलों को निपटाने के लिए एक अलग मंत्री था, किन्तु दुर्भाग्य से, किन्हीं कारणों से, जिनसे हम सब परिचित हैं, उन्हें एक दिन सब छोड़ कर आना पड़ा।

काफी लम्बे समय से हम कश्मीर की समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। शायद ऐसा इसलिए है कि हम कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं पर उचित प्रकार से विचार नहीं कर पाए हैं। यह शायद इस कारण से भी हो सकता है कि हमने कश्मीर के लोगों के लिए और कश्मीर की प्रगति के लिए जो कुछ भी किया है वह हम वहां के लोगों को भली-भांति समझा नहीं पाए हैं। हमें इन समस्याओं को गहराई से महसूस करना है और कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढना है।

हम अभी पूरी तरह से अन्धकार में हैं कि आखिर समस्या क्या है। हम इसके राजनैतिक समाधान की बात करते हैं किन्तु हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि कश्मीर में किस प्रकार का राजनैतिक समाधान हो सकता है। हमें एक ही रास्ता दिखाई देता है कि सभी वर्गों, विभिन्न प्रकार के उग्रवादी और राजनैतिक दलों, यदि अभी तक कश्मीर में कोई ऐसे दल बचे हैं, के साथ चर्चा की जाए। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसे राजनैतिक दल है जिनकी जड़ें वास्तव में कश्मीर में हैं। किन्तु हमें वार्ता जारी रखनी चाहिए।

एक बात पक्की है कि हम कश्मीर में चुनावों को अब और अधिक आगे नहीं कर सकते। कश्मीर के प्रतिनिधियों को सदन में आना चाहिए। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर कुछ राज्यों के प्रतिनिधि नहीं हैं। हमें इस स्थिति को किसी न किसी तरह से समाप्त करना है और एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिससे आगे इसे लटकाया नहीं जाएगा।

मैंने एक संशोधन भी पेश किया है और मेरे संशोधन का मुख्य मुद्दा यही है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव आयोग को चुनाव आगे लटकाने की मनमानी न करने दी जाए। एक उचित अवधि तक ऐसा किया जा सकता है किन्तु कोई-न-कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अपने संशोधन के माध्यम से मैंने ठीक यही कहने का प्रयास किया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें विश्व संस्थाओं का सहयोग भी लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ है और 'दक्षेस' है। हमें इन विश्व संस्थाओं का सहयोग लेना है क्योंकि हमें विश्वास है कि कश्मीर को विदेशी सहायता मिल रही है और हमें इसे रोकना है। जब तक हम कश्मीर के उग्रवादियों को मिलने वाली विदेशी सहायता को समाप्त न करें हमारे लिए इस समस्या का समाधान ढूंढना कठिन होगा और माननीय गृह मंत्री के पिछले दिन के वक्तव्य से हमने यही सुना है।

मेरा निवेदन यही है कि हम सब कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें। इस समय कम से कम उन मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं जिन पर ऐसा संभव है। जैसाकि उदाहरणार्थ भाजपा है। मैं किसी राजनैतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूं किन्तु मेरे विचार में कोई इसका विरोध

नहीं करेगा। यहां पर उस दल का कोई सदस्य नहीं है, उन्होंने सदन का स्थायी बहिष्कार कर दिया है। खैर, यह सत्य है कि कश्मीर के लोगों में कुछ डर हैं। हमने जिस धर्मनिरपेक्षता का अनुसरण किया हैं उसके लिए वे राजनैतिक दल चुनौती बन गए हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। इन दलों के गठन में शायद विभिन्न अवस्थाओं में अन्य दलों द्वारा दी गई सहायता अथवा कुछ दलों द्वारा, जो वास्तव में किसी भी तरह से उनका समर्थन नहीं करते हैं, उठाए गए गलत कदमों की भूमिका रही है। अतः मेरा सविनय निवेदन है कि कम से कम वे दल जो यहां पर उपस्थित हैं, एक साथ मिलकर विभिन्न पहलूओं पर सहमत हो सकते हैं। हमें एक साथ काम करना है और इस बात की परवाह नहीं करनी है कि हम विपक्ष में है अथवा सत्तारूढ़ दल में हैं। जब तक ऐसे महत्वपूर्ण कारणों के लिए, जिनसे हमारी राष्ट्रीय अखण्डता प्रभावित होती है, हम मिल जुल कर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम अपनी समस्याओं का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे।

मैं अपने वामपंथी मित्रों, जनता दल के मित्रों और अन्य दलों को विभिन्न मुद्दों पर सहयोग देने के लिए निवेदन करता हूं। हम एक साथ मिलकर ही लड़ सकते हैं और इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। जिनमें अन्यथा हम पूर्ण रूप से असफल ही रहेंगे।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। कश्मीर के इस ज्वलंत विषय पर सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए विचारों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं।

केवल कश्मीर का ही मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। हमें इसे राष्ट्र के कई राजनैतिक मुद्दों के रूप में देखना है। यदि मुझे ठीक प्रकार से याद है तो राष्ट्र-पिता, महात्मा गांधी ने कश्मीर के बारे में कहा था कि यह "आसपास के अन्धकार में यह एक प्रकाश दीप है"। मैं नहीं जानता कि कश्मीर को अब किस नाम से पुकारा जाए। इस स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है, मैं इसका उत्तर इतिहास पर छोड़ता हूं।

वास्तव में, हम सब ऐसा महसूस करते हैं—सारा देश महसूस करता है—कि कश्मीर, भारत का एक अखण्ड हिस्सा रहे, क्योंकि कश्मीर हमारे देश का एक अखण्ड हिस्सा है। कश्मीर भी इस राष्ट्र की धर्म निरपेक्षता का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। कश्मीर, इस देश की धर्म निरपेक्षता को सुदृढ़ बनाता है। हर भारतीय यह मानता है कि कश्मीर हमारे देश का एक अखण्ड हिस्सा है। इस के साथ ही, मैं यह कहने का साहस करता हूं कि हम भी कश्मीर को भारत का हिस्सा समझें और कश्मीर में भी सबको वास्तविक रूप में वे सभी नागरिक और संवैधानिक अधिकार मिले जो इस देश में हर भारतीय के पास हैं।

हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 है जो विशेष दर्जा प्रदान करता है और मेरे विचार में वे लोग जो उस अनुच्छेद को निरस्त करवाना चाहते है इस देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं।

हम उस प्रण से पीछे नही हट सकते जो हमारे देश के निर्माताओं ने कश्मीर के लोगों से किया था। हम इस सत्य को कैसे भूल सकते हैं कि यह राष्ट्र कश्मीर के लोगों के प्रति वचनबद्ध है। हमने बहुत सी गलतियां की है और कई भूल-चूक हुई हैं। यही समय है जब हमें इस समस्या पर मरहम

लगाना है। जहां तक देश के उस भाग का प्रश्न है, हमें कश्मीर के लोगों को अपनी गम्भीरता का न केवल शब्दों से, अपितु कुछ अच्छे कामों से विश्वास दिलाना है।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमें कश्मीरी भावना का आदर करना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भारत जैसे देश में, जिसमें बहु-धर्मी और बहु-संस्कृति वाले लोग रहते हैं, हमारे देश के विभिन्न भागों में ऐसी मनोभावना है। यदि आप दक्षिण के राज्यों में जाएं तो पाएंगे कि केरल वासियों की अपनी भावना है, तमिलों की अपनी भावना है, आन्ध्र के लोगों की अलग अपनी भावना है, इत्यादि। एक माननीय सदस्य ने उत्तर-पूर्वी राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने वहां के लोगों की मनोभावना के लिए क्या किया है। अतः, हम कश्मीर के लोगों की भावना का आदर क्यों नहीं करते। इसमें गलत क्या है? अतः, सबसे पहले, हमें यह पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि सम्पूर्ण राष्ट्र उनके खिलाफ नहीं है तथा हम सदैव उनकी भावनाओं का आदर करेंगे।

दूसरे, जनता तथा आतंकवादियों को अलग-अलग किया जाना चाहिये। हमें आम जनता को विश्वास में लेना होगा।

महोदय, दुर्भाग्य से आम जनता तथा सुरक्षा बलों के बीच तनाव है। सबसे पहले इसे समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे सुरक्षा बल वहां आतंकवादियों और अलगाववादियों की गतिविधियों को दबाने तथा आम जनता की सहायता करने के लिये मौजद है। और यही संदेश है जो प्रशासन तथा देश को घाटी के लोगों के पास पहुंचाना चाहिये।

दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि कश्मीर में विधि-सम्मत शासन स्थापित किया जाना चाहिए जैसा कि देश के अन्य सभी भागों में है। कश्मीर को विधि-सम्मत शासन के दृष्टिकोण से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश वहां विधिगत शासन नहीं है। मात्र एक अवास्तविक स्थिति पैदा करके हमें तथ्यों अथवा सच्चाइयों को दबाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लोगों में यह भावना उत्पन्न की जानी चाहिए कि देश व प्रशासन पूर्ण रूप से हमेशा उनके साथ है तथा उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी।

यह हमारी सरकार और प्रशासन का भी कर्तव्य है कि वह पाकिस्तान के रवैये तथा अन्य लोगों की कोशिशों को नाकाम करे जो अपनी जघन्य रणनीति के द्वारा अनावश्यक रूप से कश्मीर तथा भारत के मामलों में लिप्त है जिसके लिए हमें कुशल तरीके से कार्य करना है तथा कश्मीर के लोगों को विश्वास में भी लेना है। केवल इसी तरीके से हम लोग इस देश के दुश्मनों के इरादों को नाकाम करने में कामयाब हो सकेंगे।

मैं कश्मीरी लोगों की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। एक रात के भीतर स्थिति सामान्य नहीं की जा सकती। हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम कश्मीर के लोगों के मस्तिष्क में आत्म-विश्वास की भावना पैदा करना है। दूसरे, हमें उनकी मूल समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। उनकी बेरोजगारी की समस्या है। उनके लिये मूलभूत सुविधाओं तथा शैक्षिक सुविधाओं की कमी की समस्या है। प्रशासन द्वारा कश्मीरियों की उपेक्षा की जाती है। कश्मीर के बहुसंख्यक लोगों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्ष 1980 के चुनावों में वहां क्या हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके लिए कौन जिम्मेदार

91-M/J(D)429LSS—17

है, मैं कहना नहीं चाहता । श्री जगमोहन ने कश्मीर के लोगों के लिये क्या किया, मैं इस विषय को भी नहीं लेना चाहता । मौलवी फारूक के मारे जाने की घटना में कितने बेगुनाह लोग राज्य में मारे गये थे ? मैं इस सबके पूर्ण विस्तार में नहीं जानना चाहता । अतः वर्तमान स्थिति इन विभिन्न तथ्यों की चरम काष्ठा है जिससे हम इन्कार नहीं कर सकते । अतः कश्मीर के बहुसंख्यक लोगों को विश्वास में लेने तथा वर्तमान स्थिति को दूर करने के लिये यह हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसके लिये प्रयत्न करे । श्री जवाहरलाल नेहरू भी यही कर रहे थे । वही श्रीमती इंदिरा गांधी अपने सारे जीवन के दौरान यही करने का प्रयास करती रही थी । मैं समझता हूं वही राजीव गांधी जी ने करने का प्रयास किया । वर्तमान सरकार को भी यही करना चाहिए । अतः मैं आशा करता हूं कि हम अलगाववादी तत्वों और आतंकवादियों को भी कम कर सकेंगे । लेकिन सबसे पहले हमें कश्मीर के लोगों को विश्वास, शुभेच्छा तथा आशा का संदेश देना चाहिए जिसके लिये हमें राजनीतिक प्रक्रिया की पहल करनी होगी । जब हम राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करेंगे, तब हम कुछ वर्गों को बुलाकर तथा उस प्रक्रिया की वास्तविकता से कुछ वर्गों को दूर नहीं रख सकते । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति के प्रति सूझबूझ का रवैया अपनाए । हमें व्यवहारिक जायजा भी लेना चाहिये ।

जहां तक मेरी जानकारी है, कश्मीरियों का बहुसंख्यक समुदाय हमेशा यह सोचता है कि वह देश का एक भाग है तथा उसे वहीं रहना है । परन्तु इसी समय यह भी हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हें विश्वास में लें । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक साधारण कश्मीरी में अपने तरीके से एक प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण तरीके से रहने की जिजीविषा होती है । प्रशासन का यह कर्त्तव्य है कि उसे ऐसी स्थिति सुलभ कराये । आतंकवाद से निपटने के लिये प्रशासन ने आम जनता के साथ बहुत अन्याय किया है । और उसे दूर किया जाना चाहिये । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कश्मीर के लोगों तथा भारत के भी लोगों की आशाओं को साकार करने के लिये उचित कदम उठाये । केवल कहने से ही कोई परिणाम नहीं निकलेगा । लोगों के फायदे के लिये कोई प्रभावी कार्य करना है । यही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी । प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि गोली कुछ नहीं कर सकती केवल मतपत्र ही कुछ कर सकता है । परन्तु कश्मीरियों के लिये मतपत्र एक दूर का सपना है । हमें अपने तरीके सुधारने चाहिये तथा प्रत्येक चीज को सही पहलू से रखना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । लेकिन महोदय, मुझे यह अवश्य स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं इस विधेयक का समर्थन खुशी से नहीं बल्कि दबावों, शर्त तथा मनोव्यथा के अधीन होकर कर रहा हूँ । महोदय, विश्वका सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते यह अच्छा नहीं है कि इस सभा में कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व न हो । निःसंदेह मैं जानता हूँ कि यह एक अस्थायी तरीका है तथा हमें इस स्थिति को दूर करने के लिए सभी पहलुओं पर पूरी ईमानदारी के साथ प्रयत्न करना चाहिए । यह कोई अनाछी स्थिति नहीं है । इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है बल्कि यही कि सरकार इस आशय का अध्यादेश जारी करे जो हमारे सम्मुख विधेयक के रूप में है । सभा की एकमत से यही राय है कि जम्मू और कश्मीर में केवल आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वह केवल कानून एवं व्यवस्था की ही समस्या नहीं है । इसमें कोई शक नहीं कि इसमें

कानून एवं व्यवस्था की समस्या भी शामिल है। लेकिन यह केवल वही नहीं है, यह उससे भी परे है तथा यह उससे भी कहीं बढ़कर है। यह सही है कि अब यह राजनीतिक समस्या है और राजनीतिक संकट भी संबंधित लोगों के सहयोग से ही हल किया जाना जरूरी है।

शुरूआत के लिए आम सहमति होना आवश्यक है। सभा का एक वर्ग अनुच्छेद 370 को समाप्त करने पर जोर दे रहा है। उन्हें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि जब अलगाववादी गतिविधियां बढ़ने पर है और जब ऐसी गतिविधियों को सीमा के साथ, सीमा के बाहर तथा सीमा के दूसरी ओर, विदेशी शक्तियों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, तब अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग करना उचित नहीं है। ठीक-ठीक कहें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य साथियों को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए तथा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग के परिणामों पर विचार करना चाहिये। में समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सदस्य किस प्रकार अपनी इस मांग पर जोर दे रहे हैं जबकि शुरू से ही अपनी सभ्यता की अलग विशेषताओं तथा अपनी जीवन शैली आदि के कारण कश्मीर में एक अलग प्रकार की स्थिति व्याप्त है। इन सभी पहलुओं तथा देश की संपूर्ण प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए संविधान की नींव रखने वाले हमारे प्रणेताओं ने इस उपबंध के बारे में सोचा था। हमारे मित्र क्यों अपनी मांग पर अड़े हुए हैं ?

महोदय, मुझे एक अन्य बात कहनी है। इस प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाये। बहुत सी बातें सुझाई गई हैं। मैं इस सभा का कीमती समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं कहूंगा कि भारत से बाहर विदेशों में एक मिथ्यापवाद आंदोलन, कश्मीर के सम्बन्ध में गलत जानकारी का एक आंदोलन स्पष्ट रूप से पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा है।

अतः हमारी सरकार तथा विदेशी मामलों से सम्बन्धित मन्त्रालय को इस अवसर पर आगे आकर असत्य जानकारी फैलाने वाले इस आन्दोलन का विरोध करना चाहिये। मानव अधिकारों के हनन के मूढ़ आरोप लगाये गये हैं। परन्तु यह जानना सुखद है कि हाल ही में एक या दो महीने पहले अमरीकी कांग्रेस ने मानवाधिकारों के हनन के आरोपों को मानने से एकदम अस्वीकार कर दिया। लेकिन यह मामला इतना तूल क्यों पकड़े। अतः शुरू से ही सभी अपेक्षित प्रयासों से इस भ्रम फैलाने वाले आन्दोलन को रोकने के लिये तथा भारत से बाहर सभी मंचों से वास्तविक तस्वीर पेश करने के लिये एक मुहीम चलाई जानी चाहिए थी।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है पाकिस्तान निःसंदेह मुख्य रूप से भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध कर रहा है। यह स्पष्ट है कि सीमा के इस ओर जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में पाकिस्तान हिंसा को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन दे रहा है। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में इसके परिणामों के बारे में बता दिया जाना चाहिये।

महोदय, हम सभी का यही विचार है कि जम्मू और कश्मीर में जितना जल्द हो सके राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिये। सभी जानते हैं कि जनता दल के शासन के समय वहां स्थिति और बिगड़ी। जम्मू और कश्मीर में जब एक निर्वाचित विधान सभा को भंग किया गया तो लोकतांत्रिक मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंची। तत्कालीन गृह मन्त्री तो उस राज्य से ही थे। उसी प्रकार एक राज्य मन्त्री भी थे परन्तु वे उससे संतुष्ट नहीं थे तथा उनके केवल जम्मू और कश्मीर

के मामलों हेतु भी एक मन्त्री थे। परन्तु इसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि इससे वहां भ्रम फैला तथा वस्तु:स्थिति शोचनीय हो गई। कुछ भी हो, हमें पूर्व की इन सभी बातों को नहीं दोहराना चाहिये। अब आपसी सहमति से प्रयत्न करने का समय है। यह निश्चित है कि यह आपसी समझौता संविधान के ढांचे के अनुरूप ही होना चाहिये। अतः नये सिरे से प्रयत्न किये जाने चाहिये।

अब मैं, स्थानीय शासन पर आता हूं। कल ही इस सभा में माननीय गृह मन्त्री ने बताया कि वह जल्द ही जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा के बाद सभी पार्टियों के नेताओं को प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित करने, जैसे अधिवक्ताओं के संघ व्यापार और वाणिज्य, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, राजनीतिक लोगों और केवल यही नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के आम आदमी से मिलने के लिये यात्रा करनी चाहिये। उन्हें जम्मू और कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेने के लिये उन्हें वहां कुछ समय तक ठहरना चाहिए। वक्त का तकाज़ा यह है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न की जाए तथा अच्छा माहौल बनाने और उन्हें स्पष्टतया यह बताने कि इस सरकार का तात्पर्य है, उनके लिये कुछ अच्छा तथा हम इस समस्या को सुलझाने के लिये बहुत गम्भीरता से प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रक्रिया तुरन्त शुरू की जानी चाहिए।

मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर हम सभी को बहुत प्रिय है। जितना जल्दी हो सके इसे सामान्य हालत में आना चाहिये। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि चुनाव करवाने के लिये सबसे पहला आधार यह है कि चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष होने चाहिये। जम्मू और कश्मीर की परिस्थितियां स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु न ही अध्यादेश जारी करने के समय तथा न ही अब सही हैं।

4.00 म०प०

महोदय, देश के कुछ भागों में चुनावों को हम कब तक टाल सकते हैं?

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु जैसा मैंने पहले कहा खुशी में नहीं बल्कि मजबूरी के कारण मैं इसका समर्थन करता हूं। हम सभी को उम्मीद है कि इस प्रकार की दुःखद स्थिति कश्मीर में लम्बे समय तक नहीं रहेगी।

4.01 म० प०

नियम, 193 के अधीन चर्चा

देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति

सभापति महोदय : डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय अनुपस्थित है। श्री सत्य नारायण जटिया भी अनुपस्थित है। श्री वी० एम० राव और श्री राम विलास पासवान भी यहां नहीं हैं। अगले व्यक्ति श्री चन्द्र जीत यादव है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, आज हम सदन में देश के बड़े भाग में उत्पन्न सूखा और देश के कुछ भागों में बाढ़ की गम्भीर स्थिति पर विचार करने आ रहे हैं। यह

एक ऐसा साल है जिसमें पिछले चार-पांच बरसों के बाद पहली बार देश में किसानों का बहुत बड़ा भाग जो है वह या तो सूखे से प्रभावित हुआ है या गम्भीर बाढ़ से उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस सदन में इस सम्बन्ध में कई बार गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई कि जो स्थिति देश में सूखे और बाढ़ की है, अगर इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिये तत्काल राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार मिलजुल कर कदम नहीं उठायेंगी तो यह नहीं कि कोई एक फौरी संकट है बल्कि यह संकट खास तौर से ऐसे बरस में जब देश की आर्थिक स्थिति गम्भीर संकट के दौर से गुजर रही हो हमारे देश का आर्थिक संकट भी गम्भीर हो जायेगा। इसलिये कि आज भी इस देश के आर्थिक विकास में और देश की पूरी राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के किसानों का है और हमारे देश की कृषि व्यवस्था आज भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की आधार है। हमारे करोड़ों लोगों की जीविका का आधार है और हमारे देश के जन साधारण की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है।

जब इस सदन में कई बार गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई तो 1 अगस्त को माननीय कृषि मन्त्री ने इस सदन में एक वक्तव्य देश में उत्पन्न सूखे की स्थिति और भयंकर बाढ़ की स्थिति के ऊपर दिया। वक्तव्य अपनी तरफ से काफी काम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट है। जिस वक्तव्य को आधार मानकर ही इस स्थिति की गम्भीरता नजर आती है। कृषि मन्त्री ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले पांच बरसों में सन् 1986 से केवल एक साल को 1987 को छोड़कर के ऐसी गम्भीर स्थिति सूखे की कभी नहीं थी जितनी आज है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि देश के काफी बड़े भाग में जो रेन फाल होना चाहिये उसका 47 प्रतिशत ही हुआ है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि जो ऐसे राज्य हैं जो नार्मल केटेगरी में आने चाहिये थे। वह भी एक महीने के बाद जब मौनसून आना चाहिये। जो थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद भी सामान्य श्रेणी के अन्दर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात जैसे राज्य आ पाये है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान हैं। वहां भी हाल ही में बारिश हुई है, उससे इन राज्यों को बहुत लाभ नहीं हुआ क्योंकि आज भी इसमें सामान्य बारिश इन क्षेत्रों के अन्दर नहीं हुई। उनका कहना है कि :

[अनुवाद]

जैसा कि सामान्य वर्षा का प्रतिशत है, 24 जुलाई को पहाड़ों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रपाती वर्षा 36 प्रतिशत हुई। बिहार के पठार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ों, हिमाचल प्रदेश में 50 से 60 प्रतिशत तथा हरियाणा, चण्डीगढ़ और दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 60 से 69 प्रतिशत वर्षा हुई।

[हिन्दी]

श्रीमन्, आज जो सूखे की स्थिति है, उससे पूरा उत्तर प्रदेश, दो-तिहाई बिहार, पूरा दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित है। लेकिन कृषि मन्त्री जी का जो बयान है, पूरी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भी पूरी सच्चाई इस बयान से प्रकट नहीं होती। वास्तविकता यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों की पूरी खरीफ की फसल बरबाद हो गयी है और धान की स्थिति के बारे में स्वयं कृषि मन्त्री ने स्वीकार

किया है कि बिहार के अन्दर नार्मल धान की रोपाई होनी चाहिये थी, उसमें 25 फीसदी हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 40 प्रतिशत हुई है। बाजरा, ज्वार तो करीव-करीब तबाह हो गये हैं। जो किसानों के घर में बीज था, उसे उन्होंने खेत में डाल दिया। शुरू में तो थोड़ी बारिश हुई लेकिन इसके बाद एक महीने तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इस साल बारिश पांच सप्ताह देर से आयी है और यही पांच सप्ताह होते हैं जिसमें खरीफ की खेती होती है। यही खरीफ की खेती गरीब लोगों का मुख्य आधार है।

सभापति जी, कल मैं श्री सूरज मण्डल और उनके कुछ मित्रों से बात कर रहा था। वे लोग-बिहार के आदिवासी इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि ज्वार और बाजरा अगर एक परि-वार 25 किलो पैदा करता है तो पूरे साल उसे खाता है जो कि अब पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके लिये पूरे साल का खाने का संकट पैदा हो गया है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, आज़मगढ़, गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बहराईच—ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सूखे की स्थिति से गम्भीर संकट पैदा हो गया है और ऐसा पिछले 5—7 सालों में इतना भयंकर सूखा नहीं पड़ा है जितना अब पड़ा है।

मैं आज कुछ किसानों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संकट यह है कि हमारे पशुओं के लिये चारा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा संकट यह है कि जो कुछ हमारे पास हमारे घर में था शुरू में बरबाद हो गया क्योंकि जो बीज खेत में डालने के लिये था, वह डाल दिया, अब उनके पास बीज भी समाप्त है और खाने भर को कुछ नहीं है। ऐसे समय में लगान की वसूली हो रही है, विद्यार्थियों को फीस देनी पड़ रही है, पशुओं के चारे के लिये उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। तो एक ऐसी बड़ी गम्भीर स्थिति हमारे देश में पैदा हो जाये। इसमें उत्तर प्रदेश की 13-14 करोड़ आबादी और बिहार की 6-7 करोड़ आबादी इस संकट की शिकार हो गयी हैं। सब मिलाकर पच्चीस करोड़ आबादी उत्तर भारत में सूखे के अन्दर प्रभावित हुई हैं। सबसे दुःख की बात यह है कि राज्य सरकारें आज इस सम्बन्ध में कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखे की स्थिति की गम्भीरता को स्वीकार नहीं किया है। कोई 10 दिन पहले मैंने अखबारों में यह बयान पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि हम 300 करोड़ रुपया सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये खर्च करने जा रहे हैं, मगर स्थिति यह है कि ज़िलों के अन्दर सूखे का मुकाबला करने के लिये जो बिल्कुल पहला कदम उठाना चाहिये था कि लगान की वसूली बन्द कर देनी चाहिए थी, बच्चों के स्कूल की फीस माफ कर देनी चाहिये थी, वह कदम भी नहीं उठाए गए और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये जो दूसरा काम होना चाहिये था कि ट्यूबवैल की मरम्मत होती ताकि ट्यूबवैल ठीक से चलते, नहरों में ठीक तरह से पानी आता। आज स्थिति यह हो गई है कि आधे से ज्यादा सरकारी ट्यूबवैल उत्तर प्रदेश के अन्दर काम नहीं कर रहे हैं और न ही बिहार के अन्दर काम कर रहे हैं। सारे देश के अन्दर आधे से ज्यादा ट्यूबवैल आज काम नहीं कर रहे हैं। नहरों के अन्दर पानी नहीं जा रहा है। जो सरकार को सूखे की स्थिति की गम्भीरता होनी चाहिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को सूखे की इस गम्भीर स्थिति का अहसास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस अहसास की कमी की वजह से किसानों की मुसीबत बढ़ रही है और एक बड़े संकट का मुकाबला वह कर रहे हैं।

श्रीमन्, आज बिहार सरकार अगर कुछ करना भी चाहे तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिये कि उसके पास साधन की कमी है । हम लोगों ने इस सदन के अन्दर बार-बार इस प्रश्न को उठाया कि कोयले से जो उपकर बिहार सरकार को मिलता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह पैसा आना बन्द हो गया । केन्द्रीय सरकार को तत्काल कम से कम सामान्य स्थिति में आप चाहे कदम नहीं उठाते मगर जब एक संकटपूर्ण स्थिति थी, बिहार राज्य सूखे से परेशान था, किसान वहां का सूखे का शिकार हो रहा था, ऐसी स्थिति में सरकार को तत्काल जिस कदम को उठाना चाहिए था राज्य सरकारों की मदद करने के लिए, वह नहीं उठाया गया । मैंने कृषि मन्त्री जी के ब्यान में देखा कि इन्होंने कहा कि जो हमारा एक केन्द्रीय विशेष सहायता कोष है, उसका आधा रुपया हमने राज्य सरकारों को दे दिया है । मैं समझता हूं कि आधा नहीं देना चाहिये था, इस विशेष स्थिति में जब देश आर्थिक संकट का मुकाबला कर रहा हो, उस आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए यह संकट और नहीं बढ़ना चाहिये । देश की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए और किसानों को और कृषि का जो योगदान हमारे राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय में है, वह घटना नहीं चाहिए । आपको इस वक्त तक पूरा का पूरा रुपया देना चाहिये था और मैं अभी भी कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने इस विशेष सहायता कोष की रकम को बढ़ाइए । तत्काल जो आधा रुपया और केन्द्रीय सरकार के कोष में रह गया है, उसे राज्य सरकारों को दीजिए और राज्य सरकारों की इसके बारे में क्या गम्भीरता है ? आज तक कोई बैठक केन्द्र और राज्यों की सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये नहीं हुई है । 5-6 सप्ताह बीत गए, कोई ऐसी जिसको सेन्स ऑफ अर्जेन्सी कहते हैं, इसमें जितना होना चाहिये था वह नहीं हुआ और उसके कारण अब यह कृषि मन्त्री जी बतायेंगे कि कितना बड़ा जो हमारे देश का अन्न का उत्पादन है, वह प्रभावित होने जा रहा है इस सूखे की स्थिति से और कितना प्रभावित होने जा रहा है इस बाढ़ की स्थिति से । इसलिये जो मैं पहली मांग करना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार से कि राज्य सरकारों को इस बात का निर्देश दें कि तत्काल किसानों की लगान की वसूली बन्द की जाए । उस क्षेत्र के सूखा क्षेत्र के विद्यार्थियों, गरीब बच्चों की बढ़ाई न छूटने पाए, उनकी फीस माफ की जाए । तीसरा जो उनको साधन की जरूरत है अपने ट्यूबवैल या नहर को ठीक रूप से चलाने में, ताकि उनको पानी मिल सके, उस बात की व्यवस्था करें ।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि सूखे में सबसे ज्यादा विनाश पशुओं का होता है, सबसे ज्यादा पशु मरते हैं या सूखे का शिकार होते हैं । वैसे अन्न का भण्डार तो हम इस देश में इकट्ठा करने लग गये हैं और किसी विशेष संकट की स्थिति में अन्न देकर सहायता करते हैं, आदमियों के लिये काम की व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ को तात्कालिक रोजगार देकर सहायता कर दी जाती है, मगर पशुओं के लिये चारे का भण्डार बड़े पैमाने पर, खासकर केन्द्रीय पैमाने पर, करने की व्यवस्था अभी हमारे यहां नहीं है । इसीलिये मैं कहता हूं कि इसे राष्ट्रीय विषय बनाना चाहिये । देश के यदि किसी भाग में सूखा पड़ता है, उदाहरण के लिये केरल में सूखा पड़ता है या राजस्थान में सूखा पड़ता है या आन्ध्र प्रदेश में सूखा पड़ता है तो आखिर कहां से वे राज्य सहायता देकर सूखे की स्थिति का सामना कर सकते हैं, जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यवस्था न हो । जैसे गल्ले का भण्डार होता है, उसी तरह से पशुओं के लिये चारे का भण्डार भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये ताकि पशुधन की रक्षा हो सके और सूखे के कारण सबसे ज्यादा पशुओं का जो विनाश होता है, उस तबाही को रोका जा सके, इसकी मांग मैं करना चाहता हूं ।

दूसरी बात यह है कि आज हमारी व्यवस्था में कमी है । वह कमी यह है कि जब सूखा पड़ जाता है, लोग परेशान होने लगते हैं, तब हम उसके सम्बन्ध में कदम उठाने की सोचते है । कभी इन प्रश्नों पर गम्भीरता से नहीं सोचा गया । अब समय आ गया है कि भारत जैसे देश में, जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है, यदि सूखा पड़ जाता है तो करीब 30—40 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं, यदि बाढ आ जाये तो करीब 10—15 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ऐसे समय बड़े पैमाने पर लोगों की सहायता करने की आवश्यकता होती है । आज क्या हो रहा है, क्यों सूखा पड़ता है, इसके क्या कारण हैं, दुनिया भर में मानी हुई बात है कि सामान्य बरसात के लिये पूरी भूमि के एक-तिहाई भाग में वन होने चाहिये । वृक्षारोपण होना चाहिये । आज हमारे देश में केवल दस प्रतिशत भाग में घटते-घटते वन रह गये हैं । यह एक गम्भीर विषय है । हर साल वन कटते चले जा रहे हैं और पिछले 7 सालों में 107 मिलियन हैक्टेयर भू-भाग में वन कटे हैं इस देश में । मैं समझता हूं कि हम सब के लिये यह गम्भीर बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जंगल कट रहे हैं और उन जगाहों पर जंगल लगाने का काम, वृक्षारोपण का काम, नये पेड़ लगाने का काम बिल्कुल रस्मीतौर पर हो रहा है । हर राज्य में वहां का जंगल विभाग नये पेड़ लगाने का काम करता है, वे कुछ कांटेदार पेड़ लाकर लगा देते हैं जबकि ऐसे पेड़ लगाने चाहिये जो फलदार हों, जिनकी लकड़ी मकानों में या दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सके । ऐसे पेड़ लगाने चाहियें जो छायादार हों, जो हमारे देश के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध बना सकें । ऐसे पेड़ लगाने का काम करीब-करीब समाप्त सा हो रहा है । यह भी एक गम्भीर विषय है, जिसपर हमें सोचना चाहिये ।

एक चिन्ता का विषय यह है कि हमारे देश में जितना पानी बरसता है, बरसात के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था अपर्याप्त है । जितने बांध बने हैं, पहले तो आवश्यकता के अनुसार बांध ही नहीं बने हुए हैं, पहले ऐसा होता था कि गांवों में लोग तालाब या पोखरे बना लेते थे और उसका पानी सिंचाई के लिये काम आता था लेकिन जब से नहरें बननी शुरू हुई हैं, ट्युबवैल लगने शुरू हुए हैं, बड़े-बड़े बांध बनने लगे हैं, लोगों की वह प्रवृत्ति खत्म सी हो गई है । अब तो गांवों के अन्दर उन तालाबों और पोखरों में लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है जहां पहले पानी इकट्ठा किया जाता था । अब वह व्यवस्था भी समाप्त हो गयी । मैं समझता हूं कि गांव सभाओं को सरकार की ओर से निर्देश दिये जायें कि हर गांव के तालाब और पोखरे की रक्षा होनी चाहिये । उनकी मरम्मत के लिये धन देना चाहिये और ठीक तरह से उनकी देखभाल होनी चाहिये ताकि आवश्यकता के समय उनसे पानी लिया जा सके ।

हमारे विशेषज्ञों का ख्याल है कि जिसे हम "ड्राउट प्रोन एरिया" कहते हैं, जहां सूखे की संभावनाएं होती हैं, वह बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में है । कहा जाता है कि 328 मिलियन हैक्टेयर एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, ड्राउट प्रोन एरिया है । अगर 328 मिलियन में से 127 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र ऐसा है, जो सूखे का सामना करता है, तो मैं समझता हूं कि यह काफी गम्भीर बात है और इस संकट का मुकाबला करने के लिये जो कदम उठाने चाहिये थे, वे नहीं उठाए जा रहे हैं ।

सूखे और बाढ़ को हम बिल्कुल एक इमर्जेन्सी की तरह ट्रीट करते हैं । जब सूखा आ गया तो थोड़ा बहुत राहत का काम करो, लोगों की सहायता करो और उसमें से ज्यादा से ज्यादा रुपया

उसी साल के सूखे का मुकाबला करने के लिये खर्च हो जाता है, कोई स्थायी चीज नहीं बनती है। मैं कृषि मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा इसलिये कि इनको किसानों की समस्या की पहचान है, उसकी जानकारी है और उसकी समस्याओं के लिये इनके दिल में दर्द है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब भारत जैसे देश में जहां एक-तिहाई क्षेत्र में सूखे की सम्भावना रहती है, जहां हर 4 साल में सूखा पड़ जाता है और जहां हर साल पड़े पैमाने पर देश के विभिन्न भागों में सूखा और बाढ़ से नुकसान होता है, एक मास्टर प्लान नैशनल पैमाने पर तैयार करना चाहिए और उस मास्टर प्लान को तैयार करने के पहले राज्य सरकारों की राय लेनी चाहिए, विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिये और उस पर पूरी तैयारी करने के बाद, इसको एक बड़ा राष्ट्रीय काम समझ करके करना चाहिये।

कृषि मन्त्री जी की निगाह में यह जरूर आया होगा, वाशिंगटन में एक संस्था है जिसका नाम है "वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन" इस संस्था के लोग इन बातों का अध्ययन करते हैं कि मौसम की क्या स्थिति है, क्या पानी की स्थिति है, कहां भूचाल आ सकता है, कहां सूखा पड़ सकता है। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि 1990 से 2000 तक का जो काल है, इन वर्षों में सूखा पड़ सकता है और जिन देशों और क्षेत्रों की पहचान की है, उनमें उन्होंने भारत का विशेष उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि 1990 से 2 हजार के बीच में भारत में भी सूखा पड़ सकता है और इसलिए उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी से कदम उठाया जाना चाहिये। तात्कालिक कदम उठाने से आप सूखे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम है कि यदि एक साल सूखे से देश का अर्थ तन्त्र प्रभावित हो जाए, तो किसान कम से कम दो साल भुगतता है। उसकी कमर टूट जाती है, वह कर्जे से लद जाता है, उसके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, उसके पशु मर जाते हैं, उसके पशु बिक जाते हैं। एक साल के सूखे का प्रभाव आम किसान के ऊपर कम से कम दो साल तक पड़ता है और देश की अर्थ व्यवस्था भी उससे बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। [**व्यवधान**] ठीक है, कालाहांडी तो एक उदाहरण बन गया है जहां बड़े पैमाने पर लोग मरे विनाश हुआ जिसने खाली अपने देश का ही नहीं, सारी दुनिया का ध्यान खींचा। [**व्यवधान**] सवाल यह नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट करती है या यहां की गवर्नमेंट करती है। सवाल यह है कि हमारी जनता उसकी शिकार होती है। यह सही बात है कि प्रथम कर्त्तव्य राज्य सरकारों का है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जो आज पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था में राज्य सरकारों के साधनों की समस्या है, वह पर्याप्त नहीं है कि वे इस संकट का बड़े पैमाने पर मुकाबला कर सकें।

श्रीमान, मैं बहुत गम्भीरता से इस सदन का और खासतौर से कृषि मन्त्री का इस गम्भीर स्थिति की तरफ ध्यान खींच रहा हूं और मैं यह आशा करता हूं कि जब वे अपना जवाब देंगे, तो कम से कम इन दो-तीन बातों के बारे में वे यहां स्पष्ट घोषणा करेंगे कि किसान की, चूंकि पूरी खरीफ की फसल बर्बाद हो गयी और धान की फसल में भी उनका काफी बड़ा नुकसान हो गया है, रबी की फसल भी, अभी मैं कह नहीं सकता कि आने वाले महीनों में सामान्य वर्षा होगी, चाहे जितनी भी मौसम विशेषज्ञ घोषणा करते हों लेकिन इस बात की गारन्टी नहीं है कि आने वाले वर्षों में सामान्य वर्षा इन क्षेत्रों में हो जाएगी, दुर्भाग्य से अगर नहीं हुई तो रबी की फसल पर भी उसका बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिये कृषि मन्त्री जी की उन बातों के ऊपर घोषणा करनी चाहिए कि

जो नुकसान इन क्षेत्रों में हुआ है उन किसानों के लिये क्या करने जा रहे हैं, क्या उनका पूरा लगान माफ किया जाएगा जैसी कि मैं मांग कर रहा हूं कि करना चाहिए। विद्यार्थियों की फीस में मांग कर रहा हूं कि माफ करनी चाहिये। मैं सराकर को इस बात की सलाह देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को देखना चाहिये कि जब बरसात का मौसम आने वाला है उसके दो महीने पहले सभी नलकूपों की मरम्मत हो जानी चाहिये। अगर 50 फीसदी नलकूप बरबाद होंगे, चाहे वहां बिजली नहीं है चाहे उसका कोई पार्ट खराब है, तो वहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी मेंटनेंस हर बरसात के दो महीने पहले लाजमी तरीके से होनी चाहिए, यह नहीं कि जब सूखा पड़ जाए तब उनकी मरम्मत शुरू हो और उसमें उनके दो-तीन हफ्ते बरबाद हो जाएं।

इसी तरह से वे नहरों के लिए हम लोगों के पास आकर कहते हैं कि सूखा पड़ गया है और नहर में पानी नहीं आ रहा है, फिर हम जाकर सिफारिश करें। अधिकारियों की इतनी संवेदनशीलता और कर्त्तव्यपरायणता नहीं है कि सूखा पड़ जाए और किसान दौड़े और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि नहर में पानी छोड़िए, हमारी फसल बरबाद हो रही है। यह काम पहले से क्यों नहीं होता है। अधिकारियों को इस बात के लिये पूरी तरह से आगाह करना चाहिये कि वे पहले से तैयार रहें।

हर राज्य और केन्द्र में एक सैन्टर बना हुआ है जो आपातकालीन और ऐसी स्थिति का मुकाबला कर सके। मैं समझता हूं कि केन्द्र जो जिला स्तर के ऊपर है वह बहुत कमजोर होता है। वह किसी ऐसे अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी देता है जो वरिष्ठ अधिकारी नहीं होता है। मैं समझता हूं कि वरिष्ठ अधिकारी जन-प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक स्थायी कमेटी जिले के अन्दर इस बात के लिए बनाएं जो यह देखे कि बिजली ठीक से उपलब्ध हो रही है या नहीं, ट्यूबवैल ठीक से चल रहे हैं या नहीं, क्या कदम उठाए जा रहे है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा ये 3–4 ऐसे सूबे हैं जहां वितरण व्यवस्था, सस्ते गल्ले की दुकान बहुत अपर्याप्त है। हम क्यों नहीं इस बात की गारन्टी करते कि कम से कम दो हजार जनसंख्या के ऊपर एक ऐसी फेयर प्राइस शौप चलेगी जहां आवश्यक सामान लोगों को नियमित रूप से मिलता रहेगा। इसके ऊपर भी आपको कुछ करना चाहिये।

मैंने आज रेडियो में सुना कि कृषि मंत्री जी ने कोई बैठक बुलाई है खासतौर से फर्टिलाईजर की स्थिति के बारे में। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर फर्टिलाइजर सबसिडी वापिस करनी थी तो क्या यही समय था जब सूखे से किसान तबाह हो रहा है, बाढ़ से तबाह हो रहा है, उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा उसे हर चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है, उसकी खेती की फसल उसके सामने नष्ट हो रही है, उस वक्त यह कदम लाया गया, उसका नतीजा क्या हुआ। मैं आज की बात कह रहा हूं। मेरे जिले के किसान आए थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 50 से 60 रुपये बोरी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है। ऐसे समय में जब उसको जरूरत है, परेशानी है, उसका बोझ और बढ़ गया है, मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे कदम उठते हैं जिसको मैं कहूंगा डिसज्वाइंटेड कदम होते हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से चीजें तालमेल करके सामूहिक रूप से कदम उठाए जाएं, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं। मेरी मांग है कि एक मास्टर प्लान केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाना चाहिए और उस मास्टर प्लान का हिस्सा होना चाहिये कि कैसे बड़े पैमाने पर जंगलों में पेड़ लगाये जायें। जिन क्षेत्रों में भी सूखा बहुधा आता है, उनके लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था करके, कैसे बाढ़ से बचाने के लिये कदम उठाये जायें, कैसे सूखा से बचाने के लिये पानी को इकट्ठा किया जाये, उसके लिये कदम उठायें।

महोदय, जिन क्षेत्रों में सूखा आया है वहां बिजली का उत्पादन 50 फीसदी से भी कम हो रहा है। मैं इसके लिये एक ही सुझाव दूंगा कि इस तरह का केन्द्र से निर्देश जाना चाहिये कि जब किसानों की फसल बोने का समय आये तो उद्योगों को दी जाने वाली बिजली 15, 20 और 25 फीसदी कम कर दी जाये। फिर आप उस बिजली को किसानों को उपलब्ध करायें ताकि एक महीने का जो समय किसानों का है, खरीफ के समय का, रबी के समय का, उस बीच में उसको पर्याप्त बिजली मिल सके। पानी के अभाव में किसान की फसल की बुआई रुकनी नहीं चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके लिये जरूर कोई योजना बनानी चाहिये।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सूखे और बाढ़ को भविष्य में मुकाबला करने के लिये सरकार को बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आशा करता हूं कि कृषि मन्त्री जी तात्कालिक कदम उठायेंगे। इस समस्या का निदान करने के लिये स्थायी काम होना चाहिये जिससे हमेशा-हमेशा के लिये इस सूखे की स्थिति का हम मुकाबला कर सकें।

एक चीज और ध्यान दिलाने वाली है और वह अंडर-ग्राऊंड वाटर के बारे में। इसका सर्वे हुआ है। उस सर्वे के अनुसार सारे देश में जो धरती के नीचे, भूतल के अन्दर पानी है राष्ट्रीय पैमाने पर उसका केवल 37 फीसदी प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि देश के बड़े भागों में ट्यूबवैल नहीं लगे हैं। देश के बड़े भागों में क्या हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि हम ऐसे संकट के समय में उस पानी को निकाल कर उसका मुकाबला कर सकें। इस बात को देखना चाहिये कि क्या कोई ऐसी राष्ट्रीय योजना बना सकते हैं या ऐसे कोई स्टोर बना सकते हैं ताकि उनको एक जगह इकट्ठा करके रख सके—जैसे नहरों को मिलाने की बात है और कई नहरों को हम मिला सकते हैं। बड़े पैमाने में प्रमुख नहरों को आपस में मिला दें, उनको जोड़ दें ताकि एक भाग में अगर संकट पड़ता है तो उन नहरों के जरिये दूसरे भाग में हम तत्काल पानी ले जा सके। इन सभी पर तभी विचार हो सकता है जब आप राष्ट्रीय पैमाने पर पहल करेंगे और राष्ट्रीय पैमाने पर इस दिशा में कदम उठायेंगे। राज्य सरकारों को इस वक्त धन और मदद की जरूरत है मेहरबानी करके इस संकट के समय में आप उनको और धन दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि कृषि मन्त्री जी तत्काल कदम उठायेंगे।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : महोदय, हमारी व्यवस्था की यह एक विचित्र बात है कि जब हमारे देश का एक हिस्सा सूखे से प्रभावित है हो रहा है, तो दूसरा भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। मेरे पास सीमित समय है, अतः मैं माननीय कृषि मन्त्री के विचारार्थ कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

उड़ीसा में जुलाई के अन्तिम सप्ताह में मूसलाधार बारिश हुई थी। 12 घण्टों के दौरान 14 इंच बारिश हुई थी जिससे बालासोर जिला, काला हांडी, कट्टक, सुन्दरगढ़, कून्झर, सम्बलपुर, गंजम और पुरी में भारी जान-माल की हानि हुई थी। मैं माननीय मन्त्री महोदय और सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष गंजम जिले में भारी बाढ़ आई थी और इस वर्ष इस बात की आशंका है कि बाढ़ तो नहीं आयेगी किन्तु सूखे का प्रकोप होगा। मुझे बताया गया है कि राज्य प्रशासन ने राज्य के विभिन्न भागों, विशेषतया पश्चिमी भागों में सूखे की स्थिति मे निबटने के लिये कई कदम उठाए हैं। किन्तु 12 घण्टों की उस अचानक मूसलाधार वर्षा मे, अचानक ही बाढ़ आई गई और इन बाढ़ों से खड़ी फसल को बहुत हानि हुई है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र, भद्रक पिछले वर्षों में लगातार बाढ़ मे प्रभावित रहा है, हांलांकि इस बार बालासोर जिला प्रभावित नहीं हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छः खण्ड प्रभावित हुए हैं। वर्षा का प्रकोप इतना अधिक था कि अचानक सभी नदियों, जैसे वैतरणी नदी, जो मेरे चुनाव क्षेत्र की एक बड़ी नदी है और अन्य छोटी नदियों जैसे कोचिला, गेंगुटी तथा कंसवंस में बाढ़ आ गई। इन छः खण्डों के लगभग 299 गांव, जिसमें 1.5 लाख लोग और 18.6 हजार हैक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र शामिल हैं, प्रभावित हुए हैं। यह कोई छोटी सी बात नहीं है, ऐसा केवल इसी वर्ष हुआ है, ऐसी आम धारणा रही है और मुझे भी काफी लम्बे समय से इसका अनुभव रहा है कि मेरा राज्य और मेरा निर्वाचन क्षेत्र सदा बाढ़ से प्रभावित रहा है। मेरे विचार में इसका कारण विशेष रूप से बड़ी नदियों के तलों पर गाद जमने से तथा मूसलाधार वर्षा के समय अपर्याप्त निकासी व्यवस्था का होना है। इन्हीं कारणों से जब भी अचानक बाढ़ा आती है तो खेत डूब जाते हैं।

हम जिस बड़ी परियोजना की कई वर्षों से मांग कर रहे हैं वह भीमकुण्ड बांध परियोजना है और उस पर अभी तक केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विचार ही नहीं किया गया है।

4.39 म० प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई) हमें बताया गया है, राज्य सरकार ने पहले रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी किन्तु इस पर केन्द्रीय जल आयोग ने अभी तक विचार नहीं किया है क्योंकि आयोग ने जिस स्पष्टीकरण की मांग की थी वह राज्य सरकार ने नहीं दिया है। यदि यह तथ्य है, तो मैं अवश्य कहूंगा कि केन्द्र अवश्य उड़ीसा सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करे। मैं सदन से कहती हूं कि जब तक इस परियोजना को आरम्भ नहीं किया जाता, जब तक वहां की विशेष रूप से कटक, बालासौर, गजम और भद्रक की निकासी व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो बाढ़ की सम्भावना बनी रहेगी और हर तरह की प्राकृतिक आपदा आ सकती है जिससे वहां के लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री महोदय इस दिशा में कदम उठाएंगे। राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। ये सब अस्थायी उपाय हैं। जब तक विशेषतया नदी मुख पर गाद जमना, और नदी तलों की निकासी इत्यादि समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थायी उपाय नहीं किए जायेंगे, हर बार बाढ़ आएगी। प्राकृतिक आपदाओं की समस्या बनी रहेगी।

महोदय, मानीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि बाढ़ और सूखे से प्रभावित लोगों की आपातकालीन जरूरतों से निबटने के लिए आपद राहत कोष बनाया गया है। किन्तु मैं एक घटना की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले वर्ष भयानक बाढ़ आई थी और

यह अप्रत्याशित थी। जब श्री चन्द्र शेखर प्रधान मन्त्री थे, उन्होने उस क्षेत्र का दौरा किया था और उनके अतिरिक्त कई केन्द्रीय मन्त्रियों ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है। एक केन्द्रीय दल ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था। किन्तु मुझे बताया गया है कि अब तक केन्द्र ने कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई है। राज्य सरकार के पास केवल आपद राहत कोष है, और जो कि पहले ही समाप्त होने चुका है। इसलिए राज्य सरकार केन्द्र से और अधिक धनराशि देने का अनुरोध कर रही है। किन्तु इन महीनों में कुछ भी नहीं हो पाया है।

मैं भीमकुण्ड सिचाई परियोजना का भी उल्लेख करना चाहता हूं। सदन में केवल कृषि मन्त्री ही उपस्थित हैं। यहां पर जल संसाधन मन्त्री नहीं हैं। मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे जल संसाधन मंत्री को यह बात पहूंचाए कि वे इस परियोजना की जांच करें। अन्यथा प्रति वर्ष सूखे और बाढ़ राहत उपायों पर खर्च किए जाने वाली धनराशि व्यर्थ जायेगी। समस्याओं का कोई अन्त नहीं रहेगा। अत: मैं एक बार पुन: सरकार से निवेदन करता हूं कि इन बड़ी नदी परियोजनाओं को तुरन्त आरम्भ किया जाये और निकासी समस्या को सुलझाया जाये जो प्रति वर्ष अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर रही है।

राज्य में अनेक सहायक नदियां हैं। भारी वर्षा होने से इन सहायक नदियों और छोटी नदियों से पानी की निकासी नहीं हो पाती है परिणामस्वरूप, बहुत से क्षेत्र डूब जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासौर जिले के भद्रक में ऐसा होता है, जब तक इन परियोजनाओं के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बनाई जाती, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा इसलिए मैं सरकार से इन परियोजनाओं को तत्काल आरम्भ किए जाने का अनुरोध करता हूं।

पुरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि राज्य कि सरकार के पास आपातकालीन आवश्कताओं कि पूर्ति के लिए चावल का पर्याप्त भण्डार नहीं है। चावल का पर्याप्त भण्डार नहीं है। खाद्य मन्त्री और कृषि मन्त्री इस समस्या की जांच करें और राज्य के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए चावल के पर्याप्त भण्डार उपलब्ध करायें। राज्य सरकार पहले ही आवश्यक कदम उठा रही है।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: सरकार से निवेदन करता हूं कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वह राज्य में दीर्घकालीन उपाय करे। राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किये जाएं। राज्य का पश्चिमी भाग प्रति वर्ष सूखे या बाढ़ से प्रभावित होता है। किन्तु तटवर्ती क्षेत्र सदा बाढ़ से प्रभावित रहता है। जब बंगाल की खाड़ी में तूफान आता है, तो बहुत से क्षेत्र प्रभावित होते हैं। समुद्र में बाढ़ आ जाती है और बहत से खेत और भूमि डूब जाती है। फलस्वरूप उपजाऊ भूमि कई वर्षों तक अप्रयुक्त रहती है। भूमि के खारेपन की को दूर करने ले लिए राज्य सरकार को बहुत सी धनराशि व्यय करने पड़ती है। अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय और सरकार से निवेदन करता हूं कि वे निकास व्यवस्था और भीमकुण्ड परियोजना को आरम्भ करें ताकि मेरे क्षेत्र और राज्य की समस्याओं का निदान किया जा सके, सरकार जिस धनराशि को अस्थायी कार्य पर खर्च करती है उससे समस्या का समाधान हो सके।

श्री अनन्त वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर): सभापति महोदया, मैं अनन्तपुर जनपद से सम्बन्ध रखता हूं जो आन्ध्र प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ और अकालग्रस्त क्षेत्र है।

माननीय कृषि मन्त्री द्वारा एक अगस्त, 1991 को दिए गए वक्तव्य को पढ़ने पर, मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि उन्होंने सामान्य तौर पर आन्ध्र प्रदेश में रयालासीमा के लम्बे समय से लगातार प्रभावित क्षेत्रों और विशेष तौर पर अनन्तपुर जिले का कोई उल्लेख नहीं किया है। आठवें अनुच्छेद में कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि में तिलहन की अच्छी खेती हो रही है। किन्तु मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं और कहता हूं कि कहीं भी तिलहन अथवा किसी अन्य खेती के बीज नहीं बोये गये हैं और सामान्य तौर पर पूरा रयालासीमा और विशेष रूप से अनन्तपुर जिला बंजर है। बीजारोपण के लिए अनन्तपुर में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई। सभी टैंक सिंचाई और पेय जल कुएं सूख गए हैं और लोगों और पशुओं को जल की कमी से कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। अनन्तपुर जिला पिछले 30 वर्षों से अकाल और सूखे से ग्रस्त रहा है। पूरे जिले को मानसून का पूर्व अनुमान न लग पाने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह कष्ट मुख्य रूप से वर्षा की और पेय जल की कमी के कारण है। वहां वर्षा का पूर्व अनुमान लगाना कठिन है। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को बचाने के लिए न तो राज्य सरकार ने न ही केन्द्रीय सरकार ने कोई उचित उपाय किए हैं। भूवैज्ञानिकों द्वारा अनन्तपुर जिले के सर्वेक्षण से पता चला है कि अनन्तपुर जिला बहुत ही कम समय में रेगिस्तान बन जाएगा यदि सरकार भी इस सूखे और अकाल को रोकने में रुचि नहीं लेती। जिला अनंतपुर को रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए मैं राज्य और केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे जिला अनंतपुर सूखा क्षेत्र प्राधिकारण बनाए और उसे आवश्यक कोष उपलब्ध कराएं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यावाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री आर०एम० घुनगंर (वर्धा): सभापति जी, यह जो सूखे और बाढ़ का सवाल है इस सम्बन्ध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कई उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं। हमारे देश में जहां कम बारिश होती है वहां सूखे का असर होता है और जहां ज्यादा बारिश होती है वहां गीला अकाल सहता है। महोदय, अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जुलाई के आखिरी में बारिश हुई। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इन्द्रावती हाइडल प्रोजेक्ट में 100 कुशल और अकुशल कामगार बारिश की वजह से ट्रैप हुए उनमें से कुछ मर गए, ऐसी खबर आई है। मुक्तिगढ़ पावर प्रोजेक्ट में 200 झोपड़ियों में रहने वाले निवासी बह गए। इसी तरह से कर्नाटक में, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा नदियों में जो बाढ़ आई, उसमें भी कई लोग मर गए, ऐसी खबर है।

सभापति महोदय, सबसे दर्दनाक घटना तो महाराष्ट्र में हुई, वर्धा नदी में जो बाढ़ आई कैचमेंट एरिया मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, वहां काफी बारिश हुई और महाराष्ट्र के नागपुर जिले की नरखेड तहसील में भी करीबन 20 इंच बारिश हुई, जिससे नरखेड़ तहसील के 20 गांवों के निवासी, जिनमें मोवाड़, जलालखेड़ा, मिर्जापुर, थड़ीपवनी आदि गांवों के 1000 से ज्यादा लोग मर गए और उससे भी ज्यादा लोग बह गए, जो अभी तक लापता हैं। इसमें कम से कम 1 लाख या 50 हजार एकड़ जमीन पानी के अंदर डूब गई और सारी फसल बरबाद हो गई। इस बाढ़ का ताण्डव इतना भीषण हुआ कि वर्धा नदी से तहसील जिले में, अमरावती जिले में 10 गांवों में तबाही छा गई, नुकसान हुआ। बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या सरकार

की ओर से बहुत कम बताई जाती है। अकेले मोवाड़ में 500 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग बह गए ।

सभापति महोदय, इसके कई दर्दनाक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 4 अगस्त को मैं वहां गया हुआ था और भी कई साथी वहां पर गए थे। हम क्षेत्र के कलेक्टर, एसडीओ, डीएसपी से मिले। वहां हमें पता चला कि रक्षा मंत्री श्री शरद पवार भी वहां आए हैं, राज्य मंत्री श्री शांताराम पोतदुखे भी वहां गए हुए थे और इन लोगों ने वहां स्थिति का निरीक्षण किया है। महाराष्ट्र के मुख्य-मंत्री भी वहां आए हुए थे। इन सब के आने के बावजूद भी इस दुर्घटना के 6 दिन बाद तक गिरे हुए मकानों का मलबा पड़ हुआ था। मोवाड़ गांव जहां पर अंग्रेजों के जमाने में 125 साल पहले म्युनिस-पेलिटी की स्थापना की गई थी, 10000 जनसंख्या वाला गांव है, यह पूरा का पूरा तबाह हो गया है। 15 वार्डों में से 13 वार्डों के सारे के सारे मकान बह गए हैं और पूरा क्षेत्र श्मशान बन गया है। मोवाड़ गांव की ऐसी हालत है कि मवेशी मर गए, बहुत से लोग मर गए, सीमेंट के मकान ढह गए, डेढ़ सौ, दो सौ की तादाद में एक एक मकान में महिलाओं और बच्चों ने शरण ली हुई थी और वे मकान नींव समेत बह गए और नदी की धारा में लुप्त हो गए। सैकड़ों लोगों के झुंड के झुंड मारे गए, लेकिन अभी तक उस गांव में मलबा पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मोवाड़ गांव के 15 में से 13 वार्ड बिल्कुल साफ गए हो, सब जगह ढेर लगे हुए हैं और उन ढेरों के नीचे आज भी जानवरों और इन्सानों के शव पड़े हुए हैं। वहां पर अगर कोई जाता है तो शवों के ऊपर से होते हुए जाता है। 5-6 दिन बाद भी और 7वें दिन भी मैं वहां पर था, यह मलबा हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। वहां पर केवल कुछ पानी के नल लगाए गए हैं और एम एसईबी ने कुछ लाइट का प्रबंध कर दिया है, क्योंकि पुरानी लाइट सारी बह गई हैं। सरकारी अधिकारी वहां बैठे रहते हैं। मिनिस्टर आते हैं और चले जाते हैं। वहां पर केवल दिखावे के लिए काम हो रहा है। थोड़ा सा रुपया 250-250 रुपया बांटा गया है ।

लेकिन स्वयं-सेवी संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया और आस पास के लोगों ने बहुत मदद की। वहां चौबीसों घंटे खाना बनता है और लोग जाकर खाते हैं। उन्होंने वस्त्र, कम्बल और खाने के बर्तन भी दिए। लेकिन सरकार की ओर से सब लोगों को नहीं मिला, ढाई सौ रुपए के हिसाब से मदद दी गई। इस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को तुरन्त मदद पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए और मलबा हटाना चाहिए। वहां पर सड़ान्ध फैल रही है। उसकी वजह से कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका है। नाक बंद करके जाना पड़ता है, ऐसी हालत है। सभी ने इस पर टिप्पणी की है कि क्या मोवाड़ में जो दुर्घटना हुई वह नेचरल कैलेमिटो थी या केवल क्रिमिनल नैगलीजेंस थी जिसको बोलते हैं। यह दुर्घटना सरकार की तरफ से हुई, इसके बारे में छानबीन होना जरूरी है।

मोवाड़ में एक तटबंध है । यह पानी की तह के नीचे के हिस्से में बना हुआ है । यह तीन किलोमिटर लंबा है, 36 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा है। यह तटबंध सौ साल पहले बनाया गया था। यह मालूम नहीं कि इसको किसने बनाया। उस समय ने लोगों के बनाया होगा। इस तरह के तटबंध ने कई तरह की बाढ़ें रोकी। जब वहां पर बारिश हुई तो 1961, 67, 72, 84 और 88 में भी बाढ़ आ गई। जब 1961 में बाढ़ आई तो काफी नुकसान हुआ। उसके बाद सरकार

न जोगलेकर कमेटी बनाई। उस समिति ने यह सिफारिश दी कि इस गांव का पुनर्वास किया जाए नहीं तो पूरा का पूरा गांव डूब सकता है। किसी ने भी जोगलेकर समिति की रिपोर्ट के पन्ने देखने की कोशिश नहीं की। वे ऐसे ही पड़े रहे और अभी दो-तीन साल पहले यह तय हुआ कि कम से कम बांध की सीमेंट, प्लास्टर से पक्का किया जाए। सरकार की ओर से राशि सैंक्शन हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 15 जुलाई को जब बारिश हो चुकी थी तो कलैक्टर साहब ने चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया कि इस बांध को दुरुस्त किया जाए। चीफ इंजीनियर ने पेड़-पौधों को साफ कर दिया और घास निकाल दी। इसके बाद मिट्टी और भी पोली हो गई। तीस जुलाई की तारीख को यह दुर्घटना हुई। यदि दुरुस्त करना था तो बारिश का समय क्यों चुना गया। क्रिमिनल नैगलीजेंस की वजह से हजारों लोग मारे गए, यह शर्म की बात है। 1961 में सिफारिश की गई थी कि गांव का पुनर्वास किया जाए और दूसरी तरफ ले जाया जाए क्योंकि दस हजार लोगों का सवाल था। इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग वहां जाते हैं तो लोग पागल जैसे हो जाते हैं, लेकिन मलबा हटाने की ताकत नही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

5.00 म०प०

बन्दू गुप्ता नाम का आदमी है। उसका सारा कुटुम्ब मां, पत्नी पिता, तीन बहनें, लड़की सब के सब बहकर चले गये। वह दूसरे मकान में गया था इसलिए बच गया। ऐसे ही एक हेड कांस्टेबल खुद भी गया और उसका सारा परिवार भी बह गया। इस तरह के कई लोग मिलेंगे। जो लोग बच गये हैं उनकी हालत पागलों जैसी है। इस तरह की खराब हालत वहां हो रही है। हमारा कहना है कि यह जो भयंकर दुर्घटना हुई है इसको इन्क्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए। उनका इलाज कराया जाना चाहिए और पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। इस गांव का पुनर्वास किसी सुरक्षित जगह पर होना चाहिए। इन लोगों को पूरी मदद दी जानी चाहिए, जिनकी फसल बरबाद हो गई है उनको पूरा मुआवजा देना चाहिए। सरकार के नौकरशाहों के द्वारा यह काम नही होना चाहिए। मैंने सुना है कि 9 तारीक को प्रधान मंत्री जी वहां की स्थिति को देखने जा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इन सब बातों के ऊपर ध्यान दें और उनको मदद देने का काम करें। केन्द्र सरकार इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को भी हिदायत दे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इण्टरनेशनल लिमिटेड, बम्बई शाखा के कार्यों के बारे में श्री मनमोहन सिंह एक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोगों को इसकी कापी क्यों नहीं मिली, जब पहले ही तय था कि मन्त्री जी स्टेटमेंट देंगे तो कापी मिलनी चाहिए थी।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : जैसे ही वक्तव्य समाप्त होगा, यह उपलब्ध करवाई जाएगी।

5.04 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्री द्वारा व्यक्तव्य

बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड—बम्बई शाखा के कार्यकलाप

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : दि बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (बी. सी. सी. आई.) (ओवरसीज) लिमिटेड (ग्रांड केमन में निगमित), जो कि बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल होल्डिंग (लग्समबर्ग) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कम्पनी है, ने भारत में दो शाखाएं खोलने के लिये अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन दिया था। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बी. सी. सी. आई. को जून 1977 में केवल एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की ही अनुमति दी थी। प्रतिनिधि कार्यालयों को बैंकिग का कारबार करने की अनुमति नहीं होती, वे केवल सम्पर्क कार्यालय का कार्य करते हैं।

तथापि, बी. सी. सी. आई. ने भारत में शाखाएं खोलने का अपना अनुरोध कई बार दोहराया। फरवरी 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे बम्बई में अपनी शाखा खोलने के लिये लाइसेंस जारी कर दिया। इस शाखा ने 31 मार्च, 1983 से अपना परिचालन शुरू कर दिया।

बी. सी. सी. आई. 1986 में विवादग्रस्त हो गयी जब प्रवर्तन निदेशालय की जांच से इस बात का पता चला कि बैंक, विदेश यात्रा योजना (एफ. टी. एस.) के अन्तर्गत वास्तविक यात्रियों के हस्ताक्षरों का सत्यापन किए बगैर ट्रैवल एजेंटों को विदेशी मुद्रा जारी कर रहा है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की काफी बड़ी राशि जाली और झूठे हस्ताक्षरों वाले फार्मों के आधार पर जारी कर दी गयी थी। बैंक के कुछ कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (कोफेपोसा) अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया था। बाद में इनमें से चार को सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, जिसने कोफेपोसा अधियिनयम के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार इन मामलों में सुनवाई की थी, छोड़ दिया गया। एक कर्मचारी के निरोध-आदेश सरकार द्वारा इसलिये वापस ले लिये गए थे क्योंकि इन्हीं हालात में अन्य कर्मचारियों को छोड़ दिया गया था। तथापि, इस मामले में 20-6-1988 के न्याय निर्णयन आदेश द्वारा बैंक, उसके कर्मचारियों और ट्रैवल एजेंटों पर जुर्माना लगाया गया और पकड़ी गयी 1,32,000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा और बैंक से प्राप्त 17,00,057 रुपये की भारतीय मुद्रा को जब्त करने का आदेश दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश यात्रा योजना के लिये अनियमित रूप से जारी की गयी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी मामले की जांच की तथा निदेशालय के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि इस धनराशि का उपयोग हथियार खरीदने के लिये किया गया था। जनवरी 1987 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में जांच करने और पता यह लगाने के लिए एक विशेष जांच दल की भी नियुक्ति की थी कि अनियमितताओं की गम्भीरता को देखते हुए बैंक का इलाइसेंस रद्द करने की मांग कहां तक उचित है। जांच से पता चला कि विदेशी मुद्रा परिचालनों और कुछ क्षेत्रों में बैंक के आचरण सम्बन्धी की गयी अनियमितताएं मुख्यतः प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं हैं और ऐसी अनियमितताएं भारत में अन्य प्राधिकृत डीलरों के मामले में भी देखने में आती हैं। इनके कारण लाइसेंस रद्द करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी।

9 -M/I(D)429LSS—18

1988 में आसूचना एजेंसियों से ऐसी रिपोर्टें भी प्राप्त हुई थीं कि बी. सी. सी. आई. सम्पत्ति की खरीद के लिये बातचीत कर रहा है और लखनऊ और बम्बई में होटल तथा अचल सम्पत्ति (रीयल एस्टेट) कारबार शुरू करने के प्रयत्न कर रहा है। आसूचना एजेंसियों के अनुसार यह प्रयत्न सुरक्षा जोखिम वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की जांच की और बी. सी. सी. आई. की बम्बई शाखा की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी इस जांच से अचल सम्पत्ति कारोबार/सम्पत्ति के लिये वित्तपोषण करने/अभिग्रहण करने का कुछ पता नहीं चलता

भारतीय रिजर्व बैंक को 5 जुलाई, 1991 की शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया था कि केमेन द्वीपसमूह के गवर्नर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत उन्होंने बी. सी. सी. आई. इंटरनेशनल (ओवरसीज) लि०, जिसकी एक शाखा बम्बई म कार्य कर रही है, का कार्यभार सम्भालने के लिये एक रिसीवर की नियुक्ति की है।

भारतीय रिजर्व बैंक को 6 जुलाई को प्रातः बी. सी. सी. आई. की बम्बई शाखा से एक अन्य सूचना प्राप्त हुई थी उन्हें अपने केन्द्रीय कार्यालय से बम्बई शाखा के परिचालनों को तत्काल प्रभाव से बन्द करने के अनुदेश प्राप्त हुए हैं। इन सूचनाओं के प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जुलाई को बी.सी.सी. आई. बम्बई को अपने परिचालनों को, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप से अन्यथा अनुमति न दे दी जाए, बन्द रखने का आदेश जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने साथ ही साथ जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के दो अधिकारियों की प्रेक्षकों के रूप में नियुक्ति कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें यह बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की राय में उक्त बैंक की बम्बई शाखा की परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य प्रथम दृष्टया उसकी देनदारियों की तुलना में अधिक है और इसलिए जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित है।

15 जुलाई, 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के स्थानीय कार्यालय के परिसमापन और परिसमापक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की नियुक्ति के लिये बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 38 के अधीन बम्बई उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया। न्यायालय ने एक अन्तःकालीन आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को अनन्तिम परिसमापक नियुक्त कर दिया। अनन्तिम परिसमापक स्थिति का जायजा ले रहा है और परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों की सूची तैयार कर रहा है।

जहां तक बी. सी. सी. आई. (ओवरसीज) लिमिटेड की बम्बई शाखा पर भारतीय राजनीतिज्ञों और अधिकारी वर्गों को भुगतान करने तथा आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के आरोपों से सम्बन्धित रिपोर्टों के बारे में इस सदन में ऊठाए गए मुद्दों का सवाल है, आसूचना एजेंसियों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार इस किस्म के किसी विशिष्ट दृष्टांत अथवा किसी निश्चित सूचना की कोई जानकारी नहीं मिली है। सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो। अलबत्ता, सरकार मामले के इस पहलू के बारे में पूर्णतया सजग है।

मैंने उपर्युक्त वक्तव्य इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया है। यदि कोई और सूचना प्राप्त होती है, तो सरकार समुचित कार्रवाई करेगी। [व्यवधान]

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी –(बोल पुर) : सारा संसार सत्य जानता है। [व्यवधान]

श्री जार्ज फर्नान्डीज(मुजफ्फरपुर) : जहां तक इस वक्तव्य का सम्बन्ध है, माननीय वित्त मन्त्री ने जो कहा है, उसका में कड़ा विरोध करता हूं। हमने माननीय वित्त मन्त्री से इस तरह के वक्तव्य की आशा नहीं की थी। [व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान(रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, एक एक्सप्लानेशन के लिये मैं आपकी अनुमति से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में जो चीज तय हुई पी. एम. ओ. में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इस सम्बन्ध में कोई कागजात मिले हैं या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इस सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त हुई थी या नहीं ? यह मामला बोफोर्स से भी ज्यादा गम्भीर मामला है। आपने कहा कि कोई डेफीनेट जानकारी नहीं है, कोई डेफीनेट इनफॉरमेशन इस सम्बन्ध में नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डेफीनेट इनफॉरमेशन का क्या मतलब है ? आपके ऊपर हम लोगों की बहुत श्रद्धा है मनमोहन सिंह जी और मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि जो भी हमारे कुछ लोग उसमें शामिल हैं, एक मछली पूरे तालाब को गन्दा कर देती है। उस गन्दी मछली को निकालने का काम कीजिए। आप नाम बताइए नहीं तो हम आपको नाम बताएंगे कि कौन-कौन आदमी थे। पी. एम. ओ. से स्वीकृति मिली थी या नहीं, यह बताइए।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप ऐसे नहीं बोलिए।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : इस पर 193 के अन्तर्गत बहस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

[व्यवधान]

श्री राम विलास पासवान : पी. एम. ओ. के बारे में क्या हुआ [व्यवधान]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं अध्यक्ष से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह वक्तव्य सात दिन से तैयार हो रहा है ...

अध्यक्ष महोदय : आप एक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं महोदय। मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह वक्तव्य सात दिनों से बन रहा है और सात दिनों के अन्त में, वित्त मन्त्री हमें बस यही बताना चाहते हैं ? उन्हें हमें यह कूड़ा—अगर मैं यह शब्द प्रयोग कर सकूं अगर यह असंसदीय नहीं है देने में सात दिन

क्यों लगे । मैं इसका उत्तर चाहूंगा। उन्हें इस सभी को हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। क्या वित्त मन्त्री चाहते हैं कि मैं उन्हें कहूं ? क्या मैं वित्त मन्त्री से पूछ सकता हूं कि जब वे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तो उन्होंने फाइल पर क्या लिखा था, जब इस बैंक ने पहले पहल लाइसेंस की मांग की थी ? क्या उन्होंने कहा था कि उस बैंक को लाइसेंस नहीं देना चाहिए ? फिर अन्त में, राजनीतिज्ञों के प्रयासों से बम्बई में शाखा आवंटित की गई। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम लें। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज़, ऐसा नहीं है। जब हमने कहा है कि इस मामले पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा की जाएगी और हम निर्णय लेंगे . . . [व्यवधान]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे खेद है, मैं इस सभा को इस प्रकार मूर्ख नहीं बनने दूंगा। मैं तथ्य से अवगत हूं। [व्यवधान] इस पर चर्चा करने के लिए मन्त्रिमण्डल सुबह 3 बजे तक इस पर चर्चा करता रहा है। वे हमें मूर्ख बना सकते हैं, वे देश को मूर्ख नहीं बना सकते। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इन सब मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो वे उस समय भी इसे उठा सकते हैं। [व्यवधान]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इससे वे स्पष्टीकरण देने से मुक्त नहीं हो जाते। हम स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति नहीं दे रहे। मान लीजिए मैं एक सदस्य को अनुमति दे दूं, तो अन्य सदस्य भी मुझसे वही कहेंगे। अगर यह जारी रहा तो फिर आप मुझे आपको अनुमति देने को कहेंगे। [व्यवधान]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सूचना दे सकता हूं। मैं आज यहां नहीं दूंगा। मेरे पास सूचना है। [व्यवधान]

श्री पी०एम० सईद : (लक्षद्वीप) : श्री फर्नान्डीज एक वरिष्ठ सदस्य है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि मन्त्री द्वारा वक्तव्य देने के बाद उस पर इस प्रकार खुली चर्चा नहीं होती। जब हम इस पर चर्चा करें तो वे यही बात पूछ सकते हैं। [व्यवधान]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक अत्यन्त अशांत स्थिति है। अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऊपर से, इसमें कुछ नहीं है। यहां तक कि सारे देशों में पत्रिकाओं ने अत्यन्त सनसनीखेज गुप्त खबरें प्रकाशित की हैं। हम जानना चाहते है कि इस बारे में क्या सूचना है। क्या भारत सरकार जो हमें ऊपरी तौर पर दिया गया है, उसके अतिरिक्त कुछ और जानती है। इसीलिये हम परेशान हैं, हम परेशानी अनुभव कर रहे हैं, सारा संसार अशान्त है। इसके पर्याप्त संकेत हैं कि राजनीतिज्ञ इससे शामिल है, संसद सदस्य शामिल हैं, हिथियारों के लिये पैसा प्रयोग किया जा रहा है। इसमें से उग्रवादियों को पैसा दिया गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसकी अनदेखी की जाए या सामान्य तौर पर लिया जाए। इसीलिए, हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

वित्त मन्त्री ने बार-बार समय मांगा और इस तरह का वक्तव्य देने की तिथि भी आगे कर दी। यह एक निरर्थक क्रिया है। किसी भी समाचार पत्र में यह मिल जाएगा। हमने आशा की थी कि नियम 193 के तहत चर्चा करने की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा हम सभा को विश्वास में ले लेंगे। उन्हें सभा को विश्वास में लेना चाहिए था। [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आप पिछले तीन-चार दिनों के न्यूज-पेपर्स पढ़िए, इससे ज्यादा इन्फार्मेशन तो उनमें उपलब्ध है। [**व्यवधान**]

[**अनुवाद**]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या उन्हें सिर्फ उस कम्पनी की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि ही बतानी थी ? [**व्यवधान**]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने कल वक्तव्य क्यों नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम बाढ़ और अकाल पर पुनः चर्चा शुरू करें। अब श्री विजय कुमार राजू बोल सकते हैं। [**व्यवधान**]

श्री श्रीकान्त जेना : वित्त मन्त्री सभा से कुछ बातें छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। [**व्यवधान**]

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा वक्तव्य देने के लिए उन्होंने इतना समय क्यों लिया ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह अत्यधिक अनुचित है। जब सदन में इस मुद्दे को लेकर उत्तेजना है तो वित्त मन्त्री सदन से कैसे जा सकते हैं। [**व्यवधान**]

श्री बसुदेव आचार्य : आपके वित्त मन्त्री कहां हैं ? मामला अत्यधिक गम्भीर है तथा पिछले कई दिनों से हम बी. सी. सी. आई. मामले के सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य की मांग कर रहे हैं। [**व्यवधान**]

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो हैं। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये पहले, प्लीज। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : वन मिनट, आप देखिये। मि० आजाद, प्लीज। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये तो सही। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिये ही कहने जा रहा हूं, आप सुनेंगे भी नहीं क्या ? [**व्यवधान**]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : पहले वित्त मन्त्री जी को बुलवाइए। [**व्यवधान**]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों सुनना नहीं चाहते।

[अनुवाद]

मुझे बताया गया है कि ...... [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ठीक यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिये। [व्यवधान]

संसदीय कार्य मंत्री : लोक सभा में मन्त्री के वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण मांगने की परम्परा नहीं है। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पर पुनः चर्चा की जाएगी। मैंने श्री विजय कुमार राजू को बोलने के लिये कहा है। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस वक्तव्य पर चर्चा समाप्त कर दी है। यदि उस विषय पर चर्चा हो रही होती तथा वह उठकर बाहर चले गए होते तब कुछ बात थी। मैंने श्री विजय कुमार राजू को भी बोलने के लिये कहा था। मैंने कहा था कि हम बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पर पुनः चर्चा करेंगे तथा मैंने श्री विजय कुमार राजू का नाम लिया था तथा तभी वह बाहर चले गए थे। हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पर पुनः चर्चा करना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रकार से नहीं। [व्यवधान]

श्री बसुदेव आचार्य : हम बाहर जा रहे हैं।

5.23 म०प०

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह सदन की कार्रवाई को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक अपूर्ण वक्तव्य दिया है। कम से कम उन्हें यह कहना चाहिये कि इस बैंक के कार्यों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जायेगी तथा विश्व भर में यह बैंक अपनी अफवाहपूर्ण गतिविधियों के लिए विदित है। [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : हमें सही व्यवहार करना चाहिए। [व्यवधान]

5.24 म०प०

(इस समय श्री चन्द्रजीत यादव सभा भवन से बाहर चले गये)।

अध्यक्ष महोदय : हमें बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पर पुनः चर्चा आरम्भ करनी चाहिये। श्री विजय कुमार राजू।

नियम 193 के अधीन चर्चा

5.24 म० प० **देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति**—जारी

***श्री बी० विजयकुमार राजू** (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष देश को बाढ़ तथा सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान तथा माल का अत्यधिक नुकसान हो रहा है। चूंकि आनुक्रमिक सरकारें इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए उपयुक्त उपाय करने में असफल रही हैं अतः हमें हर वर्ष अत्यधिक बहुमूल्य जीवन तथा काफी अधिक सम्पत्ति का नुकसान उठाना पड़ता है।

*मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

5.25 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

बाढ़ की चपेट में खड़ी फसलें भी बही जा रही हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा पुल ढह गए हैं। यह एक नियमित घटना हो गई है। देश के कुछेक क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछेक क्षेत्रों में बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। यहां तक कि किसी राज्य में कुछेक क्षेत्रों में बहुत अच्छी बारिश होती है तथा दूसरे क्षेत्रों में बारिश बहुत ही कम होती है। हर क्षेत्र में तथा हर राज्य में मानसून अलग-अलग होता है। अनिश्चित मानसून के कारण हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यही समय है जब सरकार इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये कुछेक सुनियोजित नीतियां तथा कार्यक्रम लेकर आये।

इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि वनों की निरन्तर कटाई की जा रही है। चूंकि वन कम होते जायेंगे तो स्वाभाविक रूप से बारिश कम होती है। इसका परिणाम सूखा के रूप में सामने आता है। अतः भारत सरकार को वन रोपण कार्यक्रम को अधिक महत्व देना चाहिये। वन रोपण कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी तथा जिम्मेवारी से क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

महोदय, जैसा कि मैंने इससे पूर्व कहा कि इस देश में सूखा तथा बाढ़ आना एक नियमित घटना हो गयी है। प्रत्येक वर्ष हमारे यहां बाढ़ आने का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां की नदियों में गाद, रेग अत्यधिक है। देश की सभी बड़ी नदियां विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में स्थित नदी के जल में रेग की मात्रा अत्यधिक है। इसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान और अतिरिक्त जल को समाने की स्थिति में नदियां नहीं होती हैं। अतः नदियों में से गाद को निकालने का कार्य युद्ध-स्तर पर किया जाना चाहिये। इस तरह से आप बाढ़ को बार-बार आने से रोक सकते हैं। महोदय, तटीय आन्ध्र में डेल्टा क्षेत्र बाढ़ की दृष्टि से अधिक असुरक्षित है। बाढ़ आने का मुख्य कारण नदियों में भारी गाद का जमाव होना है। नदियों में इस गाद के जमाव से पहले से ही वहां विद्यमान अपवहन तन्त्र को काफी बड़ी क्षति पहुंची है। यह अपवहन तन्त्र भी एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस क्षेत्र में तुरन्त ही नदियों में से गाद निकालने का कार्य तथा इस क्षेत्र में जल निकास प्रणाली में मरम्मत का कार्य तत्काल आरम्भ करें। अन्यथा, मुझे भय है कि आगे आने वाले वर्षों में जान और माल का काफी नुकसान होगा।

महोदय, वैज्ञानिकों का यह विचार है कि आगामी पचास वर्षों में तटीय आन्ध्र में समुद्र का स्तर कम से कम तीन से चार फीट बढ़ जायेगा। यदि ऐसा हो गया तो हजारों गांव समुद्र में ही जलमग्न हो जायेंगे तथा बहुमूल्य जान और माल का काफी नुकसान होगा। अतएव सरकार को इस सारे मामले की जांच करनी चाहिये तथा ऐसी स्थिति न आये इसके लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

महोदय, मौसम विभाग का कार्य काफी सन्तोषजनक है। उन्हें काफी पहले बाढ़ के बारे में ठीक-ठीक बताना चाहिये ताकि बाढ़ से उनकी तबाही होने से पूर्व ही उन्हें किसी अधिक सुरक्षित स्थान में पहले से भेजा जा सके। इसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी लोगों को और अधिक सुरक्षित स्थानों में ले जाने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यदि हम काफी समय पहले ही सुरक्षात्मक

कदम उठायें तो बाढ़ से क्षति पहुंचने वाले काफी सारे व्यक्तियों की संख्या को कम किया जा सकता है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। बाढ़ का सामना करने के लिये तथा बाढ़ पर नियन्त्रण करने के लिये राष्ट्रीय बाढ़ प्रबन्धन को राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाए रखना चाहिये। सर्वप्रथम हमें देश की सभी बड़ी नदियों पर नियन्त्रण करना है। बांध काफी पुराने हो चुके हैं। उनकी तुरन्त मरम्मत की जानी चाहिये। बांधों को ठीक करने का काम तुरन्त तथा व्यापक रूप से किया जाना चाहिये। बांध के टूटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति को आने से रोकना चाहिये। उसके लिए हमें रकम की आवश्यकता होती है। हमें कृषकों से, विश्व बैंक अथवा एशियन बैंक से निधि मिल सकती है। इस कार्य को बिना विलम्ब किए तुरन्त ही आरम्भ कर देना चाहिये। बहुमूल्य जल संसाधनों की बेहतर व्यवस्था आज के समय की आवश्यकता है। अन्यथा संसाधन कम पड़ जायेंगे तो हमें केवल स्वयं को ही दोष देना होगा।

महोदय, इस वर्ष मानसून बिल्कुल अनिश्चित है। बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्य हैं जो काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।

कई लोगों की मृत्यु हो गई है। बाढ़ के कारण असम में 14 लोगों की मृत्यु हो गई। और मध्य प्रदेश में 12, अरुणाचल प्रदेश में 25 तथा गुजरात और उड़ीसा में सात-सात लोगों की मृत्यु हुई है। इससे यह पता चलता है कि देश के अनेक भाग बाढ़ के प्रकोप में हैं। कर्नाटक में कावेरी नदी के बाढ़ के कारण करीब पचास हजार एकड़ के क्षेत्र में खड़ी फसल बर्बाद हो गए। करीब बीस हजार लोग इससे प्रभावित हुए। कई पुल नष्ट हो गए। यातायात अवरुद्ध हो गई। देश के कई भागों से अब भी बाढ़ के समाचार मिल रहे हैं।

महोदय, इस वर्ष सूखे की स्थिति भी उतनी ही गम्भीर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं। इस स्थिति से निवटने के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये थे। जहां मानसून के विफल होने की आशंका होती है उस क्षेत्र में सरकार को वहां की परिस्थिति का आकलन करना चाहिये। नलकूपों की मरम्मत की जानी चाहिये और नये नलकूपों को लगाने की आवश्यकता है। सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा पेयजल की कमी को दूर करने के लिये कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। अन्यथा, सभी जगह पेय जल की अत्यधिक कमी हो जाएगी और लोगों को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये उचित योजना और नीति बहुत जरूरी है। अन्यथा पैसा खर्च करना केवल बर्बादी होगी। महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मई, 1990 में आंध्र में अभूतपूर्व तूफान आया था। उस तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई। अत्यधिक हानि हुई। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह ने उस क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों की सहायता के लिये वहीं पर उन्होंने 85 करोड़ रूपये के अनुदान की घोषणा की। महोदय, बाद में राज्य को विश्व बैंक से भी ऋण मिला। लेकिन मुझे खेद है कि उस रकम का सदुपयोग नहीं हो सका है। उस रकम का दुरूपयोग हुआ है। मैं आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र से हूं। मैं वहां की स्थिति को अच्छी तरह जानता हूं। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पूरी निकास प्रणाली गड़बड़ है। यह 160 वर्ष पुरानी है। बांध का निर्माण सर आर्थर कॉटन द्वारा किया गया था। स्थिति वहीं की वहीं है जो पुराने समय में थी। यनम बांध, नदी बांध और निकास व्यवस्था और पूरी व्यवस्था

ही वास्तव में ध्वस्त होने के कगार पर है। हाल के वर्षों में किसी भी तरह का मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। "हाल ही में विश्व बैंक ने तीन सौ करोड़ रुपये का ऋण दिया है। कुल मिला कर पूरे कार्य के लिये 700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। उस राशि का 90 प्रतिशत जो ग्राज खर्च किया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। कुछ कार्यों के लिये जो राशि ग्रावंटित की गई उसका सही ढंग से उपयोग हो यह सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार को ग्रावश्यक कदम उठाने चाहिये। ग्रन्यथा, राज्य सरकार पर कोई ग्रंकुश नहीं रहेगा। यदि ग्रावश्यकता हो तो केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशि का उपयोग उचित ढंग से किया जा रहा है। ग्राम दिनों के दौरान इंजीनियरों ग्रौर ठेकेदारों को बैठकर मौज में समय नहीं गुजारना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री श्री बलराम जाखड़ को बताना चाहता हूं कि राज्य को वर्ष 1990 के दौरान एक करोड़ 25 लाख रुपये की राशि दी गई है। यह बताया गया है कि राशि खर्च की जा चुकी है। वास्तव में कोई कार्य नहीं हुग्रा है। राज्य सरकार की जानकारी में मामले को लाया गया। 25 इंजीनियरों को निलम्बित किया गया। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के ग्रधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई है। यह पाया गया कि कहीं भी कोई कार्य शुरु नहीं किया गया ग्रौर न ही पूरा किया गया। हो सकता है कि केन्द्र द्वारा दी गई पूरी सहायता बेकार खर्च हो गई हो। हमें विश्व बैंक ग्रौर ग्रन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलता है। ऋण लेने की क्या आवश्यकता है, यदि हम उस राशि का उपयोग उस कार्य के लिए नहीं करते जिसके लिए वह दी गई है। यदि हम इस इस तरह धन की बर्बादी करते हैं तो यह देश के लिये हितकर नहीं होगा। चाहे यह ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया ऋण हो या किसी भी प्रकार का ऋण हो, हमें यह देखना होगा कि ऋण की रकम को ग्रच्छी तरह सावधानी पूर्वक खर्च किया जाए। ग्रन्यथा हम प्रगति नहीं कर सकते। देश उन्नति नहीं कर सकता है।

गोदावरी नदी पर निर्मित बांध बहुत पुराने हो गए हैं। वे टूटने की स्थिति में ग्रा गए हैं। यदि इंजीनियरी कर्मचारी प्रभावित क्षेत्र में मरम्मत के लिये पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें उस स्थान तक पहुंचने की स्थिति में होना चाहिये। ग्रावश्यक वस्तु को उस स्थान तक पहुंचाये जाने की ग्रावश्यकता है। लेकिन वहां तक जाने वाली पहुंच मार्ग का सही ढंग से रख-रखाव न हो ग्रौर सड़क तथा पुल बह जाए तो वे प्रभावित स्थल पर कैसे पहुंचेंगे ग्रौर किस तरह मरम्मत का कार्य करेंगे। उचित नियोजन की ग्रावश्यकता है। उचित प्रबन्ध की ग्रावश्यकता है। बाढ़ ग्रौर सूखे से निपटने के लिये हमारे पास उचित योजना होनी चाहिये। महोदय, प्रत्येक वर्ष हम बाढ़ ग्रौर सूखे पर चर्चा करते हैं। चाहे यह ग्राठवीं, नवीं या दसवीं लोकसभा हो, सभा प्रत्येक वर्ष इन प्राकृतिक ग्रापदाग्रों पर चर्चा करती है। हमारी सभी चर्चाग्रों के बावजूद हमारे देश में सूखा ग्रौर बाढ़ का प्रकोप प्रत्येक वर्ष होता ही रहता है। हर वर्ष जान माल की हानि होती है। इसका मतलब यह है कि बाढ़ ग्रौर सूखे की विभीषिका को कम करने के लिये कोई उचित योजना नहीं है। एक बार फिर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इन प्राकृतिक ग्रापदाग्रों से देश का मुक्त करने के लिये एक उचित योजना बनाई जानी चाहिये।

केन्द्र सरकार को सजग रहना चाहिये। यदि राज्य सरकार ग्रपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करती है तो उसके विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है। यदि वे सरकारें कोष को बर्बाद करती हैं यदि वे पैसों का दुरुपयोग करती हैं तो केन्द्र सरकार को चाहिये वह तुरन्त उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। ग्रन्यथा जो राशि

हम अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा के मूल्य पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के तौर पर लेते हैं उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। यह ध्यान रखा जाए कि एक-एक पैसे का उचित उपयोग हो।

महोदय, हाल ही में उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हुई है। सभी का यह मानना है कि उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिये। उर्वरक के मूल्य में वृद्धि न्यायपूर्ण नहीं है। हमें किसानों की स्थिति को समझना होगा। यदि अधिक वृद्धि होती है तो किसानों की हानि होगी और यदि कम वर्षा होती है तो भी गरीब किसानों को ही हानि होगी। इस तरह हर साल में किसान को ही हानि होती है। हमारे भिन्न-भिन्न राजनैतिक सम्बन्ध हो सकते हैं लेकिन फिर भी हमें किसानों के कष्ट के बारे में सोचना चाहिये। हमारी जनसंख्या का अस्सी प्रतिशत किसान हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि आधारित है। यदि हम यह चाहते हैं कि देश की मान और मर्यादा की रक्षा हो, यदि हम चाहते हैं कि देश अधिक अनाज उपजाए ताकि हम केवल अपने लोगों का ही जीवन यापन न करें बल्कि हम अनाज का निर्यात भी करें तो इसके लिये हमें किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी। यदि हम गलत नीतियों पर चलते रहे तो किसानों को कष्ट का सामना करना होगा और देश को भी इसलिये हम एकमत होकर ऐसे निर्णय लें जो देश के लिये लाभदायक हों। राज्य सरकारों की उपलब्धि बहुत थोड़ी है। वहां न तो इस सम्बन्ध में कोई आंकड़ा और न निविदा दी जाती है फिर भी पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। यही स्थिति राज्यों में अब भी है। राज्य में कांग्रेस या किसी भी पार्टी को सरकार हो यदि यह उस राशि का ठीक से उपयोग नहीं करती है तो केन्द्र सरकार को चाहिये कि वह उसके विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई करे। राज्य को 300 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। लेकिन मुझे आशंका है कि कार्य का जो स्तर है वह 25 करोड़ या अधिक से अधिक 50 से ज्यादा का नहीं है। वास्तव में वे कार्य नहीं कर रहे हैं। किसानों को वहां अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम किसी भी कीमत पर किसानों को और कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। अब हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को उदार बनाने के लिये कदम उठा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस देश में अधिक निवेश के लिये हम आमन्त्रित कर रहे हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम की अड़चन को समाप्त कर दिया गया है। हम विदेशी राष्ट्रिकों को 51 प्रतिशत शेयर की अनुमति दे रहे हैं। सरकार कहती है कि यह कदम हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने तथा देश को सम्पन्न बनाने के लिये उठाए जा रहे हैं। लेकिन, महोदय, जिस दिन सरकार किसानों को भूल जाएगी सभी कुछ खो देंगे। देश किसानों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। देश की नीतियां और कार्यक्रम किसानों पर आधारित होना चाहिये। उर्वरक के मूल्य में वृद्धि अनावश्यक है। हमारे पास अधिकतम भूमि जोत सीमा अधिनियम है। लेकिन उस अधिनियमों को गंभीरतापूर्वक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिये इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा है। सामाजिक न्याय के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती। हम कानून बनाते हैं लेकिन उसे लागू करने की किसी को चिन्ता नहीं है। अधिकतम भूमि जोत सीमा वर्तमान प्रधान मन्त्री द्वारा 1969 में आन्ध्र प्रदेश में लागू की गई थी जब वह स्वयं वहां के मुख्य मन्त्री थे। लेकिन यह लागू नहीं की गई। इसके लागू नहीं किये जाने का क्या कारण है? गम्भीरता और वचनबद्धता का अभाव की वजह से इसे लागू नहीं किया गया। इस अधिनियम को लागू करने के प्रति सरकार में गम्भीरता और वचनबद्धता नहीं है। केवल शब्दों

से सामाजिक न्याय नहीं दिया जा सकता। सरकार को वचनवद्धता की आवश्यकता है। इसके बिना सामाजिक न्याय नहीं किया जा सकता। विपक्षी दल का सदस्य होने के नाते मैं यह नहीं कह रहा हूं। सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिये दलगत राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार का एक मात्र उद्देश्य से कार्य करना चाहिये।

महोदय, हमने देश में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य शुरू किया है। हमें और अधिक बिजली का उत्पादन करना है। बिजली के बिना किसी उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सकता और उद्योग के बिना किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिये हमें धन की आवश्यकता है। हमें सुनिश्चित करना चाहिये कि हमें जो ऋण अथवा अपने संसाधनों से जो धन राशि मिले उसका उचित उपयोग हो। तभी अत्यधिक परियोजनाएं और अधिक बिजली उत्पादन संभव है। अधिक बिजली का तात्पर्य अधिक उद्योगों से है। देश में श्रमिकों में किसी प्रकार का असंतोष पैदा नहीं होगा।

महोदय, आखिरकार प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक होती है। बाढ़ और सूखा प्राकृतिक घटनाएं हैं। यदि हम उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं है तो हम कम से कम उनके प्रभाव को तो नियंत्रित कर सकते हैं। इनका पहले से पता लगा कर और बेहतर प्रबंध द्वारा नुकसान को कम किया जा सकता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है।

श्री बालिन कुली : (लखीमपुर) सभापति महोदय, 1950 से ही असम में प्रत्येक वर्ष तरह-तरह की बाढ़ें आती रही हैं। 1950 में आए भूकम्प के बाद से विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, जोकि असम की भूमि को समृद्ध करती थी, डिब्रूगढ़ से धुबरी तक के राज्य के मैदनी जिलों के लिए तबाही का प्रतीक बन गई।

बाढ़ के साथ होने वाले भूमि कटाव से भी प्रत्येक वर्ष वहां काफी तबाही हुई है। ऊपरी असम के सादिया और मोरकोंग्सेलेक और गुवाहटी के नजदीक पलासबाड़ी जैसे शहर पूरी तरह से बह गए हैं। डिब्रूगढ़ भी पूरी तरह से नष्ट होने वाला था, लेकिन पंडित नेहरू के हस्तक्षेप से जिन्होंने प्रकृति की चुनौती को साहसपूर्वक स्वीकार किया, और उस शहर को बचाने के लिए सहायता दी। यह शहर बचा।

इस वर्ष भी बाढ़ का पानी अनेक दिनों तक खतरे के निशान से ऊपर रहा और बाढ़ ने सिवसागर, जोरहाट, लखीमपुर, धेमजी, नौगांव, दारंग, सोनितपुर, धुबरी, जिलों और माजूली उप-मंडल में तबाही मचा दी। बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर थी कि लोगों को कई दिनों तक किनारे पर खुले में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप और असमिया धर्म, संस्कृति तथा लोक नीतियों का केन्द्र माजूली भी भूमि-कटाव के कारण समाप्त होने वाला था। बाढ़ के कारण संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो गई तथा स्थिति से निपटने के लिए हवाई जहाज द्वारा खाने के पैकेट गिराने की व्यवस्था करनी पड़ी। अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा।

असम में बाढ़ की समस्या अब केवल राज्य की ही समस्या नहीं रह गई है। यह राष्ट्रीय समस्या है और केन्द्र सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर इस ओर ध्यान देना चाहिए। अतः मैं मांग करता हूं कि केन्द्र को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता देनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी में बार-बार बाढ़ आने की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय करने चाहिएं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को कार्यशील करना चाहिए। इस बोर्ड के तत्काल पुनर्नवीकरण किए जाने की आवश्यकता है। अब मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ जो यह दर्शाते हैं कि 1980 से असम में बाढ़ के कारण कितनी हानि हुई है।

1980 में 11,60,954 है०; 1982 में 68,25,266 है०; 1983 में 6,94,999 है०; 1984 में 5,80,095 है०; 1985 में 3,73,955 है०; 1986 में 3,74,000 है० और 1987 में 16,26,215 है० क्षेत्र प्रभावित हुआ।

बाढ़ के कारण वर्ष 1980 में 5,980; 1982 में 3,600; 1983 में 4,403; 1984 में 4,699; 1985 में 3,006; 1986 में 2,181 और 1987 में 7,290 गांव प्रभावित हुए।

वर्ष 1980 में 33,88,878; 1982 में 14,23,000; 1983 में 2,12,175; 1984 मे 18,04,113; 1985 में 19,65,820; 1986 में 21,20,500 और 1987 में 47,91,032 जनसंख्या प्रभावित हुई।

1980 में 8,88,375 है०; 1982 में 35,50,000 है०; 1983 में 1,23,886 है०; 1984 में 1,34,308 है०; 1985 में 69,590 है०; 1986 में 2,26,000 है० और 1987 में 4,27,958 है० कृषि भूमि प्रभावित हुई। यह असम की विनाशक बाढ़ का संक्षिप्त विवरण है।

इसलिए, मैं मांग करता हूँ कि असम को विनाश होने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को ठोस उपाय करने चाहिएं। भारत सरकार ने अनेक प्रस्तावों पर कार्यवाही बंद कर दी है। मेरा अनुरोध है कि इन प्रस्तावों पर तत्काल विचार किया जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ-साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, यह अत्यन्त चिंताजनक बात है कि हमारे देश को बार-बार सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं का समाना करना पड़ता है। हर दूसरे दिन हमें समाचारों में यह सुनने को मिलता है कि विभिन्न राज्यों में यह स्थिति बार-बार उत्पन्न हो रही है। अतः इस प्रकार की स्थिति के लिए पहले से उचित कार्यवाही करनी चाहिए न कि उस आपदा द्वारा गरीब, निःसहाय ग्रामवासियों और क्षत-विक्षत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के बाद ही सरकार कार्यवाही करे।

उड़ीसा में कालाहांडी में सूखे की स्थिति और गंजम जिले में बाढ़ की स्थिति उसी प्रकार नियमित रूप से उत्पन्न होती है जैसे रोज सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नौवीं लोक सभा के दौरान मैंने बाढ़ प्रवण तटीय क्षेत्रों में तूफान की स्थिति से निपटने के लिए कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया था। वह इस प्रकार है :

आंधी और तूफान आने के बारे में सभी संबंधित लोगों को चेतावनी देने के लिए जगह-जगह दूर-संचार व्यवस्था स्थापित की जाए।

बाढ़ रोकने के लिए तट पर उचित निकासी नहर की व्यवस्था।

तट के साथ-साथ जगह-जगह पर लोगों के तूफान से बचने के लिए गोलाकार भवन बनाने चाहिएं।

उड़ीसा राज्य के गंजम, कोरापुट, पुरी, सम्बलपुर, कटक, कालाहांडी, बालासोर और ढ़ेनकनल आदि 8 जिलों में जुलाई 1991 के अंतिम सप्ताह के दौरान भारी वर्षा से बाढ़ आने के कारण बहुत हानि हुई है।

विशेष रूप से ऊपरी इन्द्रावती सुरंग आपदा और कासीनगर तथा गंजम जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में, जहां का मैं रहने वाला हूं, में बाढ़ के कारण हुई हानि की ओर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए।

बाढ़ से प्रभावित लोगों को उड़ीसा सरकार ने जो सहायता दी है वह बहुत ही अपर्याप्त है। इसलिए मैं भारत सरकार और इस माननीय सभा में उपस्थित कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अधिकतम केन्द्रीय सहायता देने के लिए वह कुछ उदार रुख अपनाएं और उड़ीसा राज्य के इन 8 जिलों, जो लगातार दूसरे वर्ष भी भारी बाढ़ के कारण तबाह हुए हैं, के बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत सहायता पहुंचाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाल सिंह यादव : (सम्भल) : सभापति महोदय, आज नियम 193 के अन्तर्गत बाढ़ और सूखे की स्थिति पर विचार किया जा रहा है। जिन सदस्यों ने इस विषय को उठाया था, वे तो आज वाक-आउट कर के चले गए हैं और हम लोगों को बोलने का मौका मिला है, यह ख़ुशी की बात है। [**व्यवधान**]

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में सूखा है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : बी जे पी के वाक-आउट करने से आज सदन प्रदूषण मुक्त है। [**व्यवधान**]

श्री श्रीपाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं जहां से आता हूं, रूहेलखण्ड कमिश्नरी और मुरादाबाद कमिश्नरी के सभी जिलों में सूखे की स्थिति भयंकर रूप ले चुकी है। दो प्रकार की फसलें, एक तो वह जो पहले से तैयार खड़ी थी, गन्ना और मेथा की फसल बरसात के अभाव में पूरी तरह से नष्ट हो गई है और जिन फसलों को बोया जाना था, खरीफ की फसलों की बुवाई नहीं हो सकी है। कल सदन में वित्त मन्त्री महोदय कह रहे थे कि फसलों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन जब फसल बोई ही नहीं जाएगी तो दाम कहां से बढ़ाए जाएंगे और कहां से फसल पैदा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूखे के कारण अभी तक खरीफ की बुवाई नहीं हो सकी है। मक्का, बाजरा की बुवाई तथा धान की रोपाई भी नहीं हो पाई है, जिससे किसानों में बेचैनी है।

सभापति महोदय, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत अव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में बी जे पी की सरकार बनी है, जिसको यह पता नहीं है कि किसानों की क्या कठिनाईयां हैं। आज उत्तर प्रदेश में बिजली का बहुत बड़ा संकट है, पश्चिमी जिलों में भी बिजली का बहुत संकट है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा 4 घंटे की बिजली की कटौती और कर दी गई है, जिसके कारण ट्यूबवैल बन्द पड़े हुए हैं। ट्यूबवैल्स की सफाई का काम कभी नहीं होता है, जबकि प्रति वर्ष ट्यूबवैल्स और नलों की सफाई के लिये सरकार द्वारा धन दिया जाता है। बिजली का काम इस तरह का है कि कहीं खंभे हैं तो तार नहीं हैं और कहीं पर खम्भे भी नहीं हैं, खंभों और तारों के नाम पर पैसा खा लिया जाता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिजली और ट्यूबवैल विभाग ने उत्तर प्रदेश में किया है और इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो केवल इस बात को देख रही है कि धारा 3/7 का सरलीकरण कैसे किया जाए। सरकार यह नहीं देख रही है कि जो सूखा पड़ रहा है, उससे निपटने के लिये कोई आदेश अभी तक अधिकारियों को नहीं दिया गया है। न ही सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। सूखे से निपटने के लिये कोई कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। किसानों का लगान माफ किया जाए, ऋणों की वसूली मुल्तवी कर दी जाए, किसानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों की फीस माफ की जाए, उनके बच्चों के लिये वजीफे की व्यवस्था की जाए, इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिये पहले इस तरह के काम किए जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इस इशू पर कान में तेल डाल कर सो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति का कुछ पता नहीं है। सूखा प्रभावित किसानों की क्या कठिनाइयां हैं और ऐसे समय में किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है, इस बात का वहां की सरकार को पता नहीं है। वहां की सरकार का ध्यान सिर्फ दो तीन बातों की तरफ है। एक तो धारा 3/7 का सरलीकरण कैसे किया जाए और मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर हिन्दू-मुस्लिम दंगों की तैयारी में वह सरकार लगी हुई है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज वहां पर चोरियां, डकैतियां और रोड होल्डिंग इतनी जबरदस्त हो रही हैं कि आए दिन घोड़ों पर चढ़ कर बदमाश घूमते रहते हैं और लोगों को मारते हैं। वहां पर लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान कानून और व्यवस्था की तरफ नहीं है। सूखा और बाढ़ के इशू पर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं।

मैं केन्द्रीय सरकार को कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद जिले में हसनपुर बांध है, उस पर गत वर्ष से कटाव हो रहा है। यहां भी मैंने एक प्रश्न उठाया था लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह करें कि वहां पर बहुत धन ठोकर बांध के लिये खर्च किया जा रहा है, वह व्यर्थ में जा रहा है। दक्षिण और उत्तर में गंगा कटाव कर रही है। बांध पर जो श्री पी० के० सिंह, एक्जीक्युटिव इंजीनियर थे, उनसे मैंने कहा था कि मैंने इस वर्ष पांच किलोमीटर बांध पर चल कर देखा है और सरकारी पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है और जो बांध लग रहा है उस पर कटाव हो रहा है। जब जल स्तर बढ़ेगा तो कटाव होते-होते जो ठोकर लगाई जा रही है वह भी कट जायेगी। दो-दो चीफ इंजीनियर वहां आए तो उन्होंने कहा कि इस कटाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक दो दिन में यह रुक जायेगा। लेकिन

ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब गंगा का जल स्तर आगे बढ़ गया है। हमारे जिले बदायूं के अन्दर गुन्नौर तहसील में तीन ठोकर बांध नहीं लगाए गए। चार-पांच गांव कटकर गंगा में जलमग्न हो गए और फिर उन गांवों का कटाव हो रहा है। इस वर्ष भी सरकार के पैसे का दुरूपयोग हुआ है। पिछले साल भी गुन्नौर और हसनपुर के बांध पर जो धन का दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच के लिये जांच समिति बनायी जाए कि कितना रुपया गंगा में बहा दिया गया। इंजीनियर जानते थे कि यह पैसा व्यर्थ में जायेगा, लेकिन फिर भी व्यर्थ में सरकार का पैसा चला गया। हमारे क्षेत्र के अन्दर सूखा और बाढ़ का प्रकोप भयंकर है और केन्द्रीय सरकार स्वयं भी स्टैप ले सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार को कह सकती है कि धन के दुरूपयोग को बचाया जाए और छात्र जो किसानों के बेटे हैं उनको राहत पहुंचाने के लिये कुछ काम किया जाए।

श्री पीयूष तीरकी : (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, बाढ़ और सूखे पर हम लोग हर साल बात करते हैं। यह पहले से ही समस्या बनी हुई है। सरकार कुछ चेष्टा करती है लेकिन फिर भी नुकसान होता है। उस समय तावड़-तोड़ काम दिखाया जाता है। हम खुद भी किसान हैं और इस मन्त्रालय के मन्त्री को हमसे भी बहुत ज्यादा ज्ञान है कि किसानों के ऊपर सब तरफ से मार पड़ती है। किसी शहर में कुछ होता है तो सारी दुनिया के लोग दौड़ते हैं और दौड़ाया जाता है। एक व्यक्ति के लिए भी काफी धन खर्च किया जाता है और रख-रखाव के लिये काफी धन खर्च किया जाता है। जब किसानों के ऊपर मुसीबत आती है तो बहुत देर से पैसा पहुंचता है। ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोगों के मर जाने से कुछ जनसंख्या कम हो जायेगी, ऐसा विचार सरकार के व्यवहार से लगता है। देश को पालने के लिये तो वे ही हैं, लेकिन उनको क्या दिया। उनको इधर से उधर भेजा जाता है और उनके क्षेत्रों में नहीं भेजा जाता जबकि दाल-रोटी का सवाल उत्पन्न हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके गांव के नजदीक एफ० सी० आई० के गोदाम बनायेगी।

सभापति महोदय : दो घंटे के लिये यह डिसकशन रखा था। अब 6 बज गये हैं।

[अनुवाद]

सभा की क्या राय है। मेरे पास 23 नाम है। मैं नही जानता कि क्या हम उन्हें एक घंटे में समाप्त कर पाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम और डेढ़ घंटे तक यह चर्चा जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मेरी राय है कि अब 6 बज गये हैं, सब लोगों के कार्यक्रम हैं अतः आज हाउस को यहीं स्थगित कर दें। इसको 2 घंटे के लिये और बढ़ा दें, कल हम इस पर चर्चा कर लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कल आधे घंटे की चर्चा है जो 6.30 बजे तक चलेगी। 6.30 के बाद हम 7.30 अथवा 8.30 तक बैठ सकते हैं।

श्री बी० कृष्ण राव (चिक्कबल्लापुर) : आज आप सभा की बैठक एक घण्टे तक बढ़ा दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा एक सुझाव है। इसका अभी और समय न बढ़ायें। कल उद्योग मन्त्रालय के लिये 8 घण्टे नियत किये हैं। कल इस पर दो घंटे चर्चा कर लेंगे बाकी के समय उद्योग मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर लेंगे। इसलिये इसको कल फिर 4 बजे ले लें और 6 बजे तक चलायें। 6 बजे के बाद निर्णय फिर करा लेंगे। आज आप 6 बजे के बाद हाउस न बिठायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : तब मैं नहीं समझता कि एक घंटे का समय पर्याप्त होगा।

श्री बी कृष्णराव : आज ही चर्चा जारी रखना ठीक होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप जानते हैं बी० जे० पी० ने वाक आउट किया है। हम लोगों को 6 बजे नेशनल फ्रंट की मीटिंग निश्चित है। हम चाह कर भी नहीं रुक पायेंगे। इसलिए खाली आपके साथ लैफ्ट फ्रंट वाले ही रह जायेंगे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यह मत्हवपूर्ण और उपयोगी डिसकशन है इसको कल ले लेंगे। आज समय पर आप सदन को स्थगित कर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.04 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 अगस्त, 1991/श्रावण, 17, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

91-M/J(D)429LSS · 225--25-6-92--GIPS